खण्ड-443, अंक-7
सोमवार, 11 भाद्रपद, शक संवत् 1924
(2 सितम्बर, 2002 ई0)

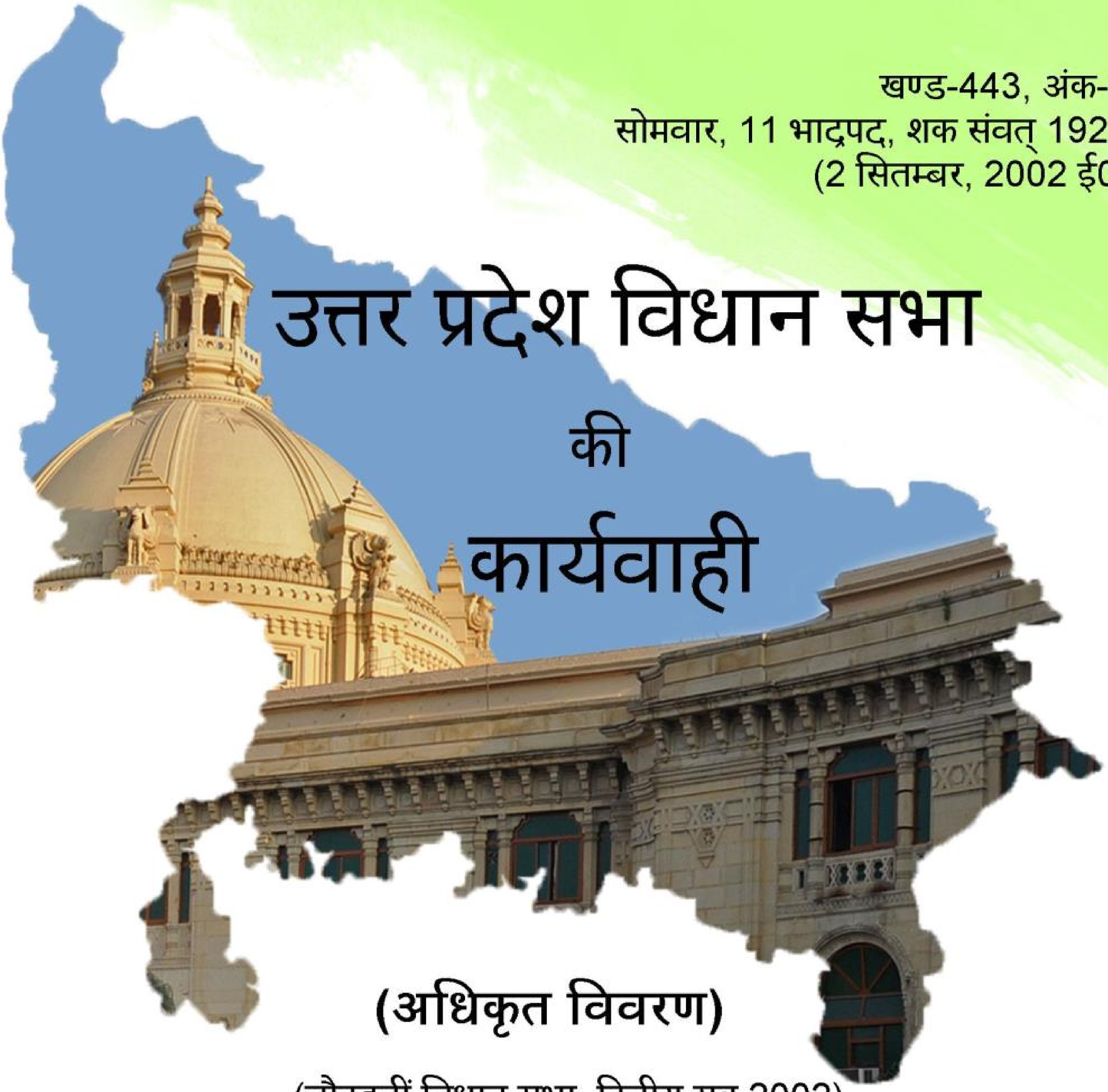

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2002)

खण्ड 443 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2002

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर (जारी)	1-8
ददुआ के भाई द्वारा नृशंस हत्यायें किये जाने विषय नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित सूचना	8-9
प्रश्नोत्तर	9-40
श्री अखिलेश सिंह सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी का प्रकरण... ...	40-43
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	43-44
जनपद उन्नाव के पुरवा क्षेत्रान्तर्गत अहेसा लिंक मार्ग अपूर्ण होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	44
जिला जेल सीतापुर में कैदियों की संख्यानुसार क्षमता बढ़ाने हेतु नई बैरिकों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	44
जनपद हरदोई की ग्राम सभा विलखिनी स्थित गाटा सं०–1446 ग पर तालाब की स्थिति बहाल करते हुए ग्राम सभा के खाते में ही दर्ज कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	44-45
बाल विकास पुष्टाहार विभाग में लागू लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली के अनुसार प्रोन्नतियाँ दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	45
बेसिक शिक्षा परिषद् सिद्धार्थनगर द्वारा नवम्बर 2001 में डुमरियागंज में सम्पन्न कराये गये मण्डलीय स्तर खेलकूद की टेन्ट आदि की व्यवस्था का भुगतान अभी तक न करने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	45-46
जनपद आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत खेमीपुर ग्राम के अन्तर्गत पड़ने वाला लगभग 800 मीटर मार्ग को लेपन स्तर तक निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	46
जनपद सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्रान्तर्गत गांव बासुरा में निर्माणाधीन पावर हाउस का निर्माण पूर्ण कराकर विद्युत आपूर्ति सुचारु करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	46
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	46-47
सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए शून्य प्रहार की सीमा दो बजे तक किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	47-51
दिनांक 29 अगस्त, 02 को अव्यवस्था के दौरान हुई सदन की कार्यवाही के असंवैधानिक होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	51-55
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में दस हजार अम्बेडकर ग्रामों को संतृप्तीकरण किये जाने हेतु मुख्य मंत्री द्वारा सदन में की गयी घोषणा का विभागों के बजट में प्राविधान न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	55-59

विषय	पृष्ठ-संख्या
स्थानीय निकायों सरकारी संस्थाओं और पंचायती राज समितियों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के परीक्षण हेतु सदन की समिति गठित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	59-60
चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने के दोषी करार होने वाले काबीना मंत्री को बर्खास्त किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	60-61
उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	61
उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 ..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	61
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) चतुर्दश विधान सभा का प्रथम प्रतिवेदन .....(सदन के पटल पर रखा गया)	62
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) चतुर्दश विधान सभा का द्वितीय प्रतिवेदन .....(सदन के पटल पर रखा गया)	62
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002–2003) चतुर्दश विधान सभा का तृतीय प्रतिवेदन ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	62
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) चतुर्दश विधान सभा का चतुर्थ प्रतिवेदन ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	62
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) चतुर्दश विधान सभा का पंचम प्रतिवेदन ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	63
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) चतुर्दश विधान सभा का षष्टम प्रतिवेदन ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	63
जनपद लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड बक्शी का तालाब स्थित ग्राम गोइला में मुरलीपुर सड़क डामरीकृत कराये जाने विषयक श्री संजय कुमार विश्वकर्मा निवासीगण जनपद–लखनऊ आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ....(उपस्थित की गयी)	63
जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत कटैना हर्षा से दरियापुर भारोल तक के क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था हेतु नहर निकाले जाने विषयक श्री वेदपाल सिंह निवासीगण जनपद–फिरोजाबाद आदि की हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयी)	63

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद एटा की ग्राम पंचायत कादरगंज खास के ग्राम नगला दुर्ग में जूनियर हाईस्कूल की स्थापना कराये जाने विषयक श्री नत्थू सिंह कश्यप निवासीगण जनपद–एटा आदि की हस्ताक्षरित याचिका .....(उपस्थित की गयी) ...	64
जनपद एटा के अन्तर्गत तहसील कस्बा पटियाली में 33/11 के०वी०ए० का विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री विनोद दुबे निवासीगण जनपद एटा आदि की हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयी) ...	64
जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली में विद्युत सब-स्टेशन स्थापित कराये जाने विषयक श्री राम चन्दर यादव निवासीगण जनपद–उन्नाव आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .....(उपस्थित की गयी)	64
जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने विषयक श्री अयोध्या प्रसाद भारतीय निवासीगण जनपद उन्नाव आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .....(उपस्थित की गयी) ...	64
जनपद गाजियाबाद में तहसील हापुड़ के मोहल्ला शिवगढ़ी आदि में नलकूप स्थापित कराये जाने विषयक श्री मो० गुलजार चौधरी निवासीगण जनपद गाजियाबाद आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .....(उपस्थित की गयी) ...	64
जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत तहसील हापुड़ के जसरूप नगर आदि मोहल्लों के पानी के परीक्षण तथा प्रदूषित पानी की निकासी हेतु नाला बनाये जाने विषयक श्रीमती शारदा देवी निवासीगण जनपद गाजियाबाद आदि की हस्ताक्षरित याचिका .....(उपस्थित की गयी)	64
जनपद बांदा के जसपुरा, तिन्दावरी तथा बड़ोखर खुर्द में बन्द पड़े राजकीय नलकूपों के पुनः निर्माण कराये जाने विषयक श्री द्वारिका सिंह यादव निवासीगण जनपद–बांदा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .....(उपस्थित की गयी) ...	65
जनपद बांदा हमीरपुर की सीमा पर स्थित ग्राम मौरानरायढ़ तथा सवादा इछावर के बीच लघु डाल नहर बनाये जाने विषयक श्री मुन्नीलाल निषाद निवासीगण जनपद–बांदा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयी)	65
जनपद गोण्डा के कटरा बाजार के कर्नैलगंज हुजूरपुर मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मुरलीधर द्विवेदी निवासीगण जनपद–गोण्डा आदि की हस्ताक्षरित याचिका .... (उपस्थित की गयी)	65
जनपद गोण्डा के कटरा बाजार में चौरी कटरा मार्ग के पुनः निर्माण कराये जाने विषयक श्री नौसाद खां निवासीगण जनपद–गोण्डा आदि की हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयी)	65
जनपद लखनऊ के मकदूमपुर ग्राम में गाटा संख्या–72 के भूखण्ड धारकों को विकास शुल्क के भुगतान करने पर प्राधिकरण की योजना में समायोजित किये जाने विषयक श्री डी० के० सिन्हा निवासीगण जनपद-लखनऊ आदि की हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयी)	65

विषय	पृष्ठ-संख्या
मेरठ महानगर में ट्रान्सपोर्ट नगर से चन्द्रलोक तक नाला निर्माण कराये जाने विषयक श्री कमल ठाकुर निवासीगण जनपद–मेरठ आदि की हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयी)	65
जनपद जालौन के चिनौट गांव में बेतवा नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुभाष परमार निवासीगण जनपद–जालौन आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयी)	66
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत) ...	66
उत्तर प्रदेश एमिटी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 .....(पुरःस्थापित)	66-67
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ	67-77
जनपद इटावा में विधायक निधि में स्वीकृत प्रस्ताव एवं धनराशि के बावजूद मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सभी प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में नियम–56 में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना ...	77-79
कानपुर नगर के शिवराजपुर कस्बे में छात्रा सीता कटियार के साथ बलात्कार एवं हत्या करने वाले अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–56 में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना ...	79-81
जनपद प्रतापगढ़ के रानीगंज थानान्तर्गत दो दलित महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–56 में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना	81-82
आजमगढ़ के जिला महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना ...	82-83
जनपद बाराबंकी की बुढ़वल चीनी मिल के श्रमिकों को वेतन न मिलने से भुखमरी व मरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना ...	83-84
जनपद रायबरेली में पेयजल संकट को देखते हुए इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना... ...	84-85
जनपद सन्त कबीरनगर के थाना धनकटा के बन्डा गांव में पशु मांस को लेकर दंगाइयों द्वारा आग लगाए जाने एवं पुलिस द्वारा गिरफ्तार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना	85-88
जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज व इटवा के अन्तर्गत सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत पानी की आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना	88-89

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) (द्वितीय संशोधन) तथा (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002 ..... (अननुमोदन के संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) ...	89-105
उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002..... (विधान परिषद् द्वारा किये गये) (संशोधन)..... (स्वीकृत)	105-107
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग, (प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या–75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) ..... (स्वीकृत)	108-143
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) ..... (जारी)	144-155
श्री अखिलेश सिंह सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना ...	155
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) ..... (जारी)	155-161
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव ... (स्वीकृत) ...	161
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) ..... (स्वीकृत)	162-172
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–39 भाषा विभाग ..... (स्वीकृत)	172
प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा का स्थगन ...	172
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	172-175
जनपद आगरा की खैरागढ़ तहसील में पानी की भयंकर कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रमेश कान्त लवानियां द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	175-176
जनपद फतेहपुर के कस्बा बिन्दकी में अनियमित विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में श्री समर पाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	176-177

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश की प्रशासनिक सेवा के पी०सी०एस० संवर्ग में पदोन्नति में व्याप्त कुंठा को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य... ...	177-178
जनपद गाजीपुर में लिफ्ट कैनालों में जलापूर्ति को लेकर किये जा रहे धरना प्रदर्शन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	178-180
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान निदेशालय इन्दिरा नगर लखनऊ में सहायक निदेशक के पद पर अनियमित नियुक्ति करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री मयंकेश्वर शरण सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य ...	180-181
जनपद गोण्डा में फर्जी मुहर एवं हस्ताक्षर द्वारा अंक-पत्र बनाकर नियुक्तियां दिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	181-182
जनपद इलाहाबाद की तहसील हण्डिया के प्रतापपुर में विद्युत पारेषण की अत्यधिक कठिनाई को देखते हुए 32 के०वी०ए० के विरुद्ध उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सूरत उपाध्याय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य ...	182-183
जनपद प्रतापगढ़ की कोतवाली कुण्डा के बसहीपुर ग्राम में एक युवा महिला को निर्वस्त्र कर अपमानित किये जाने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	183-184
आगरा में ताज ट्रिपोजियम क्षेत्र में मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत समस्त ग्रामों का विद्युतीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चौधरी बाबू लाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य	184-185
प्रदेश में जैन धर्म अनुयायियों को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	185-186
जनपद खीरी की मोहम्मदीपुर तहसील में सूखे से उत्पन्न टिड्डी प्रकोप को रोकने के उपाय किये जाने के सम्बन्ध में श्री बंशीधर राज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य ...	186-187
ग्रेटर नोयडा प्राधिकरण में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार को स्थगित कर लिखित परीक्षा कराने एवं सभी वर्गों को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	187-188
प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति पर स्थगित की गई चर्चा की तिथि का निर्धारण	189
नत्थियां	190-197

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

सोमवार दिनांक 02 सितम्बर, 2002

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

1–अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
2–अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
3–अनुराधा चौधरी, सुश्री	मुजफ्फरनगर
4–अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर
5–अमिता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
6–कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
7–कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
8–चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
9–जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
10–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
11–देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
12–देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
13–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
14–पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
15–भरतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
16–मदन भैया, श्री	बागपत
17–महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
18–महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
19–मुस्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
20–मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
21–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर/पडरौना
22–राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
23–राजनाथ सिंह, श्री	बाराबंकी
24–राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
25–राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
26–राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
27–लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
28–विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
29–विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदासनगर भदोही
30–वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
31–वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
32–वीरेश्वर, श्री	अलीगढ़
33–संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
34–सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
35–सुल्तान बेग, श्री	बरेली
36–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 02 सितम्बर, 2002

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में कतिपय निधि में आवंटित धनराशि का उपयोग अम्बेडकर ग्रामों के विकास में करने की कथित जानकारी

*1–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास आयुक्त, उ० प्र० ने माह जुलाई, 2002 में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि विधायक निधि, पूर्वांचल निधि, बुन्देलखण्ड निधि में आवंटित धनराशि का उपयोग अम्बेडकर ग्रामों के विकास में कर लिया जाय ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार इन आदेशों को वापस लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, 29 तारीख को जब सदन में अम्बेडकर गांवों के संतृप्तीकरण की बात चल रही थी तो मुख्य मंत्री जी ने सदन में घोषणा करी थी कि नये अम्बेडकर ग्रामों व पुराने अम्बेडकर ग्रामों के संतृप्तीकरण में विधायक निधि का कोई पैसा नहीं लिया जायेगा । दो शासनादेश आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं । आप कहें तो आपके पास मैं इसे भेज दूं । एक शासनादेश में प्रदीप कुमार प्रमुख सचिव ने 9 जुलाई, 2002 को जारी किया है और दूसरा शासनादेश कमिश्नर लखनऊ ने निर्गत किया जो कि 26 जुलाई, 2002 का है । इसमें उन्होंने साफ लिखा है कि शासन ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2001-2002 के अम्बेडकर गांवों के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि, एस०आर०वाई० अन्य श्रोतों के अन्तर्गत जो पैसा है उसका इस्तेमाल किया जाएगा । उससे इनको संतृप्त किया जाएगा । कमिश्नर लखनऊ ने जो पत्र लिखा है उसमें है कि शासन ने अपेक्षा की है कि डब टेलिंग के माध्यम से जनपद स्तर पर विभिन्न श्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि विधायक निधि, मण्डी परिषद्, भूमि सुधार, गन्ना विकास आदि विभिन्न मदों से उपलब्ध धनराशि से अम्बेडकर गांवों को

संतृप्त कराया जाए । दो शासनादेश बड़े स्पष्ट है । तो क्या मुख्य मंत्री की घोषणा के बाद इस प्रकार के जितने भी शासनादेश हुए हैं वह अपने आप नल एण्ड वाइड माने जायेंगे ? दूसरे विधायक निधि की जो गाइड लाइन हैं यह सांसद निधि की तरह गाइड लाइन जारी हुई थी । समय-समय पर विधायक निधि की गाइड लाइन में परिवर्तन किया गया है । उसमें से दो कार्य काट दिए गए हैं । एक कच्ची सड़क बनाना दूसरा हैण्ड पम्प लगाना यह कार्य काट दिए गए हैं । क्या इन दोनों को पुनः विधायक निधि में सम्मिलित करेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

जहां तक विधायक निधि से अम्बेडकर गांवों को संतृप्त कराने की बात कही गई है तो शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि विधायकों की सहमति से कार्य कराए जाएं । विधायक अम्बेडकर गांवों के लिए अपना प्रस्ताव कर सकते हैं । उसमें प्रतिबन्ध शब्द नहीं है बल्कि सहमति शब्द है । 28 तारीख को मा० मुख्य मंत्री जी ने दलीय नेताओं से बात की थी उसमें उन्होंने कहा था कि कच्चे कामों के लिए जिनको देना है वह प्रस्ताव दे सकते हैं व इस संबंध में निर्देश जारी करवा दिया जाएगा । जहां तक कमिश्नर के पत्र का उल्लेख है उसमें भी अम्बेडकर गांवों के सेंचुरेशन के लिए विभिन्न विभागों से प्राप्त धन के साथ विधायक निधि का भी उल्लेख है । उसमें विधायकों की सहमति से लिखा है । उसमें प्रतिबन्ध नहीं है । सहमति से धनराशि खर्च होगी । 13 वीं विधान सभा के जो माननीय सदस्य अपनी निधि खर्च नहीं कर पाए व अब इस सदन में जीतकर नहीं आए उसके बारे में मुख्य मंत्री जी ने सदन में कहा था ।

सभी दल के नेताओं की बैठक में कहा कि कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया । भारत सरकार की विधायक निधि की जो गाइड लाइन है, उसके अनुसार ही होगा । जहां तक सभी दलों के नेताओं की बैठक की बात है, उसमें कच्चे कामों के लिये निर्देश जारी करने के लिये कहा गया था कि हम निर्देश जारी कर देंगे कि जहां वास्तव में कच्चे कामों की जरूरत है ड्रेनेज की सफाई और नाली बनाने की आवश्यकता है, उसके बारे में प्रस्ताव बनाकर दे सकते हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, हमने अपने पास जी०ओ० जो पंचायतराज का था, भिजवा दिया है । उसमें कहीं नहीं लिखा है "आपशन" । उसमें स्पष्ट लिखा है कि विधायक निधि, सांसद निधि और पूर्वांचल निधि जो भी है उसका उपयोग गांव में खड़न्जा, नालियां बनाने के लिये किया जाय । मान्यवर, 29 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में बयान दिया था कि विधायक निधि, सांसद निधि, पूर्वांचल निधि का कोई भी पैसा अम्बेडकर गांवों में जबरदस्ती नहीं खर्च किया जायेगा । इस तरह से जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी तो जो जी०ओ० पहले जारी हुए, उनका क्या अर्थ होगा ? यह संशय की स्थिति हो गई है क्या वे नल एण्ड वाइड माने जायेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

मैंने बहुत स्पष्ट किया है कि इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा किया कि कोई प्रतिबन्ध नहीं करेंगे । जहां तक पंचायती राज के शासनादेश की बात है उसमें जब हमने विभिन्न स्रोतों से संतृप्तीकरण की अपेक्षा की थी तो उसमें यह कहा कि हम सांसद निधि, विधायक निधि और पूर्वांचल निधि से भी अपेक्षा कर रहे हैं । जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि कोई प्रतिबन्ध नहीं

रहेगा तो कहीं भी इस तरह का कोई नीचे का अधिकारी कर रहा है तो उसको देखा जायेगा । हम एडमिट कर रहे हैं कि शासनादेश जारी हुआ और उसमें "सहमति" शब्द का प्रयोग किया गया है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

पंचायती राज वाले जी०ओ० में नहीं लिखा है ।

श्री सुखदेव राजभर–

जो कार्यदायी एजेन्सियां हैं, उनको यह अधिकार ही नहीं है कि वो कह दें कि विधायक निधि, सांसद निधि या पूर्वांचल निधि से हमको खड़न्जा और नाली बनाने के लिये पैसा मिले ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, संशय इस मारे पैदा हो रहा है कि हमने 29 तारीख को यह प्रश्न उठाया था । कार्य-स्थगन में इसको उठाया था । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि वर्ल्ड बैंक का लैटर आया है और शासन को शाबासी दी है । अम्बेडकर गांवों की सहायता के लिये कोई रोक नहीं है । मान्यवर, इस मारे शंका पैदा हो रही है कि पहले वाले जी०ओ० में स्पष्ट है कि उस निधि को पहले ग्राम समाज की खड़न्जा और नालियों के लिये इस्तेमाल कर लें । मैं यह जी०ओ० मंत्री जी आपको भेज दे रहा हूं । आप इसको पढ़ लें, कहां इसमें आप्शन लिखा है ? दो जी०ओ० जारी हुए इस संदर्भ में, 13वीं विधान सभा के संदर्भ में जो जी०ओ० जारी हुए, अब तक तो सारी शंकायें खत्म हो जानी चाहिए थीं अगर नीचे के अधिकारी कोई निर्देश देते हैं तो पता लगाएं ।

श्री अध्यक्ष–

इस स्पष्टीकरण को सम्मिलित करते हुए दूसरा शासनादेश नहीं जारी हुआ है तो जारी कर दीजिए ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी के साथ आपके कक्ष में बैठक हुई इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया, 28 तारीख से मान्यवर, 2 तारीख आज हो गई जैसा नरेश चन्द्र जी ने कहा, जी०ओ० इसमें नहीं हुआ है माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 11 हजार गांव जो 1995-96 के थे उनको भी संतृप्त करना है और 10 हजार गांव इनको अम्बेडकर गांव चयनित करने हैं, उसमें धन की व्यवस्था करनी है । यह स्पष्ट है कि सरकार के पास धन नहीं है । बजट में जो अंदाजा लगाया था वह सर्वथा गलत साबित हो गया है । मैं जानना चाहता हूं संसदीय कार्य मंत्री जी से क्या सम्यक् जी०ओ० आज ही जारी कराकर शाम को सदन में पटल पर रखकर सूचित करेंगे कि विधायक निधि में कच्चा काम कराने का अधिकार विधायक को होगा ? एक बात और कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने पिछले सदन में स्पष्ट किया था कि जो पुरानी विधायक निधि है जो इश्यू कर दी गई है उसका उपयोग होगा । माननीय शिवपाल सिंह यादव जी बैठे हैं इनके यहां सी०डी०ओ० ने कह दिया हमारे पास जी०ओ० नहीं आया है इसलिए मैं इस फण्ड को खर्च करने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

आज आपकी एक सूचना आई है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि सरकार जो जी०ओ० जारी करे उसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की होनी चाहिए जो न माने उसको टर्मिनेट किया जाए ।

श्री सुखदेव राजभर–

शिवपाल यादव जी के जनपद का प्रश्न है यह कहा, तो 13 वीं विधान सभा में धन का प्रयोग नहीं हो पाया इसको हम दिखवा लेंगे इसका प्रयोग करने के लिए शासनादेश माननीय विधायकों के लिए जारी हुए हैं मुख्य मंत्री जी के साथ जो बैठक हुई उसमें 28 तारीख को वार्ता हुई, थोड़ा सा कहीं न कहीं समय देना होगा, विश्वास करना होगा । 28 तारीख को बैठक हुई और बीच में छुट्टी पड़ गई, तो थोड़ा समय दें मुख्य मंत्री जी का आश्वासन है इसको जारी कर दिया जाएगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या शाम तक सदन के पटल पर रखा जाएगा ?

श्री सुखदेव राजभर–

आज कहां रख पायेंगे ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

राजाज्ञा जारी करके सदन के पटल पर रखवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

आज पता करा लें फिर बता देंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, लगातार पूर्वांचल विकास निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि के संबंध में जो वस्तुस्थिति है । मान्यवर, विधायक निधि के संबंध में पूर्ववत् में व्यवस्था लागू की गई उसी पूर्ववत व्यवस्था को लागू करने हेतु क्या सरकार कोई शासनादेश जारी करने पर विचार करेगी ? जो आदेश विगत दिनों हुए हैं उस विधायक निधि से माननीय सदस्यगण के लिए जो प्रतिबन्धात्मक निषेधात्मक आदेश किए हैं उसको वापस लेने का काम करेंगे ? मंत्री जी ने कहा है कि हमने सहमति दी है । मुख्य सचिव को पत्र गया सांसद निधि जे०आर०वाई० आदि के लिए हमने सहमति मांगी है तो सहमति के संबंध में विकास खण्डों की बैठक हुई । तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे भी कुछ जनपद हैं, जहां उस सहमति के नाते अभी विधायक निधि रिलीज नहीं कर रहे हैं ? अगर रिलीज नही कर रहे हैं तो क्या उस संबंध में स्पष्ट करायेंगे जिला प्रशासन, डी०आर०डी०ए० को कि जो विधायक अपने प्रस्ताव दे रहे हैं उनके प्राक्कलन बनाकर विकास के कार्य किये जायें ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैंने पहले ही स्पष्ट किया था । माननीय नरेश अग्रवाल जी ने पूछा था उसमें स्पष्ट कर दिया है । "जी नहीं" से काम नहीं चल रहा है । तो मैं "जी नहीं" के बारे में बता रहा हूं । इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । अभी विधायक जो भी विधायक निधि से प्रस्ताव बनाकर देंगे उसी के आधार पर प्राक्कलन बनाकर कार्य किया जायेगा ।

जहां तक श्री शिवपाल सिंह यादव जी के बारे में प्रश्न किया है मैंने स्पष्ट कर दिया है कि वह प्रस्ताव बनाकर दे दें उसी के आधार पर कार्य किया जायेगा । इसमें शासनादेश जारी है । वैसे मैं भी सी०डी०ओ० से बात कर लूंगा ।

श्री शिव कुमार बेरिया–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो सी०डी०ओ० के माध्यम से हम लोगों के पास पत्र गया था कि विधायक निधि का प्रयोग करने के लिए सहमति दे दें स्पष्ट हो गया है कि वापस लेंगे । दूसरी तरफ आधार बनाकर जहां अम्बेडकर गांवों में काम हो रहा है वहां काम रोक दिया गया । हमारे क्षेत्र में एक भी अम्बेडकर गांव में काम नहीं हो रहा है । जो अम्बेडकर गांव घोषित हो चुके हैं वहां पर काम रोक दिया गया है तो जल्दी से जल्दी काम कराया जाय । दूसरा आज हालत यह है कि विधायक के कोटे में पैंतीस-पैंतीस लाख भेज दिया है पक्का काम कराने के लिए । 11 लाख में एक किलोमीटर सड़क बनती है ।

श्री अध्यक्ष–

यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं हैं । माननीय मंत्री जी सिर्फ पहले वाले सवाल का उत्तर दें ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, माननीय शिव कुमार बेरिया जी ने आशंका व्यक्त की है । शासन से कटिबद्धता है जो चयनित गांव हैं उसकी संतृप्ति करेंगे । जहां तक बेरिया जी ने कहा कि काम रोका गया, तो मान्यवर, ग्यारह बिन्दु हैं । हम भिन्न-भिन्न विभागों से संतृप्तीकरण कराते हैं । सिर्फ पी० डब्ल्यू०डी० और विद्युत विभाग में कम पड़ा वहां पर हमने अपेक्षा की थी कि विधायकों के क्षेत्र में जहां धन पूरा नहीं हो पा रहा है वहां पर सहमति ले लें उनसे । जो और नौ बिन्दु हैं वह अपना-अपना सेचूरेट करेगा जैसे कृषि विभाग है, मंडी परिषद् है, पंचायती राज है उनको धन आवंटित है उसमें रोकने की आवश्यकता नहीं है ।

(इस समय 11 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पीठासीन हुए)

यह कटिबद्धता है । जहां तक विधायक निधि के पैसे की बात है, हमने सहमति के लिए निवेदन किया था, इससे मालूम पड़ता है कि कोई स्काई लैब गिर गया है । मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी है कच्चे काम के लिए । कुंवर रेवती रमण सिंह जी जहां तक यह कहा है कि जल्दी से जल्दी शासनादेश करा दें तो वह हम प्रयास कर रहे हैं जितनी जल्दी होगा वह करा देंगे ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तो अपनी बात स्पष्ट कर दी लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो विधायक निधि है उसमें विधायक अपनी मर्जी से चाहे जिस तरह से काम करवाये । वह जानता है कि अपने क्षेत्र में उसकी जनता की क्या जरूरते हैं और क्या नहीं ? हो सकता है कि 10 मीटर की मिट्टी पड़नी हो, हो सकता है कि एक किमी० की सड़क बननी हो, पुल की जरूरत हो । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी घोषणा कर दें कि विधायक अपने अनुसार विधायक निधि का अपने क्षेत्र के विकास के लिए उपयोग कर सकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

विधायक निधि के उपयोग के संबंध में जिस तरह से दिशा-निर्देश बने हुए हैं उसी के अनुरूप कार्य करने का प्राविधान है ।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी उत्तर में कह रहे थे कि अम्बेडकर गांवों में जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसका विधायक निधि या बुन्देलखण्ड निधि या पूर्वांचल निधि में यह कोई दबाव नहीं है कि उसका पैसा वह दें । लेकिन सद्इच्छा से माननीय सदस्य दे सकते हैं । लेकिन मान्यवर, जो गांव वर्ष 2002-2003 में 10 हजार अम्बेडकर गांव घोषित हो गये हैं उनके बारे में अखबारों के माध्यम से ब्लाकों में यह खबर पहुंच गयी, प्रधानों के पास यह खबर पहुंच गयी कि एक-एक ब्लाक में से 9-9 गांव लिए जायेंगे । लेकिन आज तक उन घोषित गांवों का काम शुरू नहीं हुआ है और इसके लिए पैसा भी नहीं है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि 2002-2003 में जो अम्बेडकर गांव घोषित हुए हैं क्या उनके विकास के लिए फर्जी आंकड़े दिए जा रहे हैं और 2002-2003 के अम्बेडकर गांवों को विकसित करने की जो घोषणा की गयी है उस पर काम कब शुरू होगा ?

श्री अधिष्ठाता–

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है लेकिन यदि मंत्री जी चाहें तो इस पर जवाब दे दें ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, वर्ष 2002-2003 में जिन गांवों को लिया जाना है वह चयनित हो गये हैं । धन की व्यवस्था की जा रही है । वर्ष 95-97 में जो गांव थे उनके विकास में जो शेष बिन्दु रह गये हैं उनको पूरा किया जा रहा है । इसके संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी घोषणा की है ।

श्री उदयराज यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मई में सरकार का गठन हुआ और माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि 1995-97 में जो गांव अम्बेडकर गांव घोषित किये गये थे उनको 31 जुलाई, 2002 तक पूरा कर लिया जाएगा । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि 1995-97 में कितने गांवों को अम्बेडकर गांव घोषित किया गया था ? कितने गांवों को संतृप्त करने का काम सरकार ने किया है ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, यह सवाल विषय से हटकर है । इसके लिए सूचनाएं एकत्र करनी होंगी । वह सब बता दिया जाएगा ।

श्री उदयराज यादव–

मान्यवर, यह प्रश्न अम्बेडकर गांव से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है यह विषय से हटकर नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है ।

श्री रामलाल अकेला–

मान्यवर, इसी 28 तारीख को सदन में माननीया मुख्य मंत्री ने घोषणा की कि जो पुराने अम्बेडकर गांव चयनित किये गये हैं उनको तो संतृप्त किया ही जायेगा । 10 हजार नये ग्राम इस वर्ष के लिए चयनित कर संतृप्त करने का काम किया जायेगा । मान्यवर, इसी 21 अगस्त, को मुख्य सचिव की ओर से एक आदेश भेजा गया है जिसकी संख्या 572 है जिसमें कहा गया है कि 1995-96, 96-97 में जो अम्बेडकर गांव चयनित हुए थे और संतृप्त नहीं हुए हैं उन गांवों की पहले सूची बनायी जाये और जहां 27 पुराने गांव पूरे नहीं होते हैं वहां नये गांव जोड़ दिये जाये । मान्यवर, जबकि मुख्य मंत्री ने कहा था कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में नये 27 बड़ी आबादी वाले गांव को इस वर्ष लिया जायेगा और पुराने चयनित गांवों को तो संतृप्त किया जायेगा । मान्यवर, यह तो सदन को गुमराह करने की बात है । मान्यवर, जो विधायक निधि से हम प्रस्ताव बनाकर देते हैं यह पी०डी० और सी०डी०ओ० के झगड़े में 3-3 महीने डी०आर०डी०ए० से पैसा रिलीज नहीं हो पाता है । कार्य लम्बित हो जाते हैं ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जहां तक विधायक निधि से जुड़ी कुछ आशंकाओं का प्रश्न है तो उसमें कहा गया है कि उसे शीघ्र ही दुरुस्त कर देंगे । जहां कहीं भी जनपदों से ऐसी बातें आ रही हैं । मान्यवर, जहां तक 1995-97 में कुछ बिन्दुओं पर छूटे कार्यों का प्रश्न है अब जैसे ग्यारह बिन्दुओं पर संतृप्त करना है और उसमें एक ग्राम में खड़न्जा या इन्दिरा आवास का काम नहीं हो पाया है तो ऐसे बहुत थोड़ा लक्ष्य कहीं बाकी रह गया है । मान्यवर, 2002-2003 में जो गांव चयनित हो रहे हैं उनको प्राथमिकता पर ले रहे हैं । मुख्य सचिव ने केवल एक निर्देश दिये हैं मान्यवर, इस वर्ष में जितने गांव हमारे, लिये जायेंगे उनको संतृप्त किया जायेगा इसमें लक्ष्य के लिए वित्तीय संकट जो है वह लोक निर्माण विभाग और विद्युत विभाग में है । नौ बिन्दुओं पर तो सेचुरेट किये जायेंगे और इनके लिए भी धन की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, विधायक निधि और पूर्वांचल विकास निधि में जो भी विधायक काम देगा उसको किये जाने की बात है । हमने पिछली निधि में एक महीने पहले लिखकर दिया वह सी०डी०ओ० और पी०डी० से सेक्शन नहीं हुआ । मिट्टी का काम दिया था वह मिट्टी का काम रोक दिया गया तो क्या उस काम को कराने के लिए मंत्री जी आदेश देंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, उससे जुड़ा हुआ सवाल है । आप अम्बेडकर ग्राम की बात कर रहे हैं । जो पैसा हम लोग देते हैं उसमें 75 प्रतिशत पैसा सी०डी०ओ० आफिस से रिलीज होता है और 25 प्रतिशत एक बार रिलीज होता है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री आलमबदी–

मान्यवर, मुझे यह कहते हुए दुख भी है और आश्चर्य भी मान्यवर, उत्तर प्रदेश का यह सदन जहां विधायक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपसे स्पष्टीकरण मांगते हैं वहां आप उसकी एक समस्या के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं। विधायक की निधि जनता की आंख के सामने होती है। जनता जो वोट देती है विधायक बनाती है वह विधायक अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है। विधायक निधि पाने से पहले विधायक ने अपने क्षेत्र में भिन्न-भिन्न गांवों के लिए क्या-क्या वायदे कर रखे हैं यह विधायक और उसकी जनता जानती होगी ? मान्यवर, यहां सत्तापक्ष कुछ कह रहा है और प्रशासन के अधिकारी कुछ कह रहे हैं और विधायक खड़ा है। माननीय अध्यक्ष जी आप इस सदन की गरिमा हैं और इस सदन के इन विधायकों के रक्षक हैं आप स्वयं इस पर कोई घोषणा करें कि विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि को सभी जनपदों में विधायक की मर्जी से हटकर कोई कार्य प्रशासनिक अधिकारी न करने पायें। माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी कई बार घोषणा कर चुकी हैं।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आलमबदी साहब के सुझाव का स्वागत करता हूं लेकिन आज वे हमारी बात सुन नहीं पायेंगे क्योंकि वे आज मशीन नहीं लाये हैं। वैसे मान्यवर, आपका यह सुझाव बहुत अच्छा है।

श्री लाल बहादुर यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो पुराने अम्बेडकर गांव चयनित हुए थे आज भी वहां का विकास कार्य आधा अधूरा पड़ा हुआ है और शासन ने यह जानकारी भी पूरी कर ली है कि वह सारे गांव संतृप्त नहीं हुए हैं और इस संबंध में माननीया मुख्य मंत्री जी ने निर्देश भी जारी किया था कि 31 जुलाई तक वह गांव संतृप्त कर दिये जायं तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि नये अम्बेडकर गांवों का जो चयन हो रहा है क्या उनके विकास कार्यों को रोककर पुराने जो विकास के कार्य बाकी हैं उनको करवाना चाहेंगे और उसमें विधायकों की सम्मति लेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, अभी हमारे एक और माननीय सदस्य ने कहा कि पुराने कार्यों को पहले कराकर फिर नये कार्यों को करायेंगे और यह भी कहा गया कि नये कार्यों को करायेंगे और पुराने को रोक लेंगे तो ये दो बातें हैं तो हम दोनों को करायेंगे जो पुराने छूटे हैं वह सचुरेट होंगे और नये भी करायें जायेंगे। मान्यवर, 95-97 तक के गांव संतृप्त नहीं हुए हैं आपके कहने के अनुरूप तो मान्यवर, ज्यादा से ज्यादा संसाधन जुटाकर काम शुरू हो गया है वह जिस बिन्दुओं पर छूटे हैं वह संतृप्त कराये जायेंगे और नये आबादी के हिसाब से गांव चयनित किये गये हैं उनको संतृप्त किया जायेगा, जो 31 तक की घोषणा थी वह मान्यवर, कुछ बिन्दु पर छूटे हैं उनका परीक्षण कराया गया उनके लिए धन की व्यवस्था की जायेगी और सचुरेट कर दिया जायेगा इसमें शंकाएं नहीं व्यक्त करनी चाहिए।

ददुआ के भाई द्वारा नृशंस हत्यायें किये जाने विषयक नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित सूचना

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, 311 पर एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने दिया है। ददुआ का सगा भाई बाल कुमार नृशंस हत्याएं कर रहा है और उसने एक आतंक का महौल बना रखा है। इसे मैंने 311 में दे रखा है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कुंवर साहब आपका जो 311 में था वह 56 में परिवर्तित कर दिया गया है जब वह 56 में आयेगा तो तद्नुसार उसे देखा जायेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, उसको कब लेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

जब नियम–56 की मद आयेगी तो उसको लेंगे ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री दिनेश सिंह–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी को मालूम है कि सिद्धार्थ नगर में पूर्वांचल विकास निधि का ...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी प्रश्न सं०–3 का उत्तर दें आप । पहले का प्रश्न समाप्त हो चुका है ।

*2–श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश की जर्जर वित्तीय स्थिति को सुधारने के उपाय

*3–श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जर्जर वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए आर्थिक स्थिति में सुधार लाने, कठोर वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने तथा अनुत्पादक व्यय में कमी लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा "प्रभावी उपाय" किये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने जो मेरे महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब दिया, उसके संबंध में मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने, कठोर वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने तथा अनुत्पादक व्यय में कमी लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रभावी उपाय किये जा रहे हैं । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार आज की जो जर्जर प्रदेश की हालत है, खुद माननीया मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में स्वीकार किया है कि

प्रदेश के ऊपर 559 करोड़ का घाटा है। प्रदेश में पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर भी 5000 रुपये का बोझ है। सरकार के द्वारा जो गोल-मोल जवाब दिया गया है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रभावी उपाय अनुत्पादक व्यय में कमी लाने के लिए किये जा रहे हैं, कितनी कटौतियां की जा रही हैं, खर्चों में कितनी कमी की जा रही है ? वर्तमान सरकार के द्वारा बेलगाम तरीके से जिस तरह से स्थानान्तरण किये जा रहे हैं और उनकी वजह से कितना वित्तीय बोझ शासन-प्रशासन के ऊपर पड़ा है ? क्या उसके लिए कोई नीति बनाने की कोशिश करेंगे और बतायेंगे कि कितना वित्तीय बोझ पड़ा है जो अनुत्पादक व्यय अम्बेडकर पार्क जैसे कार्यों के लिए किया जा रहा है क्या इस पर कोई लगाम लगाने की योजना सरकार बना रही है या नहीं बना रही है ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जहां तक अनुत्पादक व्ययों में कटौती करने का सवाल है, सरकार ने नीति निर्धारित कर ली है कि हम धीरे-धीरे जैसे सेलेरी है, पेट्रोल है, टी०ए० है एवं अन्य ऐसे काम जो अनुत्पादक व्यय के होते हैं इसमें हम लोगों ने निर्णय ले लिया है। हम डीजल, पेट्रोल के खर्च को कम करने, टी०ए० में भी कमी करने आदि जो अनुत्पादक व्यय होते हैं उनका परीक्षण करा करके उसमें कहीं न कहीं कमी करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुत्पादक व्यय में प्लान बनाया जा रहा है। इन मदों में जो व्यय हो रहा है उसमें कमी करने की कोशिश की जा रही है।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि स्थानान्तरण की वजह से जो अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ा है क्या उस पर रोक लगाने के लिए कोई कोशिश सरकार कर रही है ?

जर्जर वित्तीय स्थिति को देखते हुए बार-बार सरकार इस बात से बचने का प्रयत्न कर रही है। यह पूरी तरह से प्रदेश की वित्तीय स्थिति को चरमरा रही है। अखबारों में, विश्व बैंक के डायरेक्टर ने सरकार को अगाह करने का काम किया उस सबके बावजूद सरकार के द्वारा सदन को गुमराह करने का काम किया जा रहा है।

श्री जगदम्बिका पाल–

उत्तर प्रदेश सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि सरकार अपने कुछ अनुत्पादक खर्चों में मितव्ययिता बरत करके टी०ए, डी०ए० आदि के खर्चों में, जिन खर्चों का उल्लेख किया है उनमें कमी करने के सरकार उपाय कर रही है कि इसमें रोक लग सके ? तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सरकार के जो उपाय प्रस्तावित हैं, आज उत्तर प्रदेश के ऊपर 83 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है, इन उपायों से कितने करोड़ रुपये की कमी आयेगी ? मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार उपाय कर रही है तो सरकार के प्रस्तावित कदमों से अनुत्पादक खर्चों में कमी करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को कितने करोड़ रुपये की बचत होगी, जिससे कि हम कम से कम अपने पिछले कर्जों को चुका सकें ? इस समय स्थिति यह है कि ब्याज को चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। इस साल 83 हजार करोड़ का घाटा है, जबकि पिछले वर्ष यह 70 करोड़ का था, इसका उत्तर बता दें ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जैसा कि पाल जी ने कहा हम दो चीजों की तरफ प्लान कर रहे हैं । एक तरफ तो घाटे की स्थिति का जिक्र किया गया और दूसरी बात जिन कार्यों के माध्यम से हम अनुत्पादक व्ययों को कम करने जा रहे हैं, वह कुछ हमारे चिन्हित लक्ष्य हैं । जहां तक कर्ज लेने का सिलसिला है, यह एक लम्बे समय से चला है । वस्तु स्थिति यह है कि जो ऋण से, कर्ज अदा करने से जो पैसे बचते हैं, उससे मूलधन में कुछ भुगतान करेंगे । इस प्रकार पूंजीगत में जो बचाते हैं, उसको हम प्रदेश में विकास कार्यों में लगाते हैं ।

मान्यवर, जहां तक ऋणों की स्थिति का प्रश्न है, यह आज की नहीं है । वर्ष 98-99 में 16 करोड़, 99-2000 में 16 करोड़, 2000-2001 में 918 करोड़, 2001-2002 में 1140 करोड़ और इस वर्ष जो अनुमानित है, वह 10 हजार करोड़ का अनुमान है । उसको हम बचत के रूप में लेने जा रहे हैं । मूलधन को, ऋण को चुकाने का एक सिस्टम है, इसके बाद जो बचता है, उसको हम सड़क, खड़न्जा आदि में लगाते हैं । इस प्रकार हमारी योजना 1140 करोड़ से 10 हजार करोड़ लाने की है । इस बारे में हम ज्यादा से ज्यादा आश्वस्त हैं ।

श्री धनंजय सिंह–

मान्यवर, प्रदेश की वित्तीय हालत को सुधारने के लिये संसाधन व्यय आयोग का गठन किया गया था, इसका गठन कब किया गया था और यह अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करेगा ?

श्री सुखदेव राजभर–

इसके लिये सूचना इकट्ठी करनी पड़ेगी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सरकार द्वारा संविदा पर कार्य कराने विषयक नीति की जानकारी तथा नये पद सृजित कर संविदा कर्मियों की नियमित नियुक्ति करने की मांग

*1–डा० विनोद तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि सरकारी विभागों में विभिन्न कार्यों को संविदा के आधार पर कराये जाने की कोई नीति शासन द्वारा बनाई गई ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? क्या यह सही है कि संविदा के आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का व्यापक शोषण हो रहा है ? यदि हां, तो क्या कार्य की निरन्तरता को देखते हुये सरकार नये पद सृजित कर संविदा कर्मियों की नियमित नियुक्ति किये जाने हेतु निर्णय लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

मितव्ययिता निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय में कमी लाये जाने के दृष्टिकोण से सरकार द्वारा आदेश निर्गत किये गये हैं कि आवश्यकतानुसार अनुबन्ध पर कार्य कराया जाय ।

जी नहीं । सरकार की नीति संविदा पर कार्य लिये जाने के संबंध में है, कर्मचारी सेवायोजित करने के संबंध में नहीं ।

जी नहीं, संविदा पर नियुक्ति प्रतिबन्धित है । अतः संविदा पर कर्मियों की नियमित नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता । सीधी भर्ती/पदोन्नति के सम्बन्ध में नियमित चयन की कार्यवाही की जा रही है ।

डा० विनोद तिवारी–

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मितव्ययिता के निर्देशों के दृष्टिकोण से सरकार द्वारा कार्य कराया जाएगा कि नहीं तो मंत्री जी ने कहा मितव्ययिता निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय में कमी किये जाने के दृष्टिकोण से सरकार द्वारा आदेश निर्गत किये गये हैं कि आवश्यकतानुसार अनुबन्ध पर कार्य कराया जाय । तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह आदेश कब निर्गत किए गए हैं और संविदा कार्य के नियम क्या हैं और कितने समय से संविदा कर्मी कार्य कर रहे हैं ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, 02 जून, 2002 को वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के संबंध में एक आदेश जारी किया गया था और जो मितव्ययिता की जा रही है कहीं-कहीं पर तो ऐसे कुछ सीमित कर्मचारी हैं, ऐसा नहीं है कि हर काम के लिए ही संविदा कर्मी रखे जा रहे हैं और कार्यों के लिए मान्यवर, सीधी भर्ती के आधार पर कर्मचारियों का चयन हो रहा है और प्रक्रिया जारी भी है । जहां कहीं पर भी संविदा के कर्मचारियों की लम्बे समय तक सेवा होगी तो इसके लिए जो सुविधाएं उन्हें देय है वह उन्हें देनी पड़ेगी । जहां पर समय कम है तो वहां पर संविदा के आधार पर काम को देने का आदेश था लेकिन उन्हें नौकरियों में किसी प्रकार की छूट देने का कोई औचित्य नहीं था यह संविदा आधार पर उस कार्य को कराया जायेगा, यह केवल एक निर्देश हुआ था मितव्ययिता को रोकने के लिए, वित्त विभाग से आदेश हुआ था, मितव्ययिता को रोकने के लिए अभी चिन्हित नहीं किया गया है । ऐसा नहीं है कि हर विभाग में ऐसा किया जा रहा हो कुछ ही विभाग जैसे स्वास्थ्य विभाग और सुरक्षा विभाग है, अभी दो को ही टेकअप किया है । यह भी संविदा कर्मचारियों की भर्ती हम नहीं करते बल्कि यह काम एजेन्सियों को दिया गया है ।

डा० विनोद तिवारी–

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी ने क्या कार्य की निरन्तरता को देखते हुए नये पद सृजन करने का निर्णय सरकार लेगी ? मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि जी नहीं, संविदा पर नियुक्ति प्रतिबन्धित है अतः संविदा पर कर्मियों की नियमित नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता । सीधी पदोन्नति के संबंध में नियमित चयन की कार्यवाही की जा रही है । तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूं कि क्या सीधी भर्ती में संविदा के आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को सरकार प्राथमिकता देगी ? दूसरा सवाल कि जो नियमित चयन की प्रक्रिया है कब तक करेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, हम एम्प्लाई कान्ट्रेक्ट नहीं कर रहे हैं हम तो एक संविदा कर रहे हैं सिर्फ काम की और यह काम एजेन्सी करायेगी, चाहे वह जैसे कराए, चाहे जहां से आदमी लाए, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है । हमने तो केवल वर्क को कान्ट्रेक्ट किया है किसी व्यक्ति को नहीं किया है । यह काम एजेन्सी का है, कर्मचारियों को कान्ट्रेक्ट पर हमने नहीं एजेन्सी ने लिया है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

अधिष्ठाता महोदय, यह माननीय सदस्य की भी चिन्ता है और हम सबकी भी यही मन्शा है कि नियुक्तियों में कहीं भी कोई व्यापक धांधली न हो, उसमें कोई शोषण न हो, भ्रष्टाचार न हो । माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम संविदा पर लेते हैं कुछ एजेन्सियों के द्वारा तमाम ऐसे विभाग हैं जहां पर हम एजेन्सियों के द्वारा नहीं लेते हैं । ऐसे तमाम विभाग और संस्थाएं हैं सरकार जो स्वयं संविदा पर रखती है तो माननीय मंत्री जी क्या प्राथमिकता के आधार पर उनको निर्धारित करने में उनको वरीयता देंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि जहां भी संविदा के आधार पर कोई काम दिया गया होगा उनसे अनुबन्ध हुआ होगा । जैसे पी०जी०आई० है, उसकी सफाई के लिए किसी से बात की गयी कि संविदा के आधार पर सफाई का काम देना चाहते हैं और उस काम को देकर उस एजेन्सी से पी०जी०आई० की सफाई का अनुबन्ध हो गया । अब वह उस काम के लिए कितने लोगों को कलेक्ट किया या किससे काम करा रहा है इससे हमसे कोई मतलब नहीं है । हमारा जो अनुबन्ध हुआ वह सफाई के काम के लिए हुआ और जो काम करने वाले हैं उनके बारे में लाइबिलटी उस एजेन्सी की है । सेवा नियमावली के तहत हम कहां से सेवायोजन करा देंगे ? काम करने वालों के बारे में सारी जिम्मेदारी संबंधित एजेन्सी की होगी । हमारा उनसे कोई सीधा संबंध नहीं है इसलिए ऐसे लोगों को रेगुलर करने का कोई औचित्य नहीं बनता । कुछ जगह सरकारी विभाग कांट्रेक्ट के आधार पर काम लिये हैं उनका भी सेवा नियमावली या कार्मिक से कोई संबंध नहीं है अनुबन्ध में स्पष्ट रहता है कि इतने दिन तक काम करा लिया जायेगा । हमारा अनुबन्ध काम का होता है और उसमें कुछ शर्तें होती हैं जो हमारी शर्तें पूरी नहीं करते तो संविदा अपने आप खत्म हो जायेगी ।

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि संविदा श्रमिकों की न्यूनतम वेतन क्या है तथा कितना बोनस, भत्ता दिया जायेगा तथा एक्सीडेन्टल में क्या क्षतिपूर्ति करेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैंने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि हम वर्क कान्ट्रेक्ट पर देते हैं हमारा इम्पलाई से कोई संबंध नहीं है तो फिर बोनस, भत्ता और क्षतिपूर्ति देने की बात ही नहीं है ।

डा० पी०के० राय–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और सुरक्षा दो विभागों में संविदा के आधार पर काम कराया जा रहा है और संविदा पर कार्य केवल वह कराया जा रहा है जो कान्ट्रेक्ट बेसिस पर करा रहे हैं और व्यक्तियों से नहीं किसी एजेन्सी से कार्य कराया जा रहा है । लेकिन स्वास्थ्य विभाग में क्या ऐसा नहीं है कि महिला चिकित्सकों की कमी के कारण महिला चिकित्सकों को संविदा के आधार पर रखा गया है, वैसे ही स्टाफ नर्सेस को भी संविदा के आधार पर रखा जा रहा है क्योंकि इनकी कमी है । मान्यवर, इस तरह से जो लोग कार्य कर रहे हैं इन लोगों को आगे नियमित करेंगे या नियमित चयन करने के बारे में सरकार विचार कर रही है ?

श्री सुखदेव राजभर-

डा० साहब अभी मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में संविदा के आधार पर काम हो रहा है। चाहे नर्सेस या डाक्टर हों उनसे भी कान्ट्रेक्ट बेसिस पर काम लिया जा रहा है। पदों के सृजन का लम्बा प्रोसेस है और वित्तीय भार भी आयेगा। वित्त विभाग ने निर्देश दिया कि जहां जरूरी समझते हैं वहां कान्ट्रेक्ट बेसिस पर काम करा लें। हम उनको वर्क दे रहे हैं, सेवा योजना, नियमितीकरण, बोनस मंहगाई भत्ता इस आधार पर कोई अनुबन्ध नहीं है, चाहे डाक्टर काम करें या नर्सेस करें।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)-

अधिष्ठाता जी, यह नीतिगत प्रश्न है और पिछले तकरीबन 15-20 सालों से जितनी भी ट्रेड यूनियन हैं चाहे उत्तर प्रदेश की हों या भारत सरकार की, सरकार पर दबाव है। सरकारों में कांट्रेक्ट बेसिस पर जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हों उन कर्मचारियों को नियमित किया जाए। सरकार की तरफ से यह वायदे किए जाते रहे हैं। सभी राजनीतिक दल जब चुनाव में जाते हैं तब वायदे करते हैं कि जो प्राइवेट कारखाने हैं, या सरकारी दफ्तरान हों। मिसाल के तौर पर शराब का कारखाना इसमें सबसे ज्यादा नफा होता है। सबसे ज्यादा ठेकेदारी की प्रथा या कांट्रेक्ट बेसिस पर वर्कर का काम करने वाले लोग शराब के कारखाने या डिस्टलरी में करते हैं। इसे लेकर बड़ी-बड़ी हड़तालें होती हैं। यह किसी एक विभाग का मामला नहीं है। इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। जो लोग ठेकेदारी प्रथा के जरिए काम करते हैं उनका बड़ा शोषण होता है, पैसा नहीं मिलता है और दूसरे किस्म का शोषण होता है। जहां महिलाएं काम करती हैं उनका जो शोषण होता है वह इस सदन में नहीं कहा जा सकता है। यह मामला नीतिगत मामला है। काम की ज्यादती है कर्मचारियों की संख्या कम है। तब यह ठेके पर कांट्रेक्ट बेसिस पर काम कराया जाता है। क्या सरकार यह जानकारी लेगी कि किस विभाग में चाहे वह अस्पताल हो या कोई दफ्तर हो, फैक्ट्री हो कितने दिन से ठेकेदारी पर काम हो रहा है.? एक साल, दो साल, तीन साल, पांच साल से 10 साल से ? एक मानक तैयार कर लें कि अगर इतने वर्षों से किसी जगह ठेकेदारी की बुनियाद पर काम हो रहा है तो हम यह मानक मुस्तकबिल में जरूरी है। ठेकेदारी पर काम कराने की वजह से सरकार और दलालों का नाजायज फायदा होता है। उन्हीं दलालों से काम कराया जाता है। तो कोई एक मानक तैयार कर लें, एक साल, दो साल, तीन साल, पांच साल, दस साल कि कितने दिनों से जहां ठेकेदारी प्रथा लागू है क्या उन्हें नियमित करने का कोई आदेश जारी करेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर-

मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि दो अगस्त, 2002 का जो वित्त विभाग का शासनादेश जारी किया गया है उसके पहले जो स्थिति रही हो। ऐसे मामलों में जहां कार्मिक विभाग का कोई निर्णय या नियमावली न लागू हो वहां पर संविदा के आधार पर रेयर केस में काम कराने को लगाया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष ने जो मिलों कारखानों की बात की है मैंने पूर्व में स्पष्ट बता दिया है कि यह दो अगस्त, 2002 का जो शासनादेश है यह रेयर केस में लागू होगा। जो सरकारी विभाग हैं उसमें कार्मिक विभाग की नियमावलियों के अनुसार पद सृजित होते हैं। उसका विज्ञापन निकाला जाता है। उसके बाद नियुक्ति होती है। सभी विभागों में सेवा नियमावलियां बनी हैं। उसके आधार पर चयन किया जाता है। जहां तक फैक्ट्रियों की बात है उसके लिए श्रम विभाग के कानून बने हैं। जहां पर पद सृजित करने

में दिक्कत आती है ऐसी जगहों पर संविदा के आधार पर काम कराने के लिए यह शासनादेश जारी हुआ । वह तो अपने आप चला ही करेगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह बात तो और ज्यादा खतरनाक है कि वित्त विभाग द्वारा ऐसा चाहा गया है । खतरनाक बात है । जो ठेकेदारी प्रथा चली आ रही है । मजदूरों को सिर्फ अस्पताल को ही ले लें । मैं मिसाल के तौर पर कह रहा था । आपने असल को तो पीछे छोड़ दिया और मिसाल को बुनियाद बना लिया । मान्यवर, वित्त विभाग ने जो जी०ओ० जारी किया है वह ज्यादा खतरनाक है । इसलिये यह मालूम करने की जरूरत है कि 2002 में जो वित्त विभाग ने इस जी०ओ० के जरिये चाहा है । इस तरह का काम करने वालों के लिये जहां वित्त विभाग ने चाहा है । क्या ट्रेड है, क्या प्रकार है, कितने कर्मचारी इस प्रकार के इन अस्पतालों में कितने वर्षों से काम कर रहे हैं ? इस आदेश का मतलब तो यह हुआ कि जो लोग ठेकेदारी के जरिये काम कर रहे हैं । जिन्हें एक मुद्दत हो गई है काम करते-करते, कोई क्लेम होने वाला था । वित्त विभाग के इस आदेश से वह क्लेम खत्म होता है । यह दोहरी मार पड़ रही है । वित्त विभाग ने जो चाहा है उससे पहले ऐसे काम ठेकेदारी के माध्यम से कराये जा रहे थे ? यदि हां तो इस निर्देश की क्या जरूरत पेश आ रही थी ?

श्री सुखदेव राजभर–

मैंने शुरू में बता दिया कि शासन द्वारा जो नीति बनाई गयी है वह वित्तीय अनियमितता को रोकने के लिये बनाई गई है । माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा कि कहां-कहां किस विभाग में कितनी नियुक्तियां हुई संविदा के आधार पर तो इसके लिये तो काफी सूचना की जरूरत होगी । किन विभागों ने इस आदेश को टेकअप किया, यह सबके लिये सूचना की जरूरत होगी ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैंने माननीय मंत्री जी ऐसा नहीं कहा या मैंने कहा गलत या आपने मेरी कही बात को सुना गलत । मैंने कहा कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिये कहा कि ट्रेड यूनियन में एक पक्ष सरकार होती है और एक पक्ष श्रम विभाग होता है । इनके फैसलों से मजदूरों के लिये उनके लिये तय की हुई चीजों को लागू किया जाता है । ट्रेड यूनियन की मान्यता को बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नकार सकती है लेकिन जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वह नहीं नकार सकती है । मैं आपके माध्यम से इस प्रश्न की सीमा में रहते हुए माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वित्त विभाग ने जो निर्देश जारी किये हैं, उन कार्यों का प्रकार क्या है ? उस प्रकार के कार्यों में कार्य करने वाले पुरुष या महिला कर्मी कितने दिनों से काम कर रहे हैं, क्या इनको रेग्युलराइज करेंगे या फिर अलग से रखे जायेंगे ? जो लोग इस तरह से ठेकेदारी के तहत कार्य कर रहे थे क्या उनको रेग्युलराइज करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैंने शुरू में स्पष्ट कहा था कि संविदा के आधार पर काम कराने या लेने का वित्त विभाग ने जो निर्देश जारी किया । कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में है किसी एक अस्पताल को ले लिया कि सफाई का कार्य ठेके पर करायेंगे । मान्यवर, यह कार्य किसी एक एजेन्सी ने ले लिया वह अपने से आदमी रखती है कि 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने,

साल भर जैसा वह चाहे काम लेगी । वह एजेन्सी खुद बात करेगी कर्मचारी से । हमने एजेन्सी को वर्क दिया है इनके कर्मचारियों से हमारा कोई कोआरडीनेशन नहीं है । जहां तक आपने कर्मचारियों के उत्पीड़न की बात कही तो वह तो ठेकेदार कर रहे हैं । वही उनको रखते हैं, वही हटाते हैं । जो लेबर एक्ट है वह श्रम एजेन्सी पर लागू होगा । उनको जहां मुकदमा करना होगा वहां करेंगे । शासन स्तर पर उससे कोई मतलब नहीं है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

क्योंकि लेबर ला के बारे में कोई जानकारी नहीं है । मैं इसलिये यह कष्ट आपके सामने अन्यायमुक्त, शोषणमुक्त सरकार से जानना चाह रहा था कि जिन कर्मचारियों का शोषण हो रहा है सफाई कर्मचारियों को, जिनके लिये यह कटिबद्ध है, जिनके लिये बहुत सीना फोड़ते हैं । बड़ा चीख लगाते हैं कि हम उनके लिये बजट बना रहे हैं, उस शोषणमुक्त सरकार से पूछना चाहता हूं कि कोई भी न्यायालय ऐसा नहीं है जहां पर ठेकेदारी प्रथा से काम करने वाले लोगों के लिये हिसाब का प्राविधान हो । मंत्री जी को मालूम ही नहीं है कि कौन से मजदूर जा सकते हैं न्यायालय में, श्रम कानून किस पर लागू होता है, मंत्री जी को पता ही नहीं है, इस गूंगी सरकार से, इस नादान नाकाबिल अंजान मंत्री जी से, जिन्हें मालूम ही नहीं है मजदूरों के बारे में, मैं अपने सवाल को, अपने प्रश्न को वापस लेता हूं ।

डा० विनोद तिवारी–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया है कि क्या यह सही है कि संविदा के आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, मेरा पूरा प्रश्न देख लें मंत्री जी ने उत्तर दिया है जी नहीं, सरकार की नीति संविदा पर कार्य लिये जाने के संबंध में है, कर्मचारी सेवायोजित करने के संबंध में नहीं, आगे इन्होंने फिर कहा है कि जी नहीं, संविदा पर नियुक्ति प्रतिबन्धित है । अतः संविदा पर कर्मियों को नियमित नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता । सीधी भर्ती पदोन्नति के संबंध में नियमित चयन की कार्यवाही की जा रही है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नियमित चयन की प्रक्रिया कब तक प्रारम्भ करा लेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जहां तक नियमित करने का सवाल था इसको रोकने के लिए, मितव्ययिता को रोकने के लिए संविदा बेसिस पर लागू किया गया है जहां तक नियमित नियुक्तियों का प्रश्न है, जो पद रिक्त हैं शासन एक स्पेशल ड्राइव चलाकर, जो पद रिक्त हैं उनको भरा जायेगा, उनको भरने में कहीं बाधा नहीं है ।

प्रदेश की कानून व्यवस्था को गतिशील बनाने व ''कम्युनिटी पुलिसिंग'' प्रणाली लागू करने संबंधी जानकारी

*1–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ एवं गतिशील बनाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो प्रदेश में ''कम्युनिटी पुलिसिंग'' प्रणाली लागू करने पर सरकार विचार करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

कम्युनिटिंग पुलिसिंग लागू किये जाने का प्रस्ताव फिलहाल सक्रिय रूप से शासन के विचाराधीन नहीं है ।

अपराधों पर अंकुश लगाना पुलिस की सतत प्रक्रिया है । घटित अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अतिरिक्त समय-स[illegible]छित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान संचालित किये जाते हैं तथा विभिन्न् स्तरों [illegible] नियमित समीक्षा भी की जाती है ।

विशेष अपराधों के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपदों में एस०ओ०जी० को लगाया जाता है । इसके अतिरिक्त कुख्यात अपराधियों व इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी में सहयोग हेतु तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के अनावरण हेतु प्रदेश में एस०टी०एफ० को भी लगाया जाता है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

श्रीमन्, वर्तमान प्रणाली से और बेहतर प्रणाली से कार्य हो सके इसके लिए अध्ययन के लिए अधिकारी जापान और सिंगापुर गए वहां इस कमेटी ने प्रणाली का अध्ययन किया और यहां आकर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जहां तक मेरी जानकारी है महामहिम राज्यपाल महोदय ने संयुक्त अधिवेशन में इसको लागू करने की घोषणा की इसका पूरा ढांचा खड़ा किया जा चुका है, अब सरकार यह कह रही है, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं शासन के विचाराधीन नहीं है मैं जानना चाहता हूं कि इस स्तर तक आगे बढ़ जाने के बाद भी और संयुक्त अधिवेशन में इसकी घोषणा करने के बाद इसको स्थगित करने के क्या कारण हैं ? दूसरी बात मान्यवर, जो पुलिस एक्ट है वह अंग्रजों के शासनकाल का 1861 का है जो विशेष रूप से दमन पर आधारित है । आज जनता के अन्दर पुलिस की छवि ऐसी नहीं कि पुलिस को वह अपना मित्र समझ सके । तो मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूँ कि इस वर्तमान प्रणाली के सुधार के लिए और जनता की सोच के लिए पुलिस की कार्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है ? तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज सत्रह करोड़ की आबादी में जिस तेजी से अपराध बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए, उसको वर्क आउट करने के लिए कितनी पुलिस की आवश्यकता है और वर्तमान में उनकी संख्या क्या है और अगर कम है तो सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जहां तक कम्युनिटी पुलिसिंग सिस्टम लागू करने का सवाल है, इसमें कहीं हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम इसको बन्द कर देंगे । इसमें पब्लिक कोआपरेशन लिया जा रहा है । कहीं अभिभावकों से बात करके, कहीं व्यापार मण्डल से बात करके या गाँव में कुछ टीमें गठित करके । तो यह कम्युनिटी पुलिस सिस्टम है, पब्लिक कोआपरेशन के लिए था । माननीय चौधरी साहब ने जैसा कि उल्लेख किया कि महामहिम श्री राज्यपाल जी ने इसकी घोषणा की तो मैं उसको इग्नोर नहीं कर रहा हूं । इसका परीक्षण हो रहा है, इसकी व्यवहारिकता देखी जा रही है । अमेरिका में यह सिस्टम था । वहां पर लिट्रेसी ज्यादा है और सब लोग जागरूक हैं वहाँ पर कम्युनिटी पब्लिक सिस्टम इस आधार पर कि कोआपरेशन हो तो उस कोआपरेशन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं । जैसे कि व्यापार मण्डल से, अभिभावकों से बैठक करके या फिर ग्रामीण लोगों को बुलाया जाता है और इसका मतलब है कि कोआपरेशन लें । जहाँ-जहाँ पर कुछ बातें फेल्योर कर गयीं, जिनको पब्लिक कोआपरेशन के लिए बुलाया गया, सदस्य नामित हो गये और उसमें कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग नामित हो गये तो फेल्योर हुआ । तो हम पूरी प्लानिंग के साथ इस सिस्टम को लागू करेंगे । हमने इसे कहीं खत्म नहीं किया है । कैसे यह सफल बनें इसका परीक्षण किया जा रहा है । इसमें गुणवत्ता कैसे लायी जाय इसको गम्भीरता से लिया जा रहा है । दूसरा जो यह कहा गया कि अपराध जनसंख्या के आधार पर बढ़ रहे हैं इसमें कितने पुलिस की जरूरत पड़ेगी तो इसमें सूचना की आवश्यकता होगी । लेकिन फिर भी हमने तमाम रेंज बढ़ाये हैं, चौकियाँ बढ़ायी हैं और वह मुस्तैदी से काम कर रही हैं । पुलिस सब तरह से लगी हुई है और अपराधों पर नियंत्रण किया जा रहा है । जितनी संख्या है पुलिस लगी हुई है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मौजूदा पुलिस प्रणाली में और कम्युनिटी पुलिसिंग सिस्टम में क्या अन्तर है । इनका मानक क्या है ? क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि तत्कालीन सरकार ने पुलिस के डी०जी०पी० को कम्युनिटी पुलिसिंग सिस्टम का अध्ययन करने के लिए अमेरिका भेजा था और उसने एक रिपोर्ट शासन को प्रेषित की थी ? और अगर पेश की है तो उसको लागू करने में कितना धन शासन द्वारा दिया जायेगा यह मैं जानना चाहता हूँ ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, 1-6-2000 को जो हमारे उस समय डी०जी० थे श्री श्रीराम अरुण वह गये थे । यह अमेरिका में जो कम्युनिटी पुलिसिंग सिस्टम है इसको अध्ययन करने के लिए गये थे । इसके बाद इन्होंने रिपोर्ट दी मान्यवर, एंटी पुलिसिंग सिस्टम एक कोआपरेशन है । अमेरिका में यह सक्सेस है इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वहां पर शतप्रतिशत साक्षरता है । हमारे यहां भी कोआपरेशन हो रहा है जैसा कि पहले कहा कि अभिभावकों को बुला लिया जाता है, ग्राम प्रधान को बुला लिया जाता है । इसमें पब्लिक कोआपरेशन की आवश्यकता है । एक साहब को मद्य निषेध का अध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष जी स्वयं 2 पैकेट के साथ पकड़े गये ।

उ० प्र० सचिवालय के प्रमुख सचिवों/सचिवों के सरकारी टेलीफोन की काल्स सीमा निर्धारित करने की मांग

*2–श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ०प्र० सचिवालय में तैनात प्रमुख सचिवों तथा सचिवों को कार्यालय एवं आवासों पर लगे सरकारी टेलीफोन से किये जाने वाले काल्स की कोई सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो कितनी ? वर्ष 2001-2002 में उक्त मद में कितनी धनराशि व्यय हुई ? क्या यह सही है कि फ्री सुविधा होने के कारण टेलीफोन का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त काल्स की सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

उत्तर प्रदेश सचिवालय में तैनात प्रमुख सचिवों तथा सचिवों के कार्यालय में लगे टेलीफोन के काल्स की सीमा निर्धारित नहीं है ।

आवासीय टेलीफोन पर 700 फ्री द्विमासिक काल्स अनुमन्य हैं, परन्तु उनके द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र देने पर कि निर्धारित सीमा से अधिक की गयी काल्स शासकीय हित में ही की गयी हैं, तो अतिरिक्त काल्स का भुगतान शासन द्वारा किया जाता है ।

उपलब्ध सूचनानुसार वर्ष 2001-2002 में उक्त मद में रु० 1,01,56,016=00 की धनराशि का भुगतान किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में तैनात प्रमुख सचिवों तथा सचिवों के कार्यालय में लगे टेलीफोन के काल्स की सीमा निर्धारित नहीं है । आवासीय टेलीफोन पर 700 फ्री द्विमासिक काल्स अनुमन्य हैं, परन्तु उनके द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र देने पर कि निर्धारित सीमा से अधिक की गयी काल्स शासकीय हित में की गयी हैं तो अतिरिक्त काल्स का भुगतान शासन द्वारा किया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसी तरह से माननीय सदस्यों के लिए भी इसी तरह की नीति बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, इसमें उत्तर में कहा गया कि प्रमुख सचिवों और सचिवों को 700 काल्स अनुमन्य हैं । यदि इससे अधिक काल्स होती हैं और वे इस बात का प्रमाण-पत्र दे देते हैं कि ये काल्स शासकीय हित में की गयी है तो शासन उनका भुगतान करता है । कई प्रमुख सचिव तथा सचिव स्वयं यह बता देते हैं कि इतनी काल्स उनकी निजी हैं और वह उनका भुगतान कर देते हैं ।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रमुख सचिवों और सचिवों द्वारा 700 काल्स से अधिक काल्स शासकीय हित में होने पर उसका भुगतान शासन द्वारा किया जाता है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि विधायकों को 2000 काल्स द्विमासिक दी जाती है । क्या सरकार इसको बढ़ा कर 3000 काल्स या और बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह जो प्रश्न पूछा कि विधायकों की काल्स बढ़ाने पर क्या विचार हो रहा है ? तो मैं कहना चाहता हूं कि अब तक जो बैठकें हुयी हैं उनमें टेलीफोन काल्स बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के प्रोटोकाल में विधायक का स्तर मुख्य सचिव से ऊपर का है लेकिन मुख्य सचिव और सचिव को टेलीफोन की सुविधा ज्यादा है और विधायकों की कम है । क्या यह व्यवहारिक तौर भी है या सिर्फ कागजी तौर पर दिखावे के लिए ही ऊंचा है ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, माननीय सदस्यों का हर स्तर पर स्तर ऊंचा है । चाहे प्रमुख सचिव हों, सचिव हों उन सबसे विधायकों का स्तर ऊंचा है । माननीय सदस्य बहुत आदरणीय हैं और उनका सम्मान कहीं किसी से कम नहीं है ।

प्रदेश में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को नौकरियों में आरक्षण देने की मांग

*3–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुये सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संविधान के अन्तर्गत आरक्षण का आधार केवल सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो संविधान के अन्तर्गत सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए यह सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन्दिरा साहनी केस में निर्णय लिया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना कोई आधार नहीं है ।

(इस समय 12 बजकर 19 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, क्या इन्दिरा साहनी केस के संदर्भ में यह सम्पूर्ण सदन संकल्प पारित करते हुए एक प्रस्ताव संसद को भेजेगा कि जिसमें आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा देने का निर्णय लिया जाये और यह भा०ज०पा० के चुनावी घोषणा-पत्र में भी है ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जो कमजोर हैं उन सब के लिए हमारी अच्छी भावनायें हैं कि उनके लिए भी हो लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जायेगा । कई प्रदेशों से ऐसा मेमोरेन्डम गया भी है और वह मान्य नहीं हुआ । हमारी सहानुभूति सबके साथ है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

वर्तमान मंत्रि-मण्डल के मंत्रियों के जेब खर्च की सीमा निर्धारित करने की मांग

*4–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान मंत्रि-मण्डल के गठन से अब तक किस मंत्री ने कितना धन जेब खर्च तथा चाय नाश्ते पर खर्च किया ? क्या सरकार प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उक्त खर्चों की कोई सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मंत्रिमण्डल के गठन से अब तक मा० मंत्रियों के जेब-खर्च पर कुल रु०–5,35,315.00 एवं चाय नाश्ते पर कुल रु०–6,71,312.00 खर्च हो चुका है । (सूची संलग्न है)

जी हां । मंत्रियों के जेब-खर्च की सीमा का निर्धारण रु० 15,000.00 प्रतिमाह किया जा चुका है । जलपान (चाय–नाश्ते) की सीमा निर्धारण का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(सूची हेतु देखिये नत्थी ''क'' आगे पृष्ठ 190 पर ।)

प्रदेश में कतिपय निगमों, परिषद् व पंचायतों को धनराशि के आवंटित में असमानता के विवरण की जानकारी

*5–श्री उदय राज–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर निगमों नगरपालिका परिषद् तथा नगर पंचायतों को विकास कार्यों के लिए जो धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, क्या उक्त धनराशि के आवंटन में असमानता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस असमानता को दूर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । राज्य के कुल कर राजस्व की शुद्ध आय का 7% नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के बीच आवंटित किया जाता है जो क्रमशः 3.12%, 3.12% तथा 0.76% है । संक्रमण का यह प्रतिशत जनसंख्या तथा क्षेत्रीय परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में ''चरण सिंह ग्राम विकास योजना'' चलाये जाने के कथित प्रकरण की जानकारी

*6–श्री अजय कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय चौ० चरण सिंह की स्मृति में क्या सरकार प्रदेश में ''चरण सिंह ग्राम विकास योजना'' चलाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब से लागू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लागू नहीं होता है ।

जनपद शाहजहांपुर विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम पंचायत सुनौरा रम्पुरा के मजरा मड़ई में इन्दिरा आवास निर्माण में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*7–श्री समर पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायत सुनौरा रम्पुरा के मजरा मड़ई विकास खण्ड जैतीपुर जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1996-97, 97-98 में इंदिरा आवास निर्माण हेतु कुल कितना धन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा आहरित किया गया ? इन इंदिरा आवासों के अब तक पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ? तथा इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त अधूरे आवासों का निर्माण पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

ग्राम पंचायत सुनौरा के मजरा रम्पुरा में 04 इन्दिरा आवासों के निर्माण हेतु वर्ष 96-97 में लाभार्थियों के खाते में चेक द्वारा प्रथम किस्त की धनराशि रु० 5000/–प्रति लाभार्थी की दर से कुल रु० 20,000/–स्थानान्तरित की गयी थीं, जिसका आहरण लाभार्थियों द्वारा किया गया । तत्पश्चात् द्वितीय किश्त की धनराशि रु० 4000/–प्रति लाभार्थी की दर से कुल रु० 16000/–भी चेक द्वारा लाभार्थियों के खाते में स्थानान्तरित की गयी जिसका आहरण भी लाभार्थियों द्वारा किया गया । वर्ष 97-98 में इंगित आवास हेतु धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी ।

इन्दिरा आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है । प्रारम्भिक जांच में श्री विजय कुमार सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी दोषी पाये गये जिन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा विशेष प्रतिकूल प्रविष्ट दी गयी है, किन्तु प्रकरण की गंभीरता तथा अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों (पूर्व प्रधान सहित) की अन्तर्ग्रस्ता को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण मामले की पुनः जांच कराये जाने के आदेश दिये गये हैं । जांचोपरान्त गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*8–श्री नरेश अग्रवाल–

[4थे शुक्रवार के तारां प्र० सं०–3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

1–श्री राम करन आर्य–

[दिनांक 26-8-2002 के अता० प्र० सं०–51 द्वारा उत्तरित]

जनपद लखनऊ थाना इटौंजा में पंजीकृत अपराध का आरोप-पत्र न्यायालय को प्रेषित किये जाने की मांग

2–श्री बादशाह सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि मु०अ०सं० 79/2001 धारा–307,504 थाना इटौंजा जनपद लखनऊ के मामले में मेडिकल रिपोर्ट एवं प्रभारी साक्ष्य उपलब्ध होने के बाद भी अभी तक किन कारणों से मुल्जिमानों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया ?

सुश्री मायावती–

जनपद लखनऊ के थाना इटौंजा में पंजीकृत मु०अ०सं०–79/2001 धारा 307/504 भा०दं०वि० में नामजद अभियुक्त दिवाकर सिंह पुत्र राम वृक्ष सिंह निवासी कस्बा इटौंजा को दिनांक 10-8-2002 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा राघवेन्द्र सिंह पुत्र रामकरन सिंह निवासी शिघामऊ थाना इटौंजा ने दिनांक 16-8-2002 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । विवेचना से पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 22-8-2002 को आरोप-पत्र संख्या–108/2002 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

जनपद कुशीनगर थाना हनुमानगंज के ग्राम रामपुर जंगल के ग्राम प्रधान की लूट-खसोट व अनशनकारियों की पिटाई प्रकरण की जांच

3–श्री बादशाह सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2001 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित श्री बादशाह सिंह तथा श्री जय प्रकाश सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतरांकित प्रश्न सं०–21 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी कुशीनगर की जांच आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जांच आख्या के आधार पर उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में जांच से तत्कालीन उप जिला मजिस्ट्रेट सदर का कोई दोष नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली विधान सभा क्षेत्र सरैनी में तामील एस०सी०/एस०टी० एक्ट व उसके दुरुपयोग को रोकने के उपाय

4–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली की विधान सभा सरैनी में, कितने व्यक्तियों पर 01 मार्च, 2002 से 30 जून, 2002 तक एस०सी०/एस०टी० एक्ट तामील हुआ है ? सरकार इसके दुरुपयोग की रोकने हेतु कौन से उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरैनी में 01 मार्च, 2002 से 30 जून, 2002 तक कुल 31 व्यक्तियों का चालान एस०सी/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत किया गया ।

इस बारे में समय-समय पर शासन से उचित निर्देश अधिकारियों को जारी किये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर में विकास कार्यों हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा की शाखा स्थापित करने की मांग

5–डा० शिव प्रताप यादव–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा गोण्डा बलरामपुर की जिला योजना में प्रधान मंत्री सड़क योजना का कार्य हस्तगत कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार नवसृजित जनपद बलरामपुर में विकास कार्यों के संचालन हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा की शाखा स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री (श्री कौकब हमीद)–

जी नहीं ।

प्रदेश की अर्थोपाय स्थिति को देखते हुए नवसृजित जनपद–बलरामपुर में पृथक से ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का प्रखण्ड स्थापित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई थाना लोनार में पुलिस कर्मियों द्वारा की गई पिटाई से श्री बोदिल की मृत्यु के पंजीकृत प्रकरण पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

6–डा० अशोक बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–ठेहापुर, थाना–लोनार, जिला–हरदोई में दिनांक 18-11-1999 को पुलिस कर्मियों द्वारा की गई बर्बर पिटाई से श्री बोदिल की मृत्यु हो गई थी ? क्या इस सम्बन्ध में दिनांक 8-12-1999 को थाना–लोनार में तात्कालीन थानाध्यक्ष श्री चौथीराम सोनकर सहित 5 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोग संख्या–201ए/1999, धारा–143/304/504 भा०द०वि० पंजीकृत किया गया था ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

4 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति जारी कर दी गयी है । उप निरीक्षक के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया थाना उभांव के ग्राम सभा कड़सर के श्री हरिशचन्द्र आदि के फर्जी तौर पर फंसाने के कथित शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

7–श्री रामजीत राजभर–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के थाना उभांव अन्तर्गत ग्राम सभा कड़सर पो० चन्दाडीह के श्री हरिश्चन्द्र एवं शमशेर यादव पुत्रगण स्व० राम नगीना को मु०अ०सं०–85/02, दिनांक 29-5-2002 थाना उभांव में फर्जी तौर पर फंसाये जाने की शिकायत दिनांक 26-7-2002 को प्रमुख महासचिव शिवपाल सिंह यादव द्वारा फैक्स के माध्यम से पुलिस अधीक्षक बलिया को भेजा गया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में क्षेत्राधिकारी की जांच से पाया गया कि श्रीमती चांदमती देवी पत्नी मृतक हरीलाल यादव की हत्या कर दी गयी, जिस संबंध में थाना उभांव पर मु०अ०सं० 85/2002 धारा

302 भा०द०वि० दिनांक 29-5-2002 को पंजीकृत होकर विवेचना थाना अध्यक्ष उभांव श्री रामसुभग यादव द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के दौरान इस मुकदमें के अभियुक्त हरेन्द्र, शमशेर पुत्रगण राम नगीना यादव, रामवृक्ष पुत्र सदानन्द यादव, सुग्रीव पुत्र रामयादी यादव ग्राम कड़सर थाना उभांव के विरुद्ध हत्या करने का पर्याप्त साक्ष्य पाया गया । अभियोग में सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या–72/2002 दिनांक 30-7-2002 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

8–श्री समर पाल सिंह–

[4थे शुक्रवार के अता० प्र० सं०–133 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अन्वेषण तकनीकी के पद पर तैनात सी०बी० सिंह चन्देल के निर्माण कार्यों आदि से संबंधित आरोप-पत्र के अनुक्रम में जांच

9–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बांदा जनपद–बांदा में अन्वेषक तकनीकी के पद पर तैनात सी०बी०सिंह चन्देल, जनपद–फतेहपुर के विकास खण्ड हसवा एवं विजयीपुर में कराये गये निर्माण कार्यों में बरती गयी वित्तीय अनियमितताओं एवं उच्चाधिकारियों के साथ की गयी अनुशासनहीनता के लिए अपर आयुक्त (वि०का०) ग्राम्य विकास उ० प्र० शासन, विनोद शंकर चौबे एवं डा० नसीम जेदी, आयुक्त ग्राम्य विकास उ० प्र० शासन के संयुक्त हस्ताक्षरों से जारी आरोप-पत्र सं०–467/अ०आ०(वि०का०)/99, दिनांक 29-4-99 के अनुक्रम में जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग के सहायक विकास अधिकारी (आई०एस०बी०) का नाम परिवर्तित कर सहायक विकास अधिकारी ग्राम्य विकास किये जाने का प्रकरण

10–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 17 जुलाई, 2001 को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने ग्राम्य विकास विभाग के सहायक विकास अधिकारी आर०एस०बी० का नाम परिवर्तन कर सहायक विकास अधिकारी, ग्राम्य विकास किये जाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । ग्राम्य विकास विभाग में सहायक विकास अधिकारी (आर०एस०बी०) नहीं वरन् सहायक विकास अधिकारी आई०एस०बी० (उद्योग, सेवा और व्यवसाय) पद है । सहायक विकास अधिकारी (आई०एस०बी०) का नाम परिवर्तित कर सहायक विकास अधिकारी, ग्राम्य विकास किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है ।

प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त खण्ड विकास अधिकारियों के पद समाप्त करने संबंधी जानकारी

11–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि 17 जुलाई, 2001 को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने ग्राम्य विकास विभाग में संयुक्त खण्ड विकास अधिकारियों के पद समापन की घोषणा की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

वर्तमान में संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी के पदों पर कतिपय अधिकारी कार्यरत हैं । इन अधिकारियों की खण्ड विकास अधिकारी के पदों पर नियमित पदोन्नति की कार्यवाही विचाराधीन है । संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी के पदों पर नियुक्त समस्त अधिकारियों की खण्ड विकास अधिकारी के पदों पर पदोन्नति किये जाने के उपरान्त संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी के पदों को समाप्त किया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग के ग्राम्य विकास अधिकारियों के वेतन विसंगति दूर करने का प्रकरण

12–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगें कि 17 जुलाई, 2001 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने ग्राम्य विकास विभाग के ग्राम्य विकास अधिकारियों की वेतन विसंगति दूर करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

शासन द्वारा ग्राम्य विकास अधिकारियों के पुनरीक्षित वेतनमान में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार किया गया जिसका औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के मुख्य विकास अधिकारी को विधायक निधि से कराये गये कार्यों के संबंध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

13–श्री हाजी मुश्ताक सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगे कि मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव को श्री राम कुमार एडवोकेट माननीय पूर्व विधायक, उन्नाव का वित्तीय वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में उनके द्वारा विधायक निधी से कराये गये विकास कार्यों के सम्बन्ध में दि० 20-06-2002 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसपर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

14–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[4थे शुक्रवार के अता० प्र० सं०–187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वन सचिव शाखा के श्री कमल किशोर श्रीवास्तव के मृत्योपरान्त उनके समस्त देयों के भुगतान की मांग

15–श्री शिव प्रताप यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रवर वर्ग सहायक श्री कमल किशोर श्रीवास्तव का आकस्मिक निधन वन सचिव शाखा में तैनात रहते हुए उनके सेवाकाल में ही दिनांक 29-4-1993 को हो गया था ? यदि हां, तो क्या उनके समस्त देयकों का भुगतान उनके आश्रितों को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार बकाये का भुगतान कब तक कर देगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

स्व० श्री कमल किशोर श्रीवास्तव के आश्रितों को भविष्य निर्वाह निधि तथा देय अवकाश नकदीकरण का भुगतान किया जा चुका है । मृत्यु उपादान से रोकी गयी धनराशि रु० 2000/–को छोड़कर शेष मृत्यु उपादान धनराशि का भुगतान किया जा चुका है । सामूहिक जीवन बीमा के अन्तर्गत जमा धनराशि के भुगतान हेतु वन अनुभाग–3 के पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 97 द्वारा निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ को निर्देशित किया जा चुका है । स्व० श्री श्रीवास्तव के उत्तराधिकारी से स्व० श्री श्रीवास्तव को राज्य सम्पत्ति विभाग का आवास आवंटित होने अथवा न होने के संबंध में शपथ-पत्र मांगा गया है जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसके अभाव में स्व० श्री श्रीवास्तव के आश्रितों को मृत्यु उपादान से रोकी गयी धनराशि रु० 2000/–का भुगतान अभी संभव नहीं है ।

16–श्री देवकी नन्दन कोरी–

[4थे बुधवार के अता० प्र० सं०–57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर थाना गढिया रंगीन के ग्राम अमरेडी की श्रीमती देवा द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निवारण को संबोधित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने संबंधित पत्र पर कार्यवाही

17–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती देवा पत्नी श्री लटूरी जाटव निवासी ग्राम अमरेडी थाना गढिया रगीन जिला शाहजहांपुर ने बलात्कार की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने तथा थानाध्यक्ष गढ़िया रंगीन के द्वारा किये गये अभद्र व्यवहार का शिकायती प्रार्थना-पत्र पुलिस महानिदेशक, लखनऊ अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली मण्डल को दिनांक 12-4-2002 को रजि० डाक द्वारा भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं,

श्रीमती देवा का शिकायती-पत्र दिनांक 16-4-2002 अपर पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ० प्र० लखनऊ को प्राप्त हुआ है ।

शिकायतों की जांच क्षेत्राधिकारी, तिलहर द्वारा की गयी । जांच से शिकायतों को प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर थाना–गढ़िया रंगीन, जनपद–शाहजहांपुर में मु०अ०सं०–85/02 धारा 376/342 भा०द०वि० बनवारी पुत्र मूला, श्रीमती हसीना पत्नी बनवारी, ग्राम जल्लापुर, राजू पुत्र बन्धू लाल यादव, नि०–कसरक, थाना–कटरा, जिला–शाहजहांपुर व महेन्द्र पुत्र पूरन नि०–नरैया, थाना–शाहाबाद, जनपद हरदोई के विरुद्ध दर्ज कर सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 26-8-02 को प्रेषित कर दिया गया है ।

जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये तत्कालीन थानाध्यक्ष, गढ़िया रंगीन श्री अमर सिंह के विरुद्ध परिनिन्दा लेख प्रविष्टि प्रदान किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद रायबरेली विधान सभा क्षेत्र सरैनी में लागू गुण्डा ऐक्ट से प्रभावित लोगों की संख्या एवं इसके दुरुपयोग को रोकने के उपाय

18–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद–रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र सरैनी में 1 मार्च, 2002 से अब तक कितने लोगों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट लागू किया गया है ? गुण्डा एक्ट के दुरुपयोग रोकने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

सुश्री मायावती–

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरैनी में दिनांक 1 मार्च, 2002 से अब तक 27 व्यक्तियों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गयी है ।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरैनी में गुण्डा एक्ट के दुरुपयोग का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है । गुण्डा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन एवं उसके दुरुपयोग को रोकने हेतु शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर, 1997 द्वारा प्रदेश के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के उप जिला अधिकारियों के स्थानान्तरण नीति की जानकारी

19–श्री बैजनाथ दुबे–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिला अधिकारियों के स्थानान्तरण की नीति क्या है ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि जनपद गोण्डा में कितने ऐसे उप जिला अधिकारी शासन नीति के विरुद्ध तैनात हैं ? क्या सरकार ऐसे उप जिलाधिकारियों को अन्यत्र स्थानान्तरण पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति शासन के कार्मिक विभाग के आदेश दि० 21-04-01 एवं 12-06-02 द्वारा निर्धारित की गयी है ।

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद व तहसील फैजाबाद, की ग्राम-पंचायत द्वारिकापुर की श्रीमती माधुरी को आवंटित इन्दिरा आवास को गिरवाये जाने का कथित प्रकरण

20–श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम–पंचायत द्वारिकापुर, तहसील व जनपद फैजाबाद की निवासिनी माधुरी पत्नी श्री सुखराम को इन्दिरा आवास, जोकि हरिजन आबादी में निर्मित था, नायब तहसीलदार, अयोध्या द्वारा जुलाई, 2000 में गिरवा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर उक्त हरिजन महिला को पुनः इन्दिरा आवास का निर्माण कराकर पुनर्वासित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रकरण की प्रारम्भिक जांच से स्थिति स्पष्ट न होने के कारण पुनः जांच कराये जाने के आदेश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गृह सचिव शाखा से सम्बद्ध होमगार्डों के ड्यूटी भत्ते के भुगतान की मांग

21–श्री बैजनाथ दुबे–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रमुख सचिव, गृह के आदेश सं०–2734(ए)/6–पु०8–2000–70–एच०ई०/2000, दिनांक 30 दिसम्बर, 2000 द्वारा होमगार्डों को गृह सचिव शाखा से सम्बद्ध किया गया था ? यदि हां, तो क्या उन्हें दिसम्बर, 2000 से अप्रैल, 2000 तक की ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं ।

गृह विभाग के लिए स्वीकृत होमगार्डों की संख्या से अधिक होने के कारण अभी तक इन्हें इनके द्वारा उपस्थित रहकर कार्य करने की अवधि का ड्यूटी भत्ता भुगतान नहीं किया जा सका है । ड्यूटी भत्ते के भुगतान हेतु कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद देवरिया, थाना बरहज में पंजीकृत अपराध सं०–155/02 पर कार्यवाही की मांग

22–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–देवरिया थाना बरहज में दि० 2 फरवरी, 2002 को अपराध संख्या–155/02 धारा–188 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमें के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत मुकदमें से संबंधित अभियुक्तगण सर्वश्री जय प्रकाश जायसवाल, डा० श्रीमती कृष्णा जायसवाल, कन्हैया मिश्र, सच्चिदानन्द पाण्डेय, राम चरन वर्मा के विरुद्ध विवेचनोपरान्त दोषसिद्ध होने पर आरोप-पत्र दिनांक 24-3-2002 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में पुलिस उप निरीक्षकों के स्थानान्तरण की नीति एवं जनपद गोण्डा में स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध तैनात पुलिस उप निरीक्षकों को अन्यत्र स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में जानकारी

23–श्री बैजनाथ दुबे–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस उप निरीक्षकों के स्थानान्तरण की नीति क्या है ? जनपद गोण्डा में कितने ऐसे पुलिस उप निरीक्षक हैं जो शासन की स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध तैनात हैं ? क्या सरकार ऐसे पुलिस उपनिरीक्षकों का स्थानान्तरण अन्यत्र करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उक्त कर्मियों की एक जनपद में 6 वर्ष एवं परिक्षेत्र में 12 वर्ष तैनात रहने की नीति है । इस अवधि में उसके हे० कान्स० की सेवा अवधि का काल सम्मिलित होगा ।

जनपद गोण्डा में ऐसा कोई उप निरीक्षक तैनात नहीं है ।

उक्त स्थिति में प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर में कतिपय मार्गों के निर्माण की जांच की मांग

24–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फतेहपुर वर्ष 1999-2000 में जहानाबाद, बिन्दकी मुगल रोड से सइकापुरवा होते हुए नीनारा मार्ग का निर्माण आर०ई० एस० विभाग से कराया गया है ? यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य मानक के विपरीत होने के कारण सम्पर्क मार्ग खराब हो गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कौकब हमीद–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि प्रश्नगत मार्ग की जांच प्राविधिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा करायी जा चुकी है ।

जनपद फतेहपुर में विधायक निधि द्वारा मानक के विपरीत कतिपय मार्ग के खड़न्जा निर्माण आदि की जांच की मांग

25–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में वर्ष 2000-2001 में विधायक निधि द्वारा नरैनी में बड़ी नहर के पुल से बाजार तक व जगतपुर में खड़न्जा निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या मानक के विपरीत कार्य कराने पर खड़न्जा क्षतिग्रस्त/खराब हो गया है ? यदि हां, तो आगणन के मुताबिक बालू मिट्टी की जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

जांच के आदेश दिये जा चुके हैं । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

जनपद फतेहपुर के कतिपय ब्लाकों में सम्पूर्ण रोजगार योजना में प्राप्त धनराशि तथा कराये गये कार्यों की जानकारी

26–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में वर्ष 2000-2001 में ब्लाक असोथर, बहुआ, तेलियानी, अमौली में सम्पूर्ण रोजगार योजना में कुल कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई है तथा क्या-क्या कार्य कराये गये हैं ? क्या यह सही है कि मानव श्रम से कार्य न कराकर ट्रैक्टरों से कार्य कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

विकास खण्ड असोथर, बहुआ, तेलियानी तथा अमौली में वर्ष 2000-2001 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (सुनिश्चित रोजगार योजना) के अन्तर्गत निम्नानुसार धनराशि उपलब्ध करायी गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्र०सं०	विकास खण्ड	अवमुक्त धनराशि (लाख में)
1.	असोथर	31.64
2.	बहुआ	30.164
3.	तेलियानी	27.751
4.	अमौली	30.689

स्वीकृत कार्यों की सूची विकास खण्डवार संलग्न है ।

योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों में से किसी भी कार्य में ट्रैक्टर से कार्य कराने की कोई शिकायत की पुष्टि नहीं हुई ।

यदि कोई शिकायत का मामला प्रकाश मे आता है तो जांच करायी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(सूची हेतु देखिये नत्थी ''ख'' आगे पृष्ठ 191-192 पर ।)

27–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जिला कांग्रेस कमेटी चन्दौली के कार्यकारी अध्यक्ष के साथ घटित घटना की जांच सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

28–श्री प्रभु नारायण सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री राजेश कुमार चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी चन्दौली के साथ घटित घटना की जांच कराये जाने विषयक उ० प्र० अनु० जाति एवं जनजाति विकास परिषद् वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा एक शिकायती-पत्र दिनांक 22-7-2002 को मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन एवं प्रमुख सचिव, गृह, पुलिस महानिदेशक को उच्च स्तरीय जांच कराये जाने हेतु भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवे को जांच सम्पादित करने हेतु दिनांक 12-8-2002 को आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बागपत में चयनित अम्बेडकर गांवों में नाली निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि की जानकारी

29–श्री अजय कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में वर्ष 2002-03 में चयनित अम्बेडकर गांवों में खड़न्जा, नाली निर्माण हेतु कितनी धनराशि अवमुक्त की गई है ? क्या अवमुक्त की गयी धनराशि से उक्त कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद बागपत में वर्ष 2002-03 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में नाली/खड़न्जा हेतु राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत 6.75 लाख रुपये सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत 6.10 लाख रुपये एवं 1317.35 कुन्टल खाद्यान्न तथा ग्यारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत 4.25 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है ।

जी नहीं ।

धनराशि एवं खाद्यान्न की अभी प्रथम किस्त अवमुक्त हुई है तथा दूसरी किस्त अवमुक्त होनी शेष है ।

जनपद बागपत में अम्बेडकर गांवों को संतृप्त करने हेतु अवमुक्त धनराशि की जानकारी

30–श्री अजय कुमार–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद–बागपत के अम्बेडकर गांवों में कितने हैण्ड पम्प नये मानकों के अनुसार लगाये ज़ाने की शासन से स्वीकृति है ? जनपद के सभी अम्बेडकर गांवों को संतृप्त करने के लिये क्या वांछित धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो यह धनराशि कितनी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

नया मानक वित्तीय वर्ष 2001-2002 में लागू हुआ है जिसके अनुसार वर्ष 2001-2002 के 34 अम्बेडकर ग्रामों के लिए 229 हैण्ड पम्प की आवश्यकता है ।

ग्रामीण अनुसूचित जाति/ जनजाति पेयजल योजना अधीन 2002-2003 में प्रथम छमाही किश्त 1.68 लाख रुपये तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (जिला सेक्टर) अधीन जलापूर्ति योजना के लिए प्रथम छमाही किश्त 10.64 लाख रुपये की स्वीकृति जनपद बागपत को इस निर्देश के साथ जारी की गयी है कि स्वीकृत धनराशि का व्यय अम्बेडकर ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ।

31–डा० राधा मोहन दास अग्रवाल–

[3सरे गुरुवार के अता०प्र०सं०–145 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इटावा के भरथना नगर में एस० ए० बी० डिग्री कालेज के छात्रों की फीस की धनराशि की लूट सम्बन्धी पंजीकृत मामले की विवेचना की जानकारी

32–श्री विनोद कुमार यादव (कक्का)–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि इटावा जनपद के भरथना नगर में स्थित एस० ए० बी० डिग्री कालेज के छात्रों की फीस बैंक में जमा करने जा रहे दो कालेज कर्मचारियों से 17 जुलाई, 2002 को (छः लाख अट्ठासी हजार) रुपये दिन दहाड़े लूट लिया गया ? क्या यह सही है कि भरथना थाने में अपराध सं० 195/2002 धारा 392 पंजीकृत कराया गया है ? यदि हां, तो विवेचना में क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

तमामी विवेचना, निरीक्षण घटनास्थल, बयानात गवाहान, परिस्थितिजन्य साक्ष्य से घटना असत्य पायी गयी जिसमें विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 23-7-02 को मय जुर्म खारिजा रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गयी, जो विचाराधीन न्यायालय है ।

33–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

[4थे शुक्रवार के अता०प्र०सं०–188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में कमीशन वेतन पर कार्यरत सहकारी कुर्क अमीनों के सम्बन्ध में मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन

34–श्री राम किशुन–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कमीशन वेतन पर कार्यरत सहकारी कुर्क अमीनों के बारे में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं०–8467-68/1995 पर दिनांक 20-3-2001 को दिये गये निर्णय का अनुपालन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त का अनुपालन कब तक सुनिश्चित कर दिया जायेगा ?

सहकारिता मंत्री (श्री राम प्रकाश त्रिपाठी)–

जी नहीं ।

प्रकरण में मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय/आदेश के अनुक्रम व अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । आदेशों के शीघ्र अनुपालन का प्रयास किया जा रहा है ।

जनपद आजमगढ़, तहसील फूलपुर के ग्राम खन्डौरा में सुनिश्चत रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यों की जानकारी

35–श्री राम किशुन–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम–खन्डौरा, तहसील-फूलपुर, जनपद-आजमगढ़ को सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि विगत 5 वर्षों में आवंटित हुई है ? आवंटित धनराशि से कौन-कौन कार्य कराये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

क्षेत्र पंचायत पवई द्वारा गत पांच वर्षों में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत-खन्डौरा के प्रस्ताव पर वर्ष 1999-2000 में कुल रु० 61,900.00 आवंटित किया गया । इसके अतिरिक्त उक्त ग्राम पंचायत में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी ।

आवंटित धनराशि से निम्न कार्य कराये जा रहे हैं :–

1–श्री रामफेर यादव के खेत से श्री छटठू राजभर के घर तक 300 मी० मिट्टी कार्य एवं 100 मी० खड़न्जा कार्य ।

2–श्री दया शंकर पासी की दुकान से श्री दीप चन्द्र के घर के बीच एक पुलिया निर्माण (हमीरपुर खण्डौरा ग्राम) ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी की गौतम इलेक्ट्रिक वर्क्स को अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर एड्रेस सिस्टम के कार्य हेतु मान्यता

36–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गौतम इलेक्ट्रिक वर्क्स, वाराणसी को वी०आई०पी० व्यक्तियों के आगमन पर ध्वनि यन्त्रों के उपयोग एवं व्यवस्था हेतु मान्यता प्रदान करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कम्प्यूटर संख्या–सी–10035797, पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–2/35797/वाराणसी/2000, दिनांक 21-7-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

अतिविशिष्ट महानुभावों के आगमन पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम का कार्य सम्पादित करने हेतु जांचोपरान्त मेसर्स गौतम इलेक्ट्रिक वर्क्स, बी–15/35, ए–1, फरीदपुरा, थाना–भेलूपुर, वाराणसी को

अभिसूचना विभाग, सुरक्षा शाखा, लखनऊ के पत्र दिनांक 23-8-2002 द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के कतिपय ग्रामों में विभिन्न योजनाओं में कराये गये कार्यों का मदवार विवरण

37–श्री सिद्ध गोपाल साहू–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के ग्राम मवई बुजुर्ग, ब्लाक बड़ोखुर खुर्द व ग्राम सादी मदनपुर ब्लाक तिन्दवारी में वर्ष 1999-2000, 2000-2001 व 2001-2002 में सुनिश्चित रोजगार योजना, जे०आर०वाई० विधायक निधि से खड़न्जा निर्माण, वृक्षारोपण, मिट्टी का कार्य, तालाब खुदाई में मदवार कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ? क्या यह बात सत्य है कि उक्त ग्राम में एक ही कार्य को कई बार दिखा कर धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या गत तीन वर्षों में कराये गये कार्यों का विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

सुश्री मायावती–

जनपद बांदा की दोनों ग्राम पंचायतों को निम्न विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की गयी । कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न है :–

ग्राम पंचायत का नाम–मवई बुजुर्ग

क्र०सं०	योजना का नाम	वर्ष	अवमुक्त धनराशि
1	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	1999-2000	1,06,702
		2000-2001	1,62,044
		2001-2002	1,94,023
2	विधायक निधि	1999-2000	
		2000-2001	1,00,000
		2001-2002	2,61,000
3	सुनिश्चित रोजगार योजना	उक्त वर्षों में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है ।	

ग्राम पंचायत का नाम–सादी मदनपुर

1	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	1999-2000	33,786
		2000-2001	62,516
		2001-2002	75,337
2	विधायक निधि	1999-2000	4,25,000
		2000-2001	3,00,000
		2001-2002	1,50,000
3	सुनिश्चित रोजगार योजना	उक्त वर्षों में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है ।	

जी नहीं ।

विस्तृत विवरण संलग्नक में उल्लिखित है ।

(संलग्नक हेतु देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 193-195 पर ।)

जनपद मऊ, विकास खण्ड कोपरगंज एवं घोसी में जवाहर रोजगार योजना में वृक्षारोपण हेतु पौध आपूर्ति करने वाली फर्मों को भुगतान करने वाले कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

38–श्री समर पाल सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–178 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजीव अग्रवाल विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ० प्र० शासन ने अपने पत्र सं०–1862/38-4-2001–64ए०क्यू०/2001 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, मऊ को ग्राम्य पंचायतों द्वारा पौध आपूर्ति करने वाले फर्मों को भुगतान वियरर चेक द्वारा करने पर बहुउद्देशीय कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो कुल कितने बहुउद्देशीय कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

रु० 2000/- से अधिक के वियरर चेक के माध्यम से भुगतान के मामले में बहुउद्देशीय कर्मियों को जनपद स्तर पर चिन्हित किया जा रहा है । अभिलेखीय जांच के उपरान्त यदि ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद आजमगढ़, विकास खण्ड पवई में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण

39–श्री राम करन आर्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वि०खं० पवई, तह० फूलपुर, जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1999 से 2002 तक कुल कितनी धनराशि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुयी है ? उससे क्या-क्या कार्य कराये गये ? क्या कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराकर दोषीजनों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

विकास खण्ड पवई, तहसील फूलपुर, जिला आजमगढ़ को सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत वर्ष 1999 से 2002 तक कुल 61,84,940,00 धनराशि प्राप्त हुयी है ।

उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष क्षेत्र पंचायत पवई द्वारा प्रस्तावित एवं जिला पंचायत आजमगढ़ द्वारा 20-6-2001 को स्वीकृत कार्यों में से कराये गये कार्यों की वर्षवार सूची संलग्न है ।

कराये गये कार्यों का सत्यापन जिलाधिकारी, आजमगढ़ के कार्यालय आदेश संख्या–418/अभि०/स्था०/2001-2002 दिनांक 20 मई, 2002 में नियुक्त अवर अभियन्ता द्वारा कराया जा रहा है । सत्यापन के पश्चात दोषी पाये जाने पर दोषी कर्मचारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(सूची हेतु देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 196-197 पर ।)

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के गांवों में पेयजल आपूर्ति हेतु इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाने व पानी की टंकी बनवाने की मांग

40–श्री राकेश सचान–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के गांवों में भीषण पेयजल संकट है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पेयजल आपूर्ति हेतु इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाने व पानी की टंकी बनवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

भारत सरकार के मानक के अनुसार घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र के समस्त ग्राम पेयजल की दृष्टि से संतृप्त हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद ललितपुर के ब्लाकों में हैण्डपम्पों के प्लेट फार्म बनाने के प्रकरण की जांच

41–श्री रामजीत राजभर–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जिला ललितपुर के 6 ब्लाकों मे 75–75 हैण्डपम्प लगाने के बाद उनके प्लेटफार्म बनाने हेतु दिनांक 20–3–2002 को निविदा आमंत्रित की गई थी ? यदि हां, तो क्या कम रेट की निविदा को अस्वीकृत कर अधिक रेट पर कायदिशं दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निविदा को निरस्त कर इसमें लिप्त दोषी अभियन्ताओं को दण्डित करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रकरण की जांच कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

जांचोपरान्त गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चित्रकूट धाम मण्डल पाइप पेयजल योजनाओं का हस्तान्तरण व कराये गये कार्यों की जांच

42–श्री सिद्ध गोपाल साहू–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चित्रकूट धाम मण्डल पाइप पेयजल योजनाओं का हस्तान्तरण जल निगम द्वारा जल संस्थान को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कबरई पेयजल योजना के रख-रखाव एवं संचालन पर वर्ष 1999 से अब तक कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? व्यय की गयी धनराशि से कौन-कौन से कार्य कराये गये ? क्या कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

6 नग नागर एवं 17 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं का हस्तान्तरण होना शेष है ।

योजनाओं के हस्तान्तरण हेतु प्रपत्र जल संस्थान को भेजा गया है ।

कबरई पेयजल योजना के रख-रखाव पर वर्ष 1999 से अब तक रु० 21.28 लाख व्यय हुआ है ।

प्रश्नगत धनराशि से कराये गये कार्यों तथा कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया व मऊ के कतिपय विकास खण्डों में खराब पड़े हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की मांग

43–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि बलिया जनपद के सीयर व नगरा विकास खण्ड तथा मऊ जनपद के रतनपुरा विकास खण्ड में लगाये गये इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों की संख्या आबादी के हिसाब से बहुत कम है ? क्या यह सही है कि उनमें से अधिकतर हैण्डपम्प खराब पड़े हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त विकास खण्डों में आबादी के अनुसार हैण्डपम्पों की संख्या बढ़ाने तथा खराब हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । भारत सरकार के मानक के अनुसार 250 की आबादी पर एक हैण्डपम्प लगाकर ग्रामों/बस्तियों को संतृप्त किया जा चुका है ।

वर्तमान नीति के अनुसार लाभार्थी समूह द्वारा हैण्डपम्प की लागत का 10 प्रतिशत अंश जमा करने तथा जल प्रबन्धन समिति/ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के रख-रखाव की लिखित सहमति देने पर 150 की आबादी पर एक हैण्डपम्प लगाया जा सकता है । हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने के आदेश मुख्य विकास अधिकारी को दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया मार्का, हैण्डपम्पों की मरम्मत का दायित्व एवं जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावल-खेड़ा में खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक कराने की जानकारी

44–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया मार्का (2) हैण्डपम्पों की मरम्मत का दायित्व वर्तमान में किसका है ? जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावल-खेड़ा में कुल कितने इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प खराब हैं ? क्या सरकार उन्हें ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्पों के सामान्य मरम्मत रख-रखाव का दायित्व ग्राम पंचायतों स्थायी रूप से खराब एवं रिबोर योग्य हैण्डपम्पों को ठीक कराने का दायित्व उ० प्र० जल निगम/यू०पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि० का है ।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड भावलखेड़ा में 52 नग इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्प खराब हैं, जिनमें से 12 अस्थायी तथा 40 स्थायी रूप से खराब हैं ।

जी हां । अस्थायी रूप से खराब हैण्डपम्पों की ग्राम पंचायतों द्वारा तथा स्थायी रूप से खराब हैण्डपम्पों को उ० प्र० जल निगम द्वारा शीघ्र ही ठीक करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया में आर्य विद्या सीयर नामक संस्था का नवीनीकरण

45–श्री छोटे लाल यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बलिया में उप निबन्धक फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स आजमगढ़ ने निबन्धक फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स लखनऊ के रोक के बावजूद वर्ष 2000 से 5 वर्ष के लिये आर्य विद्या सभा सीयर नाम की संस्था का नवीनीकरण कर दिया है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सहायक निबन्धक आजमगढ़ ने दिनांक 10-10-2000 से अगले पांच वर्ष के लिए आर्य विद्या सभा, सीयर नामक संस्था का नवीनीकरण किया है । संस्था के नवीनीकरण के सम्बन्ध में तत्समय निबन्धक द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के जिला प्रबन्धक सीतापुर के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की जांच

46–श्री जगदीश मिश्र (बाल्टी बाबा)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के जिला प्रबन्धक, सीतापुर के विरुद्ध गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की जांच पुलिस अधीक्षक सी०आई० परिक्षेत्र सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ के पत्र संख्या–स०अ०/अनु०–2–खुली–237/2001–सी०आई०एस०–866, दिनांक 28 नवम्बर, 2001 द्वारा जांच शुरू की गई थी ? क्या यह सही है कि तीन सेक्टरों की जांच बीच में ही बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

(क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में जल निगम को पेयजल योजना हेतु निर्गत धनराशि व उसके कार्यों की जांच की मांग

47–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देवरिया में वित्तीय वर्ष 2001-2002 में जिला योजना के बजट से डी०आर०डी०ए० द्वारा जल निगम को पेयजल योजना हेतु 7 करोड़ रुपया निर्गत हुआ था ? जिसमें इण्डिया हैण्ड मार्का–2 हैण्ड पम्प ग्रामीण क्षेत्रों में 100 फुट की गहराई पर न लगाकर मानक के विपरीत मात्र 80 फुट से कम पर लगाये गये हैं जो पानी नहीं दे रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

जिला योजना के बजट से जल निगम को रु० 449.47 लाख प्राप्त हुआ था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

48–श्री समर पाल सिंह–

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

आज दिनांक 2 सितम्बर, 2002 को. .....

श्री अखिलेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी का प्रकरण

श्री अखिलेश सिंह–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

यह समय नहीं है यह बात कहने का । जो बात कहनी है, सफाई देनी है न्यायालय में दीजिये । यह सदन सफाई सुनने के लिए नहीं है । जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा । यह सदन सफाई सुनने या किसी पर आरोप निर्धारित करने के लिए नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

अगर कोई सदस्य पर आरोप लगा है तो वह सदस्य उपस्थित होकर अपनी बात कह सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

सदन आरोप लगाता तो बात अलग है । उन पर आपराधिक मुकदमा दायर है उस पर सफाई सुनने के लिए हम यहां नहीं बैठे हैं । माननीय तिवारी जी, सदन की कुछ परम्पराओं को बनाये रखिये ।

नोट : [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय अखिलेश जी, इसी सदन के सदस्य हैं। अगर कोई सदस्य अपनी बात रखना चाहता है व्यक्तिगत तौर पर तो उसे अनुमति मिलनी चाहिए आप के पूर्व निर्देशों का सहारा लेते हुए यह कहना चाहता हूं कि उनकी जान को खतरा है तो आप उनको बिल्कुल कैसे नकार देंगे ? आप सुनकर न कर दीजिये। बिना सुने न कहना, आप उन्हें सुन लें।

श्री अखिलेश सिंह–

मान्यवर, मुझे आपके न्याय पर भरोसा है। मान्यवर, आप की बेदाग छवि रही है। मान्यवर, ऐसा कभी नहीं हुआ। आजाद हिन्दुस्तान में किसी लोकतांत्रिक सदन के सदस्य के साथ।

मान्यवर, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी विधायक के ऊपर जिन्दा या मुर्दा पकड़ने के लिए ढाई हजार का इनाम घोषित कर दिया जाय। मान्यवर, मैं पूरे सदन से कह रहा हूं कि आज अखिलेश सिंह के ऊपर इनाम घोषित हुआ है कल आपके ऊपर भी हो सकता है।

श्री अध्यक्ष–

यह सारी बातें आ चुकी हैं यह माननीय प्रमोद तिवारी जी ने व माननीय पाल जी ने आपके संदर्भ में कही है।

श्री अखिलेश सिंह –

मान्यवर, मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराया गया मैं उस वक्त रायबरेली में नहीं था। मान्यवर, अगर पुलिस जुल्म करती है तो उसके लिए सी०बी०सी०आई०डी० है, सी०बी०आई० है। (व्यवधान) मान्यवर, मैंने आपसे जांच मांगी, सरकार से जांच मांगी लेकिन जांच नहीं हुई मुझे कोई तकलीफ नहीं है लेकिन एक नई परम्परा जो पड़ रही है उसके बारे में कहना चाहता हूं। मेरे पास रायबरेली अदालत की कापी है इसमें अदालत ने मुझे भगोड़ा नहीं घोषित किया है। अदालत कहती है कि अखिलेश सिंह भगोड़ा नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती है अखिलेश सिंह भगोड़ा हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपके ऊपर धारा 82 की कार्यवाही हुई है और 82 की कार्यवाही में ही भगोड़ा घोषित होता है। आप गलत बयानी कर रहे हैं। प्रमोद कुमार जी ने उसी दिन उल्लेख किया था उसमें कहा था कि धारा 82 की कार्यवाही हुई है।

श्री अखिलेश सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों से कहता हूं कि न कोई सत्ता है न विपक्ष है जो आज सत्ता में हैं वह कल विपक्ष में आयेंगे और जो आज विपक्ष में हैं वह कल सत्ता में होंगे। आज मेरे ऊपर इनाम घोषित होगा तो कल आपके ऊपर भी इनाम घोषित हो सकता है। टण्डन जी, आप पर भी इनाम घोषित हो सकता है, आजम साहब आप पर भी इनाम घोषित हो सकता है। हिटलर ने कोई एक दिन में हिटलरशाही नहीं कायम की थी हिटलर ने 4–5 साल में हिटलरशाही कायम की थी। मान्यवर, यह मेरी हत्या का षड़यन्त्र है। आज हम यहीं पर अपनी गिरफ्तारी देते हैं। मेरा विश्वास है कि जेल के अन्दर या जेल से लाते हुए, कहीं ट्रान्सफर करके आगरा या फर्रूखाबाद किसी भी जेल में ट्रान्सफर करके सत्ता पक्ष के चुने हुए पुलिस अधिकारी मेरी हत्या कराना चाहते हैं। मुझे सरकार पर विश्वास नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

यह सब आप अदालत से कहियेगा, यह सदन उसका माध्यम नहीं बन सकता है ।

श्री अखिलेश सिंह–

मान्यवर, मैं सदन में समर्पण कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप जानते हैं कि यह एक न्यायिक प्रक्रिया है । आपके प्रमोद कुमार जी हैं ये फौजदारी के अधिवक्ता हैं, कुशल अधिवक्ता हैं यह आपको बता देंगे, परामर्श दे देंगे ।

श्री अखिलेश सिंह–

मान्यवर, 5–5 सुरक्षाकर्मी मेरे पक्ष में एफीडेविट देते हैं । उनको पुलिस के लोग धमका रहे हैं कि एफीडेविड वापस ले लें । मान्यवर, अगर मेरे जेल जाने से या मरने से लोकतंत्र मजबूत होगा तो मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूं लेकिन मैं फिर कहता हूं कि यह अखिलेश सिंह का ही मामला नहीं है यह सब पर हो सकता है । माननीय टण्डन जी मैं भी एक राष्ट्रीय पार्टी का उपनेता हूं । टंडन जी यह किसी के साथ हो सकता है । जब यह रामकुमार वर्मा जी के साथ हुआ तो आपने जाँच सी०बी०सी०आई०डी० को दे दी । (व्यवधान)

मैं अपनी गिरफ्तारी सदन में देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

सदन में गिरफ्तारी नहीं होगी आप बाहर जाकर गिरफ्तारी दीजिए ।

(श्री अखिलेश सिंह सदन के वेल में आ गये)

श्री अखिलेश सिंह–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

यह सदन इसके लिए नहीं है लोकतंत्र का मखौल मत उड़ाइये । आप कानून का अनुपालन करने वाले व्यक्ति हैं आपको स्वयं हाजिर हो जाना चाहिए था, पुलिस के सामने । आप पुलिस के सामने आत्म समर्पण कीजिए जा करके सदन में गिरफ्तारी नहीं होगी । केवल एक माननीय सदस्य की गिरफ्तारी के लिए सदन में पुलिस लाने की अनुमति मैं नहीं दूंगा, आप बाहर जाइये और अपनी गिरफ्तारी दीजिए । आप लोगों को कुछ अपने पद और मर्यादा का लिहाज होना चाहिए । आप संविधान जा करके पढ़िये तब उसके बाद कुछ कीजिएगा ।

(कांग्रेस के श्री दिनेश सिंह, नूर मोहम्मद, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (मुन्ना) तथा श्री शमीमुलहक सदन के वेल में आ गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे)

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

हमें दूसरी कार्यवाही करने के लिए बाध्य मत कीजिए मैं संसदीय मर्यादाओं का हनन नहीं होने दूंगा । न तो यह स्थान है और न समय ही है इसके लिए । मैं विधान सभा को इस कार्य के लिए उपयोग नहीं होने दूंगा । आप सदन के बाहर चले जायें और जहां गिरफ्तारी देना हो दे दें, कृपया सदन की कार्यवाही बाधित न करें । यह उचित नहीं है मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । आप बाहर जायें गिरफ्तारी दे दें किसी ने रोका नहीं है , आपको लेकिन यह सदन में उचित नहीं है । आप स्वयं सोचिए, विचार कीजिए जैसे आप यहां आ गये वैसे बाहर जा करके गिरफ्तारी दे दीजिए ।

नेता विरोधी दल(श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, मामला बहुत गंभीर है ही, यह आपकी जानकारी में है । कोई ऐसा रास्ता निकाल दें, आप क्योंकि एक बड़े वकील हैं और कानून से अच्छी तरह वाकिफ हैं । कोई ऐसा रास्ता निकल सकता हो तो गिरफ्तारी का, संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, आप ऐसा आश्वासन दे दें कि जान का खतरा न हो, ऐसा रास्ता निकल सकता हो तो निकाल दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन के अन्दर नहीं चाहता, रास्ता निकालने में कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह हो सकता है कि यह आपके कक्ष में आ जायें और आप किसी पुलिस आफीसर के हवाले करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

हम और आप सदन की मर्यादाओं को रखने के लिए हैं, मैं व्यवस्था करा देता हूं, आप स्थान ग्रहण कर लें, सदन में बात ठीक नहीं है । यह आत्म समर्पण करना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था हो जायेगी । मैं संसदीय कार्य मंत्री से परामर्श करके व्यवस्था करा दूंगा ।

(सदन के फ्लौर में आये मा० सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर वापस चले गये)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 2 सितम्बर, 2002 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनाएं प्राप्त हुयीं । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुये शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई । पहली सूचना श्री उदयराज यादव की, दूसरी श्री महेन्द्र कुमार सिंह की, तीसरी श्री संजय गर्ग की, चौथी श्री राजेन्द्र सिंह राणा की, पांचवीं श्री कमाल यूसुफ मलिक की, छठी श्रीराम नरेश यादव की, सातवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की है । सभी माननीय सदस्य उपस्थित हैं ।

प्रतीक्षा सूची में डा० राम बाबू हरित तथा श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह की सूचनाएं हैं तथा माननीय सदस्यों के नाम जिनकी सूचनाएं अस्वीकार की गयीं । श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री महबूब अली,

श्री राजेन्द्र यादव, श्री सिद्ध गोपाल साहू, डा० विनोद तिवारी, श्री दीनानाथ भाष्कर, श्री शारदानन्द अंचल, श्री विश्राम सिंह यादव, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री ओमकार सिंह यादव, श्री ओम प्रकाश, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, डा० वकार अहमद शाह, श्री उमाशंकर कुशवाहा, श्री बैजनाथ दुबे, श्री सुरेश कुमार खन्ना एवं श्री राम किशुन ।

(सदन की सहमति से सात चयनित सूचनाएं पढ़ी हुयी मानी गयीं)

जनपद उन्नाव के पुरवा क्षेत्रान्तर्गत अहेसा लिंक मार्ग अपूर्ण होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदयराज यादव–

[महोदय अवगत कराना है कि जनपद उन्नाव में विधान सभा क्षेत्र पुरवा के विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत अहेसा लिंक मार्ग जिसकी लम्बाई 8.5 किमी० है । जो नाबार्ड योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था, लोक निर्माण विभाग की लापरवाही, उदासीनता तथा भ्रष्टाचार के कारण उक्त मार्ग पर स्वीकृत लागत से अधिक धन खर्च हो चुका है । परन्तु उक्त मार्ग में अभी तक पेटिंग का कार्य नहीं कराया गया है तथा कुछ हिस्से में टापकेट की कुटाई भी नहीं हुई है । मार्ग पूरा न होने के कारण उक्त क्षेत्र के सैकड़ों गांव के लोगों के लिए आने–जाने का कोई रास्ता नहीं है । जिसके कारण क्षेत्र के लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । अतः आपसे अनुरोध है कि इस जनहित के प्रकरण पर सदन में सरकार को वक्तव्य देने का निर्देश दें ।]

जिला जेल सीतापुर में कैदियों की संख्यानुसार क्षमता बढ़ाने हेतु नई बैरिकों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र कुमार सिंह–

[महोदय जनपद सीतापुर में जिला जेल की स्थिति अति दयनीय है जेल भ्रमण के दौरान ज्ञात हुआ है कि 350 व्यक्तियों की क्षमता वाली जेल में 1850 कैदी इस वक्त जेल में हैं तथा महिला कैदियों की क्षमता 20 की है जबकि 80 महिला कैदी जेल में हैं इन लोगों को खाने–पीने की व्यवस्था तो दूर लेटने की भी समुचित जगह नहीं उपलब्ध हो पाती है ऊपर से बैरिकों की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि संभवतः अब तक बरसात भी झेलने की क्षमता उनमें नहीं है जिससे कैदियों को जानवरों की तरह रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है जोकि अमानवीय है । उक्त कारागार लगभग 50 एकड़ भूमि पर बना हुआ है जगह की कोई कमी नहीं है । अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से मांग करता हूं तथा साथ ही साथ कैदियों की संख्यानुसार जेल की क्षमता बढ़ाने हेतु नई बैरिकों का निर्माण कराने की शासन से मांग करता हूं ।]

जनपद हरदोई की ग्राम सभा बिलखिनी स्थित गाटा सं० 1446 ग पर तालाब की स्थित बहाल करते हुए ग्राम सभा के खाते में ही दर्ज कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय सर्गा –

[मैं सदन का ध्यान जनपद हरदोई के तहसील सण्डीला की ग्राम सभा बिलखिनी स्थित गाटा संख्या–1446-ग की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा । तालाब बिलखिनी, नन्दा खेड़ा, दमगड़ा, पल्लेपार, लखेचनखेड़ा, टाड़ेहार, गौरी आदि गांवों का अकेला तालाब है जिसमें आस पास के गांवों के जानवर पानी पीते थे तथा उपरोक्त गांवों के लोग मिट्टी तथा पानी से सिंचाई भी करते थे । लेकिन तहसील के

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कर्मचारियों की मिलीभगत से राजाराम पुत्र स्व० श्री मेघनाथ निवासी पड़री मंजरा बेहदर के नाम वर्ग–3 असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज कर दिया गया है। जबकि वर्ग–3 खेती योग्य भूमि बंजर भूमि ही होती है। तहसील के लोगों ने श्रेणी ही बदल कर तालाब की जगह खेती योग्य भूमि बना डाला है जिसके कारण उपरोक्त गांवों के लोगों के जानवरों को पानी पीने तथा सिंचाई करने व मिट्टी आदि निकालने की परेशानी पैदा हो गयी है जिसके कारण वर्तमान सूखे की स्थिति में आस-पास के गांवों में हाहाकार मचा हुआ है। अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर फर्जी तरीके से तालाब की श्रेणी बदलकर वर्ग 3 असंक्रमणीय भूमिधर बनाने वाले दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध राजस्व परिषद् के किसी अधिकारी द्वारा जांच कराकर वर्ग–3 में दर्ज राजाराम जो दूसरे गांव सभा के निवासी के नाम निरस्त कर तालाब की स्थिति बहाल रखते हुए ग्राम सभा के खाते में दर्ज करने की मांग करता हूं।]

बाल विकास पुष्टाहार विभाग में लागू लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली के अनुसार प्रोन्नतियां दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

[महोदय मैं इस सदन के माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। बाल विकास पुष्टाहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। निदेशालय बाल विकास पुष्टाहार सेवा विभाग में लागू लिपिकवर्गीय सेवा नियमावली के अनुसार कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ; वरिष्ठ लिपिक से सहायक में प्रोन्नतियां होनी चाहिए। प्रोन्नति वेतनमान देने पर भी पद में परिवर्तन नियमानुसार नहीं होता है किन्तु निदेशालय बाल विकास पुष्टाहार सेवा विभाग द्वारा कनिष्ठ लिपिकों को सीधे सहायकों के पदों पर नितान्त अनियमित रूप से पदोन्नति दे दी गयी है। जबकि वरिष्ठ लिपिक को वरिष्ठ सहायक बनाया जा सकता है और वरिष्ठ लिपिक पर पदोन्नतियां की नहीं गई तो किस प्रकार सीधे कनिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नतियां दी जा सकती है। इस प्रकार अनियमित कार्य करके सरकार पर लाखों रुपये का बोझ डाला गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये जिससे निकट भविष्य में ऐसी कोई प्रोन्नति न हो सके। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मामले में सरकार को वक्तव्य देने का निर्देश देने का कष्ट करें।]

बेसिक शिक्षा परिषद सिद्धार्थ नगर द्वारा नवम्बर 2001 में डुमरियागंज सम्पन्न कराये गये मण्डलीय स्तर खेलकूद की टेन्ट आदि की व्यवस्था का भुगतान अभी तक न करने की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[मान्यवर, जनपद सिद्धार्थनगर में दिनांक 08 नवम्बर, से 11 नवम्बर, 2001 तक बेसिक शिक्षा परिषद, सिद्धार्थनगर द्वारा डुमरियागंज में जिला स्तरीय एवं मण्डलीय स्तरीय खेलकूद रैली का आयोजन हुआ था जिसमें नफीस अहमद मलिक अपना टेन्ट हाऊस डुमरियागंज सिद्धार्थनगर से 50 हजार रुपये का सामान टेन्ट आदि बेसिक शिक्षा विभाग ने लिया था। कार्यालय बेसिक शिक्षा सिद्धार्थनगर ने क्रीड़ा फीस जो लाखों रुपये प्रत्येक वर्ष एकत्र होती है सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी तथा लिपिक मिल करके गबन कर लिया और उपरोक्त टेन्ट मालिक को सैकड़ों बार अपने कार्यालय में दौड़ाया और इसका भुगतान आज तक न किये जाने के सम्बन्ध में मैं माननीय सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि तत्काल

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति से करा कर सम्पूर्ण भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया जाये और उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर भुगतान तत्काल सुनिश्चित कराया जाये। इसके लिखित प्रमाण-पत्र भी जांच के समय में प्रस्तुत करुंगा। सादर अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रकरण पर कार्यवाही कराने की महती कृपा करें।]

जनपद आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत खेमीपुर ग्राम के अन्तर्गत पड़ने वाला लगभग 800 मीटर मार्ग को लेपन स्तर तक निर्मित कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश यादव–

[फूलपुर राजवाहा 198 फूलपुर विधान सभा के अन्तर्गत स्थित है। उसकी पटरी आवागमन को ध्यान में रखते हुए लेपन स्तर तक कराने की घोषणा तत्कालीन महामहिम राज्यपाल माननीय मोतीलाल बोरा जी द्वारा एक समारोह में की गयी थी, वह कार्य मेरे प्रयास से सम्पन्न भी हुआ, किन्तु बीच में खेमीपुर ग्राम के अन्तर्गत पड़ने वाला लगभग 800 मीटर बीच में छूट गया है, कोई विवाद भी नहीं है। अधिकारियों तथा ठेकेदारों की लापरवाही से यह काम पड़ा हुआ है। कई बार इस सम्बन्ध में पी०डब्लू०डी० के अधिकारियों से कहा भी गया, पत्र भी लिखे गये किन्तु आज तक यह कार्य नहीं हो सका, जबकि इस अंश को छोड़कर दोनों ओर की लेपन स्तर तक का कार्य लगभग 20 किमी० हुआ है। यद्यपि, यह कार्य भी खराब हुआ है, बीच में इतना अवशेष रहने से आने-जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विभाग की लापरवाही, अदूरदर्शिता, अक्षमता का यह ज्वलंत प्रमाण है। लोक हित में निर्माण किया जाना आवश्यक है। अतः मैं आपकी, इस प्रश्न को उठाने की अनुज्ञा चाहता हूं एवं सरकार से इस कार्य को सम्पन्न कराने के लिए आप द्वारा निर्देश दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्रान्तर्गत गांव बांसुरा में निर्माणाधीन पावर हाउस का निर्माण पूर्ण कराकर विद्युत आपूर्ति सुचारु करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

[मान्यवर, जनपद की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड रामपुर मथुरा के गांव बांसुरा में विगत 7 वर्षों से विद्युत पावर हाउस निर्माणाधीन है लेकिन आज तक उसका निर्माण पूर्ण न होने के कारण उस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति लगातार बाधित रहती है। कई बार तो महीनों तक बिजली के दर्शन नहीं हुए व तीनों विकास खण्ड महमूदाबाद, पहला, रामपुर मथुरा, नगर पालिका महमूदाबाद, टाउन एरिया पैतेपुर में विद्युत आपूर्ति अस्त-व्यस्त है जिससे आन्दोलनात्मक स्थिति है, बाजार बन्द किये जाते हैं, धरना-प्रदर्शन होते हैं और जनमानस में आक्रोश व्याप्त है। लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए यथाशीघ्र वासुंरा पावर हाउस का निर्माण व तहसील महमूदाबाद में कम से कम 16 घन्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 02-9-2002 को नियम–300 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुयीं। कुछ सूचनायें प्रथम दृष्टया नियम–300 में नहीं आती। कुछ को मैं सुन लूंगा। आज कुछ विशेष दिन है क्योंकि आज

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का बजट है । जिनको मैं अनुमति दे रहा हूं, वह कृपया बहुत संक्षेप में अपनी बात कह देंगे । सूचना पर एक-एक माननीय सदस्य कह दें । जिन पर दो या तीन के हस्ताक्षर हैं, उनमें आपस में तय कर लें और एक माननीय सदस्य बात कह दें । इसमें पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की, दूसरी श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, डा० अशोक बाजपेयी व कुंवर रेवती रमण सिंह की, तीसरी सूचना श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, डा० अशोक बाजपेयी व कुंवर रेवती रमण सिंह की, चौथी सूचना डा० अशोक बाजपेयी की, पांचवीं सूचना डा० रामबाबू हरित की और छठीं सूचना श्री शिवपाल सिंह यादव की, जिसे मैंने नियम–56 में परिवर्तित कर दिया है और इसे विशेष उल्लेख के लिये रख लिया है ।

शेष सूचनाओं को मैंने निरस्त कर दिया है ।

सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए शून्य प्रहर की सीमा दो बजे तक किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे औचित्य के प्रश्न के माध्यम से जिस विषय को उठाने की अनुमति दी है, नियम–300 की घोषणा करते समय उस पर आपने भी अपनी चिन्ता जाहिर की है कि यह सदन जब से प्रारम्भ हुआ है, तब से यह देखने में आ रहा है कि सदन के माननीय सदस्य विभिन्न नियमों के अन्तर्गत समस्यायें उठाना चाहते हैं, उसमें सुसंगत नियम और समय सीमा का पालन नहीं हो पा रहा है । कभी-कभी पूरा प्रश्नकाल बाधित हो रहा है तो कभी पूरा कार्य दिवस बाधित हो रहा है और यह 12.20 से प्रारम्भ होकर 4 से 5 बजे तक चल जाता है । मैं कहना चाहता हूं कि सदन जिस काम के लिये बना है, विधान बनाने के लिये, बजट पास करना आदि इसकी प्रमुख जिम्मेदारी है, उसकी उपेक्षा हो रही है । उसमें परिस्थिति यह आ रही है कि बजट को जल्दबाजी में पास कराना पड़ रहा है ।

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में नियमावली में बड़ी स्पष्ट व्यवस्था है कि जो नये माननीय सदस्य हैं, चाहे वह पक्ष के हों या विपक्ष से चुनकर आये हों, उनको ज्यादा से ज्यादा बोलने का अवसर मिले, प्राथमिकता मिले और उनको सदन के पुराने सदस्यों का इस संबंध में पूरा सहयोग मिले । मान्यवर, इस संबंध में पीठ के भी निर्णय हैं । इनसाइक्लोपीडिया में भी स्पष्ट दे रखा है, 19 मार्च, 1985 को इसी पीठ से निर्णय हुआ है कि माननीय सदस्यों को यह कहना जरूरी है, मैं समझता हूं कि उनको तरजीह दी जानी चाहिये । इसी तरह 20 मार्च, 1985 को, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब कोई माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हों, तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिये । इसी प्रकार 3 जुलाई, 1987 को, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, जब कोई नये सदस्य बोल रहे हों तो उनका उत्साह बढ़ाने के लिये शान्तिपूर्वक सुनना चाहिये । इसी तरह से 25 मार्च, 1988 को पीठ से निर्णय हुआ है कि जब नये माननीय सदस्य बोलें तो शान्तिपूर्वक सुनना चाहिये....

(इसी समय 12 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री श्याम सूरत उपाध्याय पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, जो हमने बात आपके सामने रखी है कि नियम के अन्तर्गत प्रासंगिक सूचना न आने के कारण नियम–300 को अन्य में परिवर्तित कर दिए जाने के कारण भी एक बार टिप्पणी माननीय उपाध्यक्ष के द्वारा पीठ से हुई है कि सदन परम्पराओं और नियमों से चलती है, सदन तो इस तरह से नहीं चलेगा । मान्यवर, ऐन इन्साइक्लोपीडिया आफ पार्लियामेण्ट में कहा गया है कि अ मेम्बर फर्स्ट स्पीच

इन द हाऊस, बाई कर्टसी इट इज नाट सबजेक्ट टू इन्टरपरसन, एण्ड अ मेम्बर विसिंग टू मेक हिज मेडेन स्पीच इज इवेन प्रीसीडेन्स ओवर अदर मेम्बर्स हू राइज ऐट द सेम टाईम... । मान्यवर, पार्लियामेण्ट्री डिक्सेनरी में भी कहा गया है कि "द फर्स्ट स्पीच व्हिच अ मेम्बर मेक्स इन द हाउस आफ कामन्स । इट इज द कस्टम फार अ मेम्बर टू बी गिवेन प्रीसीडेन्स आन दिस अकेजन, दैट इज, ही विल बी काल्ड ऐज सून एज ही स्टैण्डस्, बट दिस प्रीविलेज इज नांट इक्सटेण्डेण्ट टूं हिम आफ्टर द पार्लियामेण्ट टू व्हिच ही इज फर्स्ट इलेक्टेड । मान्यवर, मैं इसके साथ-साथ यह निवेदन करना चाहता हूं नियम–56, नियम–51, नियम–300, नियम–311 आदि में जो विशेषाधिकार की व्यवस्था है तो मैं कृपापूर्ण व्यवस्था चाहता हूं कि विशेष तौर से बजट सत्र के दिन, जिस दिन हमारे विधेयक लगे हों, जितना आवश्यक समय हो, वह समय, इस सदन का चाहे जो व्यक्ति हों, उनको मिले और फिर सदन उस पर निर्णय ले । मान्यवर मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि सरकार पर इतना बड़ा कर्जा है कि उस कर्जे को चुकाने के लिए सरकार को और कर्जा लेना पड़ता है, इन सबके बावजूद भी जब हमारा नम्बर आता है तो हम समय सीमा का कोई ध्यान नहीं रखते हैं, जिससे परोक्ष रूप से जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है । इस सदन पर 44 हजार प्रति मिनट खर्च हो रहा है और 96 लाख रुपये प्रति दिन खर्च हो रहा है । जब सुसंगत नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सदन चलेगा और नियम और परम्पराएं भी जीवित रहेंगी और जनता के पैसे का सदुपयोग हो सकेगा । मान्यवर, औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मैं आपकी कृपापूर्ण व्यवस्था चाहता हूं और अगर ऐसा करना सम्भव नहीं हो तो सारे प्रश्नों को नियम समिति को संदर्भित कर दें, जिससे वह इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही सुनिश्चित कर सके ।

* श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं नहीं समझता कि कोई भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं है जो इनसे अधिक पढ़ा-लिखा न हो, सभी नियमों के अनिवार्यता और ग्राह्यता के अनुसार अपनी बात सदन के समक्ष रखते हैं । इन्होंने सदन के समय को बरबाद किया है और सत्ता पक्ष द्वारा ऐसा करके विपक्ष के अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया जा रहा है । विरोध पक्ष की सूचनाओं को आप सुने जरूर ।

*नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, माननीय सदस्य हमारे साथी हैं और उस पीठ पर बैठते भी हैं, यह ज्यादा खेद की बात है । वहां पर बैठने के बाद भी वह अधिक-अधिक बात कहें । आप सत्ता पक्ष के हैं एक घंटे में सारे बजट पास करा दीजिएगा और संसदीय कार्य-मंत्री बैठे हैं अभी प्रस्ताव ले आये । अभी आपने प्रति मिनट खर्चा भी बताया और कई बार अखबारों में भी छपा है कि पैसा बरबाद हो रहा है तो सारे बजट एक साथ पास करा दें तो पैसा ही पैसा बच जाएगा । मेरी समझ में तो इस तरह की चीजें लाने का कोई औचित्य नहीं है ।

*कृषि, पंचायती राज मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने 44 हजार रुपये प्रति मिनट का खर्च बताया है तो 10 मिनट उन्होंने खर्च किया है मेरा कहना है कि इसकी उनसे वसूली कर ली जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मान्यवर, जब बाजपेयी जी सदन की पीठ पर बैठते हैं तो सबसे ज्यादा हंगामा उनके समय में ही होता है, इसलिए उनका प्रस्ताव बिल्कुल अनुचित है और खारिज किया जाय ।

* श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इससे पहले कि आप कोई निर्णय दें मेरा भी विचार आ जाना चाहिए । मान्यवर, जब मैं वकालत करता था तो उस समय की अनुभव बता दूं । कुछ गवाह कभी-कभी आते थे और कुछ गवाह ऐसे होते थे जिनको हमेशा पुलिस लाकर पेश कर देती थी ऐसे गवाहों को इरादतन सरकारी गवाह कहा जाता था वह गीता की कसम खाकर जो पुलिस का वर्जन होता था वही कह देते थे । मैं चाहूंगा कि आप कोई निर्णय लें और सदस्यों के अधिकारों में कटौती हो, जो विधान सभा में सदस्यों के अधिकारों की कटौती की वकालत स्वयं करे उस सदस्य की कोई जमीर नहीं हो सकती, उसकी नीयत पर शक होता है और क्षमा करेंगे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है जब हममें से खड़ा होकर कोई ऐसी बात कहता है । कुछ पैसा आजम खां साहब से पाल साहब से और मुझसे लेने की बात हुकुम सिंह जी ने कही, हुकुम सिंह जी भी इस पर बोले हैं, उनसे भी पैसा वसूल लिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य-मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे ?

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चले और जो कार्यक्रम है सब पर विचार चले, सुझाव आये । समय का सही प्रयोग करें । बाजपेयी जी ने जिस चीज का उल्लेख किया, किसी के अधिकारों के हनन का सवाल नहीं है । आपको, नेता प्रतिपक्ष या सदन के किसी सदस्य को अधिकार है कि वह समय के अन्दर अपनी बात रख दे, समय बढ़ भी सकता है । सुझाव के रूप में है कि नियम–56, 300 की सूचनायें हैं, महत्वपूर्ण बजट रहते हैं उस पर तमाम माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं इसलिए वह अधिकारों की बढ़ोत्तरी की बात कह रहे हैं । नियम–300 और 56 में ज्यादा समय खिंच जाता है इसलिए समय निर्धारित करने की बात कही हैं । एक समय के अन्दर 300 और 56 की बात आ जाये और जो कार्यक्रम निर्धारित है उसमें आगे विचार हो । मान्यवर, सभी दल के लोग बैठ लें । सदन के समय का सदुपयोग ज्यादा से ज्यादा हो जाये इसके लिए सभी दलों की बैठक बुलवा लें ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, अगर ऐसी मानसिकता से पीठ पर बैठते हैं तो इनको अधिष्ठाता मण्डल में रहना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपको जानकारी है कि सदन शनिवार को बैठ रहा है, रक्षाबन्धन की छुट्टी भी खत्म कर दी गयी थी । एक–एक दिन में 4–4 बजट पास हो रहे हैं, गन्ना जैसे विभाग के लिए कम से कम समय मिला । आज उच्च शिक्षा, बेसिक शिक्षा और दूसरे विभागों के बजट भी हैं जो सदन काफी लम्बे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समय तक चलना चाहिए था, काफी कम समय तक चल रहा है । जितना लोकतंत्र का गला घोंटा जा सकता हैं, यह सरकार उतना गला घोंटे जा रही है । कम से कम सदन चलाया जा रहा है इसलिए कि कम से कम जवाबदेही हो । 90 दिन सदन चलना चाहिए था, आधा भी नहीं चलता । पहले संसदीय कार्य-मंत्री जी यह सुनिश्चित करें कि जितने दिन सदन चलना चाहिए उतने दिन सदन चले तो यह समस्याएं न आएं । कम समय में जब बहुत समस्याएं रखी जाती हैं तो आवाज बढ़ जाती है । उसमें सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी ही आवाज व चेहरा बदलकर कहलवाया जाएगा और अधिकार छीना जाएगा विपक्ष का तो इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं होगी । प्रमोद जी ने जो बातें कही हैं उससे भी ज्यादा निन्दनीय यह है कि विपक्ष के अधिकार छीनने वाले उस पीठ पर बैठते हैं तो यह ज्यादा निन्दनीय है ।

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, पंचायती राज, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन तथा वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन) —

विपक्ष के अधिकार छीनने की बात कहना पीठ पर आक्षेप है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह सब रोज का मामला हो गया है । मैं माननीय सदस्य का नाम नहीं लेना चाहता हूं सिर्फ अखबारों में विपक्ष पर जिम्मेदारी डालने और उन पर कीचड़ उछालना और यह कहना कि 45 हजार रुपए खर्च हो रहे हैं ऐसी बातें कहना इसका मतलब क्या है ? इसलिए मैं इसकी निन्दा कर रहा हूं । इसीलिए मैंने कहा कि जब सदन कम समय तक बैठता है तो समस्याएं ज्यादा होती हैं और एक साथ अपनी बात रखने से आवाज तेज हो जाती है । सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी व्यक्ति से वह विपक्ष पर कीचड़ फिकवाने का काम न करे ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

श्री बाजपेई जी ने जो बातें उठाई औचित्य के माध्यम से उन्होंने पीठ पर आक्षेप लगाया है । आज जब सदन की कार्यवाही चल रही है तो इनके औचित्य के प्रश्न के हिसाब से सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल रही है । जबकि हमने पिछले 20–25 सालों से सदन की कार्यवाही देखी है । टण्डन जी आपने भी देखी है । इस बजट सत्र में जितना प्रश्न प्रहर चल रहा है, जितना जीरो आवर चल रहा है, जितने बजट प्रस्तुत हो रहे हैं व इस 14वीं विधान सभा ने एक रिकार्ड बनाया है कि एक बजे तक सदन चला है, यह आजादी के बाद से पहली बार हुआ है । लेकिन उसके बावजूद उस पीठ पर कोई आरोप लगाए तो इस पर संसदीय कार्य मंत्री को ध्यान देना चाहिए । जिस तरह से प्रतिपक्ष का सहयोग मिल रहा है वह बड़ा महत्वपूर्ण है । यह महत्वपूर्ण सवाल है कि जो ज्वलंत सवाल होते हैं उनको हम कार्य स्थगन के माध्यम से उठाते हैं । हम किसी प्रश्न से संतुष्ट नहीं होते हैं तो सदन से वाक आउट करते हैं । फिर बजट प्रस्तुत हो जाता है । आज जिस तरह से बजट में सत्तापक्ष से किसी भी मायने में कम सहयोग विपक्ष का नहीं मिल रहा है । जो पहली बार माननीय सदस्य चुनकर आए है उनको बोलने का मौका मिल रहा है । हम और हमारे साथी सदस्य नेता प्रतिपक्ष 11.00 बजे तक बैठते हैं । हम बोलने के लिए नहीं बैठते बल्कि नए सदस्यों को चुनते हैं उसके बाद इस तरह की बातें करना औचित्य के प्रश्न के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माध्यम से यह कहना कि सदन सुचारु रूप से नहीं चल रहा है इसलिए नियम 56 न लाया जाए नियम 51 न लाया जाए, 300 का प्रश्न न लाया जाए तो इनके हिसाब से सदन की नियमावली ही बदल दी जाए।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मेरी बात सुन लें। मैं कुछ कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

जब बाजपेयी जी बैठतें हैं, तब ही विवाद होता है।

(श्री किरन पाल सिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

किरन पाल जी, सुन लें। बहुत चर्चा हो गई है। माननीय सदस्यों के अधिकारों की कटौती का कोई प्रश्न नहीं है। माननीय बाजपेई जी ने यह प्रश्न रखा कि सदन सुचारु रूप से चले। ज्यादा से ज्यादा विषयों पर सभी माननीय सदस्य भाग लें। इस पर पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य सभी सलाह मशविरा करें कि सदन सुचारु रूप से चले। इस पर बहुत अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

दिनांक 29 अगस्त, 02 की अव्यवस्था के दौरान हुई सदन की कार्यवाही के असंवैधानिक होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, मैं इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से सदन में एक तरीके से कहिये विचार विमर्श भी करना चाहता हूं। चर्चा भी कराना चाहता हूं और सदस्यों की राय भी जानना चाहता हूं कि अव्यवस्थित सदन में जो भी कार्यवाही हो, वह लीगल है कि नहीं ? श्रीमन्, मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 174 की ओर दिलाना चाहता हूं , जो कि इस नियमावली का नियम–14 बना। नियम–14 में सभा के अधिवेशन बुलाने और 14(क) में उपवेशन बुलाने आदि की व्यवस्था दी हुई है और श्रीमन्, नियमावली इसी मारे बनाई गई कि यह सदन नियमों के अन्तर्गत व्यवस्थित रूप से चले। श्रीमन्, नियमावली का 299 देख लें। उसमें अगर सदन व्यवस्थित नहीं है तो कार्यवाही करने का अधिकार पीठ को दिया गया है लेकिन इस नियमावली में कोई ऐसा नियम नहीं दिया गया है जिसके तहत यह स्वीकार कर लिया जाय कि अव्यवस्थित सदन में जो भी कार्यवही होगी वह वैधानिक होगी। श्रीमन्, 29 तारीख को जब माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे। अधिष्ठाता जी कुर्सी पर बैठे थे।

श्री अधिष्ठाता–

आप किस सम्बन्ध में बोल रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, औचित्य में कोई सीमा नहीं है । श्रीमन्, 29 तारीख को जब माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सदन में बोलना चाहा था, तब अधिष्ठाता पीठ से यह कहा गया कि सदन अव्यवस्थित नहीं है । नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अव्यवस्थित सदन में जो कार्यवाही हो रही है क्या वह उचित है ? मान्यवर, आप उस दिन की कार्यवाही निकलवा कर देख लें । उस दिन की कार्यवाही में लिखा हुआ है । मान्यवर, आप नियम–299 भी देख लें इसमें दिया है कि सदन व्यवस्थित नहीं है तो पीठ माननीय सदस्यों को निर्देशित करेगी, अगर वे नहीं मानेंगे तो सदस्यों को इंगित करेगी और फिर संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लायेंगे निलम्बन का । पहली बार 3 दिन का फिर 7 दिन का और फिर पूरे उपवेशन के लिये प्रस्ताव होगा । मान्यवर, जब उस दिन ऊर्जा विज्ञान और प्रोद्योगिकी का बजट प्रस्तुत किया जा रहा था कुंवर रेवती रमण सिंह जी कटौती रखने के लिये खड़े हुए लेकिन कटौती नहीं सुनी गई और बजट को पास कर दिया गया । मान्यवर, नियम–299 के तहत कार्यवाही करने के बाद बजट पास कराया जाता तो शायद लीगल बात होती आप उस दिन की पूरी कार्यवाही निकलवा लें अगर पीठ से किसी सदस्य को इंगित किया गया हो किसी माननीय सदस्य को इंगित किया गया होता तो यह लगता कि अधिष्ठाता महोदय का मन सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित करके कार्यवाही चलाने का था, सदन को व्यवस्थित नहीं किया गया और बाजपेयी जी कहते हैं कि सदन का 43 हजार रुपया प्रति मिनट खर्चा होता है, लेकिन उस चेयर पर बैठकर जो उस पीठ के उपयोग के लिए अधिकार दिए गए हैं । उसका उपयोग किया जाता जो विपक्ष पर आरोप लगाया जाए यह सही नहीं है । सत्तापक्ष जानबूझकर अर्नगल बयान देता है । सदन व्यवस्थित हो और उस व्यवस्थित सदन में सदन का कार्य पूरा करा लिया जाए इस डिस्कशन में नहीं जाना चाहिए, सही चीज खुलकर आ जाएगी । तय यह होना चाहिए कि अव्यवस्थित सदन में कार्यवाही करा ली जाती है वह उचित है या नहीं । मान्यवर, नियमावली के नियम–13 में पूरा अधिकार है उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता मंडल का डेलीगेशन कोई कार्यवाही करता है तो अध्यक्ष उस कार्यवाही को वापस भी ले सकते हैं, कार्यवाही को निरस्त भी कर सकते हैं मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि अव्यवस्थित सदन में जो कार्यवाही हुई है उसको इललीगल करने की कृपा करें । यह मेरा औचित्य का प्रश्न है इसको स्वीकार करने का कष्ट करें । ताकि सदन में डिस्कशन हो सके, सदन में विचार हो सके और माननीय सदस्यों के सम्यक् विचार आ सकें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जो औचित्य का प्रश्न माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने उठाया है एक व्यवस्था पीठ से हुई, 29 तारीख को ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विभाग का बजट इस सदन में प्रस्तुत किया जाना, माननीय अधिष्ठाता महोदय उस समय पीठ पर बैठे हुए थे माननीय सदस्यों ने अपनी बात कहनी चाही उसी बीच नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए खड़े हुए, तो अधिष्ठाता महोदय ने कहा कि सदन व्यवस्थित नहीं है इसलिए आपकी बात को सुना नहीं जाएगा आज जब नेता प्रतिपक्ष ने जानना चाहा कि अव्यवस्थित सदन में जो कार्यवाही की गई है वह व्यवस्थित मानी जाएगी ? नियम संगत मानी जाएगी.....

कृषि एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है बहुत विद्यमान सदस्य हैं एक मौलिक बिन्दु उठाया है कई बार संदर्भ आया, अधिष्ठाता पीठ है, अध्यक्ष पीठ है इस पर टिप्पणी किया गया, कुछ विचार रखे, मैं कहना चाहता हूं जब अध्यक्ष पीठ या अधिष्ठाता पीठ द्वारा निर्णय हुआ तो क्या उस निर्णय के बारे में यह सदन निर्णय

करेगा कि सदन व्यवस्थित था या नहीं ? अगर ऐसा होगा तो सदन की परम्पराओं का क्या होगा । जो कार्यवाही हो गई अधिष्ठाता पीठ से कोई निर्णय हो गया तो क्या सदन तय करेगा कार्यवाही लीगल थी या इललीगल, यह पीठ पर बैठने का सवाल नहीं है लेकिन अगर आज इस बात पर चर्चा हो जाएगी कि दो दिन पहले जो कार्यवाही हुई जिसको अध्यक्ष पीठ ने नियमित माना उसको क्या सदन तय करेगा वह नियमित थी या नहीं ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । हुकुम सिंह जी वरिष्ठ सदस्य हैं और कई बार संसदीय कार्य मंत्री जी भी रह चुके हैं पीठ का निर्णय बाध्यकारी होता है तो उस पर पुनर्विचार हो उसका यही एक रास्ता है । पीठ से पुनर्विचार का अनुरोध करना पूरी तरह से न्यायसंगत है । पुनर्विचार की परम्परा पहले भी रही है । हम पुनर्विचार का अनुरोध कर सकते आप उस अनुरोध को स्वीकार करें या नहीं करें यह अलग बात है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

पीठ द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं वह शिरोधार्य है । पीठ द्वारा दिए गए निर्देशों पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा रहा है । संसदीय कार्य मंत्री जी संसदीय नियमों के ज्ञाता हैं ? विपक्ष की औचित्यपूर्ण बात को नहीं सुना जाएगा, मैंने और नरेश अग्रवाल जी ने जो बिन्दु उठाए कि परसों विधान सभा का सत्र चल रहा था । ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विभाग का बजट प्रस्तुत होना था । मान्यवर, पूरा सदन अव्यवस्थित था नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए खड़े हुए तो यह कहा गया कि सदन अव्यवस्थित है, जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अव्यवस्थित सदन में जो कार्यवाही हो रही है वह नियम–संगत है या नहीं तो अधिष्ठाता महोदय ने कहा कि मैं इसे नियम संगत नहीं कह सकता हूं । उसके बाद बजट प्रस्तुत किया गया, कटौती के लिए कुंवर रेवती रमण सिंह जी खड़े हुए । वह कटौती प्रस्तुत करना चाहते थे लेकिन नहीं रखने दी गयी । मान्यवर, उस दिन बिजली जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर, जिसमें पूरा उत्तर प्रदेश यह देखना चाहता था कि इसमें क्या चर्चा हुई, लेकिन उन सारी चीजों को अनदेखी करते हुए जिस तरह से अव्यवस्थित ढंग से सदन में ऊर्जा विभाग जैसे बजट को पास किया गया तो यह चिन्ता का विषय है । मान्यवर, बजट सरकार का पवित्र दस्तावेज होता है । इसमें हम आय–व्यय की बात करते हैं । क्या हमारी प्राथमिकता है इसको यह तय करता है । कौन से कार्य प्राथमिकता में होंगे यह इसमें लिखा होता है और इसमें तमाम सदस्य अपने क्षेत्र की विकास की बात को रखना चाहते थे और अव्यवस्थित ढंग से बजट हो–हल्ला में पास हो जाये तो सारी चीजें धरी रह जायेंगी । मान्यवर, पीठ को असीमित अधिकार हैं नियम–14 में आप देखें सारे अधिकार अध्यक्ष जी को दिये गये हैं । यदि सदन में बल प्रयोग की आवश्यकता है तो वह अधिकार भी आपको मिला है । मान्यवर, बिजली जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर सदन अव्यवस्थित हो और बिना चर्चा किये वह बजट पास हो जाय, केवल औपचारिकता मात्र हो, उसमें सदस्यों की कोई राय न आये और वह पास हो जाय तो यह उचित नहीं है । मान्यवर, आप 29 तारीख को जो सदन की कार्यवाही हुई है, उसके संबंध में पुनर्विचार कर लें । चूंकि सदन अव्यवस्थित था इसलिए उसे नियम संगत न माना जाय, इसलिए इसको निरस्त करे हुए, आप एक दिन और बैठ लें । माननीय मंत्री जी दोबारा बजट प्रस्तुत कर देंगे । और हम सब लोग इसमें चर्चा कर लेंगे और सुविचारित ढंग से हम सब लोगों की बात आ जायेगी । आप इस पर पुनर्विचार कर लें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी---

मान्यवर, आपकी अनुमति से दो बातें रखना चाहता हूं। मान्यवर, डा० अशोक बाजपेयी जी ने जो बातें कही है और जो औचित्य का प्रश्न था उसी का यह दुष्परिणाम है। दूसरा 1989 में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने 65 विभागों का बजट मात्र 11 मिनट में पास किया था क्योंकि सरकार के अल्पमत में आने की संभावना हो गयी थी .....

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, यह किस नियमों में बोल रहे हैं। ऐसे [x x x] को बोलने की अनुमति न दी जाय।

(व्यवधान)

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, किसी सदस्य को [xxx] कहना यह एक असंसदीय वाक्य है। इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय। यह सदस्य की अवमानना है।

श्री अधिष्ठाता-

जो असंसदीय होगा वह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, तमाम वरिष्ठ सदस्य जिसका हम अनुश्रवण करते हैं, मान्यवर, अभी जो कुछ आधे घण्टे के अंदर कहा गया उसके बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों को अधिकार है कि वह अपनी बात को बोलें लेकिन जैसा कि अभी कहा गया कि पीठ पर जो भी बैठता है वह हमारे अधिकारों का हनन करने के लिए बैठता है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पीठ पर जो भी बैठता है हम उनका आदर करते हैं और कहना चाहिए। अभी श्री अग्रवाल जी ने जो कुछ कहा उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए लेकिन कभी-कभी गुस्से में ऐसा भी हो जाता है कि सदन का अपमान होता है। अतः सदन की गरिमा न गिरायें। मान्यवर, अभी तक तो इन्होंने [xxx] कहा है न जाने आगे क्या कहेंगे। यह बात सही नहीं है। सदन के संचालन का अधिकार पीठ का है। पीठ नियमों के अनुसार चलती है। नियम-211 में भी यही है। पीठ से दिए गये निर्णय पर न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। नियम-212 में भी यही कहा गया है। सदन की कार्यवाही पीठ द्वारा संचालित होती है। इसलिए सदन में जो कार्यवाही हो चुकी है उसको नियम-300 में चयनित करने का कोई सवाल ही नहीं है। पीठ का निर्णय एक बार हो चुका है। इसलिए इसको फिर से चयनित करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए यह नियम 300 में ग्राह्य नहीं है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप नियम 14 को देख लें। इसमें अध्यक्ष को पूरा अधिकार है कि उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता जी को जो भी पावर दिये जाते हैं उन्हें श्री अध्यक्ष निरस्त कर सकते हैं। इसलिए मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार कर लें।

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, 29–8–02 को अव्यवस्थित सदन में जो भी कार्रवाही हुयी उसके संबंध में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है । इस पर पुनर्विचार होना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

ऊर्जा बजट आने के बाद जब कटौती के प्रस्ताव पर माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी का नाम पुकारा गया तो उन्होंने प्रस्ताव नहीं किया । इसके बाद बजट पास हो गया । अतः उस दिन की कार्यवाही पर पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है । यह प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह –

मान्यवर, आप कार्यवाही निकलवा कर देख सकते हैं । मेरा नाम पुकारे जाने पर मैं खड़ा हुआ । यह कहना गलत है कि मैं खड़ा नहीं हुआ ।

श्री अधिष्ठाता–

बात खड़े होने की नहीं बल्कि प्रस्ताव की है । आपने कटौती प्रस्ताव पेश नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका दूसरा प्रश्न था ।

वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय–व्ययक में दस हजार अम्बेदकर ग्रामों को संतृप्तीकरण किये जाने हेतु मुख्य मंत्री द्वारा सदन में की गई घोषणा का विभागों के बजट में प्राविधान न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण औचित्य का प्रश्न है । इस सदन की कुछ मान्यताएं हैं कुछ परम्पराएं हैं और इन्हीं के अनुसार यह सदन चलता है । 28 तारीख को एक प्रश्न यहां नियम 300 और नियम 56 के अन्तर्गत उठा था । वर्ल्ड बैंक के कन्ट्री डायरेक्टर ने जो पत्र लिखा था माननीय मुख्य मंत्री और चीफ सेक्रेटरी को उसी का हवाला देकर हम लोगों ने कहा था कि जो बजट यहां प्रस्तुत किया गया है इसमें जो आंकलन किया गया है वह सर्वथा गलत माध्यम से किया गया है और पुनः इस सदन में पुनरीक्षित बजट रखना चाहिए । न तो बजट में इस बात का प्राविधान किया गया है, मान लिया गया है कि हमको वाह्य सहायता मिलेगी । माननीय मुख्य मंत्री जी ने 29 तारीख को इस सदन में यह कहा कि डायरेक्टर ने हमारी तारीफ की है और कहा है कि हम धन की व्यवस्था करेंगे । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी को गुमराह किया गया है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन को गुमराह करने का काम किया है जो बहुत ही गम्भीर विषय है । मैं उस पत्र की चार लाइन पढ़ना चाहूंगा उससे सारी बात साबित हो जायेगी । यह पत्र एडविन लिम कन्ट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक इण्डिया का है–वी केन कन्सीडर सपोर्टिंग एनी न्यू रुरल पावर्टी प्रोग्राम इन द स्टेट इनक्लूडिंग द सोसियो इक्नामिक इम्पावरमेंट आफ डा० अम्बेडकर विलेजेस प्रोग्राम आई होप दैट यू विल रिव्यू द सिचवेशन एण्ड टेक एप्रोप्राइट स्टेप्स टू रेक्टीफाई द सिचुवेशन वी विल कन्टीन्यू टू क्लोसली मानीटर इम्प्लीमेंशन प्रोग्रेस फार आल द प्रोजेक्ट्स

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इफ सिगनीफिसेन्ट इम्प्रूवमेंट इज नाट मेड वी में हैव टू रीकन्सीडर वेदर द बैंक कैन कान्टीन्यू टू सर्पोट वीज प्रोजेक्ट्स, मान्यवर, यह साफ–साफ कहा है कि अगर सुधार नहीं किया गया तो रि–कन्सीडर करेंगे। जो धन देने की बात है जो परियोजनाएं पहले से चल रही हैं हम उसमें धन दें कि नहीं इस पर वह रि–कन्सीडर करेंगे। इससे पूरा बात साफ हो जाती है। दूसरी तरफ मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमारी तारीफ की है और हमको कहीं से चेतावनी नहीं दी है। मान्यवर, यह हो सकता है कि मुख्य मंत्री जी को इस पत्र का सही अनुवाद करके नहीं बताया गया हो और उसे न बताने के कारण पूरे सदन को गुमराह करने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। इस तरह की गलत बयानी सदन में नहीं होनी चाहिए। जो दस हजार गांवों को संतृप्त करने की बात है वह होने वाला नहीं है उसके लिए गलत बयानी करना यह सदन में उचित नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई औचित्य का प्रश्न नही बनता है इसलिए इसे अस्वीकार किया जाता है। इस पर पहले भी बहस हो चुकी है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, आप नियम–300 निकाल लीजिए और उसको पढ़ लीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

आपका नीति संबंधी घोषणा करने के बारे में था।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, आय–व्ययक में एक चीज माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया था। उसके लिए इस पीठ ने निर्देश दिया कि मुख्य मंत्री जी इसका जवाब दें 28 तारीख को यह हुआ और 29 तारीख को जवाब दिया गया। उन्होंने अपने उत्तर में यह बात कही कि विश्व बैंक से हमारी बहुत वार्ता हुई थी और विश्व बैंक उससे सहमत है और यदि विश्व बैंक न भी देगा तो हम अपने बजट के प्राविधानों से 10 हजार अम्बेडकर गांवों का संतृप्तीकरण करायेंगे इस पर सूचना विभाग ने एक प्रेस नोट भी जारी किया। उस प्रेस नोट में सूचना विभाग से कहा कि विश्व बैंक से हमने बता भी दिया कि हमने जिन अधिकारियों का ट्रान्सफर किया है उससे विश्व बैंक खुश था। इस लेटर को पूरा देख लें इसका दूसरा पैरा मैं पढ़ देता हूं :—

"सब्सेक्वेन्टली टू अवर डिसक्शन इन मे, द गवर्नमेंट हैज मेड स्विफ्ट एण्ड एप्रोप्रीयेट चेनजस इन द मैनेजमेंट आफ द सोडिक II प्रोजेक्ट विच्च इन्टीटियेटेड द प्रोसेस आफ सक्सनेन्सियल इम्प्रूमेंट इज प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन। हाउइवर, वी हैव नाऊ लर्न दैट द प्रोजेक्ट मैनेजर हैज बीन रिप्लेस्ड विथ इन थ्री वीक आफ एग्यूमिंग आफिस द प्रोजेक्ट कारडीनेटर डाइवरसीफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट, हैव बीन चेन्जड ट्वाइस इन क्विक सक्सेशन, एण्ड एट द मूमेंट देयर इज नो फुल टाइम प्रोजेक्ट कोओर्डिनेटर, इन द केस आफ द फारेस्टरी प्रोजेक्ट आलसो देयर हैव बीन न्यूमेरियस चेनजस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन द पास्ट सिक्स मन्थस।"

मान्यवर, मई में जो मुख्य मंत्री जी और अधिकारियों ने बताया कि हमने इन अधिकारियों को हटाया उसके 3 हफ्ते बाद फिर अधिकारियों को हटा दिया जिस पर वर्ल्ड बैंक ने आपत्ति की। दूसरा मेरा यह कहना था कि 10 हजार अम्बेडकर गांवों के बारे में मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वर्तमान बजट से

यह कार्य कर देंगे । माननीय ऊर्जा मंत्री ने ढाई हजार गांवों का लक्ष्य लिया । आज माननीय शिक्षा मंत्री जी अपना बजट पेश कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना निरस्त हो चुकी है फिर भी आप लोगों की बहस जारी है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब आ जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

जवाब आ चुका है यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है इसलिए निरस्त किया जाता है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, इसका जवाब दिलवा दीजिये, वह जवाब देना चाहते हैं आप दिलवाना नहीं चाहते हैं, आप संसदीय कार्य मंत्री जी से कह दें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इस सूचना पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना निरस्त की जा चुकी है ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, मैं जो निवेदन कर रहा हूं वह यह है कि माननीय सदस्य बाजपेयी जी, नरेश चन्द्र अग्रवाल जी एवं कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने जो सवाल उठाया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । क्योंकि इस सदन में नेता सदन ने उस दिन यह कहा था कि विपक्ष ने जो शंकायें व्यक्त की हैं वह निराधार हैं कोई पत्र का हवाला देते हुए कि 377 मिलियन डालर वर्ल्ड बैंक से दिया जा रहा था और यह करीब-करीब 10 विभागों पर खर्च हो रहा है । अम्बेडकर गांव के लिए जो स्थिति है अगर इस तरह की स्थिति बनी रहती है तो हम फिर से रि-कंसीडर करेंगे । अगर सचमुच में उनके मन में यह बात थी कि सरकार उनके जो वायदे हैं, शर्तें हैं उनको पूरा नहीं कर रही है इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से जैसा माननीय सदस्यों ने उठाया यह बात सही है नेता सदन ने जो बात कही है उससे सदन गुमराह हुआ है चाहे जिस तरह की बात आयी हो उनके पत्र से जो डायरेक्टर का पत्र है उस पत्र को पढ़ने की बात है यह बात स्पष्ट हो जाती है सदन को गुमराह करने की कोशिश की गयी है इसलिए यह औचित्य का प्रश्न बनता है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सूचना पहले भी इस सदन में नियम 56 और नियम 300 के माध्यम से हम लोगों ने दी थी । उस पर निर्देश देकर माननीया मुख्य मंत्री जी को इस सदन में बुलाया गया था । मुख्य मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया था कि 10 हजार अम्बेडकर गांवों का संतृप्तीकरण किया जाना है । 10 हजार अम्बेडकर गांवों के [illegible] के लिए विश्व बैंक के इण्डिया सेक्टर के डायरेक्टर के पत्र का हमने हवाला दिया था कि उन्होंने [illegible] पोषण के लिए मना कर दिया था । उस

समय मुख्य मंत्री ने कहा था कि इस कार्य को विभिन्न मदों से करेंगे और यह भी कहा था कि विश्व बैंक के इण्डिया सेक्टर के डायेक्टर से बहुत सद्भावनापूर्ण हमारी बात हुई है । अब वह पत्र सार्वजनिक हो गया है, उसमें स्थिति स्पष्ट हो गयी है कि विश्व बैंक ने 10 हजार अम्बेडकर गांवों को सहायता देने के लिए मना कर दिया है । तमाम विभागों के बजट पारित हो गये हैं, विद्युतीकरण का, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, सड़कों का और इस सदन में मुख्य मंत्री के द्वारा दिया गया जो अभिभाषण है, मैं समझूं कि सदन को गुमराह किया गया और मान्यवर, इस तरह की तथ्यहीन घोषणायें अगर होंगी तो तथ्यों का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

अधिष्ठाता महोदय, इस प्रश्न को मैंने उस दिन उठाया था और इसे नियम 56 में स्वीकार किया गया था और आपने अनुज्ञा दी थी जिस पर निर्णय सुरक्षित रखा गया था । औचित्य का प्रश्न वही होता है जिससे सदन के कार्य की विनियमित हो, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनेगा तो औचित्य का कोई प्रश्न नहीं रह जायेगा और इस नियमावली में औचित्य की फिर कोई सार्थकता नहीं रह जायेगी । इस सदन में नेता सदन ने हम लोगों के पत्र के जवाब में कहा था कि जो योजनायें चल रही हैं उनमें कुछ अधिकारी ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य में हटाये गये लेकिन कहीं भी उन्होंने अधिकारियों के कार्य कलापों पर टिप्पणी नहीं की । मि० लिम ने कहा कि परियोजनाएं चल रही हैं उसमें 377 यू०एस० डालर लगा हुआ है, 28 करोड़ की एक योजना चल रही है । इस तरह से विकास हो, लोक निर्माण हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हेल्थ की स्कीम हो, जो बुनियादी सवालों से जुड़े प्रश्न हैं वह योजनाएं विश्व बैंक के माध्यम से चल रही हैं और विश्व बैंक के इंडिया सेक्टर के डायरेक्टर ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हम भविष्य में सहायता नहीं करेंगे । अनुदान का कथन विपरीत आया इसको स्वीकार करने में क्या होता, नेता सदन कह सकती हैं कि जो इंडिया सेक्टर के डायरेक्टर हैं उसके अनुरूप कार्य करेंगे । जो परियोजनाएं चल रही हैं उनके साथ जल्दी–जल्दी छेड़खानी नहीं करेंगे । पी०डब्लू०डी० के लिए जो 28 सौ करोड़ रुपये देने की बात चल रही है वह भी रुक जायेगी । संसदीय कार्य मंत्री ने सबके संबंध में सदन को नहीं संतुष्ट करेंगे तो मान्यवर, इससे कठिन बात और नहीं हो सकती ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, इसी सदन में यह आशंकाएं व्यक्त की गयी थीं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने विश्व बैंक से 10 हजार अम्बेदकर गांवों को संतृप्तीकरण करने के लिए जो अपेक्षाएं की थीं उसको विश्व बैंक ने नकार दिया । इसके लिए मुख्य मंत्री जी इस सदन में आई । यह बजट भाषण की भाषा है । इस तरह से कोई कमिटेड नहीं था, आप पैसा देंगे, तब हम स्वीकृत करेंगे । आज इस विषय को फिर नियम 300 में लाया गया है । उस दिन मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था कि इस तरह की कोई घोषणा नहीं की, जिससे कोई अवमानना वाली बात हो । मान्यवर, बाजपेयी जी भी जानते हैं कि औचित्य प्रश्न के माध्यम से कोई वाद–विवाद या विशेषाधिकार का मामला नहीं होता है । मैंने एक सुझाव के तौर पर कहा है कि विश्व बैंक कार्यों की मानीटरिंग करती है और योजनाओं के संचालन के लिए पैसा देती है तो वह चाहता भी है कि योजनाओं का संचालन अच्छा हो, इसीलिये उसने चिन्ता जाहिर की और कहा कि जो अधिकारी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उनको हटना चाहिए । मान्यवर, यह कोई कमिटेड नहीं था । वह महत्वाकांक्षी योजनाओं के संबंध में स्पष्ट किये हैं कि अगर दें तो हम मदद कर देंगे । यह विवाद 2 दिन से चल रहा है, जबकि यह स्पष्ट है कि नियम 300 में वाद–विवाद का कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मा० संसदीय कार्य मंत्री ने बड़ी होशियारी से दूसरी तरफ घुमा दिया । हम लोग वाद विवाद के लिये नही कह रहे हैं । बल्कि यह मौलिक प्रश्न उठाया गया है विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने जो कहा और मुख्य मंत्री ने जो बयान दिया, उसमें फर्क है । कंट्री डायरेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि रीकंसीडर योजनाएं ठीक से नहीं चल रही हैं, उसके लिये हम पुनर्विचार करेंगे । मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है, उसके अनुसार 10 हजार अम्बेदकर गांवों को धन कहां से देंगे, यह स्पष्ट नहीं किया गया है । इस प्रकार माननीया मुख्य मंत्री द्वारा सदन को गुमराह करने का काम किया गया है , उस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता, इसलिये मैं आगे ले रहा हूं ।

स्थानीय निकायों, सरकारी संस्थाओं और पंचायत राज समितियों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के परीक्षण हेतु सदन की समिति गठित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

डा० अशोक बाजपेयी–

अधिष्ठाता महोदय, मान्यवर, मैंने एक विषय पर आपकी व्यवस्था जानने के लिये आज सदन के समक्ष उसे उपस्थित किया है । मान्यवर, प्रदेश की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिये एवं अन्य मदों के लिये हम लोग आय-व्ययक को स्वीकृत करते हैं । कार्य-पालिका द्वारा उसको व्यय किया जाता है । कार्यपालिका जब उसको व्यय करती है तो इस सार्वजनिक पैसे का दुरुपयोग न होने पाये, इसके लिये यह व्यवस्था की गई है कि इसकी सम्परीक्षा होती है और इसके लिये एक स्वतंत्र रूप से सी०ए०जी० का कार्यालय बना हुआ हैं । इस प्रकार विभिन्न कार्यपालिका के द्वारा व्यय की वार्षिक सम्परीक्षा होती है, वह सम्परीक्षा रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाती है और उसके बाद उसे लोक लेखा समिति को सौंप दिया जाता है, यह समिति उसके कार्यकलापों का अध्ययन करती है, उसकी समीक्षा करती है और कमी या कोई दोष पाया जाता है तो उस पर कार्यवाही करती है और समिति के प्रतिवेदन का पुनः सदन के पटल पर रखा जाता है, सदन उसके ऊपर चर्चा करता है और कार्यवाही करने का काम करता है । इस प्रकार हम सार्वजनिक धन के अपव्यय को रोकने का काम करते हैं । मान्यवर, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय निकायों को सीधे पैसा जाने लगा है । जिला पंचायतें, नगर पंचायतें, सहकारी संस्थायें आदि हैं, जो अरबों रुपये का प्रतिवर्ष व्यय करती हैं, उस पैसे का सही उपयोग हुआ है कि नहीं, इसको देखने की कोई व्यवस्था नहीं है । मान्यवर, सदन में यह अपेक्षा की गई थी, 1989 में, सदन में इसी तरह का मामला प्रस्तुत किया गया था और तब सदन ने निर्देश दिया था कि लोक लेखा समिति उसका अध्ययन करेगी लोक लेखा समिति ने इसका अध्ययन करके उसकी रिपोर्ट भी सदन के समक्ष प्रस्तुत की थी । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इसी तरह नियमों में संशोधन करके दूसरी समिति गठित करें जो सहकारी संस्थाओं या अन्य इसी तरह की जो संस्थाएं होती हैं उनकी सम्परीक्षा नहीं होती है उसकी सम्परीक्षा करके उसको सदन के पटल पर प्रस्तुत करें । मान्यवर, 1984 में एक अध्ययन कराया गया जिसके द्वारा तमाम सुझाव दिए गए लेकिन आज तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ । मान्यवर, इससे पहले भी हमने इस प्रश्न को सदन में उठाया था लेकिन आज तक उस पर व्यवस्था का अनुपालन नहीं हुआ । वित्त आयोग से सभी के लिए पैसा जाता है, और उस सार्वजनिक पैसे का सही खर्च हो रहा है, उसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं इसको जानने के लिए आज कोई अध्ययन नहीं हो रहा है

इसलिए मैं चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत गम्भीर विषय है, इसलिये इस पर अध्ययन करके, विचार करके आप अपनी व्यवस्था देने का काम करें।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, माननीय बाजपेई जी ने जो इच्छा व्यक्त की है, लेकिन आज तक की जो व्यवस्था है, चाहे स्थानीय निकाय हो, संस्थान हों, या पंचायती राज समितियां हों कहीं से भी प्रत्यावेदन करने की कोई समिति द्वारा मांग नहीं की जा रही है। मान्यवर, दूसरे नियमों में भी इस बात को लाया जा सकता है लेकिन नियम–300 में इसे नहीं कहा जा सकता है। इस तरह की कोई समिति सदन में नहीं बनी है जिसको सदन के पटल पर उनके निकायों के प्रत्यावेदन को रखा गया इसलिए यह कोई औचित्य नहीं बनता है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बाजपेयी जी इस विषय को अन्य तरीके से लायें नियम–300 में यह विषय नही आता है इसलिए यह औचित्य का विषय नहीं है।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इस पर अभी कोई व्यवस्था नहीं देना चाहते हैं तो न दें लेकिन इस पर विचार तो कर लें, अगर हमारे विषय वस्तु से आप सहमत हैं, संसदीय कार्य-मंत्री सहमत हों तो प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए सहमत हों सकते हैं, इस पर विचार करके निर्णय लें और लोक लेखा समिति के समकक्ष एक समिति बना दें।

श्री अधिष्ठाता–

बाजपेयी जी यह नियम–300 में नहीं आता है।

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है, सुन लीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना निरस्त हो चुकी है।

चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने के दोषी करार होने वाले काबीना मंत्री को बर्खास्त किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उससे भली-भांति सभी लोग परिचित हैं और बार-बार मुख्य मंत्री जी ने भी उत्तर प्रदेश की आर्थिक तंगी का बहाना लिया है।

लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग जो मंत्री है किस प्रकार से इस प्रदेश के गरीबों, किसानों, मजदूरों का पैसा लुटाने का काम कर रहे हैं। मैं आपका

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ध्यान केवल इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि अभी हाल में उत्तर प्रदेश के एक मंत्री द्वारा सरकारी धन से एक हेलीकाप्टर लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर ले जाया गया। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, चुनाव आयोग ने इस पर निर्देश जारी किया है कि उस मंत्री से व्यक्तिगत रूप से खर्च वसूल किया जाये। मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो प्रदेश के किसानों, गरीबों और प्रदेश के विकास का पैसा फिजूल में खर्च किया जा रहा है इसको तुरन्त रोकने का काम किया जाये जिससे इस प्रदेश का पैसा जो पार्टियों के चुनाव प्रचार में खर्च किया जा रहा है उस पर रोक लगायी जा सके। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस औचित्य के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर इस गम्भीर मामले पर चर्चा करायें।

श्री राम लाल अकेला–

मान्यवर, मेरी भी सूचना है।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना अस्वीकार हो गयी।

उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–150(2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2002 को पारित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन सहित दिनांक 29 अगस्त, 2002 को इस सचिवालय में प्राप्त हुआ है, को विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन सहित, सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री उदयराज यादव–

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है, इस पर मंत्री जी का उत्तर तो आ जाने दीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

जवाब की कोई जरूरत नहीं है।

उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, विधेयक, 2002, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2002 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 29 अगस्त, 2002 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अधिष्ठाता–

(मद संख्या–4 में कुछ नहीं है।)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) चतुर्दश विधान सभा का प्रथम प्रतिवेदन †

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) चतुर्दश विधान सभा का प्रथम प्रतिवेदन, जो ''भारत के नियंत्रक'' महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा 1992-93 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि०, वर्ष 1986-87 तथा 1994-95 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि० तथा वर्ष 1996-97 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) चतुर्दश विधान सभा का द्वितीय प्रतिवेदन †

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) चतुर्दश विधान सभा का द्वितीय प्रतिवेदन, जो ''भारत के नियंत्रक'' महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1981-82, 1985-86, 1987-88, 1989-90, 1992-93, 1994-95 तथा 1996-97 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) चतुर्दश विधान सभा का तृतीय प्रतिवेदन †

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) चतुर्दश विधान सभा का प्रथम प्रतिवेदन, जो ''भारत के नियंत्रक'' महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1993-94 तथा 1995-96 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट आफ यू० पी० लिमिटेड (पिकप) से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) चतुर्दश विधान सभा का चतुर्थ प्रतिवेदन †

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) चतुर्दश विधान सभा का चतुर्थ प्रतिवेदन जो,'' भारत के नियंत्रक'' महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1993-94 तथा 1996-97 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) चतुर्दश विधान सभा का पंचम प्रतिवेदन †

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

(सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति), मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से 2002-2003 चतुर्दश विधान सभा का पंचम प्रतिवेदन जो, " भारत के नियंत्रक" महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1993-94, 1994-95 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) चतुर्दश विधान सभा का षष्ठम प्रतिवेदन †

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

(सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति), मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से 2002-2003 चतुर्दश विधान सभा का षष्टम् प्रतिवेदन जो, " भारत के नियंत्रक" महालेखापरीक्षक, की रिपोर्ट वर्ष 1993-94, 1995-96 तथा 1997-98 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य निर्यात निगम लिमिटेड, वर्ष 1996-97में उल्लित उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एवं स्टाफ स्पेशलटीज लिमिटेड तथा वर्ष 1998-99 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश वन निगम तथा उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड बख्शी का तालाब स्थित ग्राम गोइला से मुरलीपुर सड़क डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री संजय कुमार विश्वकर्मा निवासीगण जनपद–लखनऊ आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद–लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड बख्शी का तालाब स्थित ग्राम गोइला से मुरलीपुर सड़क डामरीकृत कराये जाने विषयक श्री संजय कुमार विश्वकर्मा तथा श्री वंश गोपाल वर्मा निवासीगण जगनपद–लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत कटैना हर्षा से दरिगापुर भारौल तक के क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था हेतु नहर निकाले जाने विषयक श्री वेदपाल सिंह निवासीगण, जनपद फिरोजाबाद आदि की हस्ताक्षरित याचिका ††

श्री जयवीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद–फिरोजाबाद के अन्तर्गत कटैना हर्षा से दरिगापुर भारौल तक के क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था हेतु नहर निकाले जाने विषयक श्री वेदपाल सिंह तथा श्री प्रवीण कुमार सिंह निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(माननीय सदस्य के अनुपस्थित होने पर)

---

† छापे नहीं गये।

†† छापी नहीं गयीं।

जनपद एटा की ग्राम पंचायत कादरगंज खाम के ग्राम नगलादुर्ग में जूनियर हाईस्कूल की स्थापना कराये जाने विषयक श्री नत्थू सिंह कश्यप निवासीगण जनपद एटा आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद एटा की ग्राम पंचायत कादरगंज खाम के ग्राम नगला दुर्ग में जूनियर हाईस्कूल की स्थापना कराये जाने विषयक श्री नत्थू सिंह कश्यप तथा श्री दरियाव सिंह निवासीगण एटा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद एटा के अन्तर्गत तहसील कस्बा पटियाली में 33/11 के०वी०ए० का विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री विनोद दुबे निवासीगण जनपद–एटा आदि की हस्ताक्षरित याचिका ††

राजेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद एटा के अन्तर्गत तहसील कस्बा पटियाली में 33/11 के०वी०ए० का विद्युत सब–स्टेशन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री विनोद दुबे तथा श्री बलबीर सिंह चौहान निवासीगण जनपद एटा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद उन्नाव के विकस खण्ड हिलौली में विद्युत सब–स्टेशन स्थापित कराये जाने विषयक श्री राम चन्दर यादव निवासीगण जनपद उन्नाव आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री उदयराज यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली में विद्युत सब–स्टेशन स्थापित कराये जाने विषयक श्री राम चन्दर यादव तथा श्री राम प्रसाद निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने विषयक श्री अयोध्या प्रसाद भारतीय निवासीगण जनपद–उन्नाव आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री उदयराज यादव–

मान्यवर, में आपकी अनुमति से जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने विषयक श्री अयोध्या प्रसाद भारतीय तथा श्री मो० जमीर खां निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गाजियाबाद में तहसील हापुड़ के मोहल्ला शिवगढ़ी आदि में नलकूप स्थापित कराये जाने विषयक श्री मो० गुलजार चौधरी निवासीगण जनपद गाजियाबाद आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत तहसील हापुड़ के मोहल्ला शिवगढ़ी आदि में नलकूप स्थापित कराये जाने विषयक श्री मो० गुलजार चौधरी तथा श्री जगवीर सिंह निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत तहसील हापुड़ के जसरूप नगर आदि मोहल्लों के पानी के परीक्षण तथा प्रदूषित पानी की निकासी हेतु नाला बनाये जाने विषयक श्रीमती शारदा देवी निवासीगण जनपद गाजियाबाद आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत तहसील हापुड के जसरूप नगर आदि मोहल्लों के पानी के परीक्षण तथा प्रदूषित पानी की निकासी हेतु नाला बनाये जाने विषयक श्रीमती शारदा देवी तथा श्री अमीचन्द्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

†† छापी नहीं गयीं।

† छापी नहीं गयीं।

जनपद बांदा के जसपुरा, तिन्दवारी तथा बड़ोखर खुर्द में बन्द पड़े राजकीय नलकूपों के पुनः निर्माण कराये जाने विषयक श्री द्वारिका सिंह यादव निवासीगण जनपद–बांदा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा व तिन्दवारी तथा बढ़ोखर खुर्द में बन्द पड़े सभी राजकीय नलकूपों के पुनः निर्माण कराये जाने विषयक श्री द्वारिका सिंह यादव तथा श्री हनुमान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बांदा हमीरपुर की सीमा पर स्थितस गद्राम भौरा नरायढ़ तथा सवादा इछावर के बीच लघुडाल नहर बनाये जाने विषयक श्री मुन्नी लाल निषादनिवासीगण जनपद–बांदा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बांदा हमीरपुर की सीमा पर स्थित ग्राम भौरा नरायढ़ के बीच सवादा इछावर के बीच 40 क्यूसिक क्षमता की लघु डाल नहर बनाये जाने विषयक श्री मुन्नी लाल निषाद तथा श्री अकील खां प्रधान निवासीगण जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा में कटरा बाजार के करनैलगंज हुजूरपुर मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मुरली धर द्विवेदी निवासीगण जनपद–गोण्डा आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

श्री बैजनाथ दुबे–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार के करनैलगंज हुजूरपुर मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मुरलीधर द्विवेदी तथा श्री दिलीप सिंह निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा के कटरा बाजार में चौरी कटरा मार्ग के पुनः निर्माण कराये जाने विषयक श्री नौशाद खां निवासीगण जनपद–गोण्डा आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

श्री बैजनाथ दुबे–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में कटरा चौकी मार्ग के पुनः निर्माण कराये जाने विषयक श्री नौशद खां तथा श्री कौशल किशोर दुबे व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थिति करता हूं।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वह उपस्थित नहीं थे)

जनपद लखनऊ के मकदूमपुर ग्राम में गाटा संख्या–72 के भू–खण्ड धारकों को विकास शुल्क के भुगतान करने पर प्राधिकरण की योजना में समायोजित किये जाने विषयक श्री डी०के० सिन्हा निवासीगण जनपद–लखनऊ आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

श्री विद्या सागर गुप्ता–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के मकदूमपुर ग्राम में गाटा सं०–72 के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की गयी भूमि के भूखण्ड धारकों को विकास शुल्क के भुगतान करने पर प्राधिकरण की योजना में समायोजित किये जाने विषयक श्री डी० के० सिन्हा तथा श्रीमती आशा सिन्हा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

मेरठ महानगर में ट्रांसपोर्ट नगर से चन्द्रलोक तक नाला निर्माण कराये जाने विषयक श्री कमल ठाकुर निवासीगण जनपद–मेरठ आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से मेरठ महानगर के ट्रांसपोर्ट नगर से चन्द्रलोक तक नाला निर्माण कराये जाने विषयक श्री कमल ठाकुर तथा श्री राकेश कुमार निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

नोट :– † छापी नहीं गयी।

जनपद जालौन के चिनौट गांव में बेतवा नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुभाष परमार निवासीगण जनपद–जालौन आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद जालौन के चिनौट गांव में बेतवा नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुभाष परमार तथा श्री ओम प्रकाश शर्मा निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–23. इसमें कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 29 अगस्त, 2002 की बैठक में सदन के वर्तमान सत्र के कार्यक्रम के विषय में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं।

1–उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002 तथा उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, विधेयक, 2002 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधन सहित पारित हुआ, पर विचार एवं उसके पारण की मदें दिनांक 2 सितम्बर, 2002 को वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान के पूर्व रख ली जायं।

2–विधान सभा के वर्तमान सत्र का शेष कार्यक्रम पूर्ववत् रखा जाय।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अधिष्ठाता ने दी है, सहमत है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–25, इसमें कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश एमिटी सूचना प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2002†

इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी राज्य मंत्री (स्व० प्रभार) (सुश्री शीमा रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश एमिटी सूचना प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एमिटी सूचना प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(इस समय 1 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

नोटः–† छापी नहीं गयी।

नोट :–दिनांक 9 सितम्बर, 2002 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

सुश्री शीमा रिजवी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश एमिटी सूचना प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को पुरः स्थापित करती हूं।

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 2 सितम्बर, 2002 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनाएं प्राप्त हुईं। शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा शेष पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री राम विशुन आजाद की है।

* श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद आज आपने हम पर कृपा की। इसलिये मैं आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने सहकारिता आन्दोलन को मजबूत करने के लिये बहुत सी योजनाएं चलाई परन्तु जबसे यह सरकार आई है तब से उत्तर प्रदेश से सहकारिता आन्दोलन को यह सरकार समाप्त कर देना चाहती है। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में अकाल पड़ा हुआ है। सूखा है। वहीं पर मान्यवर, हमारे जनपद में जिला सहकारी बैंक गोण्डा जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी। मान्यवर, धारा–11 के अन्तर्गत जिला सहकारी बैंक गोण्डा में किसानों का लेन–देन बन्द कर दिया गया। इस बैंक में मान्यवर, लगभग तीन लाख खातेदार हैं जिनका लेन–देन इस बैंक से होता है इस में लगभग सात हाजार ऐसे खातेदार हैं जो किसान हैं जिनका लेनदेन इस बैंक के माध्यम से होता रहता है अभी जो गन्ने का भुगतान हुआ है, जो गन्ने का पैसा कोआपरेटिव बैंक में आया है उसको अचानक जब किसान, अपने पैसे को निकालने के लिए गए तो पता चला कि वहां पर नोटिस लगा दिया गया है कि कोई भी भुगतान कोई भी लेन–देन इस बैंक से नहीं किया जायगा। इस बात का पता जब गोण्डा और बलरामपुर के खातेदारों को, किसानों को, व्यापारियों को लगा तो जबरदस्त तरीके से जन–आक्रोश जनपद गोण्डा और बलरामपुर में हुआ। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में तीन दर्जन जनपद ऐसे हैं जहां धारा–11 लागू है लेकिन जनपद गोण्डा के साथ इस तरह से सौतेला व्यवहार किया गया है इस धारा को वहां बन्द कर दिया गया है। एक तरफ तो सरकार सहकारिता आन्दोलन मजबूत करने के लिए कह रही है। वित्त मंत्री जी ने एक कानून पारित किया है कि इसको मजबूत किया जाए वहीं दूसरी तरफ सहकारिता आन्दोलन को सरकार समाप्त करना चाहती है। अभी सहकारिता समारोह हुआ था उसमें प्रदेश के सहकारिता मंत्रियों को बुलाया गया था वहां कृषि मंत्री जी ने कहा था कि सहकारिता आन्दोलन को मजबूत करने के लिए सबकी भागीदारी हो, जब तक मान्यवर, किसान मजबूत नहीं होगा तब तक सहकारिता आन्दोलन कैसे मजबूत होगा। उन्होंने सहकारिता आन्दोलन को मजबूत करने के लिए आठ हजार करोड़ रुपए देने की घोषणा की, लेकिन मान्यवर, अभी सहकारिता आन्दोलन के साथ जिस तरह से किसानों के साथ धोखा किया गया है कोई सरकार ऐसी नही आई जिसने इस तरह से किया हो, नाबार्ड ने 54 करोड़ रुपये देने की बात कही है यह विचाराधीन है। यही नही उत्तर प्रदेश में सहकारी बैंक का पांच करोड़ रुपया ओवर ड्राफ्ट है। मैं चाहूंगा कि जिला सहकारी बैंक में गोण्डा के सहकारी बैंक जो बन्द हैं जहां बेरोजगारों के खाते हैं, किसानों के खाते हैं, स्कूलों के खाते हैं, तमाम लोगों के खाते हैं लेकिन उसको बन्द कर दिया गया है जिस कारण लेन–देन नहीं हो पा रहा है किसानों के पास कोई साधन नहीं है खरीदने का, कहां से खेतों में खाद डालें, उनके पास पैसा नहीं है वह जाते हैं और वापस चले आते हैं इस तरह से जनपद गोंडा और बलरामपुर में इस मामले को लेकर जनता में बेहद आक्रोश है मैं चाहूंगा कि यह सवाल अविलम्बनीय लोक महत्व का है, जो सहकारी बैंकों में लेन देन गोण्डा में बन्द हो गया है उसको सरकार पुनः चालू करे माननीय मंत्री जी, सरकार यह घोषणा करे कि जो सहकारी बैंकों का लेन–देन बन्द कर दिया गया है, उसको खोला जाय और किसानों का तत्काल भुगतान कराया जाए ताकि बच्चों की फीस जा सके और बाकी सारे काम हो सकें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, इस संबंध में निबन्धक सहकारी समितियों से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है । जैसे ही वह रिपोर्ट आयेगी हम माननीय सदस्य को बुलाकर दिखवा देंगे ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, लाइसेंस रद्द कर दिया है ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, आज जनपद गोण्डा और बलरामपुर पूरा तबाह है । वहां के लोग आन्दोलित हैं, किसान परेशान हैं ।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, सहकारी आन्दोलन की बड़ी खूबसूरती है कि इसमें राजनीतिक दलों का कोई विरोध नहीं होता । सहकारी आन्दोलन को चलाने के लिये, इसको आगे बढ़ाने के लिये सबका सहयोग अपेक्षित होता । बात यह आयी लाइसेंस खारिज हो गया । अंदाजा यह होता है कि डिफाल्टर होने की वजह से लाइसेंस खारिज करते हैं । जब कोई बैंक डिफाल्टर हुआ है तो उसकी सजा किसानों को क्यों मिले, क्यों वह परेशान हो । मान्यवर, इसमें जिलाधिकारी या किसी दूसरे अधिकारी को भेजकर यह व्यवस्था की जाय कि किसानों का पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जाय । मान्यवर, अभी सूखा पड़ा, गन्ना किसानों का बकाया है, वह मिलना चाहिये काम के बदले अनाज की योजना शुरू की गयी वह भी पूरी नहीं हो पायी । कहीं है तो कहीं नहीं । ऐसे में किसानों का पैसा मिलना चाहिये यह हमारी मांग है । जब कोई सिस्टम की कोलेप्स कर जाय तो सरकार की तरफ से आश्वासन मिलना चाहिये, दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर किया जाय, जिलाधिकारी इसमें देखें ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष का बड़ा आदर करता हूं । मान्यवर, जहां तक कोआपरेटिव बैंक के डिफाल्टर की बात की गयी, मैं रजिस्ट्रार कोआपरेटिव से एक विस्तृत रिपोर्ट मंगा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

इसको आप जल्दी करा दीजिये । जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसको कर दीजिये ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, हम शीघ्र से शीघ्र निर्णय ले रहे हैं । रिपोर्ट मैंने मंगवा ली है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, लाइसेंस रद्द कर चुके हैं । आप इसमें कल सदन को सूचित कर दें तो अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष–

इसको आप जल्दी करवा दें । यह दलगत भावना से ऊपर उठकर समस्या है । इसमें प्रयास करें कि शीघ्र ही इसका समाधान हो जाय ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मैंने इस सूचना पर माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के आश्वासन के बाद मैं इसी सूचना को अग्राह्य मानता हूं । अब मैं दूसरी सूचना ले रहा हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–56 में कार्य स्थगन के रूप में मैंने जो सूचना दी है वह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है और तात्कालिक है । यह सूचना ग्राह्यता की सभी शर्तों को पूरा करती है । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में मेजा थानान्तर्गत निबइया गांव में एक हत्या 23 तारीख को हुयी । जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसका नाम जय शंकर शुक्ल था । मान्यवर, वह पूरा गांव पण्डित बाहुल्य है । मैं उस गांव में गया था । जिस प्रकार से उसकी हत्या की गयी जैसे कि सिनेमा में दिखाया जाता है । उसको 3 घंटे दौड़ाया गया, फिर गड़ासे से, तलवार से पहले हाथ काट दिया गया फिर पैर काट दिये गये फिर गर्दन काट दी गयी । इतनी लोमहर्षक घटना मैंने आज तक नहीं देखी । मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में आज तक कोई जातीय संघर्ष नहीं हुआ है । बहुजन समाज पार्टी ने बाल कुमार पटेल जो ददुआ का सगा भाई है को चुनाव लड़ाया था । यही बाल कुमार पटेल आज भय और आतंक का वातावरण बना रहा है । यह बाल कुमार पटेल उस गांव में 23 तारीख को जाता है और कहता है कि तुम लोग क्यों डर रहे हो और कत्लेआम करो और फिर 28 तारीख को 30-40 असलहेधारी गांव में जाते हैं जिसमें श्री के० के० गौतम सदस्य अनुसूचित जाति आयोग भी जाते हैं और वहां पर एक लड़के को मारने का काम करते हैं । गांव वालों से कहा जाता है कि गोली से भून दिया जाएगा । इस तरह एक आतंक का वातावरण पैदा करने का काम करते हैं, दो तरफ से एफ० आई० आर० होती है और ददुआ का भाई बाल कुमार पटेल उसकी भी एफ० आई० आर० दर्ज होती है । राम संजीवन सिंह जो फतेहपुर, बांदा का रहने वाला है । दबाव डालने पर 4 तारीख को एफ० आई० आर० की गयी और 4 तारीख को बन्द कर दी गयी । इस तरह से चम्बल जैसा आतंक बनाया जा रहा है । ददुआ के भाई की एफ० आई० आर० तो दर्ज है जो फर्जी है लेकिन गांव वालों की एफ० आई० आर० निरस्त कर दी गयी । आज पूरे इलाके में भय और आतंक का वातावरण है और लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं । इसलिये मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस समय इससे महत्वपूर्ण कोई दूसरा प्रश्न नहीं है । इसलिये इस पर तत्काल चर्चा कराने की कृपा करें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जिस तरीके से आज इस प्रदेश में कानून के राज की बजाय जंगल का राज कायम हो रहा है और जिस तरह से इस लोमहर्षक घटना का जिक्र कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने किया इससे पूरा सदन चिंतित है । इस सदन की नेता ने सदन में कहा था कि हम माफिया को समाप्त करेंगे । ददुआ से बड़ा कोई माफिया उत्तर प्रदेश में नहीं है । उसके सगे भाई को टिकट देकर उम्मीदवार बनाया गया । जब जनता से उसे खारिज कर दिया तो बाल कुमार पटेल 40-50 असलहाधारियों को लेकर पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण पैदा कर रहा है ।

मान्यवर, जिस तरह से निबेइया गांव में एक स्वर्ण जाति के व्यक्ति की हत्या की गई और हत्या के बाद जिस तरह से लोगों के बीच में आतंक को प्रदर्शित करने का काम किया गया जबकि हत्या के बाद अफसोस जाहिर करना चाहिये था वहां पर जाकर गालियां देने का काम किया गया और जिन्होंने हत्या की थी उनको शाबाशी देने का काम किया गया । मान्यवर, के० के० गौतम, अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य हैं वह एक संवैधानिक संस्था है और इस नाते उन्हें लाल बत्ती की गाड़ी मिली हुई है । उन्होंने

तमाम लोगों के साथ जाकर शुभम नाम के लड़के को बुलाकर उसे पीटने का काम किया । मान्यवर, कथनी-करनी में बड़ा आन्तर है । भयमुक्त समाज का नारा देना एक बात है । मान्यवर, अपने दामन को बचाना दूसरी बात है । आज जितने बड़े अपराधी हैं सब बी० एस० पी० से जुड़े हुए हैं । ददुआ पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है और उसके भाई को आपने टिकट देने का काम किया है । मान्यवर, जिस सरकार से हम अपेक्षा करते थे कि कानून का राज कायम रहेगा इस सरकार के बनने के बाद जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी गयी है । स्वर्ण जाति के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है ।

मान्यवर, मेरा आरोप है इस सरकार के ऊपर कि जिस तरह से स्वर्ण जाति के लोगों की इसमें एफ० आई० आर० एक्सपंज करने का काम किया गया और दूसरी ओर फर्जी एफ० आई० आर० पर कार्यवाही की जा रही है और स्वर्ण जाति के लोगों को जेलों में डाला जा रहा है और हत्या के अपराधी घूम रहे हैं ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, 25 जुलाई, 2002 को थाना मेजा के ग्राम चिपवन में एक लाश मिली, बाद में उसमें मुजरिम बनाये गये सुख्खी लाल पासी व अन्य । उनकी गिरफ्तारी के लिये पुलिस उस गांव में जाती है जहां संजय शंकर लाल जी की हत्या हुई थी । कुछ पुलिस अपनी कार्यवाही करती है । वहां पुलिस के साथ वहां के लोग कुछ हाथापायी कर दिये । हाथापायी के बाद पुलिस ने वहां पर कुछ मुकदमें कायम किये । 28 जुलाई को बसपा कार्यकर्ता वीरेन्द्र सिंह 15-20 कार्यकर्ताओं के साथ जहां हत्या हुई वहां गये यह जानने के लिये कौन से लोग मुजरिम बनाये गये हैं ? मान्यवर, यह सबका अधिकार है कि वह जा सकता है । उसमें वहां कुछ स्वर्ण जाति के लोगों ने उन पर हमला किया जिसमें नसीम अन्सारी, राम लखन, वसीम अहमद और दिनेश कुमार, तमाम लोगों को चोटें आई बाद में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया जो मारपीट की गयी थी । मुकदमें में जो वांछित थे, मान्यवर, बाद में कुछ मुकदमें एक्सपंज किये गये, मान्यवर, शेष में पुलिस जांच की कार्यवाही चल रही है ।

मान्यवर, जहां तक ददुआ के भाई का सवाल है किसी परिवार के सदस्य को डकैत या चोर है या अश्लील हरकत करता हो तो पूरे परिवार को इस प्रकार से जोड़ा जाय ये कोई मापदण्ड नहीं होगा ।

डा० अशोक बाजपेयी–

टिकट तो इसलिये दिया कि वह ददुआ का भाई था ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, इटावा से लाकर फूलन देवी को लड़ाया जा सकता है उसमें दिक्कत नहीं है । एक उदाहरण आपने बताया तो मैंने कह दिया मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं । 400 कि०मी० पर लाकर आप लड़ाते हैं उसके बाद फिर उसकी बहन को भी लड़ाते हैं, उसकी बहन को नहीं जोड़ा, कि उसकी बहन है ।

मान्यवर, इसमें केवल इतना कह देने कि एक अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं वह ददुआ का भाई है, गुण्डा है, बदमाश है, माफिया है, ठीक नहीं है । मान्यवर, इसमें सुग्गी लाल पासी और तमाम लोग मुल्जिम बनाये गये इसको जानने के लिये कौन-कौन लोगों के नाम हैं कुछ कार्यकर्ता थाने पर पूछने गये कि किस तरह से घटना घट गयी और कौन कौन व्यक्ति मुल्जिम है ? इस पर विवाद हो गया, झगड़ा हो गया । झगड़ा यह हुआ है कि आप लोगों की कैसे हिम्मत पड़ी इसे दिखवाने की । इस पर मारपीट हुई

और सवर्ण समाज की तरफ से मुकदमा दर्ज हो गया 4-8-02 को और जो प्राथमिकता के आधार पर उसका मुकदमा दर्ज हुआ इसकी विवेचना चल रही है जो निर्दोष है, गलत फंसाये गये हैं यह विवेचना में तय हो जायेगा, विवेचना महत्वपूर्ण होती है । अगर गलत होता है तो चाहे जो हो सब छूट जाते हैं । विवेचना हो रही है, सुग्गी लाल पासी मुल्जिम बनाये गये हैं । मुल्जिम की गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है । झगड़ा केवल इसलिये हो गया कि कैसे पता लगाने आये थे इस घटना के संदर्भ में । इस समय वहां शांति व्यवस्था है कोई जाति बिरादरी का संघर्ष नहीं है न अगड़े, न पिछड़े, न दलित का । वहां कोई माहौल नहीं बिगड़ने पायेगा, अगर कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे । इसमें पुलिस विवेचना कर रही है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने जो कहा है एकदम सत्य से परे बात कही है जो घटना वहां हुई है उस घटना पर अफसोस जाहिर करता हूं लेकिन इन्होंने तो उन्हीं अपराधियों को संरक्षण दिया है । मान्यवर, आप अच्छे अधिवक्ता भी हैं पूरा प्रदेश इस बात को जानता है । मान्यवर, जो व्यक्ति मारा गया है वह शंकर लाल शुक्ला है । ददुआ का भाई जो कहते हैं कि बड़ा सदचरित्र आदमी है 40-50 रायफलें लेकर चलता है, फायर करता है और खुलेआम चलता है । संसदीय कार्य-मंत्री एक भले आदमी हैं यह कहते हैं पुलिस के बयान पर कि ददुआ का भाई बड़ा साधु आदमी है । मैं पूछना चाहता हूं कि दो एफ०आई०आर० हुई और इसमें गांव वालों के सवर्णों की एफ०आई०आर० एक्सपंज कर दी गयी और ददुआ के भाई की एफ० आई० आर० जो गांव वालों पर किया वह एक्सपंज नहीं की गयी मान्यवर, वह 40-50 रायफलें लेकर गया किस गांव वाले की हिम्मत थी कि वह झगड़ा करता ।

मान्यवर, आज यमुनापार के इलाके में भय और आतंक का वातावरण बना हुआ है । मैं बहुत सी बातें नहीं कहना चाहता हूं, समय नहीं है । मेरे पास पूरी फाइल है । संसदीय कार्य-मंत्री जी, मैं पूरी फाइल इस सदन में रख सकता हूं इसकी जांच आप करवा लीजिये । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इससे महत्वपूर्ण और कोई विषय नहीं है संसदीय कार्य-मंत्री जी एफ०आई०आर० को एक्सपंज करने का आदेश पुलिस को दें । मान्यवर उसमें विवेचना हो रही है और ददुआ के भाई की रिपोर्ट लिखकर उस पर विवेचना हो रही है और गांववालों की रिपोर्ट को एक्सपंज कर दिया । यह कैसा न्याय है । मैं चाहता हूं कि इस काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करा दें । मैं सभी तथ्य को जो इस फाइल में हैं इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह किसी को अधिकार नहीं है कि वह राइफल और बन्दूक लेकर गांव वालों को धमकाये । पूरे यमुना पार का इलाका पीड़ित है, वहां आतंक व्याप्त है । मैं चाहूंगा कि इससे महत्वपूर्ण प्रश्न और नहीं हो सकता । माननीय मंत्री जी यह बता दें कि जो झूठी एफ० आई० आर० दर्ज हुई है उसे एक्सपंज किया जायेगा । वह घूमें लेकिन राइफल और बन्दूकें लेकर न घूमें ।

श्री अध्यक्ष–

एक सुझाव जो माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने दिया है कि वहां सौहार्द बनाने के लिये, उसमें भी विचार कर लें । अगर कोई प्रमाण नहीं हैं तो उसे एक्सपंज कर दें । जो पहले हुई घटना है, उसकी विवेचना जारी है, अगर एक्सपंज करने से वर्गों में सौहार्द बढ़ता है तो विचार कर लीजिये । मैं तो विचार करने के लिये ही कह सकता हूं । इसी के साथ इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

श्री सुखदेव राजभर–

पीठ का निर्देश है कि स्वीकार कर लेता हूं।

श्री छोटे लाल यादव–

मानीनय अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न श्रीमन् नियम–56 के अन्तर्गत दिया है, वह यह है कि बाराबंकी जनपद में, उत्तर प्रदेश सरकार सम्पूर्ण ग्रामीण योजना के तहत काम के बदले अनाज की योजना जो भारत सरकार द्वारा संचालित है, के संबंध में दिया है। श्रीमन् बाराबंकी जनपद में 31 मार्च, 2002 से आज तक खाद्यान्न का उठान नहीं हो पाया है जिससे यह खाद्यान्न ग्रामीण विकास कार्य पूरी तरह से बाधित है। मैं श्रीमन् मेरे सामने बैठी सरकार, जो सदन के अन्दर और सदन के बाहर विकास की गंगा बहाने की बात करती है और कहती है कि हम उत्तर प्रदेश के गरीबों व किसानों, मजदूरों के विकास के प्रति बचनबद्ध हैं आज पूरा प्रदेश सूखा और अकालग्रस्त है जहां जानवर को चारा भूषा के बिना मरने लगे हैं और यह सरकार कह रही हैं कि पूरी मुश्तैदी के साथ विकास कार्य उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, खाद्यान्न दिया जा रहा है। संसदीय कार्य-मंत्री मेरे सामने बैठे हुए है, बड़ी खूबसूरती से सवाल के जवाबों को देते हैं और कहते हैं कि पूरे प्रदेश में अमन-चैन कायम है। बाराबंकी जनपद में कलेक्टर और मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से सरकार के संज्ञान में आज 2 अगस्त से पूर्व और 30 मार्च के बाद 4-5 पत्र लिखे हैं इसके बाद भी यह सरकार इतनी लापरवाह है कि 4-5 पत्र भेजने के बाद भी बाराबंकी जनपद में एक भी दाना खाद्यान्न एफ०सी०आई० से नहीं उठ पाया है। भारत सरकार की जो गाइड लाइन्स है खाद्यान्न देने पर ही नगद मजदूरी दी जा सकती है। बाराबंकी के जिलाधिकारी प्रथम पत्र उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसमें श्री बी०पी० नीलरत्न, आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० व दूसरा श्री मो० हलीम खां, सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र० शासन, तीसरा श्री जे० एस० दीपक, आयुक्त, फैजाबाद मंडल, फैजाबाद हैं। इन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी को 14,800 मीट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसका उठान 30 जून, 2002 तक किया जाना था, परन्तु उप संभागीय विपणन अधिकारी द्वारा अब तक मात्र 2642.9 मीट्रिक टन खाद्यान्न ही उपलब्ध कराया गया है जिसका प्रमुख कारण भारतीय खाद्य निगम गोदाम बाराबंकी से पंजाब का गेहूं दिये जाने के कारण 4 प्रतिशत ट्रेड टैक्स की अतिरिक्त माँग की जा रही है। यह व्यापार कर का मामला उ०प्र० शासन और जिला प्रशासन के बीच का मामला है। 4-5 महीने हो गये, इस सरकार के कान पर जूँ नहीं रेंगी जनपद में खाद्यान्न का एक दाना नहीं है। और डी०एम० और मुख्य विकास अधिकारी बराबर शासन को लिख रहे हैं, लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं। मजदूर मजदूरी के लिये परेशान हैं।

मान्यवर, नियमों में है कि खाद्यान्न देने के बाद ही मजदूरी दी जाती है, जब तक नगद एवं खाद्यान्न दोनों चीजें उपलब्ध नहीं होंगी, तब तक खाद्यान्न योजना संचालित नहीं हो सकती। यह सरकार गरीबों के लिये बहुत काम करने की बात करती है, यह लापरवाह सरकार, गूँगी, बहरी, लंगड़ी और अंधी है। यह गरीबों के प्रति कतई सजग नहीं है। इसलिये यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार और संसदीय कार्य मंत्री पूरी तरह लापरवाही में लिप्त है। बाराबंकी जनपद की 50 लाख आबादी के लोग इस समस्या से प्रभावित है। मैं चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री, नेता सदन से मिलकर महामहिम राज्यपाल महोदय के पास जाय और अपना इस्तीफा दे दें। यह घोर लापरवाही का मामला है। जो विषय मैंने प्रस्तुत किया है, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा कराने की आवश्यकता है। इस समस्या से बाराबंकी के आसपास के 6-7 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री छोटेलाल यादव को सुनने के उपरान्त में इस समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। चौथी सूचना श्री राम किशुन की है।

श्री राम किशुन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो नियम–56 में सूचना दी है, वह लोक महत्व की है और तत्कालीन है। इस समय सूखा पड़ा है और हमारे यहाँ एक नरायनपुर पम्प कैनाल है जो अरबों रुपये की लागत से 92-93 में बनी थी। उसको चलाने के लिये 14 पम्प लगे हैं और उसके साथ 14 ट्रांसफार्मर-मोटर भी लगे हैं। मान्यवर, इस समय जिस क्षमता से पम्प कैनाल को चलाया जाना चाहिये, सरकार और विभागीय लापरवाही के चलते वह पूरी क्षमता से पानी नहीं उपलब्ध करा पा रही है। इसका कारण यह एक बड़ी नहर है, लम्बी नहर है और लाखों एकड़ जमीन जनपद चन्दौली और मिर्जापुर की इससे सिंचाई होती है सिंचाई उससे संचालित होती है, इस पम्प कैनाल से जो पानी देने की क्षमता है, वह दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, उसका कारण है कि पम्प कैनाल जो अरबों रुपये लगाकर के बना है, उसकी क्षमता है केवल प्रति पम्प 20 हजार घण्टे चलाने की थी और जो पम्प चल रहे है वह 40 हजार घण्टे इसको चला चुके है इससे उनकी सम्बन्धित मोटर प्रभावित होती है, ट्रान्सफार्मर प्रभावित होता है, इसी का परिणाम है कि 20 जुलाई को 20 एम०बी०ए० का एक जो ट्रान्सफार्मर बन्द हो गया था, जिसकी कीमत लगभग छः करोड़ रुपये की है, विभाग की लापरवाही से और सरकार की लापरवाही से बन्द पड़ा हुआ है जिसके कारण मात्र छः पम्प ही चलते हैं। 14 में सिर्फ 12 पम्प चलते हैं लेकिन सिर्फ छः पम्प चलाये जा रहे हैं। एक पम्प की क्षमता 120 क्यूसेक पानी देने की है, लेकिन आज मात्र कुल 80 क्यूसेक पानी देने की क्षमता से चल रहा है .....

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, एक आग्रह करना चाहता हूँ, और व्यवधान के लिए क्षमा चाहूँगा, मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, हम सदस्यगण यह सूचना आपके माध्यम से देते हैं कि पहले भी जब मैं सदन में आया था तो कार्य स्थगन की सूचना का जवाब देने के लिए विभागीय मंत्री और विभाग के अफसर जानकारी के लिए उपलब्ध हुआ करते थे, संसदीय कार्य मंत्री बहुत अच्छे होते हैं बहुत प्रतिभावान होते हैं, लेकिन बहुत से विभागों की जानकारी वह सही प्रकार से कर सके ऐसा सम्भव नहीं है,

(इस समय 2 बजकर 32 मिनट पर अधिष्ठाता डा० वकार अहमद शाह पीठासीन हुए।)

मान्यवर, जो कार्य स्थगन का महत्व है उसकी गरिमा है, उसको बनाये रखने के लिए व्यवस्था दे दें। सिंचाई विभाग की सूचना और अन्य विभागों की भी जो सूचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण होती है, सम्बन्धित मंत्री द्वारा दी गई सूचना प्रभावी होती है और उस पर तत्काल कार्यवाही भी हो जाती है।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, मैं आपका आशय समझ गया, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है। यद्यपि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और संसदीय कार्य मंत्री उत्तर दे ही देते है, लेकिन अच्छा होगा कि जिस विभाग की सूचना हो, उस विभाग से सम्बन्धित मंत्री उपस्थित हों, इसमें प्रयास किया जाएगा।

श्री राम किशुन–

मान्यवर, 20 जुलाई, से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है, अगर उसकी मरम्मत कराई गई होती तो पूरी क्षमता से नहर चलती और टेल तक पानी पहुँचता, लेकिन वह नहीं कराया गया, मान्यवर, टेस्टिंग के लिए आगरा के पास जाना पड़ता है, एक महीना हो रहा है लगभग लापरवाही के कारण वह बन्द पड़ा है, मोटर बन्द पड़ी है । मैं आपके संज्ञान में लाते हुए कहना चाहूँगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां यह पम्प है, हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई इससे होती है लेकिन विभाग की, सरकार की लापरवाही के कारण यह खराब पड़ा है । मान्यवर, 32 करोड़ रुपये की एक नाबार्ड की योजना प्रस्तावित है, इस पम्प की मरम्मत के लिए, इसके रख-रखाव के लिए इससे सम्बन्धित जो नहरें हैं उसकी व्यवस्था के लिए । लेकिन सरकार की लापरवाही के चलते आज वह योजना अधर में लटकी है इसलिए यह लोक महत्व का मामला है, तत्कालीन है, किसानों पर सूखा पड़ा है, किसानों की फसलें बरबाद हो रही है, पानी न मिलने के कारण, उनके खेत में पानी नहीं है, जो रोपाई उन्होंने किसी तरह से कर ली थी, वह सब बरबाद हो रही है । इस महत्वपूर्ण सवाल पर मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो पम्प खराब है, उसे ठीक कराया जाय । पम्प द्वारा मूसा खण्ड डिवीजन को पानी दिया जाता है और चन्द्र प्रभा डिवीजन का जो पानी था । वह पानी बहा दिया गया । चन्द्र प्रभा डिवीजन के बन्धे का पानी मछली मारने के लिएं जून के महीने में बहा दिया गया, सरकार ने इसको कबूला भी है । आज इस पम्प कैनाल से चन्द्रप्रभा डिवीजन को पानी दी जा रही है । मूसा खण्ड डिवीजन से सम्बन्धित लोग है, उनको पानी नहीं मिल रहा है और चन्द्रप्रभा डिवीजन को पानी दी जा रही है । इस लोक महत्व के प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य-मंत्री जी और पूरे सदन से कहना चाहता हूँ कि यह सरकार किसानों के विरोधी के रूप में काम कर रही है, किसानों की समस्याओं की अनदेखी कर रही है । यह गम्भीर मामला है, इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें और सम्बन्धित अधिकारियों को कड़ा से कड़ा निर्देश दें और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्यवाही करें । मान्यवर, धानापुर, भपौली पम्प कैनाल है इसको भी यह नहर जोड़ती है । इस पर सरकार का जवाब आना चाहिए । इसी के साथ मैं इस पर चर्चा कराने के लिए बल देता हूँ ।

श्री प्रभु नारायण–

मान्यवर, हमारे जनपद से जुड़ा हुआ है, एक मिनट का समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें पूरी बात आ गयी है । इस सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । पाँचवीं सूचना पर श्री ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री राधेश्याम सिंह, श्री पूर्णमासी देहाती एवं एक अन्य माननीय सदस्य सहित 4 लोगों के हस्ताक्षर हैं, कोई दो माननीय सदस्य अपने विचार रख लें ।

श्री प्रभु नारायण–

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, मैं एक मिनट में अपनी बात रख दूँगा । मिर्जापुर जनपद में स्थित नारायणपुर पम्प कैनाल की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हैं । सूखे की स्थिति भयंकर रूप से हैं, ऐसी स्थिति में जहां पूर्वांचल का पानी देने के लिए 14 पम्प मोटरें पक्की बनायी गयी हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय हों चुकी है । उनके मरम्मत के नाम पर हर साल करोड़ों की लूट की जाती है । इस सम्बन्ध में मैंने बहुत से पत्र लिखे और लिखित शिकायतें की । उसके बाद 32 करोड़ रुपये का एक प्राक्कलन बनाकर सरकार के पास भेजा गया है । सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि उसी जनपद के रहने

वाले माननीय सिंचाई मंत्री जी हैं । कई आश्वासनों के बाद भी आज तक उसके रखरखाव के लिए इस योजना का न तो कोई प्रारूप स्वीकार किया गया न धन दिया गया है । यह नहर मिर्जापुर जनपद को ही नहीं चन्दौली जनपद को पानी देने का काम करता है । इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चर्चा कराकर इन पम्पों को ठीक कराये जाने का काम करें ।

श्री ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ । कुशीनगर जनपद में कसया तहसील है । कुशीनगर जनपद सिर्फ जनपद का नाम है, हेडक्वार्टर पडरौना है । कुशीनगर और कसया एक टाउन एरिया है । 1994-95 में जब मुलायम सिंह जी प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो कसया तहसील की स्थापना की थी । उस कसया तहसील में जो एक-डेढ़ महीने से एस०डी०एम० कोर्ट और तहसीलदार कोर्ट दोनों का बहिष्कार वहां के अधिवक्ता कर दिये थे । आमजन और वादकारी परेशान थे और ऐसी स्थिति ही गयी थी कि भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली जहाँ सत्य, अहिंसा का उपदेश पूरे विश्व में महात्माबुद्ध ने दिया था । उनकी इस पावन भूमि पर हिंसात्मक आन्दोलन शुरू हो जाए इस तरह के सवाल उठाए गए थे । उप जिलाधिकारी कसया हैं । घटना यह है कि 6 अगस्त को उप जिलाधिकारी कसया के निवास के कैम्प कार्यालय में वकील जयचन्द तिवारी व्यक्तिगत काम से मिलने गए थे । एस०डी०एम० साहब अपने कैम्प कार्यालय में बैठकर कुछ लोगों से वार्ता कर रहे थे अर्दली से उन्होंने कहा कि मैं वकील हूँ काफी देर से खड़ा हूँ कृपया मुझे मिल लेने दें मैं बात करके चला जाऊँगा । अर्दली ने उनको मिलने नहीं दिया ज्यों ही वह अन्दर जाने लगे त्यों ही उस अर्दली ने उनका कालर पकड़कर बाहर कर दिया । एस०डी०एम० साहब बाहर आए और उन्होंने उन्हें धक्का देकर बाहर करवा दिया । तमाम अधिवक्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है । 1-7-2002 को ओम प्रकाश पान्डेय वकील मिलने गए थे उनको भी अपमानित करके निकाला गया था । 18-7-2002 को अब्दुल हसन सिद्दीकी साहब कैम्प कार्यालय गए थे उनको भी बेइज्जत होकर लौटना पड़ा । 17-7-2002 को ओम प्रकाश चतुर्वेदी तहसीलदार से मिलने गए थे वहां भी उनको अपमानित होना पड़ा । छह अगस्त, तारीख को अधिवक्ताओं ने बार की मीटिंग बुलाई और यह प्रस्ताव पास किया कि इन दोनों न्यायालयों का हम बहिष्कार करेंगे ।

आज पूरे प्रदेश में अधिवक्ता की सुरक्षा नहीं है । आज बार और बेंच का रिश्ता इतना खराब हो गया है । अभी देवरिया में दीवानी न्यायालय में एक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ वकील राम सुन्दर दास के लड़के को तीन पुलिस वालों ने मारा पीटा । जब वह अपने मुवक्किल से मिलने दीवानी न्यायालय में गए तो उनको मना कर दिया और अपमानित किया गया । जो अधिवक्ता समाज में वादकारियों की लड़ाई लड़ता है उसको परेशान किया जाए अपमानित किया जाए बेंच भी करे और पुलिस भी करे तो क्या होगा ? अधिवक्ता दूसरे के हक और हुकुम की लड़ाई लड़ता है उसके सम्मान की रक्षा नहीं होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी–

31 तारीख को जब राधेश्याम जी विधायक राम कोला पहुँचे तो हम लोगों ने मिलकर जिलाधिकारी से कहा कि आप लोगों में थोड़ी सी गैरत नहीं है अधिवक्ता जी दूसरे के हिफाजत की लड़ाई लड़ता है वही आज सड़क पर उतर रहा है और नेशनल हाई वे को जाम करे तो आप लोगों को

शर्म से डुब मरना चाहिए । यह बार और बेन्च का मामला है । उस दिन जिलाधिकारी ने नोटिस लिया और उप जिलाधिकारी कसया को ए०एस०डी०ओ० बनाकर पडरौना भेज दिया । लेकिन आज भी वह अर्दली जिसने मारा है कसया में घूम रहा है तहसीलदार मौजूद है । इससे मामला कभी भी उग्र रूप ले सकता है । इसलिए मैं मांग करता हूँ कि कम से कम अधिवक्ताओं की सुरक्षा की जाए । क्योंकि बार और बेन्च के बीच दूरी बढ़ती है तो वादकारी मारा जाता है । सरकार इसे बचाए व इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए । जय हिन्द जय भारत ।

*श्री राधे श्याम सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, जनपद कुशीनगर में कसया तहसील में आज जिस वजह से न्यायिक कार्य बाधित हैं । वादिकारियों का अहित हुआ है और मान्यवर, एस० डी० एम० कसया के द्वारा श्री जय चन्द अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार की यह कोई नई घटना नहीं है । ओम प्रकाश पाण्डेय, अधिवक्ता के साथ, अब्दुल हसन सिद्दीकी, अधिवक्ता के साथ तहसीलदार और एस० डी० एम० ने दुर्व्यहार किया । 6 अगस्त से अधिवक्ताओं का आन्दोलन जारी था । अधिवक्ताओं द्वारा 31 अगस्त को कुशीनगर में राष्ट्रीय राज मार्ग जाम करने की घोषणा जब वहां के विधायक ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी ने किया । अधिवक्ताओं ने पूरी ताकत के साथ रास्ता जाम किया और उसमें शामिल हुए तो जिलाधिकारी ने वहां के एस० डी० एम० को ए० एस० डी० एम० बनाकर जिले में अटैच कर दिया । वहां पर अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है । वहां के तहसीलदार और अर्दली को अभी तक नहीं हटाया गया । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो महीनो से वहां पर कार्य बाधित हुआ, अधिवक्ताओं का अहित हुआ है, वादकारियों का अहित हुआ है एस० डी० एम० और तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाय और यह गम्भीर विषय है, सारे सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसको अग्राह्य किया जाता है । निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुई अतः अस्वीकृत हुई । श्री प्रमोद कुमार, श्री किरनपाल सिंह, श्री चितरंजन स्वरूप, श्री अनार सिंह दिवाकर, श्री शिशुपाल सिंह, श्री जियाउद्दीन रिजवी, डा० अशोक बाजपेयी, श्री कौशल किशोर, श्री कमला प्रसाद रावत, श्री लाल बहादुर यादव, श्री अवधेश प्रसाद, श्री प्रभु नरायण सिंह यादव । कुछ माननीय सदस्यों की सूचनाएं विशेष उल्लेख के अन्तर्गत स्वीकृत हुई हैं । पहली सूचना श्री शिव पाल सिंह यादव की है ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

उस सूचना पर निर्णय हो गया है कि उस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है ।

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, हमारी सूचना भी थी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी विशेष उल्लेख में है । जब आयेगी तब कहियेगा ।

जनपद इटावा में विधायक निधि में स्वीकृत प्रस्ताव एवं धनराशि के बावजूद मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सभी प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–56 में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री शिवपाल सिंह यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विधायक निधि का सवाल है । मान्यवर, मैं पिछली बार भी विधान सभा का सदस्य था और हमने अपने सभी प्रस्ताव सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह तक दे दिये थे । वह सभी प्रस्ताव स्वीकार हो गये थे, सभी प्रस्तावों की औपचारिकता पूरी हो गयी थी और काम भी शुरू हो गया था । धन भी अवमुक्त हो गया था लेकिन अफसोस इस बात का है जिन अधिकारियों ने उन प्रस्तावों को स्वीकृत किया, जिन अधिकारियों ने कार्यवाही शुरू की थी उन अधिकारियों को दण्डित कर दिया गया । एक साल पूरा हो गया है उस धन, पूरा कार्य रुके हुए हैं । हमारे इस्तीफा देने के बाद, आपको पता है जब समय होने जा रहा था विधान सभा का पांच साल का समय पूरा होने जा रहा था । उस समय मैंने और मेरे दल के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था । मान्यवर, जब 11 सितम्बर को मैंने इस्तीफा दिया, हमारे सारे विधायकों ने भी इस्तीफा दिया था । 16 सितम्बर को इस्तीफा स्वीकार हुआ था लेकिन 16 सितम्बर तक सभी काम स्वीकार हो गये थे, श्रीमन् जो आज अधिकारी मौजूद हैं उन अधिकारियों ने हमारी फाइल को पूरा का पूरा दबा दिया कोई पैसा किसी कार्य के लिये स्वीकार नहीं किया जा रहा है ।

संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक दिन निर्देश भी दिये थे हमने मुख्य विकास अधिकारी से पूछा कई बार पत्र लिखे हैं किन्तु उसमें कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । जब मैंने पूछा कि नई विधान सभा में एक शासनादेश पारित हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में शासनादेश पहुंच गया है लेकिन हमारे जनपद इटावा में वहां पर शासनादेश के बारे में पूछा तो मना कर दिया गया हम विधायक निधि से कहीं काम नहीं करा सकते हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने एक साल पूरा हो गया है और आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है उन अधिकारियों को दण्डित किया जाए और जिन अधिकारियों ने हमारे काम को स्वीकार किया था शासनादेश के अनुसार शुरू किया था उन अधिकारियों पर जो कार्यवाही की गई है उसको निरस्त करके उनको बहाल किया जाय । यह हमारा अनुरोध है । संसदीय कार्य मंत्री जी इसमें निर्देश देने की कृपा करें ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, प्रश्नकाल के समय मैंने बताया था जैसा 13वीं विधान सभा के माननीय सदस्य किन्हीं परिस्थितियों में पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाये थे । पद रिक्त हो गया । पुनः वह माननीय सदस्य को चुने गये या नये माननीय सदस्य चुने गये, जैसा माननीय शिवपाल जी का प्रकरण है इस्तीफा देने के बाद पद रिक्त हो गया यदि कोई प्रस्ताव दिया गया, स्वीकृत होकर धन कार्यालय को नहीं गया या ऐसे कार्यों की स्वीकृतियां नहीं हुई, इसमें एक शासनादेश हुआ कि पुनः ऐसे सदस्य कार्य कराने के लिये अधिकारियों को पुराने प्रस्ताव दे दें चाहे नये प्रस्ताव दे दें यह स्पष्ट आदेश है । पद रिक्त होने के बाद विधायक निधि का प्रयोग नहीं कर पाए, प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो पाया तो उसके सापेक्ष जैसा शिवपाल यादव जी ने कहा कि पुराने प्रस्तावों की स्वीकृतियां नहीं हुई उसको सी० डी० ओ० ने नहीं माना,

लेकिन जो शासनादेश जिसके बारे में माननीय सदस्य ने कहा, उसके बाद दूसरा शासनादेश गया । उसमें पूरा-पूरा विवेक पर निर्भर करता है नये प्रस्ताव दें या पुराने प्रस्ताव को मान लें लेकिन पुनः नया प्रस्ताव देना पड़ेगा । अगर शिवपाल सिंह यादव जी नया प्रस्ताव देते हैं जो 13वीं विधान सभा में भेजा है ऐसा शासनादेश है कि उसके आधार पर काम कराया जाएगा ।

श्री शिव पाल सिंह यादव–

मान्यवर, मैंने पुराने प्रस्ताव पर पत्र लिखा था । लेकिन न तो पुराना प्रस्ताव मान रहे हैं और न ही नया प्रस्ताव मान रहे हैं । तो मेरी मांग है कि ऐसे अधिकारियों को दण्डित किया जाय ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, शासनादेश है, बचा हुआ धन का प्रयोग करने का पूरा अधिकार है, इस तरह से अगर अवहेलना हो तो मैं दिखवा लूंगा और बात कर लूंगा कि इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करें । जो अनुपालन अधिकारी हैं, या परियोजना निदेशक है, मैं माननीय सदस्य की बात पर अविश्वास नहीं प्रकट कर रहा हूं, इनसे बात कर लूंगा ।

श्री महबूब अली–

मान्यवर, इन्होने जो प्रस्ताव दिया था वह 11 सितम्बर से पहले दिया था और वह उस टाइम के अन्दर मंजूर भी हो गया था । उसके बावजूद काम नहीं कराया गया है । जिन लोगों ने इसे मंजूर कर लिया था उनको वहां से हटा दिया गया और दण्डित किया गया ।

श्री सुखदेव राजभर–

आप नया प्रस्ताव बनाकर दे दें ।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मान्यवर मैं दे चुका हूं और त्याग-पत्र से पहले दे चुका है ।

श्री सुखदेव राजभर–

एक आदेश गया था कि पुराने प्रस्ताव को रोक दिया जाय लेकिन फिर एक शासनादेश गया कि उसी प्रस्ताव को नये वाले में दे दें ।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मान्यवर, जिन्होंने कार्य रोका है उनको दण्डित कराया जाय ।

श्री सुखदेव राजभर–

जब पद रिक्त हुआ था तो उसको रोकने के आदेश दिये गये थे ।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

पूर्व स्वीकृत कार्यों पर कुछ पैसा खर्च भी हो चुका है, कार्य शुरू हो गया था तो नये प्रस्ताव कैसे देंगे । जब मैंने त्याग-पत्र दिया था उससे पहले मैं यह प्रस्ताव दे चुका था । प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है और धन भी अवमुक्त हो चुका है ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जैसा कि श्री शिव पाल सिंह जी ने कहा है कि पुराना है धन अवमुक्त हो चुका है, काम शुरू हो गया है, तो जब काम शुरू हो गया तो उस पर कोई रोक नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

उसको आप दिखवा लें ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जो काम रोके गये हैं उसको मैं दिखवा लूंगा ।

कानपुर नगर के शिवराजपुर कस्बे में छात्रा कु० सीता कटियार के साथ बलात्कार एवं हत्या करने वाले अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 56 में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश सचान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे विशेष उल्लेख में बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने जनपद कानपुर के शिवराजपुर कस्बा की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं । मान्यवर, 29-8-2002 को शिवराजपुर राजकीय महाविद्यालय में कुमारी सीता कटियार नाम की छात्रा जो कि खटिया ग्राम की रहने वाली थी, शिवराजपुर के ग्राम कासामऊ अपने मामा देशराज कटियार के यहां रहकर बी० ए० की शिक्षा ग्रहण कर रही थी । वह मार्कशीट को ठीक कराने आयी । उसे विद्यालय में देर हो गयी तो उसने विद्यालय के निकट पी०सी०ओ० में फोन करने पहुंची ।

मान्यवर, वह लड़की पी०सी०ओ० फोन करने के लिए पहुंची कि ज्यादा देर हो गयी है । वह अपनी मां को सूचना देना चाहती थी तो पी०सी०ओ० का जो मालिक था उसका नाम संजीव शुक्ला था उसकी दुकान में 6-7 और अराजक तत्व मौजूद थे । एक अकेली लड़की को देखकर उनकी नीयत खराब हो गयी और उन लोगों ने बी०ए० की छात्रा कु० सीता कटियार जिसकी उम्र 21 वर्ष की थी को पी०सी०ओ० में ही दबोच लिया और शटर बन्द करके बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया । बलात्कार करने के बाद इस भय से कि कहीं यह राज न खुल जाय उसको जहर देकर मार डाला । जहर पिलाकर मारने के बाद उसकी डेड बाडी को जी०टी० रोड के किनारे फेंक दिया । पुलिस की ड्यूटी करने वालों ने देखा जब वह लोग उसे फेंकने जा रहे थे । उन लोगों ने अभियुक्तों को न पकड़कर सीमा विवाद के चक्कर में फंस गये और डेड बाडी को स्टेशन पर फिकवा दिया । मान्यवर, पुलिस अगर चाहती तो उन दरिन्दो को पकड़ सकती थी । लेकिन उसने उनको पकड़ा नहीं और डेड बाडी को अभियुक्तों ने स्टेशन में फेंक दिया । डेड बाडी स्टेशन में पड़ी रही । वह रात भर पड़ी रही । वहां पर पुलिस को भी जानकारी हो गयी थी लेकिन पुलिस ने कुछ ध्यान नहीं दिया । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस की शह पर यह सब हुआ । जब सुबह हुयी तो लोगों को घटना की जानकारी हुयी । इसके बाद लोगों ने जी०टी० रोड को जाम कर दिया और जब जनता आक्रोशित हुयी तो प्रशासन ने दबिश देकर मुख्य अभियुक्त संजीव शुक्ला को पकड़ा । मान्यवर, आज प्रदेश भर में स्थिति यह है कि जहां कहीं पर भी विद्यालय, महाविद्यालय के आसपास पी०सी०ओ० हैं जब कोई भी छात्रा वहां पर फोन करने जाती है तो वहां पर अराजक तत्व उन पर छीटाकसी करते हैं । आज पी०सी०ओ० अराजकता के अड्डे बन चुके हैं और पुलिस जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है । इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में

तनाव है । जनता आक्रोशित है । आज भी अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं । उनको पुलिस की शह है । मान्यवर, जब उस लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही थी तो लाला कटियार नाम का एक नौजवान था उसने उसे बचाने का प्रयास किया । तो उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया और उसे नामजद कर दिया । इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में इस बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के राज में बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं पर जुल्म हो रहे हैं और बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं ! इस सरकार के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि अराजक लोग महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं । फिर भी यह सरकार ध्यान नहीं दे रही है । पिछले दिनों भी डी०वी०एस० कालेज में संदीप यादव की छात्र संघ के चुनाव के दौरान हत्या हो गयी और जो दोषी हैं वह खुलेआम घूम रहे हैं । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि जो दोषी हैं उनको सजा दी जाय और जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा दिया जाय । यह विषय लोक महत्व का है । इसलिए सदन की कार्यवाही स्थगित करके इस पर चर्चा करवायी जाये ।

* श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, शिवराजपुर की यह घटना बहुत ही लोमहर्षक घटना है । अभी जब संसदीय कार्य मंत्री खड़े होंगे तो यह सरकार का पक्ष रखेंगे । क्योंकि सरकारी पक्ष ने इस घटना को प्रेम प्रसंग में दिखलाने का ढोंग किया है । उसने कहा है कि वह लड़की शिवराजपुर से बिल्हौर जाती है और वहां जाकर फोन करके उसने संदीप शुक्ला को बुलाया और उसके साथ भागने का काम किया । जबकि वास्तविकता यह है कि वह लड़की जब अपनी मार्कशीट ली तो उसमें उसके पिता की जगह उसके मामा का नाम लिखा हुआ था । वह उसे लेकर कालेज के प्रबन्धक से मिली तो उन्होंने कहा कि अगर मामा की जगह पिता का नाम चढ़वाना है तो एस०डी०एम० के यहां से हलफनामा ले आओ । वह शिवराजपुर से बिल्हौर आई और उसने एस०डी०एम० से अपना हलफनामा बनवाया और उसे लेकर कालेज पहुंची तो कालेज बन्द हो चुका था और रात हो चुकी थी । तो उसने अपने घर टेलीफोन किया कि रात हो गयी है मैं कहां जाऊं तो उसकी मां ने कहा कि तुम्हारे मामा कासामऊ में रहते हैं । तो वह संदीप शुक्ला के पी०सी०ओ० में गयी कासामऊ फोन करने के लिए । मान्यवर, संदीप शुक्ला का जो पी०सी०ओ० है वह अराजक तत्वों का अड्डा है वहां अफीम, चरस, गांजा और अन्य तरह के मादक पदार्थों का व्यापार होता है वह पी०सी०ओ० रात 2 बजे तक खुला रहता है । वहां लड़की को देखकर उन लोगों ने छेड़खानी शुरू कर दी । एक बी०एस०पी० के लोकल नेता के रिश्तेदार, अनुपम कटियार और बबलू कटियार और संदीप शुक्ला ने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया उसके शरीर पर लूट-खसोट के निशान मौजूद हैं और इसे पशुओं को कीड़ा मारने वाली जो दवा होती है वह उसके मुंह में उड़ेल दी गयी जिससे उसकी हालत बिगड़ती चली गयी । उसको बोरे में डालकर रेलवे स्टेशन ले गये जहां पुलिस के एक आदमी ने उसे देखा और उनको दौड़ा कर पकड़ा ।

मान्यवर, अनुपम, बबलू और संदीप को शासकीय पक्ष के लोकल नेता के दबाव में आकर और थाने में भरपूर रुपया लेकर छोड़ दिया गया । उस लड़की की लाश के बाबत उसके घर पर खबर की गयी उसके बाद क्षेत्र की जनता ने थाना घेरकर धरना प्रदर्शन किया जिससे वहां वीभत्स स्थिति उत्पन्न हो गयी । मान्यवर, तब जाकर संदीप शुक्ला और लाला कटियार जो उस घटना को बचाने में लगे थे उसको जेल भेज दिया गया और अनुपम और बबलू को रुपया लेकर छोड़ दिया गया । उनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और वह दोनों मुल्जिम खुले आम घूम रहे हैं । मान्यवर, इसमें मंत्री जी दरोगा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का दिया गया बयान न पढ़कर जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करने और मुजरिमों को गिरफ्तार करने का आश्वासन सदन को देंगे । मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, विशेष उल्लेख में आपने ध्यान आकृष्ट कर दिया है । मान्यवर, तब भी विश्वास दिलाता हूं कि किसी की भी इज्जत और सम्मान का मसला हो हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे । हर बेटी की रक्षा करना हमारी कटिबद्धता है जो भी लोग दोषी हैं । निश्चित रूप से उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी । मान्यवर, एक आरोप यह भी लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता था तो यह सब ठीक नहीं है । अभी चिन्हित करना है, तफतीश चल रही है, मुकदमा दर्ज है ।

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, मैंने यह कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के एक लोकल नेता, मैंने नाम नहीं लिया । अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा ।

जनपद प्रतापगढ़ के रानीगंज थानान्तर्गत दो दलित महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–56 में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, अभी जिस तरह की घटना का जिक्र माननीय बेरिया जी और माननीय राकेश सचान जी कर रहे थे उसी तरह की एक घटना की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, आखिर इस उत्तर प्रदेश में कानून का राज होगा या इस प्रदेश में माफिया गुण्डा और दबंग किस्म के लोगों का राज होगा । मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जनपद प्रतापगढ़ के थाना रानीगंज के ग्राम रामपट्टी की ओर । मान्यवर, कैलाश नामक व्यक्ति को वहां पर लेखपाल के द्वारा वहां की वर्तमान पुलिस के द्वारा एक जमीन पर कब्जा दिलाने का काम किया गया था । मान्यवर, जब उसने जमीन पर झोपड़ पट्टी डालने का काम किया, वहां वह निर्माण कार्य करा रहा था तो कुछ लोगों के द्वारा उस निर्माण को गिराने फेंकने का काम किया गया इतना ही नहीं जब कैलाश ने उसको मना किया तो कैलाश और उसके चाचा शिवचरन को मारने पीटने का काम किया गया । एक तरफ ये कहते हैं कि अपराधों में कमी आई है । मैं बताना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश के थानों में पुलिस मुकदमा नहीं लिखेगी तो निश्चित रूप से अपराधों में कमी आयेगी और उसी तरह का कार्य जनपद प्रतापगढ़ के थाना रानीगंज के ग्राम पट्टी में हुआ जब वह भुक्तभोगी थाने जाता है तो थानाध्यक्ष द्वारा उसका मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है । थानेदार गांव जाता है और घटना की जांच के बाद वापिस आता है और उसके बाद भुक्तभोगी को रात भर थाने में बैठाये रखता है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसको विशेष रूप से सुनकर कार्रवाई कराने का काम करें । मान्यवर, रात में जब कैलाश घर नहीं लौटता है तो दिलीप कुमार, अच्छे लाल आदि लोगों ने उसके कैलाश के घर में घुसकर उसकी पत्नी और बहन के साथ बलात्कार किया और जब वह पीड़ित महिला थाने जाती है तो उसका मुकदमा नहीं लिखा जाता है जब वह जिले के अधिकारियों के पास जाती है तो बमुश्किल उसका मुकदमा दर्ज किया जाता है । मेरी मांग है कि जिन लोगों ने मुकदमा पंजीकृत करने का काम नहीं किया है उस थानाध्यक्ष को जिसने 2-2 घटनाओं का मुकदमा पंजीकृत नहीं किया है क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि दोषी थानाध्यक्ष के खिलाफ तुरन्त कार्रवाई करने का काम करें और जो लोग घटना में शामिल हैं उनकी तुरन्त गिरफ्तारी की जाय । इसके साथ ही जो मैंने नियम–56 के अन्तर्गत सूचना दी है, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है । चाहे वह लखनऊ हो, कानपुर हो लोगों का निकलना दूभर हो गया है । लखनऊ में आपने सुना होगा कि किस तरह से

लूट हुई, हत्या हुई तो कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है आप सदन की कार्यवाही रोककर इस लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री राम लाल अकेला–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस सदन की नेता जब भी इस सदन में आती हैं और जब भी कोई बयान देती हैं तो सबसे पहले वह यही कहती हैं कि दलितों के उत्थान के लिए और दलितों के कल्याण के लिए, दलितों को इंसाफ दिलाने के लिए मैं काम करूंगी और इस सरकार के गठन के बाद सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है तो दलित वर्ग के लोगों के साथ हुआ है। आज इस शासनकाल में गांव में रहने वाला गरीब जो झोपड़ी में रहता है, इस सरकार के रहते पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत रामपट्टी गांव की ओर दिलाना चाहता हूं जहां पर राम कैलाश अपनी जमीन को लेकर अनेकों प्रयास करता रहा कि उसकी जमीन उसको मिल जाये। कुछ पर उसका कब्जा था और कुछ जमीन दूसरों के कब्जे में थी। तहसीलदार और एस०डी०एम० को दरख्वास्त दे करके पुलिस की उपस्थिति में जमीन पर निशानदेही कराना चाहा। दूसरी तरफ अक्षय लाल सिंह, शिव कुमार सिंह, दिलीप कुमार सिंह, जय प्रकाश, तेज बहादुर, सुनील कुमार इन लोगों ने उसे कब्जा करने से रोका और इन लोगों ने राम कैलाश और उसके चाचा शिव बरन को बुरी तरह से मारा पीटा और कहा कि अगर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की तो जिन्दा नहीं छोड़ेंगे। घायल अवस्था में जब वह थाने जाता है, आज हमारी पुलिस का रवैया क्या है, हमारे शासन का रवैया क्या है मैं बताना चाहता हूं घायलावस्था में जब राम कैलाश और शिव बरन थाने गये तो थाने पर हमलावर भी मौजूद थे उनके और पुलिस के बीच में सांठगांठ थी चाहे वह दौलत की बदौलत रही हो चाहे किसी और तरीके से। राम कैलाश और शिव बरन की रिपोर्ट लिखने का काम नहीं किया गया और सारी रात थाने में बैठा लिया गया। उसके घर के दो मुखिया थाने में और घर में दो महिलाओं के अलावा कोई न था। रात के 12 बजे अक्षय लाल सिंह, शिव कुमार सिंह, दिलीप कुमार सिंह, जय प्रकाश, तेज बहादुर, सुनील कुमार इन लोगों ने राम कैलाश के घर पर धावा बोल दिया। वह जानते थे कि घर के मुखिया लोग थाने में पुलिस के पास हैं। रात भर जो ताण्डव हुआ उस दलित परिवार में राम कैलाश की पत्नी सम्पत्ति देवी, उम्र 30 वर्ष और बहन उर्मिला देवी 17 वर्ष इन दोनों महिलाओं के साथ जो वीभत्स काण्ड हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों के साथ थानाध्यक्ष भी शामिल हैं जिसने घर के लोगों को थाने में रोके रखा और बाद में रिपोर्ट भी नहीं लिखी। इसलिए मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने जो मुद्दा उठाया हैं वह लोक महत्व का मुद्दा हैं, दलितों से जुड़ा मुद्दा है, महिलाओं की आबरू से जुड़ा मुद्दा है इसलिए मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। अगली सूचना श्री दुर्गा प्रकाश यादव की।

आजमगढ़ के जिला महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–56 के विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, आपने मुझे इस लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका आभारी हूं। स्वा० विभाग से 17 करोड़ जनता का भविष्य जुड़ा है। महिला अस्पताल आजमगढ़ की हालत ठीक नहीं है। किसी तरह से आजमगढ़ की गरीब महिलायें वहां इलाज कराने के लिये आती हैं और वहां जाने के

बाद वापस हो जाती हैं । बहुत सी ऐसी महिलायें होती हैं, जिनके अस्पताल के गेट पर बच्चे की पैदाइश हो गयी, जिनको देखने वाला कोई नहीं मिला और तब उनके गार्जियन उसको लेकर नर्सिंग होमों में या महंगा इलाज कराने के लिए मजबूर हो गये । मैं इस सरकार से कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा अस्पताल माननीय मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में 1993-94 में बना था, उस समय माननीय बलराम यादव जी स्वास्थ्य मंत्री थे, जो यहां बैठे हैं, इनके प्रयास से यह अस्पताल बना था । इसमें जच्चा-बच्चा का अलग वार्ड था और पैथालाजी अलग बनी थी और यह 100 बेड का अस्पताल था । अब इसमें जाया जाये तो आप केवल 10-5 मरीज ही पा सकते हैं, लगभग ताला बन्द सी स्थिति है । इस अस्पताल में अपराधी लोग चरस, गांजा, कोकीन पीकर घूमते हैं, एक महिला डाक्टर सी०एम०एस० के रूप में वहां थी, वह भी छुट्टी लेकर चली गयीं । इस समय वहां कोई डा० नहीं है । यह अस्पताल इसलिये बना था कि इससे जनता का हित होगा और गरीबों को इलाज कराने के लिये लखनऊ या गोरखपुर नहीं जाना पड़ेगा । लेकिन इस बसपा भाजपा के शासनकाल में वहां एक भी डा० नहीं है, यह अत्यन्त शर्म की बात है । इस समय सदन में स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं है । यहां किसी भी विभाग का मामला उठता है । तो संबंधित मंत्रीगण उपस्थित नहीं रहते हैं । यह संसदीय कार्य मंत्री जी के क्षेत्र का मामला है, उनके जिले का मामला है । इन दुर्व्यवस्थाओं के चलते जनता में काफी रोष व्याप्त है । वहां पर डाक्टरों के 11 पद स्वीकृत हैं, मगर केवल 3-4 ही डाक्टरों की वहां पोस्टिंग थी, किसी का ट्रांसफर हो गया, किसी ने इस्तीफा देकर नर्सिंग होम खोल लिया । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस विषय पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय मेरा यह भी अनुरोध है कि संसदीय कार्य मंत्री इस विषय पर जवाब देने का काम भी करें । यह अत्यन्त गंभीर मसला है और सीधे जनता से जुड़ा हुआ है, महिलाओं से जुड़ा है, वहां पर गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है, वहां दवायें नहीं हैं, जो एल०पी० होती थी, वह भी बन्द कर दी गई है और महिला अस्पताल को बिजनेस का अस्पताल बना दिया गया है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराई जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । अगली सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी की है ।

(श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री बलराम यादव के खड़े होने पर)

श्री सुखदेव राजभर–

शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया, उसको मैं गंभीरता से ले रहा हूं । बलराम यादव जी बड़े नेता हैं, यह हमारी भी चिन्ता है, कार्यवाही करेंगे ।

जनपद बाराबंकी की बुढ़वल चीनी मिल के श्रमिकों को वेतन न मिलने पर भुखमरी व मरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–56 में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने जो नियम–56 के अन्तर्गत प्रस्ताव दिया है, वह जितने भी प्रश्नों को आपने सुना है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, गंभीर है, अविलम्बनीय है, निश्चित है और लोक महत्व का है । मैं इसलिये कह रहा हूं कि एक अगस्त से जनपद बाराबंकी में बुढ़वल चीनी मिल के श्रमिक अनशन पर बैठे हैं, उसमें से कुछ लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं । क्यों बैठे हैं, श्रीमन् तीन वर्षों से उनको तनख्वाह का एक पैसा भी नहीं मिला है, मंहगाई है ही, कर्मचारी बाहर से आये हैं, उनकी खेती-बारी यहां है नहीं, खरीद करके खाने में असमर्थ हो गए और तब भूख से अनेक बीमारियां उत्पन्न हो गईं और अब तीन साल के अन्दर 10 श्रमिक दम तोड़ चुके हैं भूख के कारण और दवा के अभाव के कारण और

यही नहीं । 11 श्रमिक गंभीर रूप से बीमार हैं भोजन के अभाव में और दवा के अभाव में और अगर सरकार तत्काल ध्यान नहीं देगी तो वह 11 श्रमिक भी तत्काल मौत के मुंह की कगार में पहुंच चुके हैं, उनके बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही है, कपड़े खरीद करके पहनाने के लिए वह कंगाल हो चुके हैं, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर 10 श्रमिकों की मृत्यु हो चुकी है और 11 मरने की कगार पर हों, पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, कपड़े नहीं खरीद पा रहे हैं बच्चों के लिए तो इससे गंभीर मामला आज इस सदन में कोई नहीं हो सकता है इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक करके इस पर चर्चा कराई जाय और बुढ़वल चीनी मिल को तत्काल चलाने के लिए सदन की शेष कार्यवाही को रोक करके इस पर चर्चा करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है क्योंकि अध्यक्ष जी ने इसको विशेष उल्लेख के रूप में रखा है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, जब यह विषय शलाका में नहीं आया और विशेष उल्लेख के रूप में इसे लिया है तो मैं मांग करता हूं कि इस पर चर्चा हो क्योंकि यह विषय विशेष उल्लेख के नियमों से भी ऊपर है । 10 आदमी मर गए हैं और 11 आदमी मरने की कगार पर है, तो उनको बचाने के लिए उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए, कपड़ा देने के लिए कोई व्यवस्था करा दीजिए श्रीमन् ।

जनपद रायबरेली में पेयजल संकट को देखते हुए इण्डिया मार्का–II हैण्ड पम्प लगाये जाने के संबंध में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आपका आभारी भी हूं इसके लिए मान्यवर, आज के समय में प्रदेश में भीषण पेयजल संकट चल रहा है जाहिर है कि सारे जिले भी प्रभावित है और सबसे ज्यादा हमारा रायबरेली जनपद का जो पश्चिमी भाग है विशेष रूप से पेयजल संकट से प्रभावित हैं । अधिष्ठाता महोदय, नहरों के न होने के कारण निरन्तर जल दोहन से तालाबों में पानी नहीं है, नदियों में पानी नहीं है इस कारण से जल स्तर निरन्तर नीचे गिरता जा रहा है और उसके कारण पेयजल की मांग बढ़ती जा रही है, हैण्ड पम्प लगाने की मांग बढ़ती जा रही है आपके संज्ञान में है फिर दोबारा मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सरकार ने जो नीति निर्धारित की है, वह डेढ़ सौ की आबादी में एक इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगाने की है । श्रीमन् जब 150 लोग बाल्टियां लेकर हैण्डपम्प पर पहुंचेंगे तो कितना समय लगेगा । हमारी राष्ट्रीय नीति है और राज्य की भी नीति है कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हर एक इन्सान को मुहैया करवायें तो श्रीमन्, हमारा यह प्रस्ताव है कि 150 की आबादी का मानक न रखकर 50 की आबादी का मानक रखा जाये तभी सभी को शुद्ध पेयजल सुलभ हो पायेगा । 1994 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन का गठन हुआ उसके पश्चात् उसका आधार बनाया गया और प्रति व्यक्ति 40 लीटर रखा गया, अब 70 लीटर का रखा गया है और आबादी 150 कर दी गयी है । मान्यवर, यह देखते हुए कि नहर नहीं है, भू-जल और भी नीचे चला गया है, नदियां सूखी पड़ी हुई हैं उन पर कोई भी बांध लगाने की योजना नहीं है, नहर ठीक तरह से नहीं चलायी जा रही है और निरन्तर दोहन हो रहा है । यह आवश्यक है कि 50 की आबादी में एक हैण्डपम्प लगाया जाये । मान्यवर, पहले सिर्फ इन्सानों की जरूरत रहती थी लेकिन नदियों और तालाबों के सूख जाने से और सूखे की जिस विषम परिस्थिति से प्रदेश गुजर रहा है यह आवश्य है कि

इस मानक को 150 से घटाकर 50 कर दिया जाये जिससे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य कल्याणकारी राज्य का है, उस लक्ष्य की पूर्ति हो सके ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

जनपद सन्त कबीर नगर के थाना धनकटा के गांव बन्ड़ा में पशु मांस को लेकर दंगाइयों द्वारा आग लगाए जाने व पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

दो सूचनायें जो नियम–311 में प्राप्त हुई थीं और जिन्हें नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया था लेकिन वह शलाका में नहीं आ पायी है उन्हें विशेष उल्लेख के तहत सुना जायेगा । पहली सूचना श्री रामकरन आर्य, श्री अवधेश प्रसाद, श्री चितरंजन स्वरूप एवं श्री महेन्द्र सिंह की है तथा अगली सूचना श्री कमाल यूसुफ मलिक एवं श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी की है । दो मा० सदस्य अपने-अपने विचार रख लें ।

श्री राम करन आर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था कि कभी-कभी बहुत सी चीजें लाटरी में नहीं आती हैं और कभी-कभी साधारण चीजें आ जाती हैं, इसलिये विशेष निवेदन किया था । जुआ पर हमारा भरोसा नहीं है । महाभारत में जुआ से ही पाण्डव बरबाद हो गये थे और महोदय, हमारे जनपद के बगल में धनकटा थाने में घटना घटी । बन्डा बाजार में न जाने बकरी का मांस था, गौमांस था या बैल का था । एक मुस्लिम नट जाति के व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, पुलिस ने उससे पैसा लेकर छोड़ दिया । उस दौरान बवाल हुआ, चारों तरफ बात फैल गयी और हजारों लोग इकट्ठे हो गये । [× × ×] के 26 घर जलाकर राख कर दिया गया जबकि केवल 6 दिखाया गया है । मैं कल वहां गया था, घटना स्थल के बगल में भी गया था । हमारे साथ जिले के नेता थे । हम लोग हिन्दू-मुस्लिम एकता की बात करते हैं, हमें मस्जिद टूटता है तो दुख होता है और मंदिर टूटता है तो भी दुख होता है । हम राम मनोहर लोहिया के अनुयायी हैं । हमारे दल के श्री अब्दुल रहमान अपने चाचा को लेकर गोरखपुर से जीप से आ रहे थे, धनकटा चौराहे पर उनकी गाड़ी पहुंच गयी । एस०डी०एम०, उप पुलिस अधीक्षक के साथ पचासों पुलिस थी, धरना दिया जा रहा था, गौ-रक्षा समिति के नेता लोग भाषण कर रहे थे कि एक भी [× × ×] उस इलाके में रहने नहीं पायेगा । मान्यवर, जीप में 11 आदमी थे उसमें कुछ आदमी दाढ़ी वाले थे उन सबको लात-जूतों से, ईंटों से, लाठियों से मारा गया, उनकी दाढ़ी उखाड़कर मारा गया, देखने वाले कह रहे थे कि धरती धंस जाती तो अच्छा होता, इतना अन्याय नहीं होना चाहिए था । एक बूढ़ा आदमी जो 60-65 साल का था पुलिस उप अधीक्षक की गाड़ी में बैठ गया उसे गाड़ी से खींचकर मारा । जबकि पुलिस उप अधीक्षक और थानाध्यक्ष मौजूद थे, एस०डी०एम० की मौजूदगी में 11 लोगों को जिस तरह से मारकर गिरा दिया गया । आप कल्पना नहीं कर सकते हैं । वह समाजवादी पार्टी के नेता थे बहुजन समाज पार्टी के हो सकते थे, कांग्रेस पार्टी के हो सकते थे, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग नहीं हैं । उनको जिस तरह से मारा गया मैं कल गया था 65 साल के बुढ्ढे की आंख से आंसू बह रहे थे उसका बयान नहीं किया जा सकता । मारने वालों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ऐसे थानाध्यक्ष और पुलिस वालें के खिलाफ कोई

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कार्यवाही नहीं हुई । किस तरह से उनको लूटा गया, किस तरह से बच्चों को मारा गया । एक आदमी थानाध्यक्ष की जीप के पास गया उसको वहां से खींचकर मारा गया । मैंने पुलिस अधीक्षक कबीर नगर को टेलीफोन किया तो उन्होंने थानाध्यक्ष से कहा तो थानाध्यक्ष ने उन दंगाइयों से कहा कि तुम लोग भाग जाओ नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बड़े अधिकारी आ रहे हैं । मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा । ऐसी हमारी पुलिस जब दंगाई हो जाए तो क्या होगा ? व्यक्ति दंगाई हो सकता है, अपराधी हो सकता है लेकिन जब पुलिस दंगाई हो जाए तो क्या होगा । जब उप कलेक्टर दंगाई हो जाएं, डिप्टी एस०पी० दंगाई हो जाए तो शासन कैसे चलेगा । इस पापी राज्य में अभी तक दलितों की हत्याएं हो रही थीं, लूटमार हो रही थी । गुजरात की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से शुरू करके कबीर नगर और बस्ती तक को गुजरात बनाने की कोशिश की जा रही है । संसदीय कार्य मंत्री जी यह ठीक है कि आज आप भाजपा के साथ हैं लेकिन जब कल अलग होंगे तो आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा । तब क्या जवाब देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री राम करन आर्य–

संसदीय कार्य मंत्री जी जो घायल हैं उनको कम से कम 50 हजार का मुआवजा दिया जाएं जिनकी लूटपाट की गई है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए । हमारे दल का नेता मारा गया है मैं जब गया तो परिवार वाले रोने लगे । मान्यवर, कबीर की वाणी, सन्त रैदास की वाणी, विवेकानन्द की वाणी समाप्त होने वाली है । अपराधियों का राज हो रहा है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस महत्वपूर्ण सवाल पर बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पापी राज्य के खिलाफ सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाये । जो नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति की जाए जो घायल हुए उनको मुआवजा दिया जाय ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मुझे भी सुन लें यह मेरे जनपद का मामला है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं । आपका इसमें नाम नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए । जो बेगुनाह हैं जिनके घरों को जलाया गया है पुलिस की शह पर थानाध्यक्ष की शह पर यह किया गया ऐसे पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए । ताकि कानून का राज स्थापित हो । आज शासन में क्या जातियों के आधार पर कौम के आधार पर शासन किया जायेगा । जिनके हाथों में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम है वह इस तरह का कार्य करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

शासन का ध्यान इस सूचना पर आकृष्ट करते हुए मैं आठवीं सूचना ले रहा हूं ।

श्री राम करन आर्य–

मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर जवाब दें ।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

आपने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया । विशेष उल्लेख में यह मामला यहां उठाया । जहां तक है हर समाज को सम्मान दिया जायेगा । हमारी सरकार की मुखिया बहिन मायावती इस बात के लिये कटिबद्ध हैं कि किसी भी सूरत में प्रदेश का माहौल बिगड़ने नहीं दिया जायेगा । अल्पसंख्यक और अन्य वर्ग के लोगों के अधिकारों में कोई कमी नहीं आयेगी । सबको सम्मान मिलेगा । घटना की शुरूआत है कि दो पुलिस कर्मी बाजार में घूम रहे थे किसी ने बताया कि गौ-मांस बिक रहा है । वे गये और एक आदमी जो खरीद रहा था उसको पकड़ लिया और मुकदमा दर्ज हुआ । आगे जीप से कुछ लोग जा रहे थे तो कुछ लोगों ने आक्रोश में आकर लड़ाई झगड़ा किया । इधर से भी मुकदमा दर्ज हुआ और उधर से भी हुआ । मान्यवर, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी आड़ में कि यदि एक व्यक्ति दोषी है तो पूरे समाज को दोषी नहीं बनाया जायेगा । माहौल बिगड़ा था क्योंकि बताया गया था कि वहां पर गो-मांस बिक रहा है ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, जिन लोगों के घर जले हैं उनको क्षतिपूर्ति दी जाय । लोग जो घायल हैं उनको मुआवजा दिया जाय । जो नेता मारे गये हैं जो घर जले हैं उन परिवारों को मुआवजा दिया जाय । माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री सुखदेव राजभर–

वहां पर जीप पर हमला हुआ था धाराएं 336, 327 में और 303/58 गोवध निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज हुआ है । इस समय स्थिति सामान्य है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

लाइसेन्स तो सरकार ने निरस्त नहीं किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

पाल साहब चर्चा नहीं हो रही है । आप तो बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं । कृपया बैठ जायं । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है ।

श्री राम करन आर्य–

माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं । वह बकरे का भी मांस हो सकता है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी सदन को आश्वस्त करें कि मुकदमें लिखे जायेंगे और मुआवजा दिया जायेगा । जहां लूट-पाट की गई है उनको भी क्षतिपूर्ति दी जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । आपको विशेष उल्लेख में मौका दिया गया था । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है । आप कृपया बैठ जायं ।

(सत्ता पक्ष के किसी सदस्य के यह कहने पर कि अधिष्ठाता महोदय आप खड़े हो गये फिर भी यह बैठ नहीं रहे हैं)

श्री राम करन आर्य–

आपसे ज्यादा सम्मान मैं करता हूं इस पीठ का । लेकिन दर्द तकलीफ में नियम कानून कुछ नहीं होता है । मेरा व्यक्तिगत दायित्व बनता है । हमारा नेता मारा गया था, पार्टी के लोग मारे गये हैं इसमें सरकार उचित निर्णय नहीं ले रही है । इसके खिलाफ मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री राम करन आर्य ने असन्तुष्ट होकर सदन का त्याग किया)

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज व इटवा के अन्तर्गत सरजू नहर परियोजना के अन्तर्गत पानी की आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

* श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, आज 24 दिन हुए हैं मेरा प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर तहसील–डुमरियागंज इटवा और बस्ती में बरसात नहीं हुई है । सारे खेत सूख रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है नहरों में पानी नहीं आ रहा है । किसान मारे जा रहे हैं । नहरों के पम्प हाउस में बिजली नहीं है ।

(व्यवधान)

आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है, हंस रहे हैं जो पम्प हाउस हैं वहां बिजली नहीं है कितना गंभीर प्रकरण है और इसको आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप यह भी समझ ले कि आप रोज बैठने वाले नहीं हैं । आप इस तरह का आचरण कर रहे हैं लोग भूखों मर रहे हैं । आपकी पुलिस यदि कोई किसान पानी लेता है तो उसकी पिटाई करती है । किसानों को थाने में बन्द किया जाता है, लिहाजा इस महत्वपूर्ण सवाल पर मैं सदन से मांग करता हूं कि किसानों को पानी दिया जाय, बिजली दी जाये । आपको याद होगा, कार्य-मंत्रणा समिति की मीटिंग में आपको निर्देश दिये गये थे कि आप सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करें कि वह सूखे से निपटने के लिए सभी माननीय सदस्यों को सांसद सदस्यों को बुलाकर मीटिंग करें । कार्ययोजना बतावें कि किस योजना में कितना पैसा गया है क्या-क्या काम हुआ है । सूखे की क्या स्थिति है । हम चाहते हैं आज आप स्पष्ट घोषणा करें कब तक मीटिंग बुलवा रहे हैं, क्या कार्यवाही करवा रहे हैं । किसानों के उत्पीड़न को रोकने के लिए तत्काल निर्देश जारी करें । किसानों को नहरों पर मारने-पीटने का काम न किया जाय ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय यह सरकार और सम्मानित सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनपद–सिद्धार्थनगर की दशा बहुत दयनीय है । मैं खुद कल वहां गया था, सारी फसल सूख गयी है । लोग बाग निराशा भरे शब्दों में इस आशा में बैठे रहते हैं कोई न कोई योजना चलाकर सरकार व्यवस्था करेगी । मान्यवर, मैं सिद्धार्थनगर के भूमिगांव ढुढ़वा ब्लाक इटवा डुमरियागंज में जो ग्राम पंचायत हैं वहां की आबादी दस हजार है वहां मजदूर और किसान काम करते हैं । वहां जो जमीन है वह राजा की जमीन थी, राजा की जमीन होने के नाते वह बड़े लोगों के हाथ में चली गयी, वहां के मजदूर और किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं जब मैं वहां गया तो उन्होंने मुझसे कहा कोई काम बताइये । मैंने उनसे कहा जब ग्राम समाज में पैसा आयेगा या उनको पैसा मिलेगा तो पैसा देंगे । मान्यवर, सरयू कैनाल है, मान्यवर, सरयू कैनाल से सौ दो सौ गांवों को सूखे से बचाया जा सकता है । इसके बावजूद कि एग्रीमेन्ट हुआ है 24 घण्टे बिजली पम्प कैनाल को मिलेगी, इसके बावजूद बिजली आठ घण्टे मिलती है इससे सटा हुआ बलरामपुर है । उसको 16 घण्टे बिजली मिल जाती है । मान्यवर,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भोजपुर उत्तर पम्प कैनाल है वहां अगर दे दें तो समस्या का निदान हो सकता है । 12 हजार रुपया प्रत्येक नलकूप के रख-रखाव के लिए दिया गया है सिद्धार्थनगर में आप पता लगवायें दो प्रतिशत नलकूप भी नहीं चल रहे हैं । पीने के पानी का पशुओं को संकट पैदा हो गया है । हरा चारा नहीं है । पशु भूख से मर रहे हैं । लेकिन अपने पशुओं को छोड़ दे रहे थे । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल काम शुरू करायें । जो भी फण्ड हो जिलाधिकारी को निर्देशित करायें कि काम शुरू हो । जो आपकी पम्प कैनाल है इसमें 16 घण्टे-बिजली दें । बलरामपुर कस्बे में 16 घण्टे बिजली दे सकते हैं तो उसे भी दीजिये । तीसरी बात जो सरकारी ट्यूबवेल हैं उनको चलवाकर जो गांव में गड्ढे, पोखर इत्यादि हैं उसमें पानी भरा जाय जिससे पशुओं को पानी पीने को मिले । अगर गड्ढे नहीं भरेंगे तो पानी पीने को नहीं मिलेगा ।

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं । हमारे यहां श्री विनोद शंकर चौबे थे उन्होंने हुकुम दिया था कि यह गड्ढे आदि भरे जायें । वह रोज मीटिंग किया करते थे । लेकिन जब से वह गये हैं सारा काम बन्द हो गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं । अब मैं अगली मद ले रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) (द्वितीय संशोधन) तथा (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, मैं तीनों एक साथ रख दे रहा हूं ।

(2) मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विनाश और भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है ।

(3) मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सरकार जो चौधरी चरण सिंह जी ने बड़े परिश्रम के साथ इस सदन में प्रस्तुत कर इस जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम को पारित किया था, इसे अधिनियमित कराया था । उसकी मूल धाराओं में लगातार कहीं न कहीं संशोधन करके उसके रूप को विकृत करने का काम यह कर रहे हैं । मुझे याद है कि यह जो हमारा अधिनियम है, एक बार चौधरी साहब ने दिल्ली में, मैं उदाहरण देकर बता रहा हूं, बुलाकर कहा कि केरल के लोगों ने जो कानून बनाया है उसे और उसके बाद हमारा अधिनियम है इसको मिलाकर पढ़ लेना । इससे पता चल जायेगा कि हमारा अधिनियम बेहतर है या उनका । इसमें कुछ गुंजाइश नहीं छोड़ी गयी थी कि किसी प्रकार की संशोधन की जरूरत पड़ती । लेकिन वोट के लालच में, किसी को लाभ पहुंचाने के लालच में संशोधन करते जा रहे हैं। अभी तक संशोधन माननीय मंत्री जी ला रहे हैं, इसमें इन्होंने यह कहा है कि हम इसमें कुछ जमीन अनुसूचित जातियों को देना चाहते हैं । मान्यवर, यह सही है कि गांव में गरीब लोग रहते हैं और यह सही है । आपकी जिम्मेदारी थी, इस अध्यादेश को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, यदि आप सर्वे कराकर यह देख

लेते कि कितने भूमिहीन हैं, कितनों ने अपना घर बना लिया है । चाहे वह किसी जाति का हो उसके पास जमीन नहीं है तो वह कहां से जमीन के बिना घर बनायेगा । जमींदारी एबोलिशन एक्ट के तहत गांव में बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास जमीन नहीं थी । उनका परिवार बढ़ा उन्होंने घर बना लिया । आपने चकबन्दी को संशोधित कर दिया । 90 दिनों की नोटिस की जगह आपने तीस दिन कर दिया । मान्यवर, नगर निगम, नगरपालिका, म्युनिसपैलटीज और नगर पंचायतों में जो बढ़कर घर बनाते हैं तो कम्पाउन्डिंग करके उसको रेगुलराइज कर दें ।

मान्यवर, हम इसलिए संशोधन करवाना चाहते हैं कि इसमें कहा गया है कि एक मई, 2002 तक जहां कहीं भी कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी की भी जमीन पर घर बना ले तो वह जमीन उसकी हो जायेगी । इसको लेकर गांवों में बड़ा विवाद चल निकला । ग्राम समाज की जमीन पर, लोगों की जमीन पर झोपड़ियां रखनी शुरू कर दी गयीं । मान्यवर, इसको एक मई, 2002 तक बनाने का कोई मतलब नहीं है । यह बहुत कम समय है । दूसरी बात यह है कि यह जो 30 दिन का नोटिस देकर घर बनाने की बात कही गयी है इसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके बाद गिराने की बात नहीं होनी चाहिए और अगर गिराना है तो आपके जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं जो दिन-रात घर ही गिराने का काम करते हैं, उनका घर क्यों नहीं गिराते हैं ? जो लोग भूमिहीन है, चाहे वह अल्पसंख्यक जाति के लोग हों, पिछड़ी जाति के लोग हों उनके लिए आप घर की व्यवस्था क्यों नहीं करते ? मान्यवर, इससे द्वेष पैदा हो रहा है । ऐसा लगता है कि प्रदेश में सिर्फ एक जाति वर्ग के लोगों की सरकार है और इस सरकार के मन में और जातियों के लिए कोई भावना नहीं है । इसलिए मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो बाकी लोग हैं, किसान हैं, उनका परीक्षण करा लिया जाता । अगर वह बहुत दिनों से घर बनाकर रह रहे हैं तो इनकी व्यवस्था कर दीजिए । यह सही नहीं है कि अगर वह आदमी अनुसूचित जाति का नहीं है तो कलेक्टर साहब बुलडोजर लेकर जाते हैं और उनका घर गिरा देते हैं । यह भी सही नहीं कि आप केवल एक ही जाति के लोगों को राहत देते रहे और दूसरी अन्य जातियों के लोगों की अनदेखी कर दें । इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस विधेयक को वापस लिया जाय और इसमें आप फिर से व्यवस्था करें कि जो मकान गिराने की पद्धति है वह सुधारने योग्य है । मान्यवर, मैंने देखा है कि 50-50 साल पुराने घर थे उनमें लोग 50-50 साल से रह रहे थे उनको भी गिरा दिया गया । लोग बैठकर रोते रहे । यह सब इस काले कानून के चलते हुआ । इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है वह इसमें किया जाय । एक बात और इसमें यह है कि अगर तहसील दार आपको पट्टा न दे तो आप स्वयं पट्टा कर लें । आप जानते हैं कि लेखपाल अपने हिसाब से पट्टे की जो सूची तैयार करता है तहसील दार उस पर सहमति दे देता है । तहसीलदार और लेखपाल के रिश्ते बहुत मधुर होते हैं । पहले जब एस०डी०एम० के पास यह सूची जाती थी तो उसमें यह नहीं हो पाता था ।

मान्यवर, मैं इसको मानता हूं कि जब पट्टे हो जाते थे तो जो विरोधी पार्टी होती थी वह स्टे ले आती थी और दस-पन्द्रह साल तक कब्जा उस पर नहीं मिल पाता था । मान्यवर, इसको सुधार करने के लिए आपने एस०डी०एम० को दे दिया । इसमें ए०डी०एम० को अगर कर दें और जिन तहसीलों का मामला है वहीं आकर वे देखें जो धारा 198 के मामले हैं तो अच्छा हो जाय । मान्यवर, समय सीमा इसमें इसलिए नहीं बांधी गयी थी कि कानून के जरिये यह दो एक साल में हो जायेगा । लेकिन आज 20-20 साल लग जाते हैं । जिलाधिकारी फिर कमिश्नर फिर राजस्व परिषद् फिर उच्च न्यायालय यहां तक मामले जाते हैं और इसमें समय लगता है । मान्यवर, हमारे यहां डिगना हबीबपुर गांव है वहां हमारे विजय शंकर चौबे जी, कमिश्नर रहे हैं वहां 32 आदमियों के पट्टे 1974 में हुए थे उन्होंने परीक्षण करने के बाद पाया कि यह गलत बयानी है उसे खारिज कर दिया । उनके दिये हुए फैसले के बाद हाईकोर्ट से

स्टे दे दिया गया । लेकिन उसके बावजूद तहसीलदार ने फसल रखवाकर बेच लिया । मान्यवर, हाईकोर्ट के स्टे के बाद उन किसानों ने गेहूं बोया और खड़ी फसल को एस०डी०एम० और तहसीलदार ने चरवा लिया । आपने स्टे नहीं माना । मान्यवर, इस तरह से यह अधिकारी निर्विघ्न होकर काम करते हैं इसलिए इस तरह के संशोधन न लायें । इसमें सभी जातियों के लिए कर दीजिए बशर्ते भूमिहीन हो, यह हो जाय । मान्यवर, घर गिराने की इजाजत न हो । उसे आप जुर्माना लेकर नियमित कर दीजिए । अगर सड़क पर बनाया है तब तो हटा दें, अगर कहीं बन्जर पर पोखर पर बनाया है तो आप नियमित कर दें और जो पट्टे का अधिकार है थोड़ा-बहुत बड़ाकर उसमें समय सीमा निर्धारित कर दीजिए जो पात्रता सूची तैयार हो उसमें प्रधानों के अधिकारों को लेने की कोशिश मत कीजिए । मान्यवर, पिछली बार आपने सीधा लिख दिया था अबकी बार आपने उसे घुमाकर लिखा है । सारे अधिकार आप अपने राजस्व विभाग के अधिकारियों को दे रहे हैं और जो ग्राम सभाएं हैं उनको आप निष्प्रभावी बना रहे हैं । इसलिए मैं इसका अननुमोदन करता हूं ।

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, मैं माननीय माता प्रसाद जी की भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, जो विचार रखे हैं उस पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए आप कोई ऐसा कानून न बनायें जिससे गांव-गांव में आपसी झगड़े उत्पन्न हों और जिसको फिर सबको भोगना पड़े किसी की मदद कीजिए तो नियमों के तहत जमीनों का मौका मुआयना कराके कीजिए ।

* राजस्व मंत्री (श्री रवि गौतम)–

मान्यवर, माता प्रसाद पाण्डेय जी ने जो अपने अमूल्य सुझाव रखे, उनको तो जब से मैं इस सदन में मुझे अवसर मिला है सदैव ही उनका सम्मान करता हूं और मान्यवर, उदाहरण दिया चौधरी चरण सिंह जी का उनका भी मेरे हृदय में बहुत सम्मान है पर मैं यह कहना चाहता हूं कि संशोधन समय की आवश्यकता होती है । माननीय चौधरी चरण सिंह जी की योग्यता, क्षमता पर कोई प्रश्न-चिन्ह नहीं लगा सकता, वह तो किसानों के मसीहा थे और मैं यह भी चर्चा करना चाहता हूं कि परम् पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत को ऐसी निधि दी जो संसार में विख्यात है ''भारत का संविधान'' और जिसमें कहीं संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती । लेकिन समय के अनुसार परम् पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गयी और संविधान में संशोधन हुए ।

माननीय माता प्रसाद जी और हमारे दूसरे माननीय सदस्य जी ने जो उसका अनुमोदन किया, सहयोग किया, बताया कि उनसे वह अपने आपको सम्बद्ध करते हैं । मैं तो जबसे आया हूं उनकी बात को गौर से सुनता हूं और उनके बहुत ही अच्छे, अमूल्य सुझाव भी होते हैं लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि मेरे बड़े भाई माता प्रसाद जी धोखा खा गये जो उन्होंने अपने सुझाव रखे पहली बात तो यह है कि जो उन्होंने यह कह डाला कि यह मकान गिराने से संबंधित है 122(ख) तो यह मकान से संबंधित है ही नहीं । इसमें तो मात्र यह है कि तीन माह के लिए जो नोटिस जारी होती थी 122(बी) के लिए कोई व्यक्ति अगर किसी भूमि पर अवैध कब्जा कर लेता था तो उसके बाद 122बी चलता था और अनुसूचित जाति को इसका लाभ दिया जाता था । तो वह तीन माह को एक माह कर दिया गया । वे समझ नहीं पाये और मकान की बात ले आये मकान की चर्चा कर गये कि मकान गिराने या न गिराने से बड़ा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संकट पैदा हो जायेगा पता नहीं कितना खून-खराबा हो जायेगा तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसी मंशा भी नहीं है वह संशोधन देख लेते और पढ़ लेते कि इसमें यह संशोधन क्यों किया गया तो इसकी कोई वजह ही नहीं रहती । जो आप बता रहे हैं वह 123ख में आता है किसी भी भूमि में कब्जा होने पर अनुसूचित जाति के कब्जा होने पर वह लाभ उसे दिया जाता है उसके मकान को नहीं गिराया जाता है और इसमें उसका कोई प्रश्न ही नहीं है वह पुरानी धारा है वह 123(1) जो ग्राम समाज की भूमि पर मकान बनाया जाता है । मान्यवर, यह संशोधन लाया गया है मैं समझता हूं कि इस संशोधन को पूरा पढ़ा नहीं और बगैर पढ़े, ही इसका जवाब दे बैठे । मैं समझता हूं यह भूलवश कहा गया है और पहली बार यह चूक उन्होंने की है यह सब निराधार है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, या तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं या तो आप नहीं समझ पा रहे हैं ।

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाये ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण भी सुना और यह जो विधेयक आया है हाउस में, हाउस में आने से पहले ही जो दो घटकों भाजपा और बसपा दोनों में ऐसा लगा कि गृह युद्ध हो जायेगा । हमको जहां तक लगता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के हस्तक्षेप से इसे सदन में आने से पहले ही कुछ संशोधित कर दिया गया । लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि यह विधेयक स्वयं लाभ के लिए है । मैं जो बात कहता हूं बहुत प्रमाण के साथ कहता हूं । इसे गम्भीरतापूर्वक सुनें । यह विधेयक निजी स्वार्थ के लिए लाया गया है प्रदेश के पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए नहीं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ग्राम छिजारसी व लालपुर, परगना व तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर, जिसका अधिग्रहण नोएडा के लिए किया गया था, श्री ताराचन्द पुत्र श्री राम स्वरूप के नाम का मुआवजा रवि गौतम पुत्र श्री राम स्वरूप निवासी मोहल्ला गौतमपुरी, कस्बा, परगना व तहसील दादरी, जनपद गौतमबुद्ध नगर के बासाज तत्कालीन जिलाधिकारी श्री बद्री प्रसाद नीलरत्न (गाजियाबाद) से उठाकर हड़प लिया गया । दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ग्राम गुलिस्तानपुर, परगना दादरी, तहसील व जिला गौतम बुद्ध नगर जिसका अधिग्रहण ग्रेटर नोएडा व यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा किया गया, जिसकी ग्राम सभा/वन विभाग के खसरा नम्बर 1041 रकबा 03-13-00 पुख्ता बीघा का फर्जी पट्टा रविचन्द पुत्र राम स्वरूप निवास दादरी, जिला गाजियाबाद के नाम से बनाकर ग्राम की धारा 52 उ० प्र० जो०चक०अधि०का प्रख्यापन होने के उपरान्त दिनांक 28-05-2001 ई० में चकबन्दी अधिकारी दादरी के न्यायालय में रविचन्द उर्फ रवि गौतम पुत्र राम स्वरूप के नाम से प्रस्तुत कर उपरोक्त न्यायालय पर अपने पद (एम०एल०सी०, उत्तर प्रदेश व वर्तमान में राजस्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार) का

अनुचित दबाव एवं प्रभाव डालकर अपने नाम दर्ज कराने व करोड़ों रुपये की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की । तीसरा यह कि दादरी से सटे व जी०टी० रोड पर स्थित राजस्व ग्राम बढ़पुरा की करोड़ों रुपये की जन उपयोग तालाब की जमीन खाता सं०–447 के खसरा सं०–119 रकबा 0.0759हे०ए० पर एम०एल०सी०रवि गौतम ने अपने पुत्रों सिद्धार्थ गौतम व प्रबुद्ध गौतम फर्जी रूप से धारा 123(1) उत्तर प्रदेश ज०खा०एवं भू०सु० अधि० के तहत अपने पद एम०एल०सी० का दबाव डालकर उपजिलाधिकारी दादरी के आदेश दिनांक 10-10-1997 के तहत दर्ज कराकर खुलेआम भराव कराकर कब्जा कर दिया है । भराव करवाने में वर्तमान उपजिलाधिकारी श्री शेषमणि पाण्डेय का पूर्ण सहयोग रहा । यह खेत में जो दर्ज है खसरा और खतौनी में । मौके पर परती की जमीन इसकी वल्दियत बदल करके की गयी ।

श्री रवि गौतम–

चौधरी साहब व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं इसकी जांच करा ली जायेगी यदि यह सही है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मंत्री जी खुद चाहते हैं तो मैं यह तथ्य आपकी पीठ पर सौंपता हूं, जब आपकी पीठ पर सौंप दिया तो निश्चित रूप से इसकी छानबीन होनी चाहिए । अधिष्ठाता महोदय, यह निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिये विधेयक का 80 प्रतिशत भाग लिया गया है । अब मैंने आपके पास भेज दिया है, वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा । करोड़ों रुपये की भूमि, दूसरे की भूमि, अपने नाम, अपने परिवार के नाम करा लेना कोई बढ़िया बात नहीं है । गरीबों का हक दिलवाने के नाम पर खुद उनका हक छीन कर अरबपति बनने की लालसा निन्दनीय है । यह विधेयक निजी स्वार्थ में लाया हुआ विधेयक है, इसलिये मैंने इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव किया । इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं । बहुत पहले से गांव समाज की किसी भी भूमि को शिक्षा संस्थाओं में अथवा प्रबन्ध समिति को देने की मनाही है । यदि अनुसूचित जाति, जनजाति का व्यक्ति शिक्षण संस्थाओं के लिये जमीन कब्जा कर लेता है तो वह उसकी हो जायेगी, यह इस विधेयक में है । जिसके पास जमीन नहीं है, जो सरप्लस जमीन होती है, उसमें से निकालकर खेत आदि के लिये दिया जाता है । पूरे प्रदेश के किसी गांव सभा की जमीन देने की मनाही है तो अलग से व्यवस्था करना जनता के साथ धोखा है इसलिये यह प्रवर समिति को सुपुर्द करने लायक प्रस्ताव है । एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने एस०डी०एम० को पावर दे दिया, कुछ तहसीलदार को पावर दे दिया और कलेक्टर को अन्तिम मान लिया कि अब कलेक्टर का आदेश अन्तिम होगा । जबकि पहले यह था कि कलेक्टर, कमिश्नर और उसके बाद हाईकोर्ट । सारी चीजें खत्म करके आपने कलेक्टर का आदेश अन्तिम कर दिया । आपने इसलिये अन्तिम कर दिया कि इनके कार्यकाल में जितने गांव के तालाब पोखरे, रास्ते आदि जो जमीनें हैं, उसको तत्काल कब्जा कर लिया जाय इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि माता प्रसाद पाण्डेय जी के संशोधन प्रस्ताव पर आपने कहा कि इसमें मकान गिराने की कोई बात नहीं है, लेकिन मकान बनवाने की बात ही कहां है । आपने कहा कि 10 बरस पहले जो बन गये हैं, उनको हम विनियमित कर देंगे तो क्या सामान्य जाति का कोई व्यक्ति जिसके पास कोई जमीन नहीं है, उसने भी यदि 10 बरस पहले मकान बना लिया हो, कोई अति पिछड़ी जाति का हो, तो उसको भी नियमित करने का काम करेंगे ? साथ ही कलेक्टर को जो अन्तिम मान लिया गया है, उसको तोड़ेंगे कि नहीं ? तीसरी बात जो एस०डी०एम० को पावर दे दिये हैं, उससे तो अराजकता ही हो जायेगी । इसलिये यह जो विधेयक माननीय मंत्री जी द्वारा लाया गया है, यह असंगत है और गैरकानूनी है और यह जनता के साथ धोखा देने वाला है । [illegible] जाति, जन जातियों को भी धोखा देने वाला

है, उनके नाम पर अपने स्वार्थों की पूर्ति करने वाला है यह विधेयक, ऐसा बिल्कुल इस सदन में नहीं करने दिया जाएगा, इसमें बहुत ही विसंगतियां हैं, स्वार्थ परता है, दूसरे की जमीन को अपने नाम रेग्यूलाइजेशन करने का बहुत बड़ा षडयन्त्र है । इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और वह समिति इसके तमाम खण्ड-खण्ड पर विचार करे और तब अपना पूरा प्रत्यावेदन इस सदन में भेजे उसके बाद ये पूरा विधेयक सदन में आये इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्य राम गोविन्द चौधरी जी को भी मैंने बहुत दिनों से सुना; वह आदर के पात्र हैं, पहली बार ऐसा लगा कि इतने वरिष्ठ सदस्य और इतने ओछेपन पर उतर आये कि जन-हित के एक विधेयक को अपनी निजी स्वार्थपरता में सिर्फ कीचड़ उछालने पर उतर आये, मैं सोच भी नहीं सकता था इतने बड़े सम्मानित सदस्य इतनी नीचे तक उतर सकते हैं ।.....

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं यह दस्तावेज आपकी पीठ पर रखता हूं ।

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, व्यक्तिगत आक्षेप की सफाई देना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि ताराचन्द नामक आदमी की जमीन थी, मैं आपको बता दूं कि मैं अनुसूचित वर्ग में पैदा हुआ, जब कभी चर्चा में कहता हूं, मंच पर कहता हूं तो अपने आप को मजदूर परिवार का बताता हूं । जिस नोयडा में सौ गज जमीन के लिए लोग तड़पते हैं, जिस नोयडा में लोग जमीन पाने के लिए लालाइत रहते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मैं वहां के बड़े जमींदार परिवार की पैदाइश हूं, मेरे परिवार की 500 बीघा जमीन है ।

(व्यवधान)

श्री रवि गौतम–

पहले आप लोग सुन तो लीजिए, कानून सबके लिए हैं ।

(व्यवधान)

(विपक्ष के कई सदस्य अपनी जगह खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहते हुए टीका-टिप्पणी करने लगे)

श्री ओम प्रकाश–

मंत्री जी ने तो खुद स्वीकार कर लिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आपस में आप लोग वाद-विवाद न करें ।

श्री रवि गौतम–

सुनने की भी क्षमता रखें । आपने तो गाली हम को दी हमने वह भी बरदाश्त की ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, कृपया आप पीठ की तरफ इंगित करके बात कहें, वाद-विवाद न करें ।

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, हमको आरोपित किया गया, हमने उसको भी बड़ी सहनशक्ति के साथ सुना, हमने जो बात कही है उसको कम से कम यह लोग धैर्यपूर्वक सुनें । जिस आरोप को लगाया उसकी जांच कर ली जाय । मेरा नाम ताराचन्द उर्फ रवि गौतम है, इसकी जांच करा लीजिए । अगर मेरी जमीन है तो उसका मुआवजा भी मैं लूंगा वह राम गोविन्द चौधरी को नहीं मिलेगा, गलतफहमी पाले बैठे हैं । जहां तक अनुसूचित वर्ग को लाभ और बेलाभ की बात है । 123(1) में अपने बच्चों को लाभ दिला दिया, कब लाभ दिला दिया ? 123(1) के मायने क्या हैं ? 123(1) के मायने ग्राम समाज है । 123(2) जिसमें संशोधन भी हो गया, इसके मायने हैं कि किसी कि निजी सम्पत्ति पर कब्जा, मान्यवर, वह राम गोविन्द चौधरी का काम है कि किसी की निजी सम्पत्ति पर कब्जा करेंगे, रवि गौतम का काम नहीं है । .....

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांति बनाये रखिये । मंत्रीजी, केवल मुद्दों पर आइये ।

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, मैं संक्षेप में यह बताना चाहूंगा कि जो संशोधन आये हैं । 122(बी) है, उसमें इतना संशोधन है जिसको हमारे माता प्रसाद पाण्डेय जी कह रहे थे कि पुराना कानून है, आज का नहीं है, जमींदारी विनाश में पहले से मौजूद है । जो समयावधि जून, 1992 थी उसे । मई, 2002 किया गया है । इसके अलावा कोई संशोधन नहीं हुआ है । इसके बाद आगे कहा गया है कि 157(क) में अनुसूचित वर्ग को प्रतिबन्धित इस बात के लिए किया गया है कि जिन लोगों को पट्टा दिया जाता है उसका दुरुपयोग न हो, कोई दबाव में बैनामा न करा ले इसलिए 10 वर्ष तक प्रतिबंधित किया गया है, वह 10 वर्ष तक विक्रय नहीं कर पायेगा । जब संक्रमणीय अधिकार हो जायेगा उसके बाद किसी अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति को बेचता है तो वह व्यक्ति भी 10 वर्ष तक उस जमीन को नहीं बेच पायेगा । ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति भूमिहीन न हों, इसलिए यह प्राविधान किया गया है । इसके अलावा पट्टा निरस्तीकरण का अधिकार है । असंक्रमणीय और आसामी पट्टा का अधिकार असिस्टेंट कलेक्टर के स्थान पर तहसीलदार जोड़ दिया गया है । पट्टा निरस्तीकरण के लिए राजस्व परिषद् और कमिश्नर तक जाता था, एक गरीब आदमी पहले छोटे-छोटे टुकड़ों के लिए परेशान होता है, समयावधि बचाने के लिए सारे अधिकार कलेक्टर तक निहित कर दिया गया, यह सिर्फ उसकी सुविधा के लिए किया गया । इसके अलावा इसमें और कोई विशेष बात नहीं है । पट्टा निरस्तीकरण का अधिकार कलेक्टर के स्थान पर असिस्टेंट कलेक्टर को कर दिया गया और कलेक्टर द्वारा निगरानी अन्तिम होगी । एक संशोधन गरीबों के हित में और किया गया है कि 15–20 साल पट्टा दिये हो जाता था लेकिन कब्जा नहीं मिल पाता था और दबंग किस्म के लोग हैं, बाहुबली हैं, जो कब्जा कर लेते हैं उनके खिलाफ यह लाया गया है । जो काबिज हैं उन पर 5 हजार से लेकर 15 हजार तक जमीन और समयावधि का आकलन करके

जुर्माना किया जायेगा और वह धनराशि उस गरीब को दिलाया जायेगा जिसका हक बनता है । इस तरह से समाज के हित में, जनहित में, दलित हित में, अनुसूचित वर्ग के हित में पीड़ित से पीड़ित व्यक्ति के हित में पं० दीन दयाल उपाध्याय जी के दर्शन के हिसाब से अन्त्योदय के तहत समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े इन्सान के हक व बाबा साहेब अम्बेडकर की नीयत की रीति नीति के तहत गरीबों को हक दिलाने के लिए यह व्यवस्था की गई है । संविधान की व्यवस्था के तहत यह किया गया है । यह छोटे-छोटे संशोधन हैं । हमारी लोकतंत्र में पूरी आस्था है । शायद आप लोग गुमराह हो गए । संविधान में हमारा विश्वास है । संविधान की भावना के अनुरूप जनप्रतिनिधियों का आदर करते हुए यह बातें रखी गईं । केवल विरोध के लिए विरोध जताया जा रहा है । मैं पुनः अपने वरिष्ठ साथियों से अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वह केवल विरोध के लिए विरोध दर्ज न कराएं और अपने अननुमोदन प्रस्ताव को वापस ले लें और सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकृत कराएं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ ।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि "यह सदन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि "यह सदन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

(खण्ड–2)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

यह खण्ड–2 का संशोधन मैंने खण्ड–1 के विरुद्ध किया है । खण्ड–2–ख–1 में शब्द और अंक "3 जून, 1995" के स्थान पर शब्द और अंक "1 मई, 2002" रख दिए जाएं । आपने माना है कि तीन माह के अन्दर नोटिस देकर हटाने की व्यवस्था है । लेकिन यह 1995 से अब तक आपने क्या किया है । अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि पर लोग जबरजस्ती कब्जा करते रहते थे । उसके बावजूद तीन माह की नोटिस देकर उनको क्यों नहीं हटाया, इसलिए तीस दिन की बात कही है । जो नोटिस देने की बात है नोटिस दी ही नहीं जाती है । चपरासी जाता ही नहीं है । इधर की बात नहीं करता हूँ । यह नोटिस गांव में मिलती है । तहसीलदार मेरे यहां गये हैं । घर गिराया है फिर 115(सी) की नोटिस देकर बैक डेट में जुर्माना करते हैं । मान्यवर, इसका दुरुपयोग होगा । पहली बात तो यह है कि अगर कब्जा कर लिया था तो इस पर कार्यवाही होनी चाहिए । अब आप जा रहे हैं नियमित करने । अभी तक आपका प्रशासन क्या करता रहा ? एस०डी०एम०, तहसीलदार क्या करते रहे ? इस कानून के अन्तर्गत 7 सालों तक उनको बसने दिया । आज फिर आये हैं उनको नियमित करने । प्रशासन का दोष है कि नहीं, इसीलिये मैं इसका विरोध करता हूं । दूसरा मैं खण्ड (2) (ख) के अन्तिम पंक्ति के शब्द कोई न निकाल दिया जाय । इसमें आपने दिया है कि 195 में वह स्वतः मान लिया जायेगा और उसको कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा । पहले तो वह कोर्ट में जायेगा दरखास्त देगा कि इतने दिनों से कब्जा है । आपने इसमें वह सब हटा दिया है उसको स्वतः कर दिया है । कोई वाद मुकदमा दायर नहीं करना पड़ेगा । स्वयं तहसीलदार प्रमाणित करके दे देंगे । पहले लेखपाल रिपोर्ट देता था कि इतने दिनों से कब्जा था । अब आप इसको हटा दे रहे हैं । उस भूमि पर अपने अधिकार को घोषित करने के लिये कोई वाद संस्थापित करना आवश्यक नहीं होगा । मैं तो कह रहा हूँ कि यह वाद करना आवश्यक होगा । न जो आप हटाने की बात कर रहे हैं उसको न हटाया जाय । मान्यवर, आप कह रहे हैं लेकिन आगे चलकर यह विवाद होगा । कोई भी अधिकारी किसी को भी लिखकर दे देगा चाहे कब्जा हो न हो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी । गाँवों की जमीन की चकबन्दी आप करते नहीं । इन सबकी जमीन का बंटवारा कर दीजिये जैसे कृषि योग्य भूमि का किया है, वैसे ही इसको भी कर दीजिये । लेकिन आप इसके लिये तैयार नहीं है । किसका कब्जा होगा, कैसे पता लगेगा । पहले अधिकारी का नहीं चलता था । प्रधान

गवाही देता था । उस अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सिद्ध करना होता था कि मेरा कब्जा है । अब आपके अनुसार उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी इसलिये मैं इसका विरोध कर रहा हूँ । आगे खण्ड–3 में .....

श्री अधिष्ठाता–

उसको बाद में कहियेगा ।

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ । पुनः कहने में कोई संकोच नहीं है कि माननीय माता प्रसाद जी का मैं बेहद आदर करता हूँ लेकिन पता नहीं कैसे वह बड़बड़ कर रहे थे । न विरोध की उम्मीद थी न यह उम्मीद थी कि बगैर पढ़े हुए आयेंगे । आज पहली बार चूक उन्होंने की है इसलिये इन्हें पढ़ाई करने का अवसर दिया जाय और पढ़कर मेरे चैम्बर में या रास्ते में जहाँ पर सुझाव देंगे उनको मैं पूरा सम्मान दूँगा । मैं उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ और पुनः विनती करता हूँ कि आप जैसे वरिष्ठ सदस्य औरों को छोड़ दीजिये जो विरोध के लिये विरोध दर्ज करते हैं आपसे सिर्फ यह उम्मीद की जाती है कि आप समर्थन करेंगे आप अपना अननुमोदन वापस ले लीजिए ताकि यह सर्वसम्मति से पारित हो सके ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि अनुसूचित जनजाति के लिए है, खेतिहर मजदूर के लिए गाँव का कोई भी खेतिहर मजदूर है वह चाहे किसी जाति का हो अगर भूमिहीन है उसके लिए यह कर दें यह नैसर्गिक न्याय है जो खेतिहर भूमिहीन मजदूर हैं उनमें लागू किया जाए ।

श्री रवि गौतम–

यह पहले से मौजूद है अनुसूचित जाति के अलावा जो खेतिहर मजदूर हैं यह सबके लिए है ।

खण्डशः विचार

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 122-ख का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 122 ख में,–

(क) उपधारा (3) में, शब्द ''तीन मास'' के स्थान पर शब्द ''तीस दिन'' रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (4 च) में,–

(एक) शब्द और अंक "3 जून, 1995" के स्थान पर शब्द और अंक "1 मई, 2002" रख दिये जायेंगे ;

(दो) शब्द और अंक "यह समझा जायगा कि उसे वह भूमि असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में धारा 195 के अधीन उठा दी गयी है ।" के स्थान पर शब्द और अंक "उसे वह भूमि असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में धारा 195 के अधीन उठा दी जायगी और उसके लिये उस भूमि में असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में अपने अधिकारों की घोषणा के लिये कोई वाद संस्थित करना आवश्यक न होगा ।" रख दिये जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 के उपखण्ड (ख) (एक) को निकाल दिया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 के उप खण्ड (ख) (दो) की अंतिम पंक्ति में शब्द 'कोई' तथा शब्द 'न' निकाल दिये जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 इस विधेयक का अंग माना जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–3

3–मूल अधिनियम की धारा 123 में उपधारा (1) शब्द और अंक "3 जून, 1995" के स्थान पर शब्द और अंक "1 मई, 2002" रख दिये जायेंगे । धारा 123 का संशोधन

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मूल अधिनियम की धारा में एक शब्द, 3 जून, 1995 के स्थान पर 1 मई, 2002 रख दिया जाये । फिर वही सवाल है । इतने दिनों बिठाये रखा कैसे एस०डी०एम० को मुअत्तल किया जाए ? कैसे तहसीलदार को लिया जाये ? जो नैसर्गिक मानवीय आवश्यकता है उनके लिये कानून बना रहे हैं इसलिये जैसा मैं पहले कह चुका हूँ इस पर मतदान करायें ।

श्री रवि गौतम–

कुछ नहीं कहना है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–3 निकाल दिया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–3 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–4 व 5

धारा 157–कक का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 157–कक में उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :–

"(5) उपधारा (1) के अधीन किसी भूमि के अन्तरिती को, उसके पक्ष में अन्तरण के दिनांक से दस वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व विक्रय, दान, बन्धक, या पट्टे पर भूमि को अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा ।"

धारा 157–खख का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 157–खख में उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :–

"(5) उपधारा (1) के अधीन किसी भूमि के अन्तरिती को, उसके पक्ष में अन्तरण के दिनांक से दस वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व विक्रय, दान, बन्धक, या पट्टे पर भूमि को अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा ।"

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–4 व 5 इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–6

धारा 195 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 195 में शब्द "परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "तहसीलदार" रख दिया जायगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, अधिनियम की धारा–195 में पढ़कर सुना रहा हूं । मंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने पढ़ा नहीं है इसलिए पढ़कर सुना रहा हूं मूल अधिनियम की धारा–195 में परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर के स्थान पर तहसीलदार रख दिया गया है अब तक जो पट्टे की कार्यवाही होती थी, जो फाइनल लिस्ट होती थी वह एस०डी०एम० करता था पर यह काम तहसीलदार को मिल जायेगा । मंत्री जी का कहना है सहूलियत हो जायेगी, लोगों को प्रस्ताव नहीं करना पड़ेगा, तहसीलदार कार्य कर लेगा आप भी गांव में रहते हैं पट्टे की जमीन का कोई विवाद होता है, अगर जमीन निकाल कर ग्राम सभा की जमीन में जाती है तो 115 सी की कार्यवाही की जाये उसमें कोई विवाद नहीं है । होता क्या है लेखपाल अपने घर में बैठकर कुछ दलालों के साथ बैठकर रुपया लेकर उल जलूल खसरा और खतौनी कर देता है और पट्टा बना देता है । वह मौके पर निरीक्षण नहीं करता है कि गढ्ढा है कि कुंआ है, दरवाजा है । परिणाम यह होता है कि 195 पर मुकदमें भरे पड़े हैं । कलेक्टर के यहां दस-दस साल से मुकदमा चलता है । अगर

तहसीलदार को छूट मिल जायेगी, सूची तैयार करने में पहले तहसीलदार का योगदान होता था तभी गड़बड़ियां होती थीं, तो तहसीलदार को पूरा अधिकार मिल जाय इससे अच्छा है कि इसको पहले वाला ही रहने दीजिये । एस०डी०एम० थोड़ा ऊंचा होता है इसलिए उसको दे दिया जाय । इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, अब तो इसको पारित करा दीजिये । मान्यवर, जब यह अलग से मुझसे मिले थे तो कह रहे थे कि बहुत अच्छा विधेयक आप लाये हो । मान्यवर, हर पार्टी में अपने-अपने आका को खुश करने के लिए विरोध के फलस्वरूप कुछ कहा जाता है और यही यह कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–6 निकाल दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि खण्ड–6 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–7

7–मूल अधिनियम की धारा 197 में शब्द "परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "तहसीलदार" रख दिया जायगा । धारा 197 का संशोधन

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, असिस्टेन्ट कलेक्टर लिखा है । इसमें भी वही है अतः इसका मतदान करायें ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–7 निकाल दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि खण्ड–7 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–8

8–मूल अधिनियम की धारा 198 में, धारा 198 का संशोधन

(क) उपधारा (4) में, शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "परगने के इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर" रख दिये जायेंगे ।

(ख) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"(4-क) कलेक्टर स्वप्रेरणा से या किसी क्षुब्ध व्यक्ति के आवेदन पर, उपधारा (4) के अधीन किसी ऐसे वाद या कार्यवाही के अभिलेख को, जिसे परगने के इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर द्वारा विनिश्चित किया गया हो, ऐसे वाद या कार्यवाही में पारित किसी आदेश की वैधता या औचित्य से स्वयं को संतुष्ट करने के लिए मंगा सकता है और यदि यह प्रतीत होता है कि ऐसे परगने के इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर ने–

(एक) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है ; या

(दो) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है जो इस प्रकार निहित है ; या

(तीन) अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है ;

तो कलेक्टर मामले में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे और इस उपधारा के अधीन कलेक्टर द्वारा पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा ;

(ग) उपधारा (7) में शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "परगने के इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर" रख दिये जायेगें ;

(घ) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

" (8) उपधारा (4) के अधीन परगने के इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश उपधारा (4–क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा ।"

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

इसमें यह व्यवस्था है, मान्यवर इसके खण्ड–8 के "घ" का मैं विरोध करता हूं । इसमें यह है कि उपधारा–(4) के अधीन परगने के इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, उपधारा (4–क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा । उपधारा (7) में शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "परगने के इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर" रख दिये जायें यह लिखा है । इसमें कलेक्टर को छोटा कर दिया है । यही अधिकार प्रधान को दे दिये होते तो अच्छा होता । मान्यवर, पहले कलेक्टर के आदेश अन्तिम हुआ करते थे । अब यह है कि जो किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तहसीलदार के विरुद्ध एस०डी०एम० के यहां जायेंगे । एस०डी०एम० का आदेश अन्तिम होगा । अब हम अपीलेट में नहीं जायेंगे फिर रिवीजन में जाना होगा । इन्हें बैठकर समझाना होगा जिससे समझ में पूरी बात इनकी आ जाय । एस०डी०एम० का आदेश अन्तिम होगा । अगर उसने फैसला कर दिया तो हम कलेक्टर की अपीलेट में नहीं जायेंगे रिवीजन में जायेंगे.....

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट की गरिमा को कम मत करिए । अगर आपको शिकायत है तो आप एक कमेटी बना दीजिए जिसमें तहसीलदार, असिस्टेन्ट कलेक्टर, ग्राम प्रधान और कलेक्टर भी रहेगा इससे इसकी विसंगतियां भी दूर हो जाएंगी ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड–8 के उपखण्ड (ग) को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि खण्ड–8 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

खण्ड–8 इस विधेयक का अंग बन गया ।

खण्ड–9 से खण्ड–11 तक खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा ।

(2) धारा 2, 3, 4 और 5 दिनांक 21 जून, 2002 को धारा 9 दिनांक 18 जुलाई, 2002 को धारा 6, उपधारा 7, धारा 8 और धारा 10, दिनांक 20 जुलाई, 2002 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी तथा शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

धारा 198-क का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 198-क में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(1-क) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन बेदखल किये जाने के पश्चात् विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुनः अध्यासन करता है, वहां असिस्टेन्ट कलेक्टर, उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे व्यक्ति को निदेश देगा कि वह ऐसी क्षतिपूर्ति, जिसे वह भूमि की स्थिति और गुणवत्ता और ऐसे अन्य कारकों, जिनका उक्त विषय पर प्रभाव पड़ सकता है, पर विचार करते हुए उचित समझे, प्रदेशनगृहीता को दे :

प्रतिबन्ध यह है कि क्षतिपूर्ति की धनराशि प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर पांच हजार रुपये से कम और पन्द्रह हजार रुपये से अधिक नहीं होगी ।

(1–ख) उपधारा (1–क) के अधीन असिस्टेन्ट कलेक्टर के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर कलेक्टर के समक्ष ऐसी रीति से जैसा विहित की जाय, एक अपील प्रस्तुत कर सकता है और कलेक्टर का आदेश अन्तिम होगा ।

(1–ग) यदि उपधारा (1–क) के अधीन असिस्टेन्ट कलेक्टर द्वारा, या उपधारा (1–ख) के अधीन अपील किये जाने पर कलेक्टर द्वारा किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने के लिये निर्देशित किये जाने पर, वह यथास्थिति, असिस्टेन्ट कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नियत समय के भीतर उसका भुगतान करने में असफल रहता है तो उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जायगी और उसका भुगतान प्रदेशनगृहीता को किया जायेगा ।''

धारा 333 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 333 में, उपधारा (1) में, शब्द ''किसी ऐसे वाद या कार्यवाही के अभिलेख को मंगा सकता है'' के पूर्व शब्द ''धारा 198 की उपधारा (4–क) के अधीन किसी कार्यवाही से भिन्न'' बढ़ा दिये जायंगे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2002, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2002, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2002

निरसन और अपवाद

11–(1) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2002, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002, तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2002, एद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

प्रश्न यह है कि खण्ड–9 से खण्ड–11 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

हां की संख्या अधिक है अतः खण्ड–9 से 11 तक खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गये ।

राजस्व मंत्री (श्री रवि गौतम)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002, पारित किया जाय ।

(व्यवधान)

(श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री शारदानन्द अंचल तथा श्री वसीम अहमद अपने स्थान पर खड़े हो गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम गोविन्द चौधरी जी आपने अपने कागज पीठ को भेज दिये हैं उन्हें दिखवा लिया जायेगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आप मंत्री जी को कहें कि अगर वह स्वीकृत हो कि यह बात गलत है तो.....(व्यवधान)

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, जब आपने मद संख्या–31 ले ली और माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर दिया उसके बाद श्री राम गोविन्द चौधरी व्यक्तिगत आक्षेप पर बोल रहे हैं जो कि विधेयक के संशोधन प्रस्ताव से सम्बन्धित नहीं है इसलिए यह कार्रवाई का अंग नहीं बनना चाहिए । मेरा अनुरोध है कि यह व्यक्तिगत आक्षेप है इसलिए यह कार्रवाई का अंग नहीं बनना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन), विधेयक, 2002, को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002

परिवहन, पर्यावरण, आबकारी, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाये ।

मान्यवर, यह विधेयक इसी सदन से पास होकर गया है इसमें केवल संशोधन यह आया था कि विधान परिषद् में श्री राम आशीष राय एवं श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी द्वारा जो इसमें 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए, 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए और 25 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के लिए प्रवेश में आरक्षण रखा गया है, उसमें अनुसूचित जाति के लिए यथावत् बनाये रखें और जो 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए है उसको पिछड़ी जाति में जोड़ दिया जाये अर्थात् पिछड़ी जातियों के लिए जो आरक्षण 25 प्रतिशत रखा है उसे जोड़कर उसे 27 प्रतिशत कर दिया जाये । यह संशोधन प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया है । कृपया इसे सर्वसम्मति से पारित कराने का कष्ट करें ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, जिस दिन यह विधेयक यहां आया था उस दिन सदन अव्यवस्थित था । मान्यवर, यह एक अनोखा विधेयक है आज तक किसी भी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति राज्यपाल होता है लेकिन इसमें कुलाधिपति खुद मुख्य मंत्री को मान लिया गया है । उस दिन पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य अपने विचार रखना चाहते थे ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि जैसा विधान परिषद् से आया है संशोधनों पर विचार किया जाये । मान्यवर, वहां से कुलाधिपति के बिन्दु पर कोई संशोधन नहीं आया है । इसलिए उस पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता । इसमें केवल अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण वाला बिन्दु परिवर्तित होकर आया है कि उसे पिछड़ी जाति में जोड़ दिया जाये । मान्यवर, अब अनुसूचित जनजाति की आबादी 10 हजार से कम है इसमें कहां आपत्ति हो सकती है ?

हमें केवल आरक्षण वाले बिन्दु पर विचार करनी है, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, इसमें यथावत विचार करना चाहिए ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

इसको आप पढ़ लीजिए इसमें है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, विधान परिषद् से जो संशोधन आये हैं उस पर जो विचार रखने हों उनको मैं सुनने को तैयार हूं और मैं उसका जवाब भी दूंगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी ने कहा वही तो मैं भी कह रहा हूं । मान्यवर, नियमावली के सबसे बड़े विद्वान हैं बाजपेयी जी सबेरे फंस गये नियम–300 में और इस वक्त फिर फंस गये इस पर विचार तो हो ही सकता है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि 27 प्रतिशत है और 23 प्रतिशत है लेकिन जो दो प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का था उसको आपने अनुसूचित जाति को दे दिया आप पिछड़े वर्ग का 27 प्रतिशत कर रहे हैं लेकिन अनुसूचित जनजाति का क्या होगा क्या इसमें अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है, यह बता दें । मान्यवर, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को कहां ले गये ।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, अभी माननीय माता प्रसाद जी ने एक स्पष्टीकरण चाहा है उस पर मैं बता दूं कि लोक सेवाओं के पदों पर नियुक्ति पर यह नहीं है यह प्रवेश से सम्बन्धित है और जहां तक आपकी जिज्ञासा है उसको भी मैं स्पष्ट कर दूं कि जो नियम–300 के अन्तर्गत सूचना डाली गयी थी उसमें लिख कर दे दिया था । मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय का एक विशेष अधिनियम है उसमें प्रस्ताओं पर हूबहू विचार करने अथवा उसका पालन करने की कोई व्यवस्था नहीं है यानी कोई हम विवश नहीं हैं कि हम हूबहू मानें जो लोक सेवा आयोग से नौकरी दी जाती है यह उससे संबंधित नहीं है यह सबको ध्यान में रखकर किया गया है अभी दो प्रतिशत की बात कही गयी है । उत्तरांचल बन जाने के बाद जो अनुसूचित जनजाति है वह उत्तरांचल में ही है इसलिए अनुसूचित जनजाति का कोई ऐसा सवाल नहीं है, इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आज तक विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति महामहिम श्री राज्यपाल महोदय हुआ करते थे इस नये विश्वविद्यालय का जो विधेयक लाया गया है इसमें मुख्य मंत्री को कर दिया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार–

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड सं०–6 के प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायें ।

प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 23 प्रतिशत और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27 प्रतिशत सीट आरक्षित रखेगा ।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या–71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या–75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं०–71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,98,28,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं०–75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,73,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा का बजट आज सदन के सामने रख रहा हूं। मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा मानव जीवन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती है और शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य में सद्गुणों का विकास कर आदर्श मानव का विकास होता है। जिस तरह से किसी भवन में जो नींव है उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसी तरह से मानव जीवन के विकास में प्राथमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारा जो विकास होता है हमें आगे-आगे जो सीखने समझने का अवसर मिलता है वह प्रारम्भिक नींव के आधार पर ही मिलता है और इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भी प्राथमिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान देने का काम किया है। उन्होंने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के अन्तर्गत भी 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बालक-बालिकाओं को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने की बात कही है। उसके अनुसार हमें प्राथमिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाकर निश्चित रूप से पूरे देश में साक्षरता के प्रतिशत को 100 प्रतिशत तक पहुंचाने का काम करना चाहिए था। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। जो हमारा लक्ष्य था, आज हमारी आवश्यकता थी कि हम प्रत्येक बालक-बालिकाओं को अनिवार्य शिक्षा देने का काम कर सकते, उस दिशा में पूरी तहर से सफल नहीं हो पाया हूं लेकिन सरकार ने इस दिशा में सतत प्रयास किया है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया जाय। उसमें गुणवत्ता में सुधार करने का काम किया जाय। इसीलिये मान्यवर, सरकार ने कई योजनायें चलाने का काम किया है। हमारा जो लक्ष्य है, उसमें निश्चित रूप से गुणवत्ता प्राप्त करने के लिये कुछ बिन्दु रखे गये हैं, जिनको सरकार चलाने का काम कर रही है (1) प्रत्येक बालक के लिये उसकी सामान्य पहुंच के भीतर विद्यालयों की स्थापना (2) विद्यालय भवनों का निर्माण। (3) विद्यालयों की मरम्मत एवं भौतिक संसाधनों को उपलब्ध कराना। (4) सभी बालक/बालिकाओं को प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित कराना। (5) विद्यालयों में अध्यापकों की समय से एवं पूर्णकालिक उपस्थिति सुनिश्चित कराना (6) शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिये न्यूनतम अधिगम आधारित पाठ्यक्रम एवं पुस्तकों का निर्माण (7) बालिका शिक्षा का विस्तार।

मान्यवर, इस दिशा में पहल करते हुए हमारी सरकार और माननीया मुख्य मंत्री जी ने 5 जुलाई, 2002 को इस प्रदेश में स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत बाबू सिंह स्टेडियम मैदान से एक आह्वान किया। इस अभियान शुरू होने के पहले स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 296.8 लाख थी। स्कूल

चलो अभियान के बाद दिनांक 31-7-2002 तक प्रदेश में नामांकन की यह संख्या 39.7 लाख पहुंच गई। इस प्रकार 31-7-2002 तक कुल नामांकन 336.5 लाख पहुंच गये। इस दिशा में हमने यह कदम उठाने का भी काम किया, जिसके चलते प्रदेश में हमें कुछ अपेक्षित सफलता मिली, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। जो हमारे प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें परिषदीय विद्यालयों में 88684 प्राथमिक विद्यालय हैं और जो मान्यता प्राप्त हैं, उनकी संख्या 30988 है। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,19,672 विद्यालय हैं।

मान्यवर, दूसरी तरफ जो उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या है, वह परिषदीय की 15031 है जो मान्यता प्राप्त है, उनकी संख्या 16470 है। इस प्रकार कुल संख्या 31,501 है। इसी के साथ जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें अध्यापकों की संख्या में कुल स्वीकृत पद 260081 है और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कुल स्वीकृत पद संख्या 57410 है। इसके सापेक्ष हमारे पास शिक्षकों की कमी है और वर्तमान में जो कार्यरत शिक्षक हैं, उसके अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में 204407 हैं और उच्च प्राथमिक में अध्यापकों की संख्या 47113 है। इस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों में 55674 पद रिक्त चल रहे हैं और उच्च प्राथमिक में इस समय 10297 पद रिक्त हैं। इस तरह जो शिक्षकों की कमी है, उसको दूर करने के लिये हमने इस बजट में बजट को बढ़ाने का काम किया है, जिससे आगे चलकर हम इस कमी को पूरा कर सकें। मान्यवर, हमने जो बजट रखा है, वह पिछले वर्ष 3634.80 लाख था, इस वर्ष 2002-2003 में मूल बजट रु० 3994.18 करोड़ प्रस्तावित किया गया है, जो कि गत वर्ष की तुलना में रु० 359.38 करोड़ अधिक है इस तरह से बजट में हमने बढ़ाने का काम किया है जिससे हम जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें सुधार कर सकें और जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको पा सकें। लगभग 359.38 करोड़ रुपये का बजट में अधिक प्राविधान किया है। 6.7 प्रतिशत था पहले पूरे बजट का अब 7.27 प्रतिशत करने का हमने कार्य किया है। जो कार्यक्रम पिछले वर्षों से चल रहे हैं उसमें पहला था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–11 जो 1997-98 से शुरू हो करके वर्ष 2002-2003 में मार्च तक यह समाप्त हो जाएगा। तो मान्यवर, हमने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–11 के अन्तर्गत हमने यह निर्णय लिया है कि 165 विद्यालय भवन, 900 अतिरिक्त कक्ष-कक्षों का निर्माण तथा 165 विद्यालयों की मरम्मत की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त अवशेष निर्माण कार्य, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों का वितरण, शिक्षकों का वेतन, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक अनुदान, विद्यालय अनुदान की व्यवस्था प्रस्तावित है। हमारी ये योजनाएं केन्द्र के सहयोग से हैं जिसमें केन्द्र का 85 प्रतिशत हिस्सा होता है और राज्य सरकार का 15 प्रतिशत हिस्सा होता है। यही नहीं हमने 2002-2003 में 65.00 करोड़ की बजट व्यवस्था आय-व्यय में प्रस्तावित की है। दूसरी योजना जो चल रही है जिला प्राथमिक शिक्षा–111 जिसे अप्रैल, 2000 में प्रारम्भ किया गया था, प्रदेश के 32 जनपदों को आच्छादित करने का काम किया गया है। इन 32 जनपदों में 2179 नवीन प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 5382 शौचालय 4378 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, 326 बी०आर०सी० तथा 2059 एन०पी०आर०सी० का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही साथ इसमें शिक्षारत अध्यापक हैं उनको भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। प्रदेश में 106324 अध्यापकों को इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित करने का काम किया गया है और विभिन्न ग्राम सभाओं में ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित करने का काम इस उद्देश्य से किया गया है कि जिससे वह प्रेरित करें कि और अधिक बच्चे विद्यालयों में आ सकें। वर्ष 2002-2003 में 296 नवीन प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त 267 जर्जर विद्यालयों का पुनर्निर्माण, 1162 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण, 1291 शौचालय तथा 238 एन०पी०आर०सी० के निर्माण का लक्ष्य रखा गया

है । सभी शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण दिया जायेगा । प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है । वर्ष 2002-2003 में उपर्युक्त कार्यों हेतु आय-व्यय में राज्यांश रु० 52.88 करोड़ का वित्तीय प्रावधान प्रस्तावित है । इसमें 85 प्रतिशत केन्द्र का अंश है और 17 प्रतिशत राज्यांश है । 32 जनपदों में यह कार्य समयबद्ध किया जा रहा है । इसी तरह से 2001-2002 में एक सर्व शिक्षा अभियान आरम्भ किया गया, जिसमें 85 प्रतिशत केन्द्र का और 15 प्रतिशत राज्य का अंश था लेकिन 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002-2003 में लागू होगी, उसमें केन्द्र का अंशदान 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का 25 प्रतिशत अंशदान है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2002-2003 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 1433 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 1872 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 1073 प्राथमिक विद्यालयों तथा 426 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण, 10285 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण तथा 9026 शौचालयों की व्यवस्था रखी गई है ।

(इस समय 5 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी'' पीठासीन हुए)

इसके अतिरिक्त कक्षा 1-8 तक समस्त बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था है । वर्ष 2002-2003 में सभी 70 जनपदों में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के संचालन हेतु राज्य अंश के रूप में 112.69 करोड़ रुपये का वित्तीय प्राविधान किया गया है । जो असेवित क्षेत्र है उसमें नवीन विद्यालय के लिए है ।

यह व्यवस्था की गयी है डेढ़ किलोमीटर की दूरी और 300 की आबादी पर एक प्राथमिक विद्यालय होगा । बहुत से ऐसे मजरे हैं जो छूट जाते हैं जिनकी आबादी 300 की नहीं होती, ऐसी जगहों पर हमारे बच्चे पढ़ सके इसके लिए शिक्षा गारण्टी योजना बनायी गयी है । जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की, कामकाजी बच्चों के लिए इसमें व्यवस्था की गयी है । उनकी भी कक्षा 1 से 2 तक पढ़ाई इस केन्द्रों के माध्यम से हो सकेगी । वर्ष 2001-2002 में 16 जनपदों में 2179 शिक्षा गारण्टी केन्द्र स्वीकृत किये गये थे जो स्थापित हो रहे हैं । वर्ष 2002-2003 में 1760 शिक्षा गारण्टी केन्द्र, 1688 वैकल्पिक एवं नावाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है जिसके लिए वर्ष 2002-2003 में राज्य अंश के रूप में 5 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गयी है । इसी तरह से प्रधान मंत्री ग्रामोद्य योजना के अन्तर्गत जो जर्जर विद्यालय हैं या नवीन विद्यालय हैं जिनकी दशा ठीक नहीं है, उसको सुधारने का काम है, उनके विद्यालय भवन को बनाने का काम है इस योजना के तहत किया जाता है । वर्ष 2002-2003 में 60 करोड़ रुपये के बजट का प्राविधान किया गया है । इसी तरह से ग्यारवें वित्तीय आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के आधार पर भी वर्ष 2002-2003 में 361 उच्च प्राथमिक विद्यालय 863 अतिरिक्त कक्ष-कक्षाओं की स्थापना हेतु इस बजट में 22 करोड़, 31 लाख, 50 हजार रुपये का प्राविधान आय-व्ययक में प्रस्तावित किया गया है जिसके आधार पर भी हम विद्यालय भवन की स्थापना करने का काम कर रहे हैं । मान्यवर, इसी तरह से सघन क्षेत्रीय विकास योजना के तहत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जा रही है । उक्त योजना के अन्तर्गत 367 प्राथमिक विद्यालय तथा 493 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है । वर्ष 2001-2002 में उक्त योजनान्तर्गत भारत सरकार 250 कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु प्रति विद्यालय 1.60 लाख की दर से 4 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गयी थी । इस वर्ष अल्पसंख्यक बस्तियों में जो विद्यालय अधूरे पड़े हैं उनका निर्माण हो सके, उनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके इसके लिए 6 करोड़, 63 लाख 60 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है । वर्ष 2002-2003 के बजट प्राविधान में प्रदेश में 1729 प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करने जा रहे

हैं जिसमें 296 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत और 1433 सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत। इसी तरह के उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जहाँ तक बात है वर्ष 2002-2003 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2238 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया है। वर्ष 2001-2002 में 1064 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य था वहीं इस वर्ष इसे बढ़ाकर 2238 विद्यालय किया गया जिसमें सर्वशिक्षा अभियान में 1873 विद्यालय, ग्यारहवें वित्त आयोग के माध्यम से 361 विद्यालय, बार्डर एरिया विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 विद्यालय, कुल मिलाकर 2238 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसी तरह से 4379 शिक्षा गारण्टी केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है। मान्यवर, आज प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें विद्यालय भवन की कमी, दूसरी तरफ जो जर्जर भवन हैं उनके मरम्मत की जरूरत बड़े पैमाने पर महसूस होती है सभी सदस्य इस बात को हमेशा उठाया करते हैं कि हमारे विद्यालय के भवन ठीक नहीं हैं उसका सुधार होना चाहिए। इसी तरह से नवीन विद्यालय खोलने का भी लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। जो हमने निर्णय लिया है बजट के माध्यम से सरकार ने निर्णय लिया है उसके अन्तर्गत वर्ष 2002-2003 में नवीन विद्यालय 1729 प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे व दूसरी तरफ 1505 जो पुराने जर्जर भवन हैं उनका पुनर्निर्माण करके नया बनाने का काम किया जाएगा।

इस तरह से वर्ष 2002-2003 में कुल 3,234 नए विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। यह नवीन और पुराने जर्जर भवन मिलाकर होंगे। वहीं दूसरी तरफ उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें 426 जर्जर विद्यालयों का पुर्ननिर्माण किया जाएगा व 2238 नवीन विद्यालय की स्थापना की जाएगी इस तरह से कुल 2,664 विद्यालयों उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण वर्ष 2002-2003 में किया जाएगा। इस तरह से कुल 5,898 प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल मिलाकर विद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय सरकार द्वारा मा० मुख्य मंत्री द्वारा किया गया है। इसी तरह से शिक्षकों की उपलब्धता की स्थिति पर चर्चा होती है। माननीय सदस्य जब बजट में हिस्सा लेंगे उस समय इसका सबसे ज्यादा जिक्र आएगा कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। इस कमी को स्वीकार करता हूँ। आज 55,674 सहायक अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं इसका कारण है कि हमारी जो शिक्षक नियमावली है उसके अन्तर्गत बी०टी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक ही सेवा नियमावली के आधार पर नियुक्त करने का प्राविधान है। हमारे यहाँ 56 डायट चल रहे हैं जिसमें से प्रत्येक में 100 की स्ट्रेन्थ है। प्रत्येक वर्ष 5600 लोग बी०टी०सी०, शिक्षण प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष 8 हजार से 9 हजार के बीच अध्यापक रिटायर होते हैं जिससे पद भर नहीं पाते हैं। यह हमारी समस्या है। इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बात का प्रयास किया है कि हमारे अतिरिक्त जिले हैं जिन जिलों में डायट नहीं है ऐसे 17 जिलों में इसकी व्यवस्था हो जाए। जिससे इन 17 जिलों में बी०टी०सी० प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था की जाए।

अध्यापकों की कमी को ध्यान में रखते हुए 1998 में भी विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण के तौर पर बी०एड०, सी०पी०एड० प्रशिक्षण प्राप्त अध्यर्थियों की नियुक्ति की गई इस तरह के 23 हजार अध्यापकों की नियुक्ति की गई। वर्ष 2001 में भी 20 हजार विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त 20 हजार अध्यापकों के चयन की कार्यवाही पूरी की गई थी लेकिन मा० उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध कुछ लोगों ने जाने का काम किया और मा० उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश कर दिया और पूरी चयन प्रक्रिया की निरस्त करने का काम किया। उस आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष अपील के माध्यम से मा० उच्च न्यायालय में गई है। जो विचाराधीन है वहाँ से निर्णय के उपरान्त ही इस पर आगे

की कार्यवाही सम्भव हो पाएगी ऐसा में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ । लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा का कार्य प्रभावित न होने पाए इसलिए सरकार ने शिक्षा मित्र का मानदेय पर रखने की योजना चलाने का काम किया है जिसके अन्तर्गत 2250 रुपए पर शिक्षा मित्र को मानदेय पर रखने की व्यवस्था की है । जो ग्राम पंचायतों के ही इण्टर पास अच्छे विद्यार्थी होने हैं उनका चयन शिक्षा समितियों के माध्यम से उनको अधिकार दे दिया गया है कि शिक्षा मित्रों का चयन करें । इसके आधार पर प्रदेश में 34,8.36 शिक्षा मित्रों का चयन किया गया है । जिससे कमी जो है उसको किसी तरह से हम पूरा कर सकें । अध्यापकों की कमी को हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके । शिक्षक समय पर उपलब्ध रहें इस सम्बन्ध में भी प्रयास किया गया है । सभी अधिकारियों को निदेशित किया गया है कि वह समय से हर विद्यालय का निरीक्षण करके इस बात की भी गारण्टी दें कि हमारे जो शिक्षक हैं वह समय से स्कूल पहुँचे व सही शिक्षा देने का काम करें । इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है । हमको पूरा विश्वास है कि सभी के सहयोग से हमको सफलता प्राप्त होगी । जहाँ तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण का सवाल है । इस बारे में भी मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारा जो सर्व शिक्षा अभियान है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है उसके तहत भारत सरकार की गाइड लाइन के आधार पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कक्षा 1 से 8 तक के अनुसूचित जाति के बालक बालिकाओं और सभी जाति के बालक बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देने की व्यवस्था की गई थी लेकिन प्रदेश की सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रदेश के बजट से 1 से 5 तक के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देने का फैसला 31 जुलाई, 2002 को करने का काम किया है । इसके तहत पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है ।

आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि प्रदेश में लगभग 1,58,70,000 बालक बालिकाओं जिनमें से कक्षा 1 से 5 तक के अनुसूचित जाति और सभी वर्ग के बालक बालिकाओं को 98,87,000 और कक्षा 6 से 8 तक के 13,36000 अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के 46,47,000 बालक बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई जिसमें प्रदेश सरकार पर केन्द्र के अंश के साथ-साथ 70 करोड़ रुपये का खर्च आया है । यह व्यवस्था की गई है ताकि हमारे बच्चे स्कूल में पहुँचे । विशेष रूप से गरीब बच्चे स्कूल में पहुँचे इस बात को ध्यान में रखते हुए मध्यान्ह पोषाहार जो कि 15 अगस्त, 1995 को प्रारम्भ किया गया था जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालय हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 3 किलो गेहूँ और चावल देने का फैसला लिया गया है । यह कार्यक्रम विगत दिनों में रुका हुआ था पुनः प्रदेश सरकार ने पहल करके इसको बहाल करने का काम किया है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इसी के साथ हम साक्षरता दर को भी बढ़ा सकें इसके लिये साक्षरता कार्यक्रम को चलाने का काम किया गया है । इसी का परिणाम है कि हमारी साक्षरता दर पहले 1991 में जहाँ 40.71 प्रतिशत थी वह 2001 में 57.40 प्रतिशत हुई है इसमें 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है । पुरूषों में साक्षरता की दर 1991 में 54.82 प्रतिशत थी वह 2001 में बढ़कर 70.20 प्रतिशत हुई है । इसी तरह से महिलाओं में साक्षरता दर 1991 में 24.37 प्रतिशत थी यह बढ़कर 2001 में 43 प्रतिशत के लगभग पहुँच गई है ।

साक्षरता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये इस वित्तीय बजट में 3 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है । दो तिहाई अंश भारत सरकार से प्राप्त होगा । इस तरह से प्रदेश में साक्षरता की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है । इसी तरह से जो नव सृजित जनपद थे जिनमें बी०एस०ए० कार्यालय नहीं थे वर्तमान बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने इन जनपदों संत कबीर

नगर, कन्नौज, औरैया, बागपत में खोलने का निर्णय लिया है और इसके लिये 3 करोड़ रुपये के बजट का प्राविधान किया गया है । इसी तरह से अध्यापकों की गुणवत्ता में सुधार हो इस आधार पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद् भी काम कर रहे हैं जिसमें कई ऐसे संगठन हैं जो समय-समय पर हमारे अध्यापकों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं । राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान इलाहाबाद, मनोविज्ञान एवं निर्देशन विभाग इलाहाबाद, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद, श्रव्य दृश्य एवं शिक्षा प्रसार विभाग इलाहाबाद । राज्य हिन्दी संस्थान वाराणसी, इसी तरह से विभिन्न योजनाओं को विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से हमने करने का प्रयास किया है । हमारे शिक्षकों को प्रशिक्षण भी प्राप्त हो ऐसा हमने प्रयास किया है इसी तरह से डायट योजना है इसमें केन्द्र सरकार से मंजूरी भी मिल गई है । इसके अतिरिक्त परिषद् के नियंत्रण में दो राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, 4 शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, 56 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, 3 कालेज आफ टीचर एजुकेशन तथा एक उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान है । सभी विभागों इकाइयों द्वारा प्रदेश में शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन में निरन्तर शोध सर्वेक्षण आदि कार्यों का सम्पादन किया जाता है । मान्यवर, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् अनुदान संख्या–75 के मद में वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में आयोजनागत पक्ष में रु० 3725.85 लाख तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रुपये 1816.57 लाख कुल 5542.42 लाख का प्राविधान है । प्राथमिक शिक्षा में किस तरह से सुधार हो, इसमें प्रयास किया जा रहा है हम नींव को मजबूत कर रहे हैं अगर नींव कमजोर होगी तो दिक्कत आएगी । हमारे माननीय सदस्य इस बात की जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि प्राथमिक विद्यालय जो हैं इसमें कमजोर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं इसमें पढ़ने वाले लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में चाहे अधिकारी वर्ग हो चाहे राजनीतिक वर्ग हो जो नेता बने हैं, जो चालीस वर्ष की आयु इस समय पूर्ण कर चुके हैं वह प्राथमिक विद्यालयों में से ही पढ़कर आए हैं तो यह कहना कि प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसका स्तर सुधर नहीं सकता है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ । मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार, बहंन मायावती के दिशा निर्देशन में हमारी सरकार और यह विभाग उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए कृत संकल्प है, इस बात के लिए कृत संकल्प है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों को उठायेंगे । यह गारण्टी देना चाहता हूँ कि कमजोर वर्ग के बच्चे भी किसी अंग्रेजी स्कूल की तरह, दून स्कूल की तरह कम्पटीशन में आ सकेंगे इसके लिए हम दृढ़ संकल्प हैं । इसमें प्रयास किया जा रहा है ।

(मेजें थमथपाई गई)

शिक्षकों की कमी का हमने पहले से उल्लेख कर दिया है । मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा के विकास के लिए, यह किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है । अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो आधार शिला अच्छी होगी । इसलिए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्राथमिक शिक्षा का स्तर ऊँचा हो । शिक्षा ग्रहण कराने के लिए, ताकि बच्चे पढ़ सकें इसको एक आन्दोलन के रूप में आगे लाएं । मैं माननीय सदस्यों का आवाह्न करना चाहता हूँ सब लोग इस विचार-विमर्श में अपने सुझाव देने का काम करें । निश्चित रूप से राज्य सरकार उनके अच्छे सुझावों को शामिल करते हुए उसके अनुसार नियम बनाकर उसको मानने का काम करेगी । उसको अंगीकृत करने का काम करेगी । मैं निवेदन करना चाहता हूँ केवल कटौती के लिए नहीं आलोचना के लिए नहीं, मैं चाहूंगा हमारे माननीय सदस्य जो विचार रखें वह अच्छे सुझाव दें । प्रदेश की

प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मौलिक सुधार, लाने के लिए अच्छे सुझाव दे सकेंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री रामकरन आर्य–

मान्यवर, अनुदान संख्या–71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी मेरे बड़े भाई भी हैं और हमारे नेता भी रहे, मैं इनके मंत्रि-मण्डल में, जो संगठन का होता है, मुझे सौभाग्य मिला है कि जब यह अध्यक्ष थे तो मैं महामंत्री था। यह आज परिस्थितियाँ हैं कि यह उधर बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं। लेकिन जो माननीय मंत्री जी ने बात रखी हैं हो सकता है कि इधर उधर के मामले आने वाले दिनों में बदल जायें। मैं माननीय मंत्री जी ने जो बात रखी है उसके सम्बन्ध में आलोचना कम सुझाव ज्यादा देना चाहूँगा। सबसे पहले तो यह कहना चाहूँगा कि यह जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है यह समाज की रीढ़ है। रीढ़ ही अगर टूट जाय तो उससे समाज और देश जिन्दा नहीं रह सकता है, वह अन्धकार के गर्त में चला जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय आर्य जी, माननीय मंत्री जी ने दो बजट पर अपनी बात रखी है। आपसे अनुरोध है कि कृपया दोनों पर अपनी कटौती अगर रखना चाहते हैं तो रखें।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, मैं दोनों पर ही रखूँगा। मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–75– शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं बात कर रहा था कि भारत की जो शिक्षा नीति रही है, पुरातन से लेकर अब तक कहा जाता है कि हिन्दुस्तान दुनिया का धर्मगुरु है। लेकिन हम दुनिया में शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़े हैं और हिन्दुस्तान में अगर बिहार को छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा है। जहाँ गुरु पाठशाला ने श्री कृष्ण, कर्ण, अर्जुन आदि को पैदा किया वहीं आज शिक्षा ने अपराधियों को भी पैदा किया है। राजनीति में अपराधी किस तरह से घुस गये है इसमें भी हमारी शिक्षा नीति का ही दोष है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम प्राथमिक शिक्षा को सुधारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि हमारी जो कमियाँ हैं उनको हम स्वीकार करते हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है हमारे यहाँ पचपन हजार छः सौ चौहत्तर अध्यापकों की कमी है। मैं सुझाव देना चाहता हूँ, हमारे एक साथी ने कहा कि मुसलमानों में पहले मोअल्लिम होते हैं जो बी०टी०सी० के बराबर हैं इनकी संख्या हजारों में है इसी के साथ-साथ बी०एड० और एल०टी० किये लोग घूम रहे हैं, वर्तमान सरकार ने इस पर रोक लगा दिया, चाहे कानून के जरिये रोका गया हो या न्यायालय में पड़ा है। इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमारा काम सुझाव देना है। इसकी सारी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। हमारे यहाँ पचपन हजार, छः सौ चौहत्तर अध्यापक कम है 6.618 जूनियर हाईस्कूल में कम है। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है। उ०प्र० के विकास के लिए देश में सकल आमदनी का तीन प्रतिशत खर्च होता है। गुजरात, बम्बई में 30 से 42 प्रतिशत तक

खर्च होता है । जब यह रहेगा तो प्रदेश की प्राथमिक, शिक्षा कैसे सुधरेगी ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि स्कूल खोलेंगे । तो मेरा अनुरोध है कि स्कूल खुलना चाहिए । लेकिन, जितने हमारे सदस्य यहां पर बैठे हैं कितने लोगों के बच्चे प्राइमरी पाठशालाओं में जाते हैं । माननीय शारदानन्द अंचल जी बैठे हैं, इन्होंने जीवन भर पिछड़ों के लिए संघर्ष किया यह चाहते हैं कि पिछड़ों का विकास हो, लेकिन अगर आप देखें तो 99 प्रतिशत ऐसे विधायक हैं 99 से भी ज्यादा जो हमारे विधायक हैं उनके बच्चे प्राइमरी स्कूलों में न पढ़कर के अंग्रेजी स्कूलों या सरस्वती स्कूलों में पढ़ते हैं । डा० राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब प्राइमरी स्कूल में भंगी का बेटा और प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का नाती एक साथ पढ़ेंगे और पढ़ाई में एक दूसरे को चिकोटी काटेंगे और फिर घर आकर प्रधान मंत्री का नाती चिकोटी काट लेगा तो प्रधान मंत्री जी प्राथमिक शिक्षक में सुधार के लिए सोचेंगे और तभी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा पक्का सुधार वहीं होगा । मान्यवर, आजादी के बाद से शिक्षा की जो व्यवस्था है वह बद से बदतर हो रही है जो प्राथमिक स्कूलों से विद्यार्थियों का पलायन हो रहा है । इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं कोई कमी है । ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाय । माननीय मंत्री जी ने पढ़ा और इस बजट में भी बताया गया है कि 300 की आबादी में एक किमी० में एक प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा और 800 की आबादी में, 3 किसी० में एक जूनियर हाई स्कूल खोला जाएगा । इसमें मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह तो हमारी प्राथमिकता हो लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह कब तक होता रहेगा ? इसको सही करने के लिए संसाधन नहीं हैं और जो संसाधन हैं उनकी हालत सही नहीं है । माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि हम प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे जहाँ भंगी का बेटा भी और बड़े आदमी का बेटा भी पढ़ सकेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्ष 2000-01 में 38 अरब 72 करोड़ 11 लाख 73 हजार खर्च हुआ, 2001-02 में 47 अरब के लगभग और 2002-03 में घटकर यह 33 अरब हो गया । इस तरह से लगभग 8 अरब आपने शिक्षा के बजट पर कम कर दिया और आप कहते हैं कि हम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे । इस तरह का बजट आपने बनाया है । संविधान के अनुच्छेद 45 में साफ कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा बिना पढ़ा लिखा नहीं रहना चाहिए । मैं बताना चाहता हूँ कि जब 1952 में कांग्रेस की सरकार थी तो दलित बस्ती में यह जरूरी कर दिया गया था कि अगर अनुसूचित जाति का बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा तो अभिभावक को जुर्माना देना पड़ेगा । इसका परिणाम यह हुआ कि वह अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने लगे । उसी का परिणाम है कि आज इन जातियों के लोग कोई कलेक्टर, कोई सचिव बने हुए हैं । दूसरी बात यह है कि जो आंकड़े दिए गये हैं उनमें खमियाँ हैं । आप देखेंगे कि वेतन भत्ते के अनुदान के आयोजनागत स्तम्भ–11 के नीचे एक खरब 56 अरब 19 करोड़ 50 लाख लिखा हुआ है और नॉन-प्लान में 30 अरब 20 करोड़ लिखा हुआ है उनको जोड़ने पर योगस्तम्भ–13 में एक खरब 86 अरब 39 करोड़ 50 लाख होना चाहिए था । लेकिन वह 31 खरब 75 अरब 19 करोड़ 50 लाख है । मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने सदन को गुमराह किया है । उनको मा० मंत्री जी को पढ़ना चाहिए था । अगर कोई बाहर का देख लेगा तो यह केवल माननीय मंत्री जी का अपमान नहीं होगा बल्कि पूरे सदन का अपमान होगा और मान्यवर, बहुमत है इसलिए हम इसको पास कर देंगे लेकिन जो गलत छपा है उसको देखने की बात है । मान्यवर, तालिका–ख के प्रश्न संख्या–9 पर 27–अनुरक्षण लिखा है जो गलत है क्योंकि अनुरक्षण का मानक मद–29 है न कि 27 यह 27 कब से हुआ इसको बताने का कष्ट करें और इसको बदलने का अधिकार तो सिर्फ वित्त विभाग को हैं । मान्यवर, यह 27 का 29 होना चाहिए इस तरह से सदन को गुमराह करने की कोशिश है । मान्यवर, इसी तरह से अन्य व्यय में इस वित्तीय वर्ष के लिए एक अरब दो करोड़ 90 लाख 38 हजार का तथा सामान्य अन्य

व्यय में, 3 लाख 20 हजार का प्रस्ताव रखा गया है परन्तु तालिका–ख के प्रश्न संख्या–10 पर मद संख्या ए–2 अन्य व्यय में मात्र 6 करोड़ 39 लाख 52 हजार ही रखा गया है जो तालिका 'क' में दिये आंकड़े से भिन्न है शेष धनराशि का कहीं जिक्र नहीं है । मान्यवर, यह विसंगति है । दोनों मान्यवर, एक होनी चाहिए इसलिए भ्रमित किया गया है । मान्यवर, यह विद्वान मंत्री हैं खाका तो इन्होंने देखा नहीं तालिका देखकर इन्हें बात करनी चाहिए । मान्यवर, इसी तरह इनका सहायक अनुदान/अंश दान के मध्य है । मान्यवर, जो गरीब तबके के लोग 20-20 साल से पढ़ाने का काम कर रहे हैं उनके स्कूलों को अनुदान सूची पर नहीं लाये । इसमें जो प्राविधान की बात है तो 2000-01 में 8 अरब 86 करोड़ 22 लाख 14 हजार था जो 2001-02 में बढ़कर 9 अरब 04 करोड़ 18 लाख 18 हजार कर दिया गया है और इस बजट में इसे घटाकर मात्र 1 अरब 31 करोड़ 84 लाख 40 हजार कर दिया गया है । मान्यवर, जो अंग्रेज थे वह छोटी-छोटी संस्थाओं जिसमें गरीब लोग स्कूल चलाते थे उनको प्रोत्साहन देते थे । मेरा आरोप है मंत्री जी, कि जो दलित हैं, जो स्कूल खोल रहे हैं और यह जो दलितों की सरकार चल रही है इस मद की धनराशि काटी जा रही है ताकि वे नये स्कूल न खोलें जो धनाढ्य लोग हैं बड़े-बड़े नामों से स्कूल हैं जैसे झांसी की रानी के नाम पर यहां पर खुला हुआ है और जिसमें 25 हजार रुपये एडमिशन फीस लगती है वहां पर आपने प्रोत्साहन दिया है । और गरीबों के स्कूलों को आप प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं ।

मान्यवर, कहा गया कि साक्षरता दर में बढ़ोत्तरी हुई है, मैं मानता हूँ । लेकिन 1951 से आज 2002 है । यह जो 1947 में पैदा हुए आज बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं आज साक्षरता 57 प्रतिशत आप मान रहे हैं । चीन हमसे दो साल बाद आजाद हुआ था आज वहां प्रतिशत–शत साक्षरता है वहाँ 99 प्रतिशत लोग वोट डालने जाते हैं 50-55 साल में आज हमारी साक्षरता दर मात्र 57 प्रतिशत है । 17 प्रतिशत इस दौरान बढ़ाया गया है । एकाएक बढ़ा दिया गया । यह असत्य आंकड़ा यहां नहीं पेश करना चाहिये । सरकार की इज्जत बचाने के लिए यह असत्य आंकड़ा आपने पेश कर दिया है आपको यर्थात् ही बात देनी चाहिए । आज गांव में 30 प्रतिशत शिक्षा है । अनुसूचित जाति की मात्र 10 प्रतिशत औरतें शिक्षित हैं, शहरों में 30 प्रतिशत शिक्षित हैं । फर्जी आंकड़े पेश करने से काम नहीं चलेगा । फर्जी आंकड़े से अलग होकर सही संस्कृति की और शिक्षा के विकास की जरूरत है । आपको पर्याप्त धन देकर शिक्षा में सुधार करना चाहिये ।

मान्यवर, आज मैंने आप से कहा कि अनौपचारिक शिक्षा का बजट है । अनौपचारिक शिक्षा के बजट में आप देख लीजियेगा कि करोड़ों रुपया दिया है । आज उसमें हजारों लड़के अनुदेशक के पद पर हैं और वह आन्दोलन भी कर रहे हैं । इनके प्रति हमारी सहानुभूति है लेकिन जो अरबों रुपया अनौपचारिक शिक्षा पर खर्च हुआ क्या माननीय मंत्री जी के पास वह आंकड़े हैं कि अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा जो लोग शिक्षित किये गये उनकी संख्या क्या है ? मान्यवर, क्या हम शिक्षा के नाम पर अरबों रुपया पानी की तरह नहीं बहा रहे हैं । हमारे जनपद में कहीं भी अनौपचारिक शिक्षा नहीं चलती है हमारे यहाँ जनपद का कोई भी बता दे कहीं 20 प्रतिशत भी अनौपचारिक शिक्षा का केन्द्र चलता है । इस पर जो जबरजस्ती बजट खर्च किया जा रहा है तो मेरा अनुरोध है कि इस बजट को प्राइमरी पाठशाला में लगाया जाय ताकि उसका विकास हो सके ।

मान्यवर, सम्पूर्ण शिक्षा का अभियान चलाया गया मैं फिर कह रहा हूँ कि 1952 में कांग्रेस पार्टी ने जो अभियान चलाया था उसका लाभ दलित जातियों को मिला अगर उसी तरह से पिछड़ी जातियों कहारों, कुम्हारों, लोहारों, मल्लाहों में अभियान चलाया गया होता तो सबको उसको लाभ मिलता और

आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा 90 प्रतिशत से ज्यादा होती इसलिए जो सम्पूर्ण शिक्षा का अभियान चलाया जा रहा है इस पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है, हम इस चीज को जानते हैं लेकिन इसका कहीं लाभ हुआ ? 2000-2001 में जितने लोग शिक्षित हुए उसके आंकड़े आपने नहीं दिये पहले में 15 जिले आच्छादित हो गये फिर 30 जिले फिर 25 जिले रहे । अब यह हम अहंकार में बोलें कि हमने शिक्षित किया तो यह कहाँ ठीक है । यह उत्तर प्रदेश राज्य देश की जूठन पर जिन्दा है केन्द्र से पहले 85% अनुदान था फिर 50% अनुदान दिया और इस साल और शायद 25 प्रतिशत देने जा रहे हैं हम गुजरात का मुकाबला कैसे कर सकते हैं ? हम तो हिन्दुस्तान की जूठन पर जिन्दा हैं । जब सदन में बहस चलती है तो कहा जाता है कि यह प्रधान मंत्री की योजना है यह केन्द्र से आ रहा है ।

मान्यवर, जैसे एक हनुमान जी थे एक बन्दरिया ने उनसे कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ आप अपने गुण बताओ तो हनुमान जी ने कहा कि हमारे राम जी, इतने बड़े बलशाली हैं कि सात पेड़ एक वाण से काट डाले, इतने बलशाली हैं कि रावण का वध कर दिया, बड़े-बड़े राक्षसों का वध कर दिया तो बन्दरिया ने कहा कि हमें शादी तो आपसे करनी है राम जी से नहीं आप अपने गुण बताओ । मान्यवर, इसी तरह से केन्द्र सरकार का नाम रटते रहते हैं केन्द्र सरकार पर निर्भर रहकर प्रदेश तरक्की नहीं करेगा जो हमारा राजस्व जाता है उसके शेयर के हिसाब से केन्द्र से हमें मिलना चाहिए लेकिन दरिद्र की तरह जैसे, हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री और देशों से कटोरा लेकर माँग रहा है देश की तरक्की के लिए कि कर्ज दे दिया जाय वैसे ही हमारे प्रदेश का मुख्य मंत्री केन्द्र में जाता है । मान्यवर, हम ऐसा कुछ करें हम मेहनती है कि चार-पाँच साल के अन्दर हमारी इतनी ताकत हो जाय कि हम गुजरात को, महाराष्ट्र को पीछे कर दें लेकिन इसके लिए हमें कम से कम अपने लोगों के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा । हमको नैतिकवान बनना पड़ेगा । जब तक प्राइमरी स्कूल में नहीं सुधार होगा तब तक आपके बच्चे नहीं पढ़ने जायेंगे । जूनियर हाईस्कूल से लगातार विद्यार्थी पलायन करते रहेंगे । पच्चास रुपये मजदूरी करने वाला व्यक्ति अपने बेटे को पैसा दे करके, अपना पेट काट करके अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाता है क्योंकि वह जानता है कि उसका बच्चा इन स्कूलों में पढ़ नहीं पायेगा । इसलिये हमको नैतिकवान बनना चाहिए । अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि मान्यवर, मैं इसीलिए नहीं गया जिले के न्यायालय में कि बीस आना घूस देना पड़ेगा । घूस से मुझे नफरत है मैंने, जिसे बेकार का धंधा कहा जाता है, मारपीट का धंधा कहा जाता है, उस धंधे को अख्तियार कर लिया । प्राइमरी स्कूल में एक शैंकुल प्रभारी बनाया गया है यह पढ़ाते नहीं हैं यह केवल दलाली का काम करते हैं इनका कोई काम नहीं है । काम तो है प्रशासनिक लेकिन यह क्या करते हैं ? उनसे काम लेना चाहिए ।

मान्यवर, यह प्राइमरी स्कूल के जो अध्यापक हैं इनको ठेका दे दिया जाता है स्कूलों के भवन बनवाओ । मामला अध्यापक और प्रधान के बीच फंसता है प्रधान चालाक है तो अध्यापक परेशान, अध्यापक चालाक है तो प्रधान परेशान है । मैं मांग करता हूँ कि यह जो प्राइमरी पाठशाला है या जो जूनियर हाईस्कूल के भवन हैं यह अध्यापकों से न बनवा करके किसी संस्था से बनवाये जायें । आज कम से कम 40 प्रतिशत विद्यालय हैं जिनके ऊपर छत नहीं है । प्लास्टर नहीं है, फाटक नहीं लगा है, केवल प्रधान और अध्यापक के झगड़े में पड़े हैं । अभी डुमरियागंज के जंगलीपुर और इसके बाद बड़हा में छत गिर गयी । लेकिन जिसको मरना होगा वही मरेगा सौभाग्य से दोनों विद्यालयों की छतें इतवार के दिन ही गिरीं । अगर यह वर्किंग डे (कार्य दिवस) में गिरती तो कितने विद्यार्थी मारे जाते । हमने सन् 1970–80 के दौरान पढ़ाई की । तब 10 रुपया किलो घी, मिलता था आज 100–150 रुपया किलो घी मिलता है

पहले 1952 में स्कालरशिप प्राथमिक विद्यालय को 5 रुपये मिलती थी मंहगाई के अनुपात में आज 750 रुपया चाहिए । मैं चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल में स्कालरशिप 200 रुपये दी जाये । तो बच्चे कम से कम इसी लालच में पढ़ने जायेंगे । पहले दलित जाति के बच्चे इसी लालच में पढ़ने जाते थे । दलित अब धीरे-धीरे आगे बढ़ गये । इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यापक कम है उनको भर्ती करके काम लिया जाये । बलिया जनपद के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने जैकुन्निशा निशा और कमरिया के विद्यालय को प्राथमिकता न देकर दूसरे को दे दी । अभी बताया, 5 अरब रु० आया है, उससे हम वेतन, पेंशन और ग्रेच्युटी देंगे । क्या इससे पहले किसी साल में एक नया पैसा नहीं दिया गया ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इससे पहले पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं दी जाती थी और अगर दी जाती थी तो इसमें दिखाया क्यों नहीं गया है ?

मान्यवर, हमारे यहां एक बेसिक शिक्षा अधिकारी कु० सैमसम सिद्धार्थ नगर में थीं जो हमारी पार्टी की समर्थक भी थीं, वह रिटायर हुयी, आज तक उनको पेंशन नहीं दी गई, आज वह परेशान हैं, और भुखमरी की कगार पर हैं । आपने अपने बजट में बहुत सब्जबाग दिखाया, इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं । आपने छात्रवृत्ति बढ़ाने की बात कही और यह भी कहा कि इसमें मास्टरों को न रखा जाय । मैं कहना चाहता हूं कि बी०एस०ए० और एस०डी०आई० के माध्यम से बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती है, उसको पूर्व की भांति कर दिया जाय । पहले यह होता था कि यदि किसी साल बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं मिली तो अगले साल मिल जाती थी । अब तो यह हो गया है कि यदि किसी कारणवश 31 मार्च तक लड़कों की लिस्ट नहीं गई तो उनको छात्रवृत्ति पूरे साल की नहीं मिलेगी । अब यह प्रधान के खाते में जाता है और प्रधानाध्यापक इसका इंचार्ज होता है लेकिन अब तो 2-3 साल तक बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती । इसके लिये जिस प्रकार पहले समाज कल्याण अधिकारी द्वारा बी०एस०ए० के द्वारा छात्रवृत्ति का वितरण होता था, उसी तरह से छात्रवृत्ति का वितरण किया जाय । इसी प्रकार जो अल्पसंख्यक स्कूल हैं, मान्यता प्राप्त हो गये हैं, लेकिन उनको एड पर नहीं लिया गया है, ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं, जो अनुदान ग्रेड पर नहीं आये । जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उस समय स्कूल एड पर लिये गये थे, उसके बाद कहीं भी जूनियर हाईस्कूल एड पर नहीं आये । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं यह सब आलोचना के लिये नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं सुझाव दे रहा हूं । मुझे याद है कि मेरे इलाके के एक शिक्षक अगले साल रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा स्कूल एड पर नहीं आया मैंने कहा कि क्या फायदा होगा, तुम्हारा सवाल उठाने का, किसके सामने उठायेंगे, यह सरकार तो गूंगी, बहरी हो गई है । अब वह रिटायर होने वाले हैं यदि उनका विद्यालय एडेड हो जाता तो उनको पेंशन मिलती, उनके जीने का सहारा होता । इस तरह की तमाम समस्यायें हैं । मैं चंद सुझाव और देकर अपनी बात समाप्त करूंगा । अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्राथमिक शिक्षा पद्धति है, इसको माननीय मंत्री जी और बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्रोणाचार्य वाले जमाने में ले जाना चाहती है ताकि गरीब के बच्चों को शिक्षा न मिले । केवल धनाढ्य वर्ग के बच्चों को ही शिक्षा मिल सके ।

उनको यह चाहते हैं कि वहां पर ऐसा किया जाए ताकि गरीबों के बच्चों की शिक्षा समाप्त हो जाए। मान्यवर, आप तो पिछड़ी जाति के हैं और माननीया मुख्य मंत्री जी दलित जाति की हैं, मैं नहीं चाहता कि आप एकलव्य नीति को अपनाएं। मैं चाहता हूं कि आप परशुराम की नीति को अपनाएं जो कि उन्होंने कर्ण से कहा था कि जाओ मैं तुम्हें अमोघ शक्ति दे रहा हूं। लेकिन आज यहां अस्थिरता को बढ़ावा देने का पाठ पढ़ाया जाएगा, हिन्दू और मुसलमान को आपस में लड़ने का पाठ पढ़ाया जाएगा, यहां अपराधी पैदा किया जाएगा। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है, प्राथमिक शिक्षा पद्धति है, इसको उन्नति के रास्ते पर लाया जाय, अच्छा बनाया जाय ताकि ये जो संस्कृति विद्यालय हैं, माननीय डाक्टर साहब आपने जो विद्यालय चलाया सरस्वती विद्यालय, इस देश में वही द्रोणाचार्य की रीति चलने लगी इसलिए माननीय मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं कि भले ही आप उनके साथ में रहिये, लेकिन कम से कम ऐसी छाप छोड़ करके जायं, जैसे महात्मा कर्ण महारथी कर्ण रहते तो थे द्रोणाचार्य के साथ लेकिन उसकी धर्मपरायणता एवं विश्वसनीयता पर कभी आंच नहीं आई कभी उंगली नहीं उठी, और सत्य पर जिया और सत्य पर मरा। इसलिए आप जिस कौम में पैदा हुए हैं उस कौम के साथ समूचे समाज के बच्चों के लिए सोचने का काम करें, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है। उसे उच्च स्थान प्रदान करने का काम करें। इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मदों का बजट प्रस्तुत किया था अभी प्राविधिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, तीनों बजट पेश होने हैं, इसलिए जिन लोगों का नाम सूची में, उनका नाम मैं ले रहा हूं, वही माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हों।

*डा० राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री ने जो बजट रखा है और एक बहुत अच्छी बात हमारे बीच में लाई है कि 6.7 प्रतिशत से बढ़ा करके 7.25 प्रतिशत किया गया है। अच्छा लगा है, बहुत साफगोई के साथ, आज की शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां हैं उनको स्वीकार किया है। हम लोगों को छूट दी है कि जो कुछ भी हम सुझाव के रूप में महसूस करते हैं वह खुले दिमाग से कहें और हम उन्हें स्वीकार करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में कुछ बिन्दु लाना चाहूंगा एक बच्चों के डा० के रूप में और बाल पर्यवेक्षक के रूप में हम लोगों की मान्यता है कि पांच साल की उम्र विद्यालय जाने की नहीं होती है यह उम्र मां की गोद में खेलने की होती है अनौपचारिक रूप से सब कुछ सीखने की होती है। पांच साल की कम उम्र के बच्चे को विद्यालय भेजना उसकी मानसिक विकास के साथ अन्याय करना है ऐसी व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए कि पांच साल से कम उम्र के बच्चे को विद्यालय भेजना एक संज्ञेय अपराध माना जाय। पश्चिमी देशों में यह परम्परा चलती है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों को विद्यालय जाने नहीं दिया जाता है। दूसरी बात अभी राम करन आर्य जी बोल रहे थे बड़े गर्म माहौल में लोहिया जी की चर्चा हो रही थी। मैं कहना चाहता हूं कि कक्षा–एक से पांच तक शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा होनी चाहिए चाहे वह सरकारी विद्यालय हों या गैर सरकारी विद्यालय हों। एक आग्रह मेरा है कि गैर सरकारी विद्यालयों में भी यह प्राविधान किया जाये चाहे माण्टेसरी स्कूल हों, पब्लिक स्कूल हों, दून स्कूल हो कम से कम कक्षा 5 तक की शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा होनी चाहिए, मातृ-भाषा के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अलावा अन्य भाषा से शिक्षा न दिया जाय । इसका संवैधानिक प्राविधान किया जाना चाहिए । जब हम ऐसा कहते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि अंग्रेजी की शिक्षा का विरोध कर रहे हैं । जो अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं वह एक विषय के रूप में अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं लेकिन हिन्दी का ज्ञान अंग्रेजी माध्यम से प्राप्त करें यह सर्वथा अनुचित लगता है । 10-12 साल के बच्चे द्विभाषी नहीं होते हैं, सिर्फ एक भाषा में समझ पाते हैं । इसलिए यह उनके साथ एक दूसरा बड़ा अन्याय होता है । तीसरी चीज, चर्चा में मंत्री महोदय ने सरकारी विद्यालयों की बात कही है, आज बहुत बड़ी संख्या में गैर सरकारी विद्यालय पनप चुके हैं । हम चाहें या न चाहें वे आज की शिक्षा व्यवस्था के अंग हैं । उन पर चाहे जितना बोल लें । राम करन आर्य जी कह रहे थे कि 99 प्रतिशत हमारे विधायकों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने नहीं जाते, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं । इसलिए एक प्राविधान होना चाहिए कि समस्त विद्यालयों का पंजीकरण हो । अगर कोचिंग कालेजों का पंजीकरण कर सकते हैं तो विद्यालयों का पंजीकरण हो । उनमें पढ़ाने आने वाले शिक्षकों की योग्यता निर्धारित की जाये । अधिकांश विद्यालयों में सभी पक्ष व विपक्ष के माननीय सदस्य सहमत होंगे जिस प्रकार के शिक्षक पढ़ाने जाते हैं उससे उनकी योग्यता का प्रश्न खड़ा होता है । डायट में हमारे पास सीमायें है । पांच, साढ़े पांच हजार बी०टी०सी० प्रशिक्षित बना पाते हैं यह कहने से काम नहीं चलेगा । एक प्राविधान बनाना पड़ेगा । जो शिक्षक हों, उनकी योग्यता निश्चित हो ताकि बच्चों को एक शैक्षणिक माहौल मिले । बच्चों को जो सुविधायें दी जाती हैं वह बहुत कम होती हैं । जो फीस ली जाती है उसके मुकाबले बहुत कम होती है । बैठने की जगह न होना, खेलने का मैदान न होना, पंखे न होना आदि । इन समस्त प्राइवेट विद्यालयों का पंजीकरण किया जाये, शिक्षकों की योग्यता तय की जाये और शैक्षणिक माहौल और छात्रों को एक मूलभूत शिक्षा मिल सके और फीस निश्चित की जाये । आज चर्चा चल रही है कि नर्सिंग होम के डाक्टरों की फीस निश्चित करने की । प्राइवेट विद्यालयों की फीस निश्चित की जा सकती है । चौथी बात कहना चाहता हूं कि जो करीकुलम है, पाठ्यक्रम है कम से कम कक्षा–5 तक के विद्यालयों की बहुत ज्यादा है । हमारी बच्ची कक्षा–4 में पढ़ती है । उसे कोर्स में कितने प्रकार के मौसम दुनियां में पाये जाते हैं, एटीट्यूड क्या है ? सहारा रेगिस्तान का मौसम कैसा है, इथोपिया में पानी कितना पड़ता है, थ्री–डाइमेन्सन का कन्सेप्ट मालूम नहीं होता, भारत की संरचना को नहीं जानते हम उन्हें अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक सब कुछ कक्षा–4-5 में पढ़ा देना चाहते हैं । इसलिए लगता है कि शिक्षा पर मौलिक बहस होनी चाहिए तथा शिक्षा का विषय क्या हो यह निर्धारित किया जाना चाहिए । यह निर्धारित करते समय सब कुछ अधिकारियों पर नहीं छोड़ देना चाहिए । माननीय सदस्य बन्धुओं को जो जनता के बीच से आते हैं उनके विचारों को रखने का प्राविधान किया जाना चाहिए । बालश्रम विद्यालयों की बात रखना चाहता हूं । मजबूरी के कारण या जिन कारणों से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बचपन के उस काल में जिन्हें मां की गोद में या खेल के मैदान में होना चाहिए । काम करने के लिए मजबूर होते हैं । ऐसे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है । ऐसे बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण नहीं होता ऐसे बच्चों को पेट में भोजन नहीं मिलता । ऐसा प्राविधान किया जाए कि बाल श्रमिक विद्यालय के माध्यम से हर नियोक्ता के लिए यह दायित्व निर्धारित किया जाए, संज्ञेय-अपराध माना जाए । अगर बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण न हो, मिड-डे-मील की तरह इवनिंग मील न दिया जाए । इसका सारा खर्च नियोक्ताओं से लेने का प्रयास किया जाना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

डा० राधा मोहन दास अग्रवाल–

ठीक है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० अशोक बाजपेयी–

अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल दो तीन सुझाव दूंगा। अभी माननीय मंत्री जी ने सर्व शिक्षा अभियान की बात की। प्राथमिक शिक्षा में हमारे प्रदेश का प्रत्येक बच्चा कम से कम न्यूनतम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो। अभी एक जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। उस दिन भी मैंने मंत्री जी से कहा था कि योजनाएं तो बहुत अच्छी बनाई जाती हैं लेकिन योजनाओं का कहां तक क्रियान्वयन होता है मैं मंत्री जी की जानकारी के लिए बता दूं। दो वर्ष पहले सी०ए०जी० ने उत्तर प्रदेश सरकार के मिड डे योजना का मूल्यांकन किया था उसमें बताया गया कि विद्यालयों में छात्रों का बड़ी संख्या में पंजीकरण किया गया लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर हेरा फेरी की गई। यह सी०ए०जी० की रिपोर्ट आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। इस योजना में बड़े पैमाने पर अनाज का वितरण होता था इसलिए छात्रों की संख्या ज्यादा दिखाकर अनाज बांट लिया जाता था। भारत सरकार ने भी इस पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है। यह जो सर्व शिक्षा अभियान है या अन्य सारे अभियान हैं उनके उद्देश्य तो अच्छे हैं लेकिन उसका मूल्यांकन सही हो। जो छात्रों की संख्या का पंजीकरण किया जाता है उसमें कितनी सच्चाई है। शासन से निर्देश जाता है कि सभी बच्चों का स्कूल में पंजीकरण होना चाहिए। इससे संख्या बढ़ जाती है लेकिन एक माह बाद जब जांच की जाती है तो संख्या कम रहती है। केवल आंकड़े बढ़ाने का काम न करें कि हमने इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को प्राथमिक स्कूलों में भेजने का काम किया इतने से ही उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके लिए सार्थक प्रयास होना चाहिए। दूसरा सुझाव है कि प्रतिवर्ष प्राइमरी स्कूलों में 10 हजार अध्यापक रिटायर हो जाते हैं जबकि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 5600 बी०टी०सी० प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं जैसाकि मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया। इस तरह से प्रतिवर्ष 3,400 अध्यापकों की कमी हो जाती है। शिक्षकों की संख्या निरन्तर घट रही है। 55 हजार अध्यापकों की कमी है जो स्वयं स्वीकार किया है। इतनी बड़ी संख्या में अध्यापकों की कमी होगी तो कैसे प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधार सकते हैं। सात हजार विद्यालय एकल अध्यापक वाले हैं। एक अध्यापक होगा तो कभी एस०डी०आई० मीटिंग बुलाते हैं, कभी बी०एस०ए० मीटिंग बुलाते हैं वह मीटिंग में जाएगा तो क्या पढ़ायेगा। दूसरे तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं।

जो विद्यालय से जुड़े हैं, उनमें भी शिक्षक लग जाते हैं। जहां 5 कक्षाएं हैं और एक ही अध्यापक है वहां किस प्रकार से पठन-पाठन का कार्य होगा। हमारा पहले जो रेशियो था वह 1 : 40 का था। 40 बच्चों पर एक शिक्षक होता था लेकिन आज बेसिक शिक्षा का रेशियो 1 : 65 का हो गया है जिसमें शिक्षा मित्रों को भी जोड़ लिया जाय। यह शिक्षा मित्रों की घोषणा ही हुई उतनी नियुक्ति नहीं हुई जिस अनुपात में होनी चाहिए थी। अनौपचारिक शिक्षा में जो अनुदेशक 10-15 सालों से काम कर रहे थे। अब अनौपचारिक शिक्षा बन्द हो गई है। उनको आपने काम से मुक्त कर दिया है। वे एक वर्ष से विधान सभा के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको अतिरिक्त शिक्षक या शिक्षा मित्र के रूप में रखा जाये। इस मामले में हाई कोर्ट ने भी निर्णय दिया है कि शिक्षा मित्र के रूप में इनको नियुक्त किया जाय लेकिन सरकार हाई कोर्ट के आदेश का [illegible] पालन नहीं कर रही है। हजारों अनौपचारिक शिक्षा

के अनुदेशक भुखमरी की कगार पर हैं लेकिन यह सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है। इनको आप शिक्षा मित्रों के रूप में ही ले लें । इनको शिक्षा का अनुभव है । प्राथमिक शिक्षा का अनुभव है । उन बच्चों की शिक्षा का अनुभव है जो स्कूल नहीं जाते थे । उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम यह अनुदेशक करते थे । इनको शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त करें तो अध्यापकों की कमी भी दूर होगी और इन लोगों की रोजी-रोटी की समस्या का भी समाधान हो जायेगा । मेरा आग्रह है कि माननीय मंत्री जी इस पर भी ध्यान दें और अपने उत्तर भाषण में इन अनुदेशकों को जिनके लिये कोर्ट ने फैसला दिया है, उसका अनुपालन करने की घोषणा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपको दो-दो संकेत कर दिये ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, आप कहें तो बैठ जाऊंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

एक बात निवेदन कर लूं । अभी कई बजट है । दो-दो मिनट में अपनी बात रखेंगे तो अच्छा होगा ताकि सभी लोग बोल लें और समय से कार्य पूरा हो जाये ।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, यह बिल्कुल सही है । यह इन्साफ नहीं है कि एक दिन में 4-4 बजट रखे जायं । मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह ज्यादती नहीं है ?

(सत्ता पक्ष से किसी सदस्य के कुछ कहने पर)

मैं आपसे नहीं अधिष्ठाता जी से कह रहा हूं । आपको इतना सीख जाना चाहिए । आप बैठिये । मैं मान्यवर, यह चाहूंगा कि वह जो समय की बाध्यता रहती है, इसे आज न रखा जाय जितने भी समय तक सदन चले बारह बजे, एक बजे तक । बात पूरी हो जानी चाहिए । जो बोलना चाहते हैं उनको मौका दीजिये । मान्यवर, सैटर डे में कभी सदन नहीं चला । मुझे भी 5/6 बार का तर्जुबा है । पहली बार हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, आप भी जानते हैं । रक्षाबन्धन की छुट्टी नहीं थी, आप जानते हैं किस तरह से हुई । पहले हो सकता था कि बीच में सदन 15 दिन के लिये उठा दिया जाता फिर उसकी बैठक आगे होती तो सही तरीके से बहस हो सकती थी । एक दिन में 4-4 बजट रखे जायं तो कैसे उन पर बात आ सकती है ? दिल में ही बात रह जायेगी । हम सब चुनकर आते हैं, अपने क्षेत्र में जवाब देना होता है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अवसर दे रहा हूं कि सब लोग बोल लें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

फिर से बात आती है कि समय खराब कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं । मान्यवर, दोहरा मापदण्ड तो नहीं चलेगा ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, कौन सा बजट किस दिन रखा जाय । लाल जी ने एक बात कही है, पीठ की ओर से भी कदाचित ऐसी बात आई है मैं सिर्फ अनुरोध कर देना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की सहमति रहती है सदन के मामले में । वर्किंग डेज पर नेता प्रतिपक्ष की सहमति नहीं ली जाती । एक सत्र बुलाया जा रहा है तो कितने उपवेशन होंगे, कितने दिन बैठक चलेगी, इस पर सहमति नहीं ली जाती है । अगर यह तय है कि बजट सत्र में 16 उपवेशन होंगे और इतने दिनों में ही 93-94 विभागों के बजट पारित करेंगे । किसके साथ कौन सा विभाग ले लिया जाय । जहां तक शनिवार या छुट्टियों के दिन काम किया जाय इसकी न तो नेता प्रतिपक्ष से सहमति ली जाती है और न ली गई है । कार्य-मंत्रणा समिति में बैठकर कार्यदिवसों का निर्धारण होता है उसकी चर्चा करना यहां उचित नहीं होगा । इसलिए मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा । मंत्री जी इस मामले में जानकारी ठीक कर लें सदन के कार्य दिवसों को तय किये जाने व किस दिन कौन सा कार्य लिया जाए, नेता प्रतिपक्ष की सहमति नहीं ली जाती है । अगर ली जाती है तो नहीं ली गयी है । कार्य-मंत्रणा समिति ने तय किया है । औपचारिक सहमति है । 16 दिन में 96 विभागों का बजट पारित करने हैं तो कैसे होंगे ?

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं कह रहा था एक प्रश्न सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि 99 प्रतिशत सदस्यों के बच्चे इन प्राथमिक विद्यालयों के बजाए पब्लिक स्कूलों में पढ़ते होंगे, सदन को इस पर चिन्तित होना चाहिए इस हिन्दुस्तान में आजादी के 55 साल बाद भी प्राथमिक स्कूलों का स्तर ऊंचा नहीं उठ पाया, प्राथमिक विद्यालयों का स्तर वह नहीं हो पाया कि सामान्य व्यक्ति अपने बच्चों की बुनियाद इन स्कूलों में बना सके । जो भी सरकारें रहीं उनकी उपेक्षापूर्ण नीतियां रहीं । मान्यवर, विश्व बैंक से हजारों रुपये की परियोजना लेकर शिक्षा के लिए बड़े-बड़े भवन तो खड़े किये जा सकते हैं लेकिन पढ़ाई में कोई सुधार नहीं हो रहा, तो पढ़ाई और शिक्षा में सुधार होना चाहिए ताकि लोग इन स्कूलों में अपने बच्चों को भेज सकें । शिक्षा की दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने की बात की जाती है लेकिन इस दोहरी शिक्षा नीति को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता है जब तक प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षा का स्तर नहीं सुधर जाता है आज इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है । आज मान्यवर, आप देखें छोटे-छोटे घरों में किराये पर मकान लेकर स्कूल खोल लिए जाते हैं और उनमें छात्रों की संख्या बढ़ रही है और हमारे जो बड़े-बड़े भवन हैं वहां छात्रों की संख्या घट रही है, आपको प्राथमिक विद्यालयों को सुधारना है प्रथमिक विद्यालयों का स्तर कैसे सुधारेगा ? कानून बनाने से कुछ नहीं होता है सरकार को आगे बढ़कर इस बुनियादी सवाल पर गम्भीरता से चिन्ता करनी है । खाली प्राथमिक शिक्षा के लिए कार्य योजना बनाने से काम नहीं चलेगा इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है अगर आपने प्राथमिक विद्यालय के स्तर को नहीं सुधारा तो मजदूर भी अपने बच्चों को इसमें पढ़ाना पसन्द नहीं करेगा, मजदूर भी आज अपना पेट काटकर अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में पढ़ाना चाहता है । अगर समय रहते प्राथमिक विद्यालयों के स्तर में सुधार नहीं करेंगे तो जो सरकारी तन्त्र है इसके द्वारा जो प्राथमिक विद्यालयों की सुविधा है यह बेठ जायेंगे । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री मुंशी लाल गौतम–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मैं मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों को शिक्षा स्कूलों में दी जाएगी ताकि जो प्राथमिक विद्यालय बन्द पड़े थे वह सुचारु रूप से चल सकें । जो बुकलेट दी गयी है इसमें 2001 की जनगणना के अनुसार जनपदवार जनसंख्या एवं 7 वर्ष तथा अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षरता प्रतिशत दिया गया है । इसमें जनपद मण्डल जनसंख्या साक्षरता प्रतिशत में पुरुष, महिला दिया गया है । मान्यवर, बुलन्दशहर में जो मेरा जिला है 29,23,290 की जनसंख्या है और महिलाओं की संख्या नगण्य है । वहां व्यक्ति की संख्या नगण्य दिखायी है । पूरे प्रदेश की जनसंख्या दी गयी है लेकिन जनपद बुलन्दशहर की जनसंख्या नहीं दी गयी है । यह जो प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक होते हैं उनके पास बहुत काम होता है । जैसे जनगणना, मकान–गणना इत्यादि काम इनसे कराया जाता है । मेरा अनुरोध है कि यह काम इनसे न कराकर किसी और विभाग से कराया जाय । इससे बच्चों की पढ़ाई होगी भविष्य सुधरेगा । मान्यवर, पहले डिप्टी साहब इंस्पेक्शन के लिए आया करते थे । स्कूल की सफाई हुआ करती थी, बच्चे अपने नाखून काटते थे, बाल कटवा कर आते थे लेकिन अब कोई अधिकारी देखने नहीं जाता है । मेरा आपसे अनुरोध है कि एक दिन में एक प्रथमिक विद्यालय का निरीक्षण किसी अधिकारी से कराया जाय जो विद्यालय बन्द पड़े हैं या जिसमें अनाधिकार कब्जा कर रखा है उसको कब्जा मुक्ति कर सुचारु रूप से चलाया जाय । मान्यवर, जो विद्यालय के पास कृषि योग्य भूमि है या फिर चल-अचल सम्पत्ति है, उसका लेखा-जोखा रखा जाय । उससे जो आमदनी होती है उसे विद्यालय के हित में लगाया जाय । प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या अधिक व अध्यापक कम है । जो अध्यापक हैं वह पैत्रिक गांवों में पढ़ाने का काम करते हैं । वह अपने घर पूरे दिन का काम तीन-चार घण्टों में करते हैं और स्कूल पहुंचकर कुर्सी पर पैर रखकर सोते हैं । इनकी यूनियन भी बहुत तगड़ी है । जब उनका ट्रान्सफर किया जाता है तो यह विरोध करते हैं और जन प्रतिनिधि भी, चूंकि उसी गांव में होते हैं, न्याय पंचायत में रहते हैं वोट का असर पड़ेगा इसलिए उनका ट्रान्सफर नहीं होने देते । तो मेरा अनुरोध है कि इनका ट्रान्सफर पचास कि०मी० दूर या दूसरी विधान सभा में कराया जाय । प्रा० वि० टाट तख्ती पर पढ़ने वाले बच्चे कान्वेंट स्कूल के कोर्स की बराबरी नहीं कर सकते हैं । तो मेरा अनुरोध है कि दोनों विद्यालयों का कोर्स एक सा कराया जाय । नर्सरी में तीन वर्ष के बच्चे का प्रवेश ले लिया जाता है जबकि प्रथमिक विद्यालय में पांच वर्ष से अधिक आयु का बच्चा जा पाता है । तो मेरा अनुरोध है कि प्रा० वि० में तीन वर्ष इसकी आयु करायी जाय । मान्यवर, बच्चों को गुरू का सम्मान करना चाहिए, माता- पिता का सम्मान करना चाहिए, रास्ते में अगर केले का छिलका पड़ा है तो उसे हटाकर कोने में फेंकना चाहिए, कोई पत्थर या ईंट पड़ा है रास्ते में तो उसे हटा देना चाहिए, बड़े-बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए लेकिन आज इन सब रिस्तों में गिरावट आ गयी है । आज कोई नमस्ते, नमस्कार, दुआ-सलाम, जय भीम नहीं करता । दादी-दादा, नाना-नानी, ताऊ-ताई आदि के रिश्ते का कोई महत्व नहीं रह गया है इनके सम्बन्धों में गिरावट आ गयी है । जो भारतीय संस्कृति है, तमाम जो भारतीय सरस्वती शिशु मन्दिर हैं उसमें बरकरार है । तो यह सब्ब बच्चों के गुरुजन को सिखाना चाहिए । अन्त में मैं इस बजट का समर्थन करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा बजट रखा है कि इससे देश की तरक्की होगी । सबको नमस्ते, नमस्कार, जय भीम, जय भारत ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण प्राथमिक शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद । मैं श्री राम करन आर्य जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्राथमिक शिक्षा हमारे देश और प्रदेश की अनिवार्य शिक्षा है और वही हमारी प्रतिभायें चुनी जाती हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस समय जो सिखलाया जा रहा है यह हमारी मूलभूत पहचान को खो देने की स्थिति में ले जा रहा है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहले हमें अपने अन्दर सुधार लाना चाहिए । हम जितने भी इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं हम सारे लोगों को अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में सहयोग करना चाहिए । हम अपने बच्चों का दाखिला इन स्कूलों में करवाये और उत्तर प्रदेश के जितने भी इम्प्लाई हैं उनके बच्चों का प्राथमिक विद्यालयों में नामकरण कराया जाय । तब जाकर इसमें कुछ सुधार होगा ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं और उनके जो अध्यापक हैं उनका रवैया सही नहीं है । किसी भी प्राथमिक विद्यालय में 4-5 अध्यापक होते हैं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने अपना सप्ताहवाइस कार्यक्रम बना रखा है । कभी भी उनकी पूर्ण हाजिरी नहीं मिलेगी । एक हफ्ते एक अध्यापक रहता है, दूसरे हफ्ते दूसरा और तीसरे हफ्ते तीसरा अध्यापक रहता है । इस तरह प्राथमिक शिक्षा का जो औसत है वह पूरी तरह से विलुप्त होता चला जा रहा है । इसलिए मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि इसके लिए एक कमेटी बना दी जाय और वह कमेटी हमेशा अध्यापकों के बारे में छानबीन करेगी कि कौन सा अध्यापक किस समय अनुपस्थित है । साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितने भी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं उनका स्थानान्तरण गैर जनपद किया जाना चाहिए ताकि वह अपनी जिम्मेदारी का अहसास कर सकें । मान्यवर, जो भी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं उनको दूसरे कामों में नहीं लगाया जाना चाहिए इससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है । इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितने भी पब्लिक स्कूल हैं उनको इस सदन में प्रस्ताव लाकर बन्द कर दिया जाना चाहिए । प्राथमिक स्तर पर उनको मान्यता दी जानी चाहिए । प्राथमिक विद्यालयों के नीचे जो कान्वेन्ट स्कूल हैं उनको बन्द किया जाना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री घूरा राम–

अधिष्ठाता जी, आपने मुझे शिक्षा बजट पर बल देने के लिए बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, भारतीय संविधान निर्मित समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर साहब जी के तीन महत्वपूर्ण दर्शन थे जिसमें से शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण दर्शन था । उनका मानना था कि प्राथमिक शिक्षा से प्रतिभाएं उभरती हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग की बेहतर शिक्षा नीति हो इसके लिए हमारी सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए । जो बच्चा प्राथमिक विद्यालय में जाता है तो उसमें पहले ही हीन भावना आ जाती है । क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों और परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों में काफी अन्तर है । परिषदीय विद्यालयों में फीस कम होती है और सी०बी०एस०ई० के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की वार्षिक फीस लगभग 30 हजार होती है । इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें समानता हो । जब हम लोग प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे तो उस समय पढ़ाया गया कि गंगा शंकर जी की जटा से निकलती है यह मैंने लिखा और पास हो गया फिर जब मैं कक्षा आठ में गया तो पढ़ा कि गंगा गंगोत्री से निकलती है यह भी मैंने लिखा और पास हो गया तो इन विषयों को भी देखना चाहिए और इन

व्यवस्थाओं में संशोधन हो कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि जिसमें हमारी तारीफ हो । शिक्षा की व्यवस्था हमारे प्रदेश या देश में सही ढंग से हो और जिसमें कोई भेदभाव न हो । मैं यह अपील करना चाहता हूं कि चाहे शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्रबन्धकीय विद्यालय हों या गैर प्रबन्धकीय उसमें भी सक्षम लोग होते हैं चाहे आर्थिक रूप में या सामाजिक रूप में उनके जो विद्यालय होते हैं उनमें प्रवेश में भी भेद-भाव होता है क्योंकि वह जातियों का भेद-भाव होता है । इसको समाप्त करने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए इसी के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री विवेक बंसल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह मेरा सौभाग्य है कि प्राथमिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया है इसकी कटौती पर बोलने का मौका दिया है । मान्यवर, अभी मंत्री जी ने बताया कि इस तरीके से प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों से आज तक जो लोग चुनकर आये हैं । उसमें जो आई०ए०एस० हैं वह 90 प्रतिशत वहां से आये हैं । मान्यवर, यह बात सत्य है लेकिन आज के परिपेक्ष्य में और आज से 20 साल बाद के परिपेक्ष्य में हमें देखना होगा कि कितने लोग इन शिक्षण संस्थाओं से आते हैं और कितने पब्लिक सेक्टर के स्कूलों से आते हैं और हमें यह भी देखना होगा कि हम कैसा भारत का स्वरूप आगे देखना चाहते हैं ? मान्यवर, आज की प्राथमिक शिक्षा जो है जो शोषित और पिछड़ा हुआ वर्ग है उनको हम शिक्षा देने की बात करते हैं । हम इस चीज को मानते हैं कि इन लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों पर एक इन्फ्रास्ट्रक्चर हमें देना चाहिए । क्या हम लोग दे सकेंगे । मान्यवर, आज का एम०एल०ए० क्या वहां अपने बच्चों को भेजना स्वीकार करेगा या जो हाई सोसायटी है उसके लोग अपने बच्चों को भेजना स्वीकार करेंगे ? इसमें हम सोच-विचार करके ज्यादा से ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर देंगे तभी हम बच्चों का उद्धार कर सकेंगे और अच्छे भारत का आने वाले समय में स्वरूप दे सकेंगे । मान्यवर, आज भ्रष्टाचार जिस तरह से पनप रहा है इन प्राथमिक विद्यालयों में जो मिड-डे मील स्कीम है उसमें हम बच्चों को लाभान्वित नहीं करवा पा रहे हैं । मान्यवर, मैं अपने जनपद की बात कहूंगा कि अल्पसंख्यक क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं । मान्यवर, एक भ्रष्टाचार का मामला मेरे संज्ञान में है जांच हुई अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

यह एक उद्योग की तरह पनप रहा है जहां अल्पसंख्यकों को जो एक सेक्युलर शिक्षा मिलती है उसके लिए उसमें वहां घोर घोटाला हो रहा है । मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय से कहें कि वहां उच्च स्तरीय इनक्वायरी कराई जाय । हमारे मोहल्ला जमालपुर, नगला मोहाल आदि में स्कूल जर्जर स्थिति में है वहां अध्यापक नहीं हैं कोई पढ़ाने वाला नहीं है एक ही शिक्षक पूरे विद्यालय को चला रहा है तो मैं चाहता हूं कि इस पर इन्क्वायरी बैठाई जाय और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्राविधान किया जाये । आज हम यह मानते हैं कि बचपन में जिसको जैसी शिक्षा देंगे उसके भविष्य का स्वरूप यह बच्चा होगा । मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि वहां पर जो स्वीपर होते हैं उनका भी नियमितीकरण किया जाय और उनकी भी वेतनवृद्धि की जाय और इसी के साथ एक चीज और कहना चाहता हूं कि शिक्षकों के लिए आचार संहिता लागू की जाय क्योंकि बच्चा जैसा देखेगा वैसा ही आचरण वह अपने में डालने की कोशिश करेगा । होता क्या है अगर शिक्षक किसान है और वह अपनी जमीन को जोत कर आ रहा है तो वह मेज पर पैर रखकर बच्चों को पढ़ा रहा है, सिगरेट, हुक्का पी रहा है तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए । आज हम इक्कीसवी सदी की बात कर रहे हैं तो क्या परिवर्तन किया गया है । बच्चों की शिक्षा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जातिवादिता से ऊपर हो साम्प्रदायवादिता से ऊपर उठकर हो इसका भी कोई प्राविधान मंत्री महोदय को करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इन सब बातों को गंभीरता से लें।

श्री विश्राम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं माननीय राम करन आर्य द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, पहला सुझाव यह है कि प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के बहुत से अध्यापक स्कूलों में पढ़ाने नहीं जाते हैं और बहुत से अध्यापक ऐसे हैं जो अपनी जगह पर दूसरे को भेज देते हैं जो गांव के पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको अलग से पैसा देते हैं, एस०डी०आई० को घूस देते हैं और वह पैसा बी०एस०ए० तक पहुंचता है पता नहीं मंत्री महोदय तक पहुंचता है या नहीं यह मंत्री जी जाने। स्कूल बहुत से ऐसे हैं नदी नाले के किनारे के हैं वहां के स्कूलों में या तो वहां के गांव वाले भूसा भरते हैं या जानवर बांधते हैं या गोबर कंडा पाथा जाता है ये हैं हमारे सांडी ब्लाक का औधैया प्राइमरी पाठशाला, खुर्रमपुरवा (क्खरीछोलैपुर) प्रा०पा० हरपालपुर ब्लाक का अरबल प्राइमरी पाठशाला और जूनियर हाई स्कूल, दहलिया प्राइमरी पाठशाला और जूनियर हाई स्कूल तथा प्राइमरी पाठशाला बदनापुर ये ऐसे स्कूल हैं जहां पर दबंग लोग भूसा भरते हैं जानवर बांधते हैं या चौपाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कुछ ऐसा किया जाय कि भूसा न भरा जाय, जानवर न बांधे जाय और न लोग उसको चौपाल के रूप में इस्तेमाल करें। जब आप स्कूल बनाते हैं तो विवाद इसलिए पैदा हो जाता है क्योंकि दबंग आदमी चाहता है कि स्कूल उसके घर के सामने बनाया जाय ताकि वह चौपाल के रूप में उसका इस्तेमाल कर सके। बहुत जगह पैसा पहुच गया है लेकिन स्कूल नहीं बना है इसलिए यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जो पैसा पहुंच गया है और 4-4, 5-5 साल से स्कूल ही बन रहा है जैसे सांडी ब्लाक का अलियापुर प्राइमरी पाठशाला, बरगदापुरवा जूनियर हाई स्कूल सांडी ब्लाक इसमें रुपया पहुंच गया है इसमें तत्काल भवन बनवाया जाय। झगड़ा विवाद हुआ करता है लेकिन विभाग की क्या जिम्मेदारी है। विभाग सीमारेखा रखे कि इतने दिन के अन्दर बन जायेंगे। बी० एस० ए०, डिप्टी कलेक्टर इस विवाद को हल करने का काम करें। बहुत से विद्यालय हैं जहां एक भी मास्टर नहीं है। आप बताते हैं कि स्कूल में कम से कम दो मास्टर हैं वह वहां से अटैचमेंट करा लेते हैं, दूसरी जगह बहुत से स्कूल हैं जहां मास्टर नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि इन व्यवस्थाओं को सुधारने का काम करें। क्योंकि प्राथमिक शिक्षा बहुत ही बेकार हो रही है इसीलिये मान्टेसरी स्कूल बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, आपने प्राइमरी शिक्षा के बजट भाषण पर मुझे समर्थन करने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने प्राथमिक शिक्षा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण और अच्छे सुझाव सदन के समक्ष रखे। प्रदेश में 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा देने अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति के बच्चों को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उनको विद्यालय में प्रवेश कराने, समाज के निर्बल वर्ग के शिक्षार्थियों को भी पुस्तकें उपलब्ध कराने और प्रदेश में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कराने आदि-आदि बातों पर विशेष उल्लेख किया है। मैं इसके लिये उन्हें बधाई देता हूं। मान्यवर, प्रदेश में मेरा सुझाव है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के बारे में मंत्री जी ने बताया है यह अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा बना दी गयी है। इसको यदि गार्जियन अभिभावक स्कूल में अपने बच्चों को न भेजें तो इसे अपराध घोषित किया जाये। जब उनको सरकार निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर रही है तो क्यों न भेजें ताकि गरीबों की शिक्षा की

व्यवस्था ठीक से हो सके । मान्यवर, मैं अपनी विधान सभा के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । प्राथमिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा है इसको बेहतर ढंग से चलाने के लिये अध्यापकों की आवश्यकता होती है । सरकार ने पंचम वेतन लागू कर दिया है । पंचम वेतन लागू होते ही शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन मिलने लगा है । परन्तु अधिकांश शिक्षक विद्यालय में नहीं जाते । जिस काम के लिये वेतन दिया जाता है वह काम न करके ठेकेदारी करते हैं, डाक्टरी करते हैं लेकिन शिक्षक शिक्षण का काम नहीं करते हैं । मेरी विधान सभा में कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनमें एक भी अध्यापक नहीं हैं । दाम नगर जूनियर हाई स्कूल, फुल्पसी और सोना इन सभी विद्यालयों में अध्यापक नहीं है । कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो कि एकल विद्यालय हैं । अध्यापक मीटिंग का हवाला देकर अधिकांश समय विद्यालय बन्द रखते हैं । मैं इसी बात पर बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री पारसनाथ यादव–

मानीनय अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र विभाग के बजट पर, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय राम करन आर्य जी ने रखा है, मैं उस पर बल देते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, शिक्षा इन्सान की बुनियादी आवश्यकता है । शिक्षा वह सोपान है, जिस सोपान पर चढ़कर इन्सान विकास की पराकाष्ठा पर पहुंचता है । दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जो शिक्षा के विकास के चलते आज विकास की पराकाष्ठा पर हैं । हिन्दुस्तान जैसे देश, जिसे देखने के लिये विदेशी तरसते थे, जहां गंगा-जमुनी संस्कृति थी, जो देश विश्व बंधुत्व का सपना देखता था, लेकिन आजादी के 56 साल बाद भी हम 58 से अधिक अपने देश के लोगों को साक्षर नहीं कर पाये हैं । दुर्भाग्य यह भी है कि पुरुषों की साक्षरता तो 70 प्रतिशत तक हम लोग पहुंच भी गये हैं, लेकिन महिलाओं की, जो हमारे इस देश की आबादी का आधा हिस्सा हैं, वह मात्र 42-43 प्रतिशत ही शिक्षा प्राप्त कर सकी हैं । इसका जो भी कारण हो, लेकिन बुनियादी शिक्षा जो हमारी थी, उससे लोगों की आस्था खत्म होती जा रही है । इस सदन में सभी सम्मानित सदस्यगण चिन्तित हैं, बहस भी करते हैं । माननीय मंत्री जी भी गांव से आते हैं, लेकिन यह कभी भी चिन्तन नहीं हुआ है कि 56 साल की आजादी में, आखिर जो शिक्षा हमारी बुनियादी आवश्यकता है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, उससे हमारी आस्था क्यों हटती जा रही हैं ? हम स्कूलों को मान्यता भी देते चले गये और चिन्ता भी व्यक्त करते रहे, बच्चों को पढ़ने के लिये प्रोत्साहित भी करते रहे, हमने बहुत से साधनों का इन्तजाम भी किया, लेकिन बढ़ती आबादी के चलते जितनी प्राइमरी स्कूलों की आवश्यकता है, उतने स्कूल बना नहीं सके । भवन नहीं बना सके, साधन नहीं दे सके । अगर स्वावलम्बी संस्थायें नहीं होती और यह शिक्षा के प्रचार प्रसार में न लगी होती तो जो हम 56-57 प्रतिशत साक्षर कर पाये हैं, वह भी न कर पाये होते । ऐसा मेरा मानना है कि इस पर गहन चिन्तन होना चाहिये । इस विषय पर हमारे शिक्षाविदों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से गम्भीर चर्चा होनी चाहिये ।

इसी के साथ मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात कहना चाहूंगा । हमारे पास अध्यापकों की कमी है, यह बात हर व्यक्ति मानता है । लगभग 5674 अध्यापक की कमी हैं लेकिन जहां एकल विद्यालय चल रहे हैं, वहां भी प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों से दूसरे काम लिये जाते हैं, जैसे मतदाता सूचियों का पुनर्निमाण मतगणना, जनगणना आदि काम कराये जाते हैं, इसके अलावा जो सरकारी योजनायें आती हैं, उनमें भी उनको लगा दिया जाता है, यह बड़ी अनियमितता है और यह उपहास है । अगर इस तरह से यह सब होता रहेगा तो बुनियादी शिक्षा कभी सुधर नहीं सकती । यह हमारी दोहरी शिक्षा नीति है,

विषमता है और इस दोहरी नीति के चलते हम चाहे कितना कुछ कर लें, हमारी यह बुनियादी शिक्षा सुधर नहीं सकती ।

एक सुझाव और देना चाहता हूं हमारे प्राइमरी स्कूलों के भवन जर्जर हैं, उनके भवन निर्माण के लिये अथवा नये भवन बनाने के लिये आपने बजट का आंकड़ा पेश किया, लेकिन प्राइमरी स्कूलों के भवन ऐसे स्थान पर बनाये जाते हैं, जो विवादित हुआ करते हैं । इसके अलावा जो गांव का दबंग व्यक्ति होता है, वह अपने ही इलाके में चाहता है, अपने ही घर के समाने चाहता है, स्कूल बने । यह बात भी सही है कि आप मतदान केन्द्र बनाते हैं, दबंग लोग यह भी सोचते हैं कि अगर स्कूल भवन हमारे घर के सामने या समीप बनेगा तो हम वह भी काम करेंगे । प्रधानी से पार्लियामेन्ट और विधान सभा का मतदान केन्द्र सब प्राइमरी पाठशाला में ही होता है या जूनियर हाईस्कूल में होता है, इसलिये भी जहां वह भवन बनते हैं, वह विवादित हुआ करते हैं इसलिये भी ये अपेक्षित विवाद बना करते हैं और आनन-फानन में जब भवन का निर्माण होगा जो स्कूल बनाने की पद्धति है उसके लिये स्कूल के हेड मास्टर और प्रधान को कार्य कराना होगा दोनों को पैसे का भुगतान एक ही खाते से होता है उसमें भी दोनों में आपस में खींचतान होगी, जो थर्ड क्लास को मैटीरियल से निर्माण होगा उसी से भवन निर्माण होगा, वह ध्वस्त होंगे, बच्चे उसमें दबते हैं, मरते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए इस पर एक नीति बनानी चाहिए और वह नीति ऐसी बने जिस पर लोगों को आस्था हो, शिक्षा की तरफ बच्चों का आकर्षण बढ़े आप रख देते हैं स्कूल चलो अभियान, शिक्षा रथ का अभियान आदि इस तरह के तमाम अभियान आप चलाते हैं तो आनन-फानन में हमारे अधिकारीगण, प्राइमरी स्कूल के अध्यापक गण एक लम्बा-चौड़ा रजिस्टर बना लेते हैं और जितने भी आस-पास के बच्चे होते हैं सबका नाम लिख लेते हैं, अगर एक महीने के बाद आप जाएं, या इस पर आप एक कमेटी बना दें तो आप मानेंगें कि वहां आधे से भी कम बच्चे होते हैं । जिन शिक्षकों से आप वोट मांगते हैं, उन्हीं की बदौलत चुनाव जीतते हैं, वही प्रोसाइडिंग आफीसर होते हैं, अगर उनकी शिकायत करेंगे अथवा कोई ऐसा कानून बना दोगे तो कल वोट मांगने कैसे जाओगे, अगर यह धारणा रहेगी तो शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा ? मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की एक गोष्ठी हो जिस पर आस्था दिखाई जाय, शिक्षा के सुधार के लिए आत्मबल रखना पड़ेगा, वोट की राजनीति से ऊपर उठकर कठोर कानून बनाना होगा, तभी हम शिक्षा का सुधार कर पायेंगे । इन सुझावों के साथ हम माननीय राम करन आर्य जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री राम लाल अकेला–

अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात ये हमारे समाज के मूलभूत आवश्यकताएं हैं । मान्यवर, हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की 75-80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, खेत और खलिहानों में काम करने वाले लोग होते हैं और खेत-खलिहान में काम करने वाले मजदूरों की आमदनी इतनी नहीं होती कि वह अपने बच्चों को माण्टेसरी या बड़े-बड़े स्कूलों में दाखिला दिला कर शिक्षा दिला सके । मान्यवर, इसके लिए प्राइमरी विद्यालयों के अलावा और कोई चारा नहीं रहता जहां पर वह अपने बच्चों का दाखिला कराके शिक्षा दिला सकें । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब किसी इमारत की नींव ही कमेजार हो जायेगी तो वह इमारत कितने दिनों तक सही रहेगी । इसके लिए सदन को चिन्ता करनी चाहिए और आज जब [illegible]र का युग है, कम्पटीशन का युग है तो ऐसी स्थिति में गरीब मजदूर, खेतिहर मजदूर के बच्चे को टाट-पट्टी में खुले आसमान में पढ़ाई करते हैं और प्राइमरी

स्कूलों में इन बच्चों के पास पढ़ाई के लिए टाट-पट्टी भी नहीं है। एक तरफ वे विद्यालय हैं जहां पंखे लगे हैं, बढ़िया फर्नीचर हैं दूसरी तरफ किसान का वह गरीब बेटा पढ़ता है जिसके बैठने के लिये टाट-पट्टी, फर्नीचर नहीं है, बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है और एक ही कमरे में 150-200 बच्चे पढ़ने का काम करते हैं। ऐसी अवस्था में आप स्वयं सोच सकते हैं कि किस तरह से बेसिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। आज प्राथमिक विद्यालयों की भवनों की हालत यह है कि एक बरामदे में पूरा विद्यालय चलाया जाता है। अनेकों विद्यालय ऐसे हैं जो पेड़ों के नीचे और छप्परों में चलने का काम किया जाता है। हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे पूर्व मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जिन्होंने अपने शासन काल में सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था और समूचे उत्तर प्रदेश में 14 हजार प्राथमिक विद्यालय जो छप्पर के नीचे चला करते थे उन्हें पक्के भवन में चलाने का काम किया। मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू किया था वह काम रोक दिया गया है। मा० मुलायम सिंह जी के मन में सोच थी कि इस प्रदेश में रहने वाले मजदूर और किसानों के आत्मबल को मजबूत किया जा सकेगा। उनके बच्चों को शिक्षा देने का काम किया जायेगा। आज प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को तमाम तरह के कार्यों में लगा दिया जाता है। कभी जनगणना, कभी मतदाता सूची तैयार कराने का काम, कही वोट डलवाने का काम कराया जाता है। वह अध्यापक कितने दिन अपनी असली ड्यूटी करने का काम करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा को जबाबदेह बनाने का काम किया जाये, दोहरी शिक्षा को समाप्त किया जाये। जब तक दोहरी शिक्षा को समाप्त करने का काम नहीं किया जायेगा तो गरीब, खेतिहर मजदूर, किसानों के बच्चे इस कम्प्यूटर और प्रतिस्पर्धा के युग में बड़े-बड़े अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से कभी आगे नहीं निकल पायेंगे और वे तरक्की का अवसर देखते रह जायेंगे। इसलिये मेरी मांग है और सुझाव है कि हिम्मत करिये और दोहरी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने का संकल्प लिया जाये ताकि इस प्रदेश के अमीर-गरीब सभी के बच्चों को समान अवसर मिल सके।...

(लालबत्ती जलने पर)

मानीनय अधिष्ठाता जी, अपने क्षेत्र की कुछ बातें कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं मंत्री जी का ध्यान बंछरावां के विकास खण्ड शिवगढ़ ग्राम सभा बूढ़ा के ग्राम चन्दापुर की ओर दिलाना चाहता हूं। चन्दापुर में प्रधानाध्यापक कभी नहीं जाते हैं वहां पर ताला पड़ा रहता है। इसी तरह से सरेनी विकास खण्ड में इब्राहिमपुर में कन्या विद्यालय का भवन पूरी तरह से टूटा हुआ है। जिले के अधिकारियों से बार-बार कहने के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। मान्यवर, शिवगढ़ ब्लाक के ओसाह विद्यालय में 600-700 बच्चे हैं और मात्र दो अध्यापक हैं वह कैसे उस विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी, जो मैंने सुझाव रखे हैं उस पर विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ राम करन आर्य जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देता हूं। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग से सबंधित 3 विभाग और हैं इसलिये इस चर्चा को रोककर आगे की कार्यवाही कर दी जाये।.....

(सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा बोलने के लिये हाथ उठाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपके बीच एक बात रखी है। दो घण्टे हो गये हैं अभी 3 बजट और शिक्षा पर ही हैं जो बोलने के लिये सूची आयी है और जो रह गये हैं वह जो शिक्षा के अन्य बजट हैं उस पर बोल लेंगे। अब इस पर आधा घंटा और चर्चा करा लेते हैं। उसके बाद अगला बजट ले लेंगे। जो सदस्य बचें वह दूसरे बजट पर बोल लें।

श्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया–

अधिष्ठाता महोदय, आपने प्राथमिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बदलाव आया वह स्वागत योग्य बदलाव था। उसके बाद 73वें संविधान संशोधन के बाद जो शिक्षा में क्रान्तिकारी कदम का सूत्रपात हुआ जिससे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का प्राविधान किया गया व राज्य को शिक्षा का अनिवार्य दायित्व दिया। इसके बाद शिक्षा मे यह महत्वपूर्ण बदलाव हुआ इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की तरफ ले जाना चाहता हूं। हमारे यहां विकास खण्ड करनैलगंज है वहां इस विकास खण्ड में 95 विद्यालय हैं। जहां 115 अध्यापक हैं। छात्रों की संख्या 18 हजार 996 है। इसमें कम से कम 10 विद्यालय ऐसे हैं जो अध्यापक विहीन हैं। इन विद्यालयों में अध्यापकों की व्यवस्था कराई जाए। हमारे क्षेत्र में दुल्लापुर तरहरडीह प्राथमिक विद्यालय बना है वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बच्चे उसके नीचे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कभी भी घटना घटित हो सकती है अतः तत्काल उस विद्यालय भवन का नवनिर्माण किया जाए। शिक्षा मित्रों की नियुक्ति 10 माह के लिये की गई 10 माह बाद ग्राम प्रधान उसकी पुनः नवीनीकरण करेगा अगर ग्राम प्रधान सहमत नहीं होगा तो बदलाव की बात आएगी उससे ऐसी बात उभरकर सामने आएगी जिससे पूरी व्यवस्था कोर्ट कचेहरी में उलझ कर रह जाएगी। इसलिये कोई ऐसी नीति बनाई जाए जो न्याय संगत हो। जो अध्यापकों की कमी है उसके लिये शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई है इसको लम्बे समय तक चलाया जाए क्योंकि 10 माह के बाद अनावश्यक रूप से विवाद बढ़ेगा। मेरे जनपद गोण्डा में वर्तमान में 208 अध्यापक सेवा निवृत्त हुए हैं उसके विरुद्ध 50 अध्यापकों की नियुक्ति हुई है जिससे स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति न आए इस पर ध्यान देना चाहिये। सभी को प्राथमिक शिक्षा देनी है। इसलिये सुविचारित नीति बनाई जाये। प्राथमिक शिक्षा के संविदाकरण की नीति को रोका जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया–

आपने मुझ जैसे नये सदस्य को अपनी बात रखने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मा० मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री ओम प्रकाश पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन पर बोलने का मौका दिया । अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय प्राथमिक शिक्षा ही ऐसा है जिससे पूरे समाज का नहीं, बल्कि राष्ट्र का निर्माण होता है । कम से कम प्राथमिक शिक्षा में कुछ बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । हमारे जो विद्यालय हैं शिक्षकों की उनमें क्या स्थिति हैं ? आज हमारे विद्यालय अधिक हैं लेकिन शिक्षक कम हैं । 150-200 बच्चों पर मात्र दो अध्यापक हैं । प्राथमिक विद्यालय की मान्यता के लिये जो मानक है वह अन्य दूसरे विद्यालय जो लोग खोलते हैं उनके मानक में अन्तर है । प्राथमिक विद्यालय दो कमरे के हैं जिनमें 5 कक्षाएं चलती हैं । इस पर भी आपको विचार करना चाहिये । आज समाज में अन्य जो नर्सरी विद्यालय चल रहे हैं अभिभावक उनमें अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाना चाहता है लेकिन इन प्राथमिक विद्यालयों में नहीं । आपको इनकी कमियों को भी देखना होगा । आपको देखना चाहिये कि आपके यह विद्यालय भी अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सकें । उसके तहत नैतिक संस्कारयुक्त शिक्षक इन विद्यालयों में उपलब्ध करायें । इस चीज को लागू करें कि इन प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का सिगरेट, बीड़ी, पान, तम्बाकू पर प्रतिबन्ध हो । स्वच्छता पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । अध्यापकों को अधिक वेतन दे रहे हैं, विद्यालयों में टाट पट्टी का अभाव है, बच्चे अपने घर से टाट का टुकड़ा लेकर आते हैं । इस पर भी आपको ध्यान देने की जरुरत है । आज समाज में इन विद्यालयों के टक्कर में अन्य विद्यालय चल रहे हैं । आप उनसे कम्पटीशन में प्रतिस्पर्धा में किस तरह से इन विद्यालयों को खड़ा कर सकते हैं, इस बारे में आपको सोचना होगा । हमारे बहुत से विद्यालय ऐसे हैं, जहां पर पीने का पानी नहीं है । बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जिनकी बाउन्ड्री वाल नहीं है । बाउन्ड्री बाल न होने के कारण आसपास के लोग अतिक्रमण कर रहे हैं । अपने इन विद्यालयों की बाउन्ड्री को भी आप सुनिश्चित करायें । जहां पर पीने का पानी नहीं है, वहां विशेष ध्यान दिया जाय । जो जूनियर हाई स्कूल के विद्यालय हैं वहां पर बालिकायें भी शिक्षा ग्रहण करती हैं, उनकी सुविधा को ध्यान में रखें कि उनके लिये वहां पर शौचालय की भी व्यवस्था हो । डाइट के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें शिक्षा के नाम पर पैसों का दुरुपयोग हो रहा है । हमारे सुल्तानपुर में इसके नाम पर जो होता है । फर्जी बाउचर लगाये जाते हैं । मेरा तो निवेदन है कि इस पैसे को डाइवर्ट करके स्वच्छता, पीने के पानी और टाट पट्टी की समस्या का निराकरण में खर्च किया जाना चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बोलने का अवसर दिया । मैं पुनः माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री आलमबदी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका आभारी हूं । नेता सदन ने जिस दिन सामान्य बजट पेश किया था । उस पर चर्चा में मैंने कहा था कि इसमें यह नहीं दिया गया है कि बजट लागू होने पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ जायेगी और एज्यूकेशनल फैसिलिटी कितनी बढ़ जायेगी । मैंने यह कहा था कि यह बजट नहीं माना जायेगा । यह फार द पीपुल नहीं है यह कागज का पुलिन्दा ही माना जायेगा । आज माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में चूंकि यह बात कही कि कोई प्रस्ताव अगर देता है तो उस पर हम विचार करेंगे । इससे मेरा उत्साह बढ़ा और मैं जुर्रत कर सका कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शिक्षा के बजट पर कुछ कहने की हिम्मत कर सका। माननीय मंत्री जी ने कहा और सदस्यों ने भी कहा कि संविधान लिखने वाले ने जो कल्पना की थी। आपके भारत के संविधान को लिखने वाले ने जो आशायें प्रकट की थीं शिक्षा के संबंध में वह आशा पूरी नहीं हुई है। संविधान में दो बातें साफ लिखी हुई हैं एक तो भविष्य की जो सरकारें हैं वह शराब पर पाबन्दी लगाएंगी। दूसरी बात भविष्य की सरकारें 14 साल के बच्चे और बच्चियों को शिक्षा फ्री देंगी। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं 55 साल की आजादी के बाद मैं यह देख रहा हूं कि सत्ता पर बैठी सरकारें जो हैं उसकी कमाई का सबसे बड़ा साधन शराब है शराब के द्वारा सरकार की जेब में जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जा रहा है। शराब के कारण बच्चे करेप्ट हो रहे हैं।

(लाल बत्ती जलने पर)

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं विधान सभा के सदस्यगण बैठे हैं सभी आदरणीय सदस्य हैं किसी न किसी क्षेत्र के होंगे मेरा निवेदन हैं आप अपने क्षेत्र के किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जाएं वहां देखें कि मुस्लिम किस तरह से अपने मकतब चला रहे हैं जो बेसिक स्कूल हैं वहां शिक्षा कैसे होती है इसको देखें। यहां बैठने के साधन कैसे हैं। ब्लैक बोर्ड और टाट-पट्टियों के साधन कैसे हैं वह अपनी जेब से पैसा लगाकर इनको चला रहे हैं। मुस्लिम भाइयों की स्थिति हिन्दू भाइयों से मजबूत नहीं है।

(व्यवधान)

(श्री मिथिलेश कुमार का नाम पुकारा गया, दोनों सदस्य एक साथ बोल रहे थे।)

जिस तरह से और जगह स्कूल चलाए जा रहे हैं यहां भी चलाए जाएं।

* श्री मिथिलेश कुमार–

मान्यवर, शाहजहांपुर जिले में बी० एस० ए० का ट्रांसफर कर दिया गया ....।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

बहुत से माननीय सदस्य अनुपस्थित रहते हैं जिसे पुकारा जाता है बाद में आने के बाद बुलवाना उचित नहीं होता है। तीन-तीन बजट अभी पड़े हुए हैं।

श्री मिथिलेश कुमार–

मान्यवर, हमारे यहां बी० एस० ए० को हटा दिया गया उसके बाद शिक्षा के जो माफिया हैं वह तय करते हैं कि किसको चार्ज देना है उनके अनुसार चार्ज दिया जाता है जिसको वह चाहते हैं बी० एस० ए० बना देते हैं। हम चाहते हैं कि स्थाई बी० एस० ए० की नियुक्ति की जाए। हमारे 90 प्रतिशत माननीय सदस्य गांव के हैं अध्यापकों से वोट बैंक होता है इसलिये अध्यापकों का विरोध नहीं कर पाते हैं कि वह वहां के वोट काट देंगे। इसी कारण विरोध नहीं करते हैं। एक ग्राम्य विकास अधिकारी हर प्रधान को दिया गया है अगर जनगणना का कार्य ग्राम्य विकास अधिकारी से कराया जाए तो उचित होगा वह पूरा वेतन लेता है इस कार्य को अध्यापकों से न कराकर ग्राम्य विकास अधिकारी से कराया जाए।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षा मित्रों की नियुक्ति मान्यवर, पूरे साल होती है उससे किसी विद्यालय को लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि 20 मई से स्कूल बन्द हो जाते हैं । तो इन शिक्षा मित्रों की नियुक्ति 20 मई से 30 मई के बीच की जाए और जून में इनको ट्रेनिंग दी जाए । 20 जुलाई से शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जाए । ताकि पूरे वर्ष वह पढ़ सकें ।

(व्यवधान)

शिक्षा मित्र की नियुक्ति की जाय । प्राथमिक विद्यालय के साथ जूनियर हाई स्कूल भी बन्द पड़े हैं । उनके लिए अध्यापकों की व्यवस्था नहीं है । प्राथमिक विद्यालयों में तो आपने शिक्षा मित्र दे दिये लेकिन जूनियर हाई स्कूल कैसे चलाया जाय इसका प्राविधान नहीं है । तो कृपया इस ओर ध्यान दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

जब मैं नाम पुकारता हूं तो कुछ माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित नहीं रहते हैं इसलिए मुझे आगे बढ़ना पड़ता है । आपसे अनुरोध है कि जो ऐसे लोग हैं, जो रह गये हैं, जब अगला बजट आयेगा तो उसमें वह बोल लें ।

श्री दिनेश सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बेसिक शिक्षा परिषद् जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं । साथ ही आपके संज्ञान में आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं भ्रष्टाचार में डूबे हुए शिक्षा विभाग को उबारने के लिए 72 में बेसिक शिक्षा का गठन किया था । बेसिक शिक्षा परिषद् जब बना तो उम्मीद थी कि बेसिक शिक्षा परिषद् में गांव आयेगा लेकिन नहीं आया । मैं यह सोचता था कि इससे गांव उठेगा और देश तरक्की करेगा । शिक्षा का विकास होगा । लेकिन राजनीतिक गलियारों ने शिक्षा विभाग को दफनाने का बहुत प्रयास किया और बेसिक शिक्षा परिषद् उपहास का कारण बना । आज कोई सदस्य बता दे कि कितने उनके बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित स्कूल में पढ़ते हैं । कदाचित 90 प्रतिशत सदस्य तथा प्रदेश आई० ए० एस० ऐसे होंगे जो बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूल से पढ़कर विधान सभा तथा आई०ए०एस० के गलियारों में पहुंचे हैं । लेकिन आज बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा है । मान्यवर, आज वहां टाट पट्टी नहीं है। बेसिक शिक्षा परिषद् का इतिहास रहा है । उस दस्तावेज की तरफ अगर आप देखें तो एकलव्य ने शिक्षा ग्रहण की । इस भारत की बसुन्धरा पर, मैं बेसिक शिक्षा का उदाहरण देना चाहता हूं, एकलव्य गांव में से रहा है और कह रहा है, हमारी सरकार दलितों की सरकार है उसके खाने के लिए गेहूं और चावल अनाज है । लेकिन स्कूल खुलता नहीं अध्यापक है ही नहीं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, आज जो हमारे बी०एड० के नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं उनकी नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय में करें । आज जो बी०एड० वाले हैं उनको भी बी०टी०सी० में लगवाओ । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में शोहरतगढ़ विकास खण्ड में दत्तपुर में हेड मास्टर ने एक उसी गांव की महिला को रख लिया और इटवामार के स्कूल निर्माण महिला को लगाया है जूनियर हाई स्कूल का धन हड़प कर गया । ग्राम प्रधान, एस०डी०आई० जिला पंचायत सदस्य सब ने लिखकर दे दिया है । लेकिन आज तक उनको नहीं हटाया जा सका । वह बेसिक शिक्षा परिषद् के अधिकारी को पैसा देता है । अन्त में मैं धन्यवाद देता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

मान्यवर, मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का आपने अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । बार-बार आग्रह करने के बाद अवसर नहीं मिलता है, तो दुख होता है । मान्यवर, शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है । हम लोग प्राथमिक स्कूल में पढ़े हैं । माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आजादी से पहले 1958 में अग्रेजी काल में पूरे प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था की गयी । 1972 में शिक्षा निदेशालय द्वारा कार्य का विभाजन किया गया और 1985 में प्राथमिक शिक्षा को अलग से मान्यता दी गयी । अफसोस होता है कि 1947 से लेकर 1985 तक प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा ही हुयी है । इसके पीछे का कारण इस प्रदेश की नौकरशाही, अफसरशाही है । इसके पीछे इन लोगों का दोष है । प्राथमिक शिक्षा में ही नैतिक शिक्षा का संचार होता है । हमारे जो विपक्ष के माननीय सदस्य हैं उनका तो काम नकल करवाना होता है और हम लोग उसे रुकवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा मिले । मान्यवर, हमारे प्रदेश में 70 जनपद हैं । प्रत्येक जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा का जो प्रतिशत है वह सोचनीय है, चिन्ताजनक है । इसमें सुधार की आवश्यकता है । आज महिलाओं की कुल 42 प्रतिशत आबादी शिक्षित है । मान्यवर, एक बात और मैं कहना चाहता हूं और वह यह है कि मेरे जनपद सहारनपुर में दो ढाई हजार प्राथमिक अध्यापकों की कमी है । बच्चे इनके बिना कैसे पढ़ेंगे ? उनको शिक्षा कैसे मिलेगी ? मान्यवर, 1996 में जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें 9 हजार 524 क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलने की संस्तुति की गयी थी लेकिन उसके विपरीत सिर्फ 4 हजार 486 विद्यालय खोले गये और इसी में अच्छी शिक्षा की कल्पना की गयी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बल देता हूं ।

श्री कैलाश–

अधिष्ठाता जी मैं श्री रामकरन आर्य जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा आज प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है । यहीं से बच्चे के विकास का काम शुरू होता है । उसका पूरा जीवन इसी पर निर्भर करता है । लेकिन आज प्राथमिक शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि जब हम लोग पहले विद्यालयों में पढ़ा करते थे तो 1-2 मास्टर होते थे वह हमें पढ़ाते थे । आज 4-5 शिक्षक होते हैं लेकिन वे सब के सब राजनीति करने लगते हैं । मान्यवर, प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब हैं । जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहां पर बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं है, भवन नहीं है और जब बच्चा शिक्षित नहीं होगा तो देश का, प्रदेश का विकास कैसे होगा ? इस तरह तो विकास नहीं हो सकता ।

मान्यवर, इसलिए जो परिषदीय विद्यालय हैं जहां से शिक्षा शुरू होती है वहां आज सारी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए आज विचार करना चाहिए कि आज प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था क्यों गड़बड़ है । और उसमें सुधार करके कोई न कोई कार्य करना चाहिए । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 50 ऐसे विद्यालय है वहां केवल एक-एक मास्टर हैं । बच्चे स्कूलों में पढ़ते तक नहीं हैं मास्टर वहां घुमा करते हैं । मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जब तक सही नहीं होगी तब तक विकास नहीं हो सकता है । मैं इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री धनंजय सिंह-

मान्यवर, मैं मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य तक ही सीमित रखा जाय जो अन्य सरकारी दायित्व दिये जाते हैं उन दायित्वों का उन शिक्षकों को निर्वहन करना पड़ता है जिससे शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है । उन्हें शिक्षण कार्य ही करने दिया जाये यह मेरा सुझाव है । मान्यवर, जो सरकार द्वारा सुरुचिपूर्ण शिक्षा और शिक्षा मित्र जैसी योजनायें चलाई जा रही है उसमें विधाई स्वीकृति नहीं ली जाती है । मान्यवर, इसमें सम्मानित विधायकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये और उनको जानकारी दी जाये । मान्यवर, यह जो भी योजनायें चलायी जाती हैं वह विश्व बैंक के धन से चलाई जाती हैं योजनायें विश्व बैंक के वह उनकी एडवाईजर्स की सलाह से चलायी जाती हैं न कि विधायकों की सहमति से । मान्यवर, इसमें मेरा अनुरोध है मंत्री जी से कि सदन के पटल पर इसका श्वेत पत्र जारी करेंगे कि अभी तक इसमें कितने कार्य किये गये हैं इसकी सूची को सदन के पटल पर रखेंगे ताकि हम सबको इसकी बावत जानकारी हो सके । मान्यवर, हमें सूचना का अधिकार दिया गया है । जन-सूचना का अधिकार दिया गया है जबकि इन सब सूचनाओं से वंचित रखा जाता है । मान्यवर, यह वर्ल्ड बैंक हमें ऋण देता है न कि वेलफेयर के नाम पर पैसा देता है । हमें उसके द्वारा सहकारी ऋण लेना आवश्यक नही है । हम ऋण अपने नियमों अनुसार व्यय करे तो इसके परिणाम अच्छे आयेंगे । मान्यवर, इसलिए उसमें विधायकों की सलाह से काम किया जाये । मान्यवर, औरंगाबाद शिक्षा योजना मध्य प्रदेश में चली थी जिसके मद्देनजर हमारे प्रदेश में भी 2-3 जिलों में वह योजना चली थी । मैं चाहता हूं कि इस योजना का पूर्ण विस्तार कर उसे इस प्रदेश में चलाया जाये । ऐसी योजना से हम स्वावलम्बन की दिशा में कदम बढ़ायेंगे इसी के साथ में बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता-

अभी आधा घन्टा समय बढ़ाया गया था इस बजट पर वह पूरा हो गया । अभी तीन बजट और हैं । मैंने सबसे पहले भरत सिंह जी का नाम लिया था वह नहीं थे अब मैं रामकरन आर्य जी को बुला रहा हूं । (श्री अजीम भाई के खड़े होने पर) आपको कुछ कहना है ?

* श्री अजीम भाई-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, बहुत देर से बजट पर चर्चा हो रही है । मैं दो-तीन बातों पर मंत्री जी, का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बार स्कूल चलों अभियान शुरू हुआ उसमें शुरूआत में बच्चों को किताबें दी गयी थीं, लेकिन उर्दू माध्यम के जो स्कूल हैं उनमें हिन्दी माध्यम की किताबें बांटी गयी जबकि उर्दू माध्यम की किताबें देनी चाहिए थीं । दूसरी बात यह है कि जो पिछली बार इम्तिहान लिया गया था उसमें उर्दू माध्यम के जो स्कूल थे उनको हिन्दी के माध्यम का पर्चा दिया गया था जबकि पहले उर्दू माध्यम के जो बच्चे होते थे उनको उर्दू के पेपर दिया जाया करता था लेकिन इस बार हिन्दी का पेपर दिया गया है इससे यह साबित होता है कि यह सरकार उर्दू के प्रति संवेदनशील नही है । मैं कहना चाहता हूं कि 1994 में 6131 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में 4667 उर्दू अध्यापकों की भर्ती की गयी थी । वर्ष 94 मे 5255 अध्यापकों में 3132 उर्दू अध्यापकों की

---

* वक्त ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नियुक्ति की गयी थी। सबको मालूम है कि 94-95 में कौन मुख्य मंत्री था ? उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। और उस वक्त में 7799 उर्दू अध्यापकों को नियुक्तियां दी गयी थी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 1996-97 में 4959 उर्दू अध्यापकों की मांग थी और वह प्रस्ताव आज तक विचाराधीन है। 96-97 में 4959 उर्दू अध्यापकों की भर्ती का प्रस्ताव विचाराधीन था तब से लेकर आज तक उर्दू अध्यापकों की संख्या और बढ़ी है लेकिन 97-98 मे भी वह प्रस्ताव विचाराधीन था, 98-99 में भी प्रस्ताव विचाराधीन था 2000-2001 में भी प्रस्ताव विचाराधीन था, 2001-2002 में प्रस्ताव विचाराधीन था और 2002-2003 में भी प्रस्ताव विचाराधीन है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, नीयत साफ होती है और नीयत में खोट नहीं होता तो प्रस्ताव लागू होता लेकिन नीयत में खोट होता है तो प्रस्ताव विचाराधीन होता है। इसलिए उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति का प्रस्ताव विचाराधीन पड़ा हुआ है। मेरी मांग है कि उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की जाय। मेरा आरोप है माननीय मंत्री जी के ऊपर और सरकार के ऊपर यह आरोप है कि यह उर्दू विरोधी हैं इसलिए हैं क्योंकि यह उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं माननीय रामकरन आर्य जी, के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार उर्दू विरोधी है, उर्दू विरोधी है, उर्दू विरोधी हैं।

*श्री भरत सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बेसिक शिक्षा पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारी बेसिक शिक्षा मंत्री, श्री लालजी वर्मा जी, ने जो बेसिक शिक्षा का बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और समर्थन करता हूं। बजट का समर्थन करते हुए मैं कुछ बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम बजट का समर्थन करते हैं लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रदेश के देश के विकास में बेसिक शिक्षा का सबसे अधिक महत्व है। मान्यवर, मैं सरकार का और बेसिक शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अरबों रुपया बेसिक शिक्षा के बजट पर खर्च हो रहा है लेकिन हकीकत यह है कि प्राइमरी स्कूल की शिक्षा, जिन प्राइमरी स्कूलों में पढ़ करके हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। जो पढ़ करके आई०ए०एस०, कुलाधिपति बने हैं वह प्राइमरी स्कूल नष्ट हो गये हैं। आज उत्तर प्रदेश के जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें शिक्षा नहीं दी जा रही है। मैं बड़े-बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एयर कंडीशन गाड़ी में घूमने वाले, आफिस में बैठने वाले लोग क्या देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल का अध्यापक पढ़ाता है या नहीं ? हमारे आपके बच्चे आज प्राइमरी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि वहां पढ़ाई नहीं हो रही है जिसको पढ़ाना नहीं होता है वह प्राइमरी स्कूल का शिक्षक संघ का नेता बन जाता है, फिर वह कोई क्लास नहीं लेता है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बेसिक शिक्षा में क्रान्तिकारी स्टेप लें। यह नारा जरूर दिया गया कि बच्चों को स्कूल पहुंचाया जाये। तीन किलो राशन, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था बहुत सराहनीय कदम है। निःशुल्क किताबें देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा के विभाग में बैठे हुए लोगों से कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में श्री ओम प्रकाश सिंह ने मैसेज दिया है हम चाहते हैं कि बेसिक शिक्षा में भी वह मैसेज जाये बेसिक शिक्षा में भी पढ़ाई होनी चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(टोका-टाकी से व्यवधान उत्पन्न होने पर)

मैं अपने बलिया जनपद का उदाहरण देना चाहता हूं। मान्यवर, यह हमें क्यों डिस्टर्व कर रहे हैं, इन लोगों को आप रोकिये ?

श्री अधिष्ठाता–

अभी माध्यमिक का बजट आयेगा, तब आप बोलियेगा। मैंने राम करन आर्य जी को पुकार लिया है।

(पुनः टोका-टाकी किये जाने पर–व्यवधान)

प्रो० शिवा कान्त ओझा–

माननीय सदस्य को प्राथमिक, माध्यमिक और प्राविधिक तथा उच्च शिक्षा, सभी पर एक साथ बोलने की अनुमति दी जाय, मैं सभी माननीय सदस्यों का आह्वान करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री भरत सिंह–

हमारे यहां 3-4 प्राइमरी विद्यालय हैं, जहां पर एक अध्यापक 365 दिन पढ़ाने नहीं जाता और इस बार 15 अगस्त को वहां कोई झंडा फहराने तक नहीं गया। मान्यवर, हमारे यहां भुआलछपरा में एक जूनियर हाईस्कूल बना, उसको अवधेश सिंह ने बनवाया, वह विद्यालय अभी तक अधूरा है, उसको पूरा नहीं किया गया और उस अध्यापक के खिलाफ जांच भी नहीं हुई।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, आप लिखकर दे दीजियेगा।

श्री भरत सिंह–

हमारे यहां जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, मैं उनके संबंध में कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

भरत जी, आप बैठें। आप व्यवधान कर रहे हैं।

श्री भरत सिंह–

अच्छा मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं, जय हिन्द।

(श्री राम करन आर्य जी को पुकारने पर)

डा० शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है। चर्चा में भाग लेने का ज्यादा अवसर विपक्ष को मिलना चाहिये लेकिन आप कार्यवाही निकलवा कर देख लें और गिनती करवा लें, ज्यादा मौका सत्ता पक्ष के लोगों को दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, आप बोल लीजिये ।

डा० शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, आपने माननीय राम करन आर्य जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, बेसिक शिक्षा हमारे जो भारत वर्ष के नौनिहाल हैं उनकी नींव है, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है लेकिन शिक्षा जगत में मान्यवर, बेसिक शिक्षा जो हमारी नींव है वहीं से चल रहा है । आज बेसिक शिक्षा भ्रष्टाचार में लिप्त है. इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षक को विद्यालय भवन निर्माण का कार्य दिया जा रहा है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आधे से ज्यादा प्राइमरी शिक्षक ठेकेदार बन कर भवन निर्माण करा रहे हैं । आज वह बेसिक अधिकारी से सांठ-गांठ करके वेतन का 50 प्रतिशत पैसा घर बैठे लेते हैं और 50 प्रतिशत बेसिक अधिकारी को देते हैं.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप बैठ जायं अभी तीन बजट शिक्षा पर और हैं ।

डा० शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, एक आखिरी बात और सुन लीजिए, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और कहना चाहूंगा कि मान्यवर, हमारे जिले में जो बी०एस०ए० बलरामपुर के भ्रष्टाचार के बारे में डी० एम० से मिले, और जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर डी०एम० बलरामपुर ने जांच कराया और तीन बार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ ट्रान्सफर कार्यवाही के लिए डी०एम० ने शासन को डी०ओ० लिखा है अगर यह सरकार पारदर्शिता दिखाना चाहती है तो जिलाधिकारी की जो रिपोर्ट है तो उस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाय । बेसिक शिक्षा मंत्री से चाहूंगा कि जिलाधिकारी बलरामपुर के डी०ओ० लेटर पर बी०एस०ए० बलरामपुर के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करके कार्यवाही करें ।

श्री राम करन आर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय पक्ष और विपक्ष की तरफ से बहुत अच्छे सुझाव आये हैं । हमने पहले ही कहा था कि हम आलोचना के लिए कम बल्कि सुझाव के लिए यह कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं । इसमें यह कहा गया है, एक माननीय साथी ने कहा कि शिक्षकों से मान्यवर, कोई दूसरा कार्य नहीं लिया जाय । अध्यापन कार्य के अलावा और सबकी यही राय है दूसरे डाक्टर साहब ने कहा कि लोहिया जी की बात करने वाले मातृ भाषा की बात करते हैं । मान्यवर, मैं मातृ भाषा का हिमायती हूं । जो देश गुलाम हैं, उसी देश में अंग्रेजी चलती है या जो गुलाम रहे हों या जिनके द्वारा गुलामी रही है उनकी भाषा चलती है, हमने यह कहा था कि हमारा देश आज भी गुलाम है क्योंकि जब कोई व्यक्ति थोड़ी–बहुत अंग्रेजी बोल देता है तो लोग उसकी तरफ ऐसी निगाह से देखते हैं कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ा-लिखा है, मान्यवर, यह गलत है मातृ भाषा से उसकी पहचान होनी चाहिए दूसरे यह निवेदन करना चहता हूं कि मान्यवर, कुछ सदस्यों ने कहा कि स्थानान्तरण दूर किया जाय, तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए, मैं यह नहीं कहता कि उसका स्थानान्तरण दूसरे जिले में कर दिया जाय ? लेकिन एक दूरी हो जाये 100 कि०मी० या 70 कि०मी० दूर हो और प्राथमिक स्कूल के अध्यापक वहां रुककर पढ़ा सके । मैं जानता हूं कि मैं दलित समाज का हूं लेकिन मुझे पढ़ाने वाले ब्राह्मण थे वह बलिया के

रहने वाले थे समय से विद्यालय पहुंचते थे । जो लोकल अध्यापक होता है वह 11.00 बजे विद्यालय जाता है और 4 बजे चला जाता है । आज स्थिति यह है कि उसी गांव का अध्यापक उसी गांव में पढ़ाता है । ऐसे लोग केवल राजनीति करते हैं और मा० सभी सदस्य डरते हैं मेरा वोट न खराब हो जाये यह देखते हुए कि कितना बड़ा अन्याय हो रहा है प्राइमरी स्कूलों में । क्योंकि उस लोकल अध्यापक के पास 100 वोट हैं । मैं यह बात जलनवश नहीं बोल रहा हूं । मान्यवर, शिक्षा को सुधारने का काम होना चाहिए । मुस्लिम पाठशालाओं को एडेड नहीं किया गया है । वहां के बच्चों को स्कालरशिप नहीं मिलती है । अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जब तक उनसे 20 से 25 प्रतिशत नहीं ले लेता तब तक उनको स्कालरशिप स्वीकृत नहीं करता है । एक और सुझाव देना चाहता हूं कि क्या कारण है कि 600-700 रुपया पाने वाला अध्यापक है उसके स्कूलों में ज्यादा बच्चे होते हैं जबकि सरकारी स्कूलों का अध्यापक 5 से 8 हजार रुपये प्रतिमाह पाता है लेकिन उसके विद्यालय से बच्चे भागने लगते हैं आखिर क्यों ? इस पर सोचना चाहिए और कठोर कदम उठाना चाहिए । हो सकता है कि मेरा भी भाई–भतीजा हो लेकिन जब शिक्षा के मूलभूत परिवर्तन की बात आती है तो इस शिक्षा में सुधार के लिए ऐसा किया जाना चाहिए । जब आप शिक्षा में सुधार के लिए कठोर कदम उठायेंगे तो आम जनता आपके इस कदम की सराहना करेगी । मान्यवर, हमारे बस्ती जिले में 5-7 विद्यालय में अध्यापक नहीं हैं । महुआपार कला और बडारी जूनियर हाईस्कूल में 5 वर्षों से अध्यापक नहीं हैं । मैं पूरे देश की बात करूं लेकिन अपने क्षेत्र की बात न करूं तो यह मेरे क्षेत्र की जनता पर अन्याय होगा । मान्यवर, बी०एस०ए० को निर्देशित किया जाये कि कोई भी स्कूल बिना अध्यापक के न रहने पाये । मैं भूल गया था इसलिए मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा बजट वर्ष 2002-2003 का है, 2001-2002 खत्म हो गया, इसका भी अनुमानित बजट रखा गया है जबकि यह पूर्ण होना चाहिए । इसका सुधार होना चाहिए । मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं लेकिन कम से कम तालिकायें पढ़ी जानी चाहिए । एक कम्प्यूटर मद में आपने 8 हजार रुपया रखा गया है । मैं नहीं कहता कि इस पर ज्यादा रखा जाये लेकिन अगर यह 8 हजार किसी दूसरी जगह रख दिया जाता तो दो-चार कुर्सी मेज आ जाते या जो टाट-पट्टी विहीन प्राथमिक विद्यालय हैं कम से कम उनमें सुविधा हो जाती । एक और बात कहना चाहता हूं आप चाहते हैं हमारा बेटा अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा में ओलम्पिक या एशियाड में स्वर्ण पदक ले करके आये लेकिन जो खेल के लिए बजट रखा है वह बहुत कम है । वर्ष 2001-2002 में 34 लाख था उसे आपने 10 लाख कर दिया है । आप ही हिसाब करके जान लीजिएगा कि एक विद्यालय पर कितना रुपया आयेगा । मान्यवर, जब हम बच्चे थे तो नारा लगते थे कि... घर-घर विद्या दीप जलाओ.....अपने बच्चे सभी पढ़ाओ । यह दीप धीरे-धीरे बुझता जा रहा है । चाहे गुजरात काण्ड हो, वंडा बाजार काण्ड या गोरखपुर काण्ड हो । इन्सानियत का दीप बुझता जा रहा है। हम साक्षर भले ही हो जाएं लेकिन इन्सानियत का दीप धीरे-धीरे बुझता जा रहा है । 10 लाख में आप कौन सी योजना प्रारम्भ करेंगे । प्राइमरी में हम नाटक जितने मण्डल तक खेलने जाते थे उसमें मैं और मेरे बड़े भाई अर्जुन बनते थे और दूसरे उसमें हम लोगों को पुरस्कार दिया जाता था । 10 लाख में आप क्या कर लेंगे । आज चीन स्वर्ण पदक में कितना आगे पहुंच गया है । एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पुराने जो विद्यालय हैं उनको बनाया जाए । जिनमें मदों भ्रष्टाचार की उम्मीदें ज्यादा हो उन मदों का बजट कम कर देते, लेकिन जो मदें जनहित से जुड़ी थी उनका बजट बढ़ाना चाहिए था । मेरे इस सुझाव को आशा है मंत्री जी मानेंगे । मेरे इस कटौती के प्रस्ताव का सभी लोग समर्थन करेंगे क्योंकि पक्ष-विपक्ष सभी लोगों ने मेरे पक्ष में ही अपनी बात रखी है । इस नाते मेरी बात मानी जानी चाहिए । इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने मंत्री जी को बुला लिया है । अब कोई व्यवस्था नहीं है । अगले बजट पर अपनी बात रख लें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आज प्राथमिक शिक्षा के बजट पर विभिन्न माननीय सदस्यों ने माननीय राम करन आर्य, डा० राधा मोहन अग्रवाल, श्री अशोक बाजपेयी, माननीय श्री मुंशी लाल गौतम, श्री घूरा राम, श्री विश्राम यादव, श्री धर्मपाल सिंह, श्री पारस नाथ यादव, श्री राम लाल अकेला, श्री योगेश कुमार, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री आलम वदी, श्री मिथिलेश, श्री धनंजय सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह राणा, श्री कैलाश यादव, श्री अजीम भाई, श्री भरत सिंह, श्री शिव प्रताप यादव आदि माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखने का काम किया मैं इस बात के लिए सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं । इस बात पर सभी लोगों की एक राय है कि हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है उसका स्तर अच्छा होना चाहिए । निश्चित रूप से देश और प्रदेश के विकास के लिए मानव के विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा पर सभी का इस तरह की चिन्ता करना एक अच्छा संकेत है और मैं निश्चित रूप से सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस बात के लिये कृत संकल्प है कि प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार हो, उसकी गुणवत्ता में सुधार हो । एक अच्छा मानव बनने का प्रयास करेंगे । संविधान में जिस बात की व्यवस्था है उसके अनुसार प्रत्येक बालक बालिका को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिये हम कटिबद्ध हैं । आर्या जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं विभिन्न मुद्दों पर । जहां तक बजट का सवाल है, उन्होंने कहा कि सदन को गुमराह कर रहे हैं मंत्री जी । ऐसी कोई बात नहीं है जो बजट है 3,994 करोड़ का है । 6 महीने का लेखानुदान द्वारा पारित है और 6 महीने का जो आज इस मद में प्रस्तुत किया गया वह 19 अरब 98 करोड़ का है । इसलिये उनको लगा । वह पहले से स्वीकृत है । अन्य मदों को शामिल करके यह बजट प्रस्तुत करने का काम किया गया है । बहुत से अच्छे सुझाव माननीय सदस्यों के आये हैं । हमारी सरकार निश्चित रूप से उन सुझावों को जो कार्यान्वित होने लायक होंगे उनको क्रियान्वित करने का प्रयास करेगी । सभी की चिन्ता शिक्षकों की कमी और गुणवत्ता के सुधार पर है । शिक्षक पढ़ाने नहीं जाते हैं । समय से स्कूल नहीं जाते इस पर विशेष रूप से ध्यान दिलाने का काम किया गया है । डा० बाजपेयी जी ने कहा कि हमारे बच्चे जो स्कूल में प्रवेश लेते हैं बीच में ही छोड़ देते हैं, यह चिन्तनीय विषय है । हमारे प्रदेश में जो सर्वे करवाया गया उसके जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 28 प्रतिशत बच्चे बीच में ही ड्राप आउट हो जाते हैं । विद्यार्थी प्रवेश लेने के बाद छोड़ देते हैं, यह वास्तव में चिन्ता का विषय है । हमारी सरकार का प्रयास होगा कि जो एडमीशन लें वह निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई पूरी करे । इस बारे में हम पहल कर रहे हैं और सचेत हैं ऐसा हम आपके माध्यम से माननीय सदन को अवगत कराना चाहते हैं । जहां तक शिक्षकों का समय से स्कूल न जाने का सवाल है, निश्चित रूप से यह चिन्ता का विषय है । हमारा भी यह मानना है कि अगर शिक्षक समय से विद्यालय नहीं जायेंगे तो पठन-पाठन पर ध्यान नहीं दे पायेंगे । सरकार इस बारे में चिन्तित है और हम निरीक्षण की एक सुनिश्चित व्यवस्था करा रहे हैं । इस निरीक्षण के माध्यम से ऐसे शिक्षक जो समय से विद्यालय नहीं जाते हैं अपने कार्य में रुचि नहीं लेते हैं । यह भी कहा गया कि विद्यालय में मेज पर पैर रखकर बैठकर बातें करने में व्यस्त रहते हैं, ऐसे शिक्षकों को दोषी पाये जाने पर बख्शा नहीं जायेगा उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

(मेंजे थपथपाई गई)

यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो शिक्षकों की कमी है उसके बारे में सरकार चिन्तित है । जैसा बताया कि हाईकोर्ट के सामने यह विचाराधीन है जैसे ही इस पर निर्णय होगा उसके अनुसार ही शिक्षकों की कमी को दूर करने का प्रयास किया जायेगा । शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए ही 34 हजार शिक्षा मित्रों की नियुक्ति करने का काम किया गया जिससे विद्यालयों में पठन-पाठन सुचारु रूप से चल सके । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार इस बात के लिये कटिबद्ध है कि प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर को ठीक रखना चाहिए जिससे प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अच्छी जगहों पर बैठ सकें अच्छे देश और प्रदेश और समाज की स्थापना कर सकें । हम इस बात के लिये सचेत हैं । हमारे साथी अजीम भाई ने उर्दू शिक्षकों के बारे में कहा । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 1989 में किसी की सरकार बनी थी, क्यों नहीं किया गया ? 1994 में जब बी०एस०पी० के सहयोग से सरकार बनी उसी के सुझाव पर उर्दू टीचरों को रखने का काम किया गया था ।

(मेंजे थपथपाई गई)

आज पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती हो । उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार में बहिन मायावती जी के कारण ऐसा निर्णय लिया गया है ।

(व्यवधान)

डा० वकार अहमद शाह–

यह कह रहे हैं कि बी०एस०पी० की साझा सरकार में उर्दू टीचर रखे गये फिर उसके बाद उर्दू टीचर क्यों नहीं रखे गये ? उसके बाद जो जगह खाली है उन पर उर्दू टीचर क्यों नहीं रखे गये ?

(व्यवधान)

जो उर्दू टीचर की जगह खाली है उसमें भर्ती करा दें तो हम इसको वापस ले लेंगे ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी के रहते यह निर्णय लिया गया है कि बेसिक शिक्षा में जो अल्पसंख्यक हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जायेगी । यह हमारी सरकार ने निर्णय लिया है ।

(मेंजे थपथपाई गई)

मान्यवर, यह सरकार कटिबद्ध है चाहे वह किसी जाति वर्ग के छात्र हों, किसी जाति के हों, किसी सम्प्रदाय के हों सबको समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए यह सरकार कटिबद्ध है इसके अनुसार इस बजट में समय-समय पर ऐसे निर्णय लेने के कार्य किए हैं जिसको हमने आप लोगों के सामने रखने का काम किया । निश्चित रूप से हम सब ने जो सुझाव दिए हैं उसको संकलित करके जो मानने लायक होंगे, निश्चित रूप से वित्तीय साधन को ध्यान रखते हुए निश्चित रूप से यह सरकार उसको अमली जामा पहनाने का काम करेगी । रामकरन आर्य जी हमारे मित्र हैं, साथ रहे हैं, उनकी इच्छा है कमजोर वर्गों को अवसर मिले । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेंगे और इस बजट को सर्वसम्मति से पास करने का काम करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री राम करन आर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने मुझसे कटौती का प्रस्ताव वापस करने का अनुरोध किया है मैं वापस लेता हूं चूंकि वह मेरे बड़े भाई हैं लेकिन एक बात डिस्प्यूट में छोड़ दी उर्दू टीचर बसपा और सपा के समय हुए आपने कहा, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं उसके बाद आपने भर्ती क्यों नहीं की, क्यों समाप्त कर दिया जो शेष बचे हैं उर्दू के टीचर उनको आप भर्ती कर लें । दूसरी बात मैंने प्रस्ताव रखा है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ा दी जाए । यह कह दें और जो मैंने 2-3 सुझाव दिए हैं उसको पूरा कर लें तो मैं कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लूंगा । वरना मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–34 (1)–(22) में संयुक्त रूप से कटौती का प्रस्ताव रखा गया है यह कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहे हैं वापस नहीं ले रहे हैं ऐसी हालत में दोनों के लिए अलग-अलग प्रश्न उपस्थित करते हैं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–71–(शिक्षा विभाग) (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,98,28,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–75–(शिक्षा विभाग) (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,73,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या–47–प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

सिंचाई, गन्ना विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री *(श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,07,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,25,62,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,53,21,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

मान्यवर, बहुत देर से इस सदन में प्राथमिक शिक्षा के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की । शिक्षा व्यवस्था और इसके स्वरूप के बारे में चिन्ता होना जागरूक समाज के लिए स्वाभाविक है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से लेकर बाद तक शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश के अन्दर उत्तर प्रदेश अग्रणी प्रदेश था । चाहे बेसिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा इसकी मान्यता थी और आस-पास के प्रदेशों में ही नहीं बल्कि देश के अन्दर बड़े पदों पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के शिक्षा प्राप्त लोग स्थान रखते थे । लेकिन इन चौवन साल में इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था उनकी समस्त व्यवस्था जो किसी न किसी रूप में विकसित करने वाली है वह ऊंचे स्तर से खिसकते-खिसकते नीचे पहुंच गयी है और जहां तक शिक्षा के व्यवस्था का स्वरूप है वह कोई संतोषजनक नहीं कह सकते हैं । लेकिन यह व्यवस्था कोई साल भर, दो साल या तीन साल में नहीं गिरी यह शनैः-शनैः इस स्थिति को प्राप्त किये हैं और इन चौवन सालों में कभी कोई इधर बैठा हो या उधर बैठा हो हमने केवल औपचारिकता को निभाकर दायित्व को पूरा मान लिया और हर एक ने मेज थपथपाकर अपने कर्तव्य को निभाया ऐसे महसूस किया ...

मान्यवर, यह बात सही है कि आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा की और आजादी के बाद की शिक्षा की तुलना की जाए तो बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक यह संतोष करने लायक नहीं है लेकिन यह संतोषजनक हो इसके लिए ईमानदारी से ठोस प्रयास करने पड़ेंगे । अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि वह शिक्षक के विरुद्ध इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उनको डर है कि उनको वोट का नुकसान हो सकता है । यह वोट का डर हमें सच्चाई से दूर कर रहा है । हमें इससे ऊपर उठना होगा, स्वार्थ से ऊपर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उठना होगा । यह राजनीति का खोखलापन है । यह सोच समाज को सुधार नहीं सकती । हमारा वोट और हमारी जीत समाज से है, समाज सर्वोपरि है । यही कारण है उत्तर प्रदेश की सारी व्यवस्थाओं के बिगड़ने का । मैं उच्च शिक्षा से शुरू करता हूं । मान्यवर, उच्च शिक्षा में सभी जानते हैं कि 27 साल तक सत्र नियमित नहीं था । सबसे पहले सत्र बिगड़ा था लखनऊ विश्वविद्यालय में । आज लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है । पिछले 2-3 सालों से यहां पर छात्र असन्तोष नहीं है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में और 30 सितम्बर तक छात्र संघ के चुनाव होने जा रहे हैं । पठन–पाठन का वातावरण है । शिक्षा आचरण से होती है । यह शासन और डण्डे से नहीं हो सकती है । शिक्षा का क्षेत्र आचरण का क्षेत्र है, समाज के बुद्धिजीवियों का क्षेत्र है, जहां आवश्यकता हो वहां पर कठोरता हो सकती है और जहां आचरण की आवश्यकता हो वहां आचरण करना चाहिए । जिस शिक्षक की हम बात करते हैं वह शिक्षक समाज में सम्मानित होना चाहिए । आज गुरू सम्मानित नहीं है तो इसके लिए कई विकृतियां जिम्मेदार हैं । गुरू का सम्मान उसके पद से नहीं बल्कि आचरण से होता है । आज यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज का शिक्षक वेतनभोगी मानसिकता से ग्रसित हो गया है । हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ हैं–धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष । अर्थ जीवन के लिए अति आवश्यक है । जब तक अर्थ नहीं होगा जीवन समृद्ध नहीं होगा । लेकिन अर्थ जब जीवन में मूल हो जाता है तो वह पूरे समाज में भौतिकतावादी हो जाता है । इसी बुराई से आज शिक्षक समाज ग्रसित है । इसलिए आज शिक्षा में सुधार की पहल की गयी है । इसके लिए हमें कुछ दण्डात्मक कार्रवाई करनी पड़े तो करनी चाहिए । इसका परिणाम आज सबके सामने है । कमियां अभी भी हैं । चाहे वह प्रशासन का भ्रष्टाचार हो, चाहे डी०एस० कार्यालय का भ्रष्टाचार हो या कोई अन्य व्यवस्थाओं का राजनीतिक दबाव हो इस बात को हम स्वीकार करते हैं । इसलिए जो भी कटौती का प्रस्ताव पेश करेंगे उनके उद्देश्य को मैं स्वीकार करता हूं ।

मान्यवर, सुधार केवल शासन में बैठने वाले लोगों तक ही सीमित नहीं हो सकता है यह समाज से जुड़ी हुई व्यवस्था है इसमें सबको प्रेरक और प्रोत्साहक के रूप में भाग लेना होगा तो निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार होगा । मान्यवर, कठोर होते हुए भी कुछ निर्णय करना आवश्यक है । मैंने कोचिंग पर प्रतिबन्ध लगाने की बात कही । कई लोग मेरे पास आये कि सारा ठेका आप ही लिये हुए हैं । अब कोई ठेका नहीं लेगा तो सुधार कैसे होगा ? मान्यवर, अभी जो पिछला कुलपति सम्मेलन हुआ था उसमें हमने व्यवस्था को ठीक किया है और 27 साल बाद सत्र नियमित भी हुए हैं । हमने कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय को सेण्टर आफ एक्सीलेन्स बनायें । उन्नत शिक्षा का केन्द्र बनायें और ऐसा विश्वविद्यालय बनायें कि लोग याद करने लग जायें कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय देश में सबसे अच्छे विश्वविद्यालय हैं । कुलपति होने की सार्थकता तभी है जब विश्वविद्यालय की शिक्षा का उन्नयन करें । केवल वेतनभोगी कहलाने से शिक्षा विद् नहीं कहे जायेंगे ।

प्रत्येक विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु केन्द्र की व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय टीम से मूल्यांकन करायें यह एक बात हमने कही । मान्यवर, दूसरा पहली बार प्रदेश में लागू हो रहा है शिक्षा में गुणात्मक सुधार । नौजवानों को अवसर देने के लिए, अभी तक डिग्री के साथ अन्य कोई और कोर्स नहीं कर सकता था, प्रतिभावान लड़के एक साथ कई कोर्स करना चाहते हैं इसलिए यह इस बात की व्यवस्था की है कि डिग्री के साथ कोई डिप्लोमा लेना चाहता है, क्योंकि सर्विस के लिए डिप्लोमा आवश्यक हो गये हैं, तो कालेज समय 10 से 5 के अलावा चाहे पहले या बाद में अगर डिप्लोमा करना चाहता है तो वह डिप्लोमा कर सकता है । इस बात की अनुमति इस साल दे रहे हैं

(मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, आर्थिक स्वावलम्बन भी जरूरी है । मान्यवर, अगले सत्र से हम विचार कर रहे हैं पाठ्यक्रम तैयार कराने का प्रयास किया गया है कि एक आर्थिक स्वावलम्बन का अनिवार्य विषय उच्च शिक्षा में लागू किया जाये । इस विषय का पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् जिसमें कई विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा कई अन्य शिक्षाविद् सदस्य हैं और अभी जो आल इण्डिया कुलपति तथा कई अन्य शिक्षाविद् सदस्य हैं और अभी जो आल इण्डिया साईन्स कांग्रेस का आयोजन हुआ था उसमें दूसरी बार उत्तर प्रदेश को गौरव प्राप्त हुआ है । डा० एस०एस० कटियार जो कानपुर विश्वविद्यालय के बी०सी० हैं और उसके अध्यक्ष हैं, उनसे कहा है कि आर्थिक स्वावलम्बन के विषय का एक पाठ्यक्रम तैयार करें । मान्यवर, यह छात्रों को पता नहीं है कि सरकार की कौन-कौन सी रोजगार परक योजनायें हैं । इसी तरह से कृषि क्षेत्र में कौन सी परम्परागत चीजों से हटकर और कौन-कौन से कार्य किये जायें जिससे नौजवान कुछ अतिरिक्त आय कर सकें । अब जैसे मुरादाबाद में पीतल उद्योग है, फिरोजाबाद में कांच उद्योग, भदोही में कालीन उद्योग और आगरा में संगमरमर की कलाकृतियां बनाने का काम है । यह सब छात्रों को पता नहीं है । मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि उस क्षेत्र के पढ़ने वाले लड़कों को प्राथमिक जानकारी इन सबकी मिले और यह आवश्यक है कि इनको स्वावलम्बी बनाने के लिए यह पहले जानकारी हो ।

क्या-क्या करने से क्या मिल सकता है, सरकार की कौन सी योजनाएं हैं, मार्केटिंग कहां होगी यह सब जानकारी उसमें प्रारम्भिक स्तर पर ही हर व्यक्ति को ग्रेजुएट करने की इच्छा है । इतना ही नहीं उस उच्च शिक्षा परिषद् को यह भी कह दिया है कि देश के अन्दर कहीं भी किस प्रकार के रोजगारपरक कार्यक्रम लागू हैं उनको संकलित किया जाय और उत्तर प्रदेश में उनके पठन-पाठन की व्यवस्था पाठ्यक्रम में करके किया जाये । रोजगार के व्यापक शिक्षण कार्यक्रम शिक्षा में है । इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं और अगले ही शिक्षा सत्र में लागू भी कर दिया जायेगा । यह वायदा कर रहे हैं । इतना ही नहीं मान्यवर, लड़कों के अन्दर कुछ स्वास्थ्य सामाजिक सेवा की भावना भी विकसित किया जाय इसके लिए रेडक्रास सोसायटी की सभी इकाइयां विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में खोली जायेंगी जिसके माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सामाजिक सेवा की जानकारी देने की व्यवस्था की जायेगी । मान्यवर, पिछले साल स्लेट की घोषणा किया था । लोग नेट परीक्षा पास नहीं कर पाते थे परिणाम यह हुआ कि बाहर से नेट किये हुये लड़के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नौकरी पा रहे थे हमने निर्णय किया कि स्लेट की परीक्षा करायेंगे, राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा करायेंगे और यह परीक्षा सम्पन्न हो गयी है रिजल्ट घोषित हो जायेगा । इसलिए जो कहा, वायदे का अनुपालन भी किया । मान्यवर, इसके साथ ही दूसरा पक्ष भी है महाविद्यालय जो निजी क्षेत्र में खुल रहे हैं आर्थिक संकट के कारण और वित्तविहीन खुल गये हैं वह महाविद्यालय निश्चित रूप से शिक्षा के प्रसार में योगदान कर रहे हैं लेकिन उनकी गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है अनेक इसको शुद्ध व्यवसायिक इकाई बनाकर पढ़ा रहे हैं । वहां योग्य अध्यापक नहीं है पूरे समय पढ़ाई नहीं होती है साथ ही साथ मनमानी फीस ले रहे हैं इसलिए हमने एक समिति गठित किया है प्रमुख सचिव और निदेशक की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा में भी और माध्यमिक शिक्षा में भी और प्राविधिक शिक्षा में भी जो छात्रों से अधिकतम क्या फीस ली जाय शिक्षकों को न्यूनतम क्या वेतन दिया जाय इन दोनों का निर्धारण करेगी जिसको कड़ाई से लागू किया जायेगा । जरूरत पड़ी तो कानून भी बनायेंगे । इस सरकार का संकल्प है कि न छात्रों का शोषण होने देंगे न शिक्षक का शोषण होने देंगे और सभी के बीच में एक समन्वय स्थापित करेंगे । मान्यवर, हम निजी क्षेत्र में विद्यालय खोलने का प्रोत्साहन देना चाहते हैं लेकिन व्यवसायिक दृष्टि से यह कहीं नहीं चलने पायेंगे इसमें समन्वय स्थापित करने के लिए कदम उठा रहे हैं । उनकी गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए । महाविद्यालयों में

गुणवत्ता सुधार के लिए पूरा पठन-पाठन हो इसके लिए कानून में जो व्यवस्था है उसमें क्या सुधार हो सकता है इस गुणवत्ता को स्थापित करने के लिए अगर कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो उस कानून को भी बनायेंगे ऐसा निर्णय किया है । मान्यवर, मान्यता के संबंध में भी हम उच्च शिक्षा में भी सुधार करना चाहते हैं क्योंकि अनुभव यह आया है कि कुछ क्षेत्र में मुख्यालय में विद्यालय खुल रहे हैं किसी-किसी जिले में तो आबादी के हिसाब से उसके अनुपात के अनुसार खुलते चले जा रहे हैं इसलिए जिन जिलों में विद्यालय नहीं खुले हैं वहां महाविद्यालय खुले इसके लिए मान्यता के नियमों में सुधार कर रहे हैं और अब मान्यता देने के पहले महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना पड़ेगा जिससे हम उनसे यह कह सके कि जिन क्षेत्रों में महाविद्यालय नहीं खुल रहे हैं वहां उच्च शिक्षा का प्रसार नहीं हो पा रहा है वहां खोलने पर प्राथमिकता दें जैसे गाजीपुर जैसे जिला में 30 से ज्यादा सौ वित्त पोषित हैं और कुल 42 महाविद्यालय हैं इसी तरह से मऊ के अन्दर कितना बड़ा जिला है उसमें 15 महाविद्यालय हो चुके हैं इस तरह से महाविद्यालय जिले में तेजी से खुल रहे हैं अब देखने में आ रहा है कि वह व्यवसायिक केन्द्र बनते जा रहे हैं शिक्षा में कम व्यवसाय में ज्यादा एक दिन भरत सिंह कह रहे थे कि उनके यहां जो डिग्री कालेज खुले हैं उसमें बिहार के लोग ज्यादा एडमीशन लेते हैं यहां के लोग नहीं ले पाते हैं ।

श्री भरत सिंह बुरा नहीं मानेंगे, नकल के मामले में भी अपना स्थान बनाये हुए हैं । इस तरह मान्यवर, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक संकल्प लिया है, गुणवत्ता युक्त, कोचिंग मुक्त, श्रेष्ठ उच्च शिक्षा यह लक्ष्य और संकल्प दोनों निर्धारित किया है । हमारा पूरा विश्वास है कि अगले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा देश की एक विशिष्ट और प्रशंसनीय शिक्षा बनेगी । मान्यवर, माध्यमिक विद्यालयों के बारे में जितना भी कहा जाये कम है । मैं अपने अधिकारियों से हंसी में कहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा को छोड़कर बाकी सब काम होता है । इस सत्य को मैं दूसरे सत्य में बदल दूंगा । यह मेरा संकल्प है और इस संकल्प की शुरूआत मैंने बाबुओं से की है । 20 साल से एक ही जगह पर हैं । 20 साल में कितनी सरकारें आई-गयीं, इसको गिनना जरूरी नहीं है । 15 साल, 20 साल से जो एक जगह पर रह रहे हैं ऐसे 866 बाबुओं को ट्रांसफर किया गया और कम से कम मैं कह सकता हूं कि मैंने अपनी क़लम से किया और एक भी बार किसी को संशोधित नहीं किया । मुझे खुशी है कि पूरे सदन ने इसमें साथ दिया, मुझसे एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि इसको परिवर्तित कर दीजिए । ऐसा ही सहयोग देते चलें । इस प्रदेश में सामूहिक नकल माफियागिरी, शिक्षा के अलावा जो कार्य हो रहा है इस सबको बन्द करेंगे और योग्य शिक्षा देकर रहेंगे । माध्यमिक शिक्षा में टीचर पढ़ाते नहीं हैं । मान्यवर, हमने यह निश्चित किया है कि अब शिक्षकों का मूल्यांकन किया जायेगा । यह बड़ा कड़वा कदम है । लोग समझेंगे कि शिक्षक मुझसे नाराज हो जायेंगे यही एक सोच है यही एक कठिनाई है । शिक्षक हैं पूरी तनख्वाह ले रहे हैं । लेकिन पढ़ा नहीं रहे हैं । इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ मुट्ठी भर हैं जिनकी देखादेखी भी विकृति पैदा होती है । तनख्वाह सरकार देती है, समयबद्ध वेतन मिलता है, प्रोन्नति भी पा जाते हैं लेकिन क्या कार्य किया इसकी कोई सीमा नहीं है । हम पहली बार और यह शिक्षक संघों के सहयोग से करने जा रहे हैं कि शिक्षकों के कार्य का मूल्यांकन होगा और उनका वेतन लाभ-हानि, वह सब मूल्यांकन के साथ जोड़ा जायेगा । परीक्षाफल के साथ टीचर का भी मूल्यांकन होगा । इसका पहला कदम उठाया है कि 20 प्रतिशत से जो कम रिजल्ट वाले हैं उनको चेतावनी दे दी गयी है कि एक साल में अगर नहीं सुधरते हैं तो आपकी मान्यता समाप्त की जा सकती है । स्थानान्तरण भी दूसरी जगह किया जा सकता है । इस सदन का इस कार्य में पूरा सहयोग मिलेगा, इसमें कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा ।

मान्यवर, सामूहिक नकल बहुत बड़ा अभिशाप हो गया है । ठेके पर नकल होती है, 60 प्रतिशत पाना है तो इतना पैसा दे दो, 50 प्रतिशत पाना है तो इतना पैसा दे दो । मुझे तो अधिकारियों ने बताकर दंग कर दिया । पेपर में भी ठेकेदारी चलने लगी थी कि इस पेपर में पास कराना है तो इतने पैसे और इसमें पास कराना है तो इतने पैसे दो । मैंने उन जिलों को चिन्हित कर लिया है और उन विद्यालयों को भी चिन्हित कर लिया है । अब इस तरह सामूहिक नकल नहीं होने दी जायेगी, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था करने की योजना बना रहे हैं । पिछले चुनाव में कई जगह हंगामा हुआ, उसका खुलासा नहीं करेंगे, यदि जरूरत पड़ेगी तो दूसरी तिथियों में इनकी परीक्षा ली जायेगी । दूसरे अलग-अलग अधिकारी बैठाये जायेंगे । लेकिन यह संकल्प है कि नौजवानों, नौनिहाल के भविष्य के लिये सामूहिक नकल की व्यवस्था रुकनी चाहिये । ठेकेदार, शिक्षा माफिया जो पैदा हो गये हैं, उनके लिये भी हमारा संकल्प है कि इनको समाप्त किया जायेगा, इसलिये जो भी करना पड़ेगा, कठोर से कठोर कदम उठायेंगे, उसकी योजना बना रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं । इसमें देखा गया है कि बहुत से फर्जी छात्र संस्थागत छात्र के रूप में भरे जाते हैं, पूरब के जिलों में यह ज्यादा समस्या है, वहां पैसा लेकर, ऐसे बहुत से छात्र पाये गये हैं जो नवीं नहीं पास हैं और दसवीं का फार्म भरे हैं और अक्सर विद्यालयों में 500, 1000, 1200 छात्र बढ़ जाते थे, पूरब के जिलों में यह रोग ज्यादा था । अब नवीं से दसवीं में 10 प्रतिशत से अधिक छात्र नहीं लिये जायेंगे । ऐसे कुछ विद्यालयों को चिन्हित कर लिया है, जिनमें 10 प्रतिशत से अधिक था, उनके विरुद्ध कार्यवाही भी करेंगे, उनके लिये व्यवस्था कर रहे हैं । यह भी तय कर लिया है कि अब उनको परीक्षा का केन्द्र नहीं बनने दिया जायेगा ।

मान्यवर, यह भी देखा गया है कि खेलकूद संस्कृति लगभग समाप्त हो गई है, इसको भी प्रोत्साहित करने का काम करेंगे । यह भी देखा जायेगा कि कहां का विद्यालय और कहां का शिक्षक इसमें रुचि नहीं ले रहा है । मान्यवर, रेडक्रास सोसाइटियां भी यहां खोलेंगे ।

मान्यवर, कम्प्यूटर शिक्षा को बहुत तेज पैमाने पर लागू कर दिया गया है । सभी जिला मुख्यालयों पर एक कम्प्यूटर लैब स्थापित किया जा रहा है । हर एक लैब में 50 कम्प्यूटर होंगे और उस जिले के शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जायेगा और जो छात्र उसमें प्रशिक्षण पाना चाहते हैं, उनको भी प्रशिक्षण दिया जायेगा । शुरूआत में 340 विद्यालयों में कम्प्यूटर देने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है । इन विद्यालयों का चयनीकरण कर लिया गया है और इनमें कम्प्यूटर भी लगेगा । अभी तो 340 विद्यालयों में इसको किया है, आगे क्रम से और आगे बढ़ेंगे । मान्यवर, अगले सत्र से एक नया विषय लागू कर रहे हैं, उसमें प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी, इसलिये उनको प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है, जिससे गणित और विज्ञान वह पढ़ा सकें । मान्यवर, छात्रों को दायित्व बोध पहले समाज से और अपने परिवार से मिलता था, वह अब नहीं मिल रहा है । इसलिये अगले सत्र से नया विषय सामाजिक दायित्व विषय को लागू किया जायेगा । यह कम्पलसरी होगा लेकिन इसे मेरिट के साथ नहीं जोड़ा जायेगा, लेकिन इसे पास करना अनिवार्य होगा ।

मान्यवर, नवीं कक्षा के बारे में कहा जा रहा था कि मण्डलीय परीक्षा से कोई लाभ नहीं हो पा रहा है, इसलिये सभी शिक्षकों से परामर्श किया, और इस वर्ष से नवीं कक्षा की परीक्षा विद्यालयों द्वारा आन्तरिक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी । मान्यवर, इतना ही नहीं, शिक्षकों के ऊपर दायित्व बोध के साथ ही भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये बाबुओं का स्थानान्तरण किया गया । इसके अलावा भ्रष्टाचर का एक दूसरा कारण था कि रिटायर होने वाले शिक्षकों के पेंशन, जी०पी०एफ० आदि का भुगतान समय से नहीं होता था । अब यह निश्चित कर दिया कि 30 सितम्बर तक जो भी मंडलीय/जिला

विद्यालय कार्यालय में प्रकरण लम्बित हैं, चाहे वह पेंशन के हों, जी०पी०एफ० के हों, चाहे विशेष वेतन के हों, प्रोन्नति के हों, विनियमितीकरण के हों, उन सभी का निराकरण कर दिया जाय, अन्यथा निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 31 अगस्त तक 79 प्रतिशत प्रकरण निस्तारित किये जा चुके हैं । हर 15 दिन पर उनकी रिपोर्ट मांग कर समीक्षा कर रहे हैं और शिक्षक संघ ने भी इस पर संतोष व्यक्त किया है । इसी तरह से इसमें भी समिति बनाया है शिक्षकों और छात्रों से मनमानी फीस ली जा रही है । अधिकतम फीस क्या ली जाय यह भी निश्चित करेंगे और न्यूनतम वेतन क्या दिया जाय यह भी निश्चित करेंगे । एक आखिरी बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा ताकि दोबारा समय सीमा की बात न आये इस बार मान्यवर, प्राविधिक शिक्षा में महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए विशेष कार्य योजना लागू की गई है । पहली बार प्राविधिक शिक्षा में 20 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं । मान्यवर, उनके लिए विशेष काउन्सलिंग भी की जा रही है । महिलाओं के लिए 17 पालिटेक्निक संस्थाएं हैं जिसमें तीन पिछले वर्ष स्थापित की गई है महिलाओं को सूचना एवं प्राविधिक में स्थान मिल सके इसके लिए तीन वर्षीय एवं एक वर्षीय पाठ्यक्रम लागू किया गया है । लखनऊ वाराणसी कानपुर केन्द्रों में निजी क्षेत्र में चलने वाले विद्यालयों में गुणवत्ता स्थापित हो इसकी भी व्यवस्था की जा रही है । अनुसूचित जाति, जन जाति के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग के छात्रों के प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है कि काउन्सलिंग के समय ही अध्ययन ऋण दिलाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि उन्हें कहीं भी दौड़ना न पड़े बैंक वगैरह में । मान्यवर, सूचना प्रोद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, झांसी, वाराणसी आदि पालिटेनिक्स संस्थाओं में इसकी व्यवस्था की जा रही है । इसी से मान्यवर, अनेक संक्षिप्त योजनाएं लागू करना है, उसकी चर्चा हमने किया है बाकी जो कुछ कमियां है, सुझाव के माध्यम से जो आएंगी, उसका उत्तर मैं बाद में दे दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

कटौती का प्रस्ताव पाण्डेय जी आप रखेंगे इसलिए मैं आपको बता दूं कि माननीय मंत्री जी ने तीनों बजट को एक साथ प्रस्तुत किया है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–47– प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–72– शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना । मान्यवर, माननीय मंत्री जी का जो बजट भाषण था मैं उसको बड़ी गम्भीरता से सुन रहा था, मनन भी किया । मंत्री जी ने जो समाज की पीड़ा है, उसको स्वीकार किया है, हम जिस चीज को कहना चाहते हैं उन्होंने पहले ही उस चीज को स्वीकार कर लिया, यह उनकी अच्छी बात है । लेकिन जो आपने इसमें काम करने की बात

की, सुझाव की बात की वह गुण और परिपक्वता आपकी बातों से नहीं परिलक्षित हुए जो होना चाहिए । आपके विचार उस बाप की तरह हैं जो लड़के को दे कुछ नहीं पाता है लेकिन जब वह कुछ मांगता है तो तमाम कमियाँ निकालकर उसको दण्डित करने की बात करता है । मान्यवर, आपने पहले ही कह दिया कि अर्थ की आवश्यकता है, अर्थ रहेगा तभी तो कुछ होगा । आप तीन विभाग लिये हैं लेकिन आपका टोटल बजट पूरे बजट का 18.11 प्रतिशत है । उच्च शिक्षा में यू०जी०सी० से ग्राण्ट पाते हैं और तमाम माध्यमों से धन मिल जाता है लेकिन इसमें भी आपका बजट कम है । आपका जो बजट है अगर पूरे बजट की व्याख्या करें और अन्य प्रदेशों से तुलना करें तो बहुत कम हो जायेगा । आप समझदार हैं, इशारे से बता देता हूँ, भविष्य में सुधारेंगे तो प्रदेश का कुछ भला हो सकता है । वर्ष 1999-2000 में बेसिक शिक्षा पर 55.6 प्रतिशत खर्च हो रहा था, 2001 में खर्च हुआ 57.12 प्रतिशत इस साल 58.62 प्रतिशत, जो आपका टोटल बजट है 18.11 प्रतिशत उसमें से बेसिक शिक्षा पर खर्च हुआ । माध्यमिक शिक्षा पर आयेंगे तो टोटल बजट का वर्ष 2000 में 31.43 प्रतिशत, 2001-02 में हो गया 30.61 प्रतिशत और 2002 में 29.3 प्रतिशत । इस प्रकार वर्ष 2002 में इसका परसेण्टेज घटा है । इसी तरह से उच्च शिक्षा का बजट है, टोटल बजट का 1999-2000 में 9.30 प्रतिशत, 2001 में 8.73 प्रतिशत लेकिन इस साल थोड़ा बढ़ाकर 9.08 प्रतिशत कर दिया लेकिन पहले यह 9.30 प्रतिशत के मुकाबले कम हो गया । माना कि उच्च शिक्षा में आपको बजट की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन तमाम विश्वविद्यालय हैं जिनको आपको बजट देने की आवश्यकता है । केन्द्र और यू०जी०सी० से जो पाते हैं वह पाते ही हैं । प्राविधिक शिक्षा जिसको लेकर के बड़ा कोहराम मचा है कि आप प्राविधिक शिक्षा के माध्यम से इस प्रदेश को कहाँ ले जाना चाहते हैं । प्राविधिक शिक्षा में जो सरकारी व्यवस्था है उससे ज्यादा आपने प्राइवेट व्यवस्था को दे रखा है । आपके जितने टेक्निकल इन्जीनियरिंग कालेज हैं इसका बजट प्राविधिक शिक्षा का 1999-2000 में 18.11 प्रतिशत का 3.59 प्रतिशत दूसरे साल 2001 में हो गया 3.54 प्रतिशत और इस साल 2002 में हो गया 2.77 प्रतिशत यह बजट घट रहा है । जब बजट घट रहा है तो क्या डण्डा चलाकर सब ठीक करेंगे । आप मंत्री हैं÷"विद्या ददाति विनयं" । लाठी चलाकर दरोगा की भाषा बोलकर शिक्षा में सुधार नहीं ला सकते हैं । जिस ढंग से सुधार लाने की बात करते हैं । उसमें परिवर्तन लाइए । नकल रोकर आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं यह संभव नहीं है । पहले आपका वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नकल रुके तो कैसे रुके । उसके लिए आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा, अध्यापकों की नियमित नियुक्तियाँ करनी पड़ेंगी, नए पदों का सृजन करना पड़ेगा रिक्त पदों को भरना पड़ेगा तभी नकल रुकेगी जब अच्छी पढ़ाई हो । दरोगा की भाषा बोलकर आपका कर्तव्य पूरा नहीं हो जाएगा । आपकी एक व्यापक दृष्टिकोण बनाकर सुधार करने की बात करनी चाहिए । अब मैं प्राविधिक शिक्षा लेता हूँ । प्राविधिक शिक्षा में कितना बजट है । आप कहां से लाएंगे कहां से व्यवस्था करेंगे । महाराष्ट्र हमसे छोटा प्रदेश है आप इतने बड़े प्रदेश के ताकतवर मिनिस्टर हैं चीफ मिनिस्टर के एक्यूवैलन्ट हैं । आप बजट बढ़ा सकते थे आपने प्रयास नहीं किया । जो शिक्षा का बजट है उसमें प्राविधिक शिक्षा का कितने प्रतिशत है यह आपको पता है । हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 6.5 प्रतिशत हमारे शिक्षा का बजट होना चाहिए । यह राशि हिन्दुस्तान स्तर पर और प्रदेश स्तर पर होना चाहिए थी इसको आप नहीं करवा सकें । आपने सारा गुस्सा अध्यापकों पर, मैनेजमेंट पर उतार दिया प्राविधिक शिक्षा में कितने विद्यालय खुल रहे हैं । एक ग्राम बादलपुर में कुमारी मायावती राजकीय महिला पालीटेक्निक की स्थापना करने जा रही हैं । उसमें कितना बजट आपने दिया है और कितनी धनराशि अवमुक्त हुई हैं । 55 लाख 67 हजार 249 रुपए के सापेक्ष 14 लाख 59 हजार 989 रुपए व तद्नुसार वर्ष 2002-2003 में आय व्ययक के रूप में 14 लाख 60 हजार रुपये अलग से व्यवस्था की । यह

आपकी पूँजीगत परिव्यय से लेकर सारी अनुदाने हैं । इसको आप देखे आपका आयोजनेत्तर बजट बढ़ता जा रहा है । इसकी पूर्ति आप कंटीजेंशी से लेकर कंसालीडेटेड फण्ड से करेंगे व लोन लेकर इसकी कम करने का प्रयास करेंगे । आयोजनेत्तर बजट बढ़ने से वित्तीय अनुशासनहीनता बढ़ेगी । प्लान बजट कम होगा नान प्लान बजट बढ़ेगा । यह उचित नहीं है । हर जगह आप घोषणा करेंगे उसकी प्रतिपूर्ति नान प्लान से पैसा लेना पड़ेगा कंसालीडेटेड फण्ड से कंटीजेंसी फण्ड से पैसा लेना पड़ेगा । अगर प्लान बनाकर व्यापक दृष्टिकोण बनाकर धीरे-धीरे विकास करेंगे तभी वह मजबूत विकास होगा । आयोजनेत्तर मदों में कमी की बात सबको खुश रखने के लिए कही है । 2000-2001 में आयोजनागत था 490.42 लाख रुपये और फिर इसका आयोजनेत्तर बढ़ा तो बढ़ता चला जायेगा । 2000-2001 में यह 9 हजार 521.7 लाख रुपये हो गया । प्लान के मुकाबले नॉन प्लान ज्यादा बढ़ जायेगा तो जो विकास की बात आप कर रहे हैं, पालीटेक्निक बनाना चाहते हैं यह सब रुक जायेगा । 2001-2002 में फिर आप देख लें कि आयोजनेत्तर बढ़ा है । इस तरह से जब बढ़ता चला गया तो जो टोटल बजट 2002-2003 के लिये मांगा गया यह कम कर दिया । आयोजनागत और आयोजनेत्तर 8 हजार 89.89 लाख रुपये और पिछले साल 2000-2001 में था 10 हजार 144.77 । कहां से होगा । डण्डा चलाने से होगा ? लाठी चलाने से होगा ? नहीं । इसके लिये आपको धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी । यह कहां से आयेगा ? कहीं न कहीं से आपको व्यवस्था करनी होगी । जब वित्तीय संसाधन नहीं बढ़ेंगे । सेल टैक्स से नहीं मिलने वाला है । राजस्व बढ़ने वाला नहीं । भारत सरकार आपको देगी नहीं, तो केवल एक तरीका बचता है कि आप वर्ल्ड बैंक से लोन लें । वह भी आ गया कि वह मैंने के लिये तैयार नहीं हैं । बजट नहीं बढ़ायेंगे तो कैसे विकास होगा । जो सहायता प्राप्त पालीटेक्निक को धन देते थे उसको कम कर दिया है । दूसरा कारण है कि आपकी फीस कितनी बढ़ गई है जितनी सीटे हैं, इस साल बतायें काउंसिलिंग कराई गई, लेकिन सब सीटें नहीं भरी गई । इतनी फीस हो गई है कि गरीब घर के लड़के नहीं आ सकते हैं उसमें पढ़ाई के लिये । मेरे गांव के बगल का एक लड़का मेरिट में आया था झांसी में पता नहीं किस सिस्टम में डाल दिया । 60 हजार रुपये प्रतिवर्ष फीस लग रही थी वह नहीं पढ़ पाया । इतनी फीस बढ़ा दी । गरीब लड़के, साधारण लड़के न इंजीनियरिंग कालेज जा पा रहे हैं ना पालीटेक्निक जा पा रहे हैं । यह कैसे आप व्यवसायिक केन्द्र खोल रहे हैं । आप कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि जो काउन्सिलिंग कराते हैं फ्री टेस्ट लेते हैं जो अच्छे मेधावी छात्र हैं ब्रिलिऐंट और अच्छे स्कालर हैं उनको फ्री एडमिशन दिलवायें । नहीं तो यह चलने वाला नहीं । आप एक ऐसा खोलिये जहां पैसे वाले बच्चे ऊँची फीस देकर पढ़ सकें लेकिन इन गरीब लड़कों के लिये जो होनहार हैं, मेधावी हैं उनके लिये ऐसी व्यवस्था करें कि वे पैसे के अभाव में ऐसा न हो कि पढ़ न पायें । उनको भी पढ़ने का मौका मिल सकें । आप जितना भाषण दे दें । डण्डा चला लें इसमें तरक्की नहीं कर पायेंगे । केवल प्राइवेटाइजेशन करने से प्राइवेट खोल देने से और अंधाधुंध फीस लागू कर देने से कुछ नहीं होने वाला । सही बजट बतायें अच्छी नीति स्थापित करें । आपके यहां कई विषय हैं इंजीनियरिंग में और पालीटेक्निक में । आपने तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने की बात कही । आप सब करिये लेकिन परीक्षा प्रणाली संयमित करें, फीस कम करें । फीस कम नहीं करेंगे तो कौन एडमिशन ले पायेगा । मैंने आपका मैनिफेस्टो पढ़ा । आपने कोई स्पष्ट नहीं किया है । नकल रोको, इसको मारो, उसको बन्द करो, यह सब रोक दें । यह मान्यता छीन लें, वह मान्यता छीन लें । इससे कुछ नहीं होने वाला है । आपको वैकल्पिक व्यवस्था लड़कों को एडमीशन दें ताकि गरीब लड़के भी उसमें पढ़ सकें । प्राविधिक शिक्षा के बारे में सारे केसेज के बारे में जो छात्र संख्या है जूनियर हाईस्कूल में जितनी है हाईस्कूल में नहीं रहेगी, जितने माध्यमिक में आते हैं उतने आगे नहीं आ पाते हैं यह क्यों नहीं आते हैं इस पर भी सोचना चाहिए । इस पर भी विचार करें । एक कमेटी बनाएं नेताओं

की बनवा लें, शिक्षा संघ को ही न बनाए, शिक्षाविद से भी वार्ता करें आपके अच्छे-अच्छे अफसर हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं जो गरीबों को गांव में शिक्षा देने का काम करते हैं, इनको भी बैठाएं, इनसे भी विचार विमर्श करें और बढ़िया शिक्षा नीति बनाएं, खुली शिक्षा चलाएं यह सीमित शिक्षा नीति चल रही है । खुली शिक्षा का जहाँ तक सवाल है हम लोग पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते थे । उस शिक्षा ने हमारी संस्कृति को, भारत के गौरव को बढ़ाया है लेकिन आज की शिक्षा नीति ऐसी नहीं हैं । मान्यवर, मैं नालन्दा और तक्षशिला जैसे विद्यालयों की बात नहीं करना चाहता हूँ लेकिन विदेशी लोगों ने जो वर्णन किया है ह्वेनसांग और फहयान जो थे, उन्होंने कहा है जब मैं गया, उस समय वहां कुलपति प्रोफेसर शीलभद्र जी थे, जो हर विषय के ज्ञाता थे उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या पढ़ना चाहते हैं मैंने कहा कि योग पढ़ना चाहता हूँ वहाँ करीब 100 विद्यार्थी ऐसे थे जो 50 विषयों के ज्ञाता थे लखनऊ यूनीवर्सिटी में कितने विषयों के ज्ञाता हैं, मैं नहीं समझता हूँ फिजिक्स के कुलपति होंगे और किसी विषय के क्यों नहीं मिलते हैं इसमें साजिश है इस तरह से आपके भारत को गौरवशाली इतिहास से वंचित करने का प्रयास चल रहा है । अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस पर गम्भीरता से विचार करें ।

मान्यवर, उच्च शिक्षा के बारे में बजट में बता दिया कहने की कोई आवश्यकता नहीं है आपने सब स्वीकार कर लिया इसमें एक चीज कहना चाहता हूँ जो उच्च शिक्षा का बजट है इसमें भी आयोजनेत्तर ज्यादा है और आयोजनागत कम है इसमें सुधार लाया जाए, पिछले साल से बजट में इस साल कमी कर दी गई उच्च शिक्षा का बजट कम क्यों हो रहा है कौन सी ग्रान्ट बाहर से आ गई । पिछले साल का पुनरीक्षित अनुमान था आयोजनेत्तर 45,163 लाख अबकी हो गया 38 हजार लाख । 5 हजार लाख इसमें कम हो गया इतनी बड़ी राशि क्यों कम हो गई इसमें फीस बढ़ोयेंगे या प्राइवेट कालेज से कहेंगे कि अपने स्रोतों से इकट्ठा करें । जब धन की व्यवस्था नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार पैदा होगा, भ्रष्टाचार को रोकना है तो इस बजट में धन का आवंटन करने की आवश्यकता है । जैसा मैंने कहा मंत्री जी बजट बढ़ा सकते थे । आन्ध्र में टोटल बजट बढ़ा है आप बोल्डली बोलते डण्डा चलाने का जरूरत नहीं था मान्यता देने की जो नीति है महाविद्यालय के बारे में असेवित कहा, यह सही है जहां नहीं है वहां खुलवायें । खोलने के लिए आपने दो ढाई लाख रुपया था 4-5 लाख कर दिया एक विषय की मान्यता के लिए पच्चीस हजार और अब हो गया है पचहत्तर लाख । तो इस तरह से शिक्षा का व्यावसायीकरण हो गया । जो पाँच लाख का क्लीयरेंस लेगा उससे आप यह अपेक्षा करते हैं कि रुपया नहीं वसूलेगा । यही कारण है कि आज बड़े-बड़े उद्योगपति और महाजन स्कूल खोल रहे हैं । अगर यह शिक्षा के मामले में दखल देंगे तो इनका उद्देश्य मात्र धन कमाया ही होगा । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि काशन मनी जमा करा रहे हैं इसको खत्म करा दें । आपने कहा कि स्व वित्त पोषित करेंगे । आज वह जमाना गया जब बाजार के लाला बड़े-बड़े महाजन राज दरबार से स्कूल खुलवाया करते थे । आज अगर वह खोलेगा तो उसमें अपना फायदा देखेगा इसलिये ज्यादा प्राइवेटाइजेशन की तरफ मत जायें । जितनी भी पंचवर्षीय योजना बनी आपको क्या मिला, कितना मिला ? क्यों नहीं मिल रहा है कौन जिम्मेदार हैं । इसमें आप और आपका शासन की जिम्मेदारी है । अगर आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दीजिये हम व्यवस्था कर लेंगे तो इसमें सुधार की आवश्यकता है । उच्च शिक्षा के बारे में भी कहना चाहता हूँ मगर समय नहीं है । मैं लिखकर दे दूँगा । आप तो विद्वान सदस्य हैं, मंत्री कई बार रह चुके हैं । आपको इसको पढ़ना चाहिए । मान्यवर, यू०जी०सी० के चैयरमैन आये थे, जो तकनीकी शिक्षा आप मेरठ में पढ़ा रहे थे लेकिन मान्यता नहीं दी । तकनीकी शिक्षा आप खोले बैठे हैं, घूम रहे हैं मेरा क्या होगा । उसको आपने बुलाया है उसको आपने बुलाया था । वह भी आये थे । यू०जी०सी० के चेयरमैन आये

थे । आपने कोई धन की व्यवस्था नहीं की । 9वीं पंचवर्षीय योजना में धन का सही उपयोग नहीं हुआ । केन्द्र पहले पूरा पैसा देता था लेकिन अब उसने भी कह दिया है कि वह केवल 75 प्रतिशत पैसा देगा बाकी 25 प्रतिशत आपको स्वयं वहन करना होगा । आप 25 प्रतिशत की भी व्यवस्था नहीं कर सके हैं तो व्यवसायिक शिक्षा कैसे चलेगी ? इससे व्यवसायिक शिक्षा माध्यमिक स्तर पर भी बंद हो जाएगी । भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है कि आप इसकी व्यवस्था करिए और यह 15 सौ रुपये जो आप दे रहे हैं ,यह वेतन भी नहीं दे सकते हैं । जब आप तनखा की व्यवस्था नहीं कर सकते तो कैसे व्यवसायिक शिक्षा चलेगी ? एक और बात मैं कहना चाहता है कि आपके यहाँ नकली विश्वविद्यालयं चलते हैं । आपके राज में नकली विश्वविद्यालय चलते हैं । यह आश्चर्य करने की बात है । इसमें कानून बनाने की आवश्यकता है । यह मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ यह यू०जी०सी० ने कहा है कि आपके यहाँ नकली विश्वविद्यालय हैं, फर्जी विश्वविद्यालय हैं । यह कुल 8 विश्वविद्यालय हैं । उनके नाम नहीं पढ़ रहा हूँ देर हो जाएगी ।

श्री अधिष्ठाता–

लिखकर दे दीजिएगा ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उत्तर में दे दीजिएगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि आपके उच्च शिक्षा विभाग में एक संयुक्त निदेशक हैं । उनका नाम है डा० नलिनी चन्द्रा । कई शिकायतें इनके ऊपर आ रही हैं । अगर आप जैसा मंत्री भी अगर दण्ड न दे सकेगा तो कहाँ से हम दरोगा मंत्री लाएंगे । उनके खिलाफ उनके क्रियाकलापों के बारे में कई आन्दोलन हुए हैं । इन्होंने कोचिंग सेन्टर चलवाया है । 10 रुपये प्रतिछात्र से धन वसूल किया, भूकम्प पीड़ितों के नाम पर पैसा लिया और उस पैसे को नहीं भेजा । इसके लिए लड़कों ने आन्दोलन भी किया । माननीय विधायक श्री काशी राम जी ने भी कई पत्र लिखे हैं । मैं ज्यादा कहने की आश्वयकता नहीं समझता । मान्यवर, जो आठ फर्जी विश्वविद्यालय हैं उनमें मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा, वाराणसी कामर्शियल यूनिवर्सिटी लिमि०, इंडियन एजुकेशन काउंसिल, लखनऊ आदि हैं । इसको मैं लिखकर दे दूँगा एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि कानपुर पत्राचर संस्था जो विश्वविद्यालय है वह बी०ए०, बी०एड० की डिग्री देता है । इसकी भी छानबीन करा लें । यह सब शिक्षा के स्तर को गिरा रहे हैं । हमें बदनाम कर रहे हैं । मान्यवर, कुछ सुझाव और देना चाहता हूँ । एक तो यह है कि दोहरी प्रणाली न लागू करें । आप कहते हैं आप नहीं डरते हैं लेकिन आपके मन में भय है कि अगर आप कुछ करेंगे तो जो शिक्षक नेता हैं उनसे टकराना होगा । मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक बार उनको भी ठीक करने का संकल्प ले लीजिए ।

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा विभाग में किसका नियंत्रण है अध्यापकों पर आप किसी को मुअत्तल कर सकते हैं । आप तभी कर सकते हैं जब कमेटी भंग करें और अपना आदमी बिठायें । इंस्पेक्टर नहीं कर सकता है । यह किसी के नियंत्रण में नहीं हैं । न वह इंस्पेक्टर को और न मैनेजमेन्ट को डरते हैं और आप भी प्रभावित हैं इनसे । यह सिंगल आपरेशन क्या है ? मैनेजर वेतन काट लेते हैं तो उनकी कुर्सियों पर चढ़कर गालियां देते हैं आपके डी०डी० का सम्मान कम करते हैं यह सारे के सारे पढ़ाते नहीं हैं दिन भर घूमते हैं । यहां एम०एल०सी० हैं तो यहां दैनिक भत्ता भी मिलता है और वहां वेतन भी लेते

हैं । जब श्रीपति मिश्र जी मुख्य मंत्री थे तो मैंने कहा था लेकिन अम्मार साहब और बक्शी जी ने रुकवा दिया आप इस पर कोई निर्णय लें । जब एम०एल०सी० हो जायें तो छः साल की छुट्टी ले लें और कोई एडहाक व्यक्ति वहां काम करें । मान्यवर, मैं 1959 में इण्टर कालेज का प्रेसिडेन्ट रहा हूं । हमारे भूगोल के प्रवक्ता एम०एल०सी० हो गये कभी पढ़ाते नहीं थे एक दिन हम लोगों ने धर दबोचा कि लखनऊ जाने नहीं देंगे तो फिर हम लोगों को रात में 6 बजे के बाद दो घण्टे पढ़ाते थे । आप नियंत्रण कीजिये यह दोहरा वेतन नहीं चलना चाहिए । इन शिक्षक संघों से आप के अधिकारी कर्मचारी डर कर कांपते हैं वह कहते हैं कि बाहर तो कुछ नहीं कह पाते लेकिन आफिस में आकर यह बड़े हो जाते हैं । हमारे यहां सिद्धार्थनगर में तमाम इण्टर कालेज हैं जहां 65 टीचर्स हैं पढ़ाते नहीं हैं और वेतन लेते हैं। आप व्यवस्था करें कि वे पढ़ावें और प्रधानाचार्य और प्रबन्धक संस्तुति करें तब वेतन दें । अगर इंस्पेक्टर को पता चल जाये कि नहीं पढ़ाते हैं तो वह वेतन न देकर आपराधिक धाराओं में कार्यवाही करके उन्हें ठीक कर सकते हैं । आपने किसी मास्टर या किसी मैनेजमेन्ट के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज कराया होगा । 10-20 लाख रुपये वेतन में जा रहा है । हमारे यहां एक आदर्श किसान इण्टर कालेज, गौरा बाजार है कभी कालेज चला नहीं एक परीक्षक थ्योरिटिकल एक्जाम लेने जा रहे थे पता पूछने लगे बाद में कहने लगे कि यहां कोई लड़का ही नहीं है हमने कहा कि प्रिंसपल अभी गाड़ी लेकर मिल जायेंगे । मान्यवर, फर्जी डिग्री लेकर टीचर्स वहां पढ़ाते हैं । जांच होती है एक मामले में तो 6 साल में बी०एड० की डिग्री थी उसके पास जन्म तिथि से पकड़ा गया निकाल दिया गया लेकिन कोई मुकदमा नहीं चला । बिना भय के क्या होगा । आप कुछ कानून नियंत्रण के लिए बनायें और सिंगल आपरेशन के अधिकार कम कीजिए । माध्यमिक शिक्षा का प्रान्तीयकरण कर दीजिये या तो आप इंस्पेक्टर के हाथ में या तो मैनेजमेन्ट के हाथ में पूरा दे दीजिये ये सलाह है ।

हम अध्यापकों के खिलाफ नहीं हैं, हम उनका सम्मान करते हैं लेकिन जो अध्यापक नेता हैं वह एक दिन भी नहीं पढ़ाते हैं कभी तनख्वाह बनवाने जाते हैं तो कभी कहीं जाते हैं । आपके यहां मुकदमा कितने हैं । मान्यवर, शिक्षा अधिनियम में सुधार की आवश्यकता है । कभी किसी के यहां कभी किसी के यहां 226 में वह चले जाते हैं । आपको कितना लड़ना पड़ता है आपके शिक्षा विभाग का बहुत सा धन का हिस्सा इसी मुकदमें में चला जाता है । वह हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट में चले जाते हैं वरीयता को लेकर एप्वाइन्टमेन्ट को लेकर जाते हैं इसलिये मेरा सुझाव है कि आप इसमें ट्रिब्युनल बनाइये जिसमें उच्च शिक्षा के लोग हों, एक न्यायिक अधिकारी और एक प्रशासनिक अधिकारी हो तीन आदमियों का एक ट्रिब्युनल बनाइये जब उनके यहां निस्तारित न हो तब वह हाईकोर्ट में जायं । आप पैरवी नहीं कर पाते हैं और वह वहां से फैसला लेकर आते हैं आप एक को भी नहीं दण्डित कर सकते हैं इसलिये आप ट्रिब्युनल बनवाइये और इसकी व्यवस्था करिये ।

मान्यवर, विधान परिषद् की समिति बनी थी नेताओं की इसने लड़कों की कुछ नहीं जांच किया है पढ़ाई होती है या नहीं होती है पास होते हैं लड़के या नहीं पास होते हैं इसने यह जरूर किया है कि किसको तनख्वाह नहीं मिली है । इसमें सब नेता रहे हैं टण्डन जी भी रहे हैं । इसमें है लखनऊ पब्लिक कालेज, बी० ब्लाक, राजाजीपुरम् लखनऊ इसी तरह से स्प्रिंगडेल स्कूल इन्दिरा नगर, लखनऊ इसमें दिया हुआ है कि कहां वेतनमान नहीं दिया जा रहा है । ये लोग कोचिंग वाले पर क्यों नहीं लड़े पता नहीं क्या प्रभाव डाल दिया आपने नहीं तो यह इसको नहीं मानते हैं । यह अपना देखते हैं । मान्यवर, आप स्कूल खोलकर स्कूल का मैनेजर बनाते हैं । उसमें जब तक अध्यापकों को नौकरी नहीं मिलती है तब तक वह मैनेजर के घर के दरवाजे पर बैठे रहते हैं और जब नौकरी मिल जाती है तो यूनियन बनाकर उनसे

टकराव करने की कोशिश करते हैं । तो यह हमने उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा पर थोड़ी सी झलक डाली है । आपके माध्यम से एक निवेदन और है कि आप कानून बनाकर अपने स्कूल खोले चाहे शिक्षा के लिए अलग से टैक्स लगाये उससे टैक्स लेकर आप स्कूल खोलिये । अनावश्यक निजी व्यक्तियों के हाथों में आप अपना स्कूल न सौपिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं । मान्यवर, एक बात और कहनी है । मान्यवर, असेवित ब्लाकों में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कन्या इण्टर कालेज खोलने की व्यवस्था की थी, मान्यता आप दे नहीं रहे हैं, 5 लाख रुपया दे दिये । मेरा तीसरे नम्बर का स्कूल था । बनारस के बाबू को 2 हजार रुपया नहीं दिया तो 18 महीने से वह रुका हुआ है । वह कर्मचारी नेता है उसको आप नहीं हटा पायेंगे । आप उसकी मान्यता दीजिए और जो धन दिये हैं उसकी बाकायदा जांच करा लीजिये कि सही खर्च किया है या नहीं ।

श्री अखिलेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को एक सूचना दे रहा हूं ।

माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी इत्यादि के संबंध में इस सचिवालय की बुलेटिन संख्या–07, दिनांक 26 जुलाई, 2002 के पश्चात् निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है :–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या–एस०टी०/एस०एस०पी०–26/2002/6256, दिनांक 02 सितम्बर, 2002, में सूचित किया है कि श्री अखिलेश सिंह, सदस्य, विधान सभा, रायबरेली को विधान सभा सचिवालय गेट नं०–7 के बाहर आज दिनांक 02-09-2002 को दोपहर लगभग 14-15 बजे प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली, रायबरेली के आदेश पर थानाध्यक्ष, गोमतीनगर द्वारा मु०अ०सं०–311/2002 भा०द०वि० की धारा 147/148/149/302/395/120 बी व धारा 25/27 शस्त्र अधिनियम, थाना कोतवाली, रायबरेली के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा और मतदान–अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (क्रमागत)

* श्री चन्द्र देव राम यादव–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं और माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक बजट का समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी ने आज जो माध्यमिक शिक्षा का बजट पेश किया है मैं इसमें अपनी तरफ से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आज प्रदेश की जनसंख्या इतनी बढ़ी है, सरकार के साधन कम हैं । पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होने के नाते सरकार अपने विद्यालय पुनः संचालित करके प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था करने का जो प्राविधान किया है उसमें मैं अपनी तरफ से आग्रह करूंगा कि जो वित्तविहीन मान्यता पूरे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा दी गयी है उसमें बहुत विसंगतियां हैं । आज पूरे प्रदेश में न मैनेजर के ऊपर, न अध्यापकों के ऊपर कोई अंकुश है । सरकार की तरफ से उनको किसी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रकार का अनुदान, किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती । इसलिए हमारे प्रदेश के गरीब बच्चों के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए या कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए वही व्यवस्था है जो पूंजीपति लोगों के लिए है, क्योंकि उन पर सरकार की तरफ से किसी प्रकार का अंकुश नहीं है । अपने मनमाने ढंग से फीस लेते हैं । वह जब तक पूरी फीस नहीं पाते तब तक प्रवेश नहीं हो पाता । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जब से वित्तविहीन मान्यता की परम्परा शुरू हुई है और आज तक अनुदान सूची पर विद्यालय आज हों या कुछ दिन बाद हों लेकिन उनको वित्त सहित मान्यता दे करके एक नियमावली बना करके उन पर एक अंकुश लगाने का काम करें । उनकी नियत फीस हो, उनके अध्यापकों की एक नियमावली हो, उनको सरकार की तरफ से एक नियमबद्ध तरीका हो कि वह उसका उल्लंघन करें तो उनको दण्ड दिया जाये और सरकार जब करे वित्तसहित करे और सीनियारिटी के आधार पर अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाये । अध्यापक सोचता है कि हम आज आये हैं कल चले जायेंगे, हमारी क्या जिम्मेदारी है । हमको इतना वेतन मिलता है । हमको न मैनेजर से कोई लगाव है और न विद्यालय से । आज पांच सौ पा रहे हैं कल पांच हजार पायेंगे, फिर चले जायेंगे । मैं आशा करूंगा कि मेरे इस सुझाव पर जरूर विचार करेंगे कि अनुदान सूची पर धन होने पर, सरकार की स्थिति अच्छी होने पर अनुदान सूची पर लिया जाये । जितने विद्यालय हैं उनको सरकार द्वारा वित्तसहित कर दिया जाये और सरकार का पूरा-पूरा नियंत्रण उन पर रखा जाय, इसके साथ ही उनकी नियमावली भी बना दी जाये । मान्यवर, एक सुझाव और देना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में प्राइवेट फार्म भरने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है । जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं कि जो दो साल फेल हो जाते हैं, ऐसे बच्चों का नाम स्कूल में नहीं लिखा जाता । उनको प्राइवेट परीक्षा देने की छूट है । माननीय मंत्री जी आज इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है । जो वित्तसहित विद्यालय हैं, उनकी संख्या बहुत कम है और जो वित्तविहीन विद्यालय हैं, वह बहुत अच्छी तरह से संचालित हैं और उनके पास बिल्डिंग है, टीचर हैं, उनके पास सीट भी हैं । आपने उनको हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट मार्कशीट दस्तखत करने का अधिकार दिया है, उनको टी०सी० बनाने का अधिकार दिया है, इम्तिहान लेने का अधिकार दिया है, लेकिन प्राइवेट फार्म अग्रसारण करने का अधिकार नहीं दिया है, इसलिये पूरे प्रदेश में जो आपके वित्तसहित विद्यालय हैं, वह मनमाने ढंग से उनके साथ पेश आते हैं, इससे गरीब बच्चे परेशान होते हैं । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वित्तविहीन विद्यालयों को जो आपकी शर्तों को पूरा करते हैं, सरकार के आदेशों का पालन करके मान्यता पाये हों, उनको प्राइवेट फार्म अग्रसारण करने का अधिकार दिया जाय । मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करते हुये अपने माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं, जयहिन्द जयभारत ।

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया । माननीय मंत्री जी ने माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के विकास के लिये सराहनीय कार्य किया है और उन्होंने अपने बजट भाषण में, बजट साहित्य में जिन चीजों का उल्लेख किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, समय की कमी के कारण मैं केवल अपने क्षेत्र की समस्याओं का उल्लेख कर रहा हूं । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में पं० दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला महाविद्यालय है, यह विद्यालय वर्ष 1998-99 में बन गया था और वहां बी०ए० के क्लासेज चल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रहे हैं और बी०एस०सी० तथा बी० काम० की कक्षाओं के लिये भवन भी बन गया है, परन्तु क्लासेज अभी शुरू नहीं हो सकी है, मैं आपसे चाहूंगा कि आप बी०एस०सी० तथा बी० काम० की कक्षायें चालू कराने के लिये कोई कदम उठायें । मेरा दूसरा सुझाव है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ायी जायें तथा जो अशासकीय महाविद्यालय तैयार हो उनको भी रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को चलाने हेतु अनुमति दी जाय । मान्यवर, इसके अलावा जो अशासकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालयों में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनको अन्य कर्मचारियों की भांति अवकाश दिया जाय । इसके अलावा उत्तर प्रदेश के डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों में सम्बद्ध प्रयोगशाला सहायकों को भी अन्य राज्यों की भांति लैब टेक्नीशियन अथवा लेबोरेटरी इन्स्ट्रक्चर का पदनाम दिया जाय । इसके अलावा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के पेंशनरों (शिक्षकों तथा कर्मचारियों) को संशोधित वेतनमान के न्यूनतम 50 प्रतिशत । जनवरी, 1996 से स्वीकृत किया जाय । विश्वविद्यालय के पेंशनरों को यह लाभ पहले से मिल रहा है । मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग में कोई पूर्णकालिक शिक्षक नहीं है, वहां अंशकालिक शिक्षकों से काम चलाया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि वहां पर पूर्णकालिक शिक्षक रखा जाय । मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद सृजित कर उनकी संख्या बढ़ायी जाय तथा रिक्त पद भरे जायें । मेरा एक सुझाव यह भी है कि शिक्षकों के पी०एच०डी० करने पर दो अतिरिक्त वेतनवृद्धि दी जाय और डिग्री कालेजों के शिक्षकों को प्रोफेसर के पद तक प्रोन्नति ग्रेड दी जाय, इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

*श्री विजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और माता प्रसाद के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, आज उस महत्वपूर्ण विभाग का बजट है मैं समझता हूं कि देश, प्रदेश और समाज का विकास को बढ़ाना है तो बेहतर होगा कि यह विभाग पूर्णतः सरकारी हाथों में हो । अभी माननीय मंत्री जी ने बजट में स्पष्ट रूप से कहा है, उसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं उन्होंने तमाम कटौती की बातों की सत्यता से स्वीकार किया है । उन्होंने सत्य को स्वीकार तो कर लिया है लेकिन उन्होंने किस-किस तरह से और किन-किन कार्य योजनाओं से दूर करने का प्रयास किया है, यह स्पष्ट नहीं किया । सबसे पहले अनुशासन ही देश को महान बनाता है, शिक्षा का उद्देश्य वास्तव में अनुशासनात्मक हो तो शिक्षा के सर्वांगीण विकास को कोई रोक नहीं सकता है मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि ग्रामीण अंचलों में जितने भी विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल, हायर सेकेन्ड्री और इण्टरमीडिएट स्कूल हैं, मैं मैनेजमेन्ट का विवाद है । इसके विवाद से स्कूल का विकास सुधर नहीं सकता और भ्रष्टाचार के कारण उनकी आपस में लड़ाई होती है और उस क्षेत्र के विद्यार्थी इसकी वजह से सफर करते हैं, मेरा अनुरोध है कि आप कोई ऐसी ठोस व्यवस्था करें जिससे जल्द से जल्द इस समस्या का निदान हो सके । मान्यवर, एक बात और है, जो निबन्धक की पोस्ट होती है, जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है और वह इतना भ्रष्टाचारी होता है कि जहां कोई भी मैनेजमेन्ट का विवाद न हो, लेकिन वह विवाद बना करके खड़ा कर देता है । मान्यवर, आगरा मण्डल में इसी निबन्धक ने इस मामले को इतना लटका दिया है कि जिससे तमाम इन्स्टीट्यूट बरबाद हो रहे हैं । माननीय मंत्री तमाम विद्यालयों में खेल-कूद का अलग से शुल्क लिया जाता है । मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्पोर्ट में आल इण्डिया खेला हूं। मान्यवर, जितने भी आपके माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें क्रीड़ा के लिए जितना शुल्क लिया जाता है उसका एक प्रतिशत भी इस मद में खर्च नहीं किया जाता है, कृपया आप इसे सुरक्षा में लें और इसको निर्देशित करें। एक बात माता प्रसाद जी ने कही है कि तमाम स्कूलों का सरकारीकरण किया जाय। मान्यवर, राजस्थान प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, वहां पर तमाम विद्यालयों जितने भी चाहे हायर सेकेन्डरी या इण्टरमीडिएट हैं, सब राजकीय है, मैनेजमेन्ट की व्यवस्था नहीं है, आन्ध्र प्रदेश वगैरह के शिक्षा व्यवस्था सरकार के हाथों में लगातार रहती हैं, इन सबके परिणाम बेहतर है। इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे उपाय हैं यदि वास्तव में आप वचनबद्ध हैं यदि आप संवेदनशील है तो निश्चय ही आप शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। मान्यवर, शिक्षा को उपयोगी बनाने की बात माननीय मंत्री जी ने अपने शब्दों में कही है। मान्यवर, नोएडा के आस-पास कानपुर के आस-पास जितने भी इन्स्टीट्यूट हैं, तमाम प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं अगर वास्तव में शिक्षा का स्तर सुधारना चाहते हैं तो इसके लिए कोई व्यवस्था करें। शिक्षा आज योग्यता नहीं, शिक्षा आज नौकरी बन गई है, मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा जितने भी प्राइवेट इन्स्टीट्यूट हैं, चाहे आपके महाविद्यालय हों, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट कालेज हो अगर यू०जी०सी० के द्वारा उनकी जांच-पड़ताल नहीं की गई है, अगर मानक के आधार पर उनकी जांच नहीं की गई तो मेरा नम्र निवेदन है कि जितनी भी शिकायतें आती हैं उन पर तत्काल प्रभाव से जांच कराइये अन्यथा आपके शिक्षा जगत को चौपट कर देंगे, समाज के नौनिहालों का जनजीवन बरबाद हो जायेगा। मान्यवर, मेरे क्षेत्र इगलास, अलीगढ़ में गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल की स्वीकृति मिली। आज भी विद्यालय तहसील की पुरानी बिल्डिंग में चल रही है। इस विद्यालय के लिए 1993 से कोई भी धन स्वीकृत नहीं की गयी। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि भवन-विहीन गर्ल्स स्कूल को धन स्वीकृत करे जिससे वह स्कूल चल सके और लड़कियों की शिक्षा का विकास हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, इस आशा और विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि माननीय मंत्री जी निश्चय ही हमारी समस्या का समाधान करेंगे। जय हिन्द।

श्री अधिष्ठाता–

अगर अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते तो थोड़े समय में ज्यादा काम आता।

*श्री उदयराज–

मान्यवर, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग पर माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, अभी थोड़ी देर पहले मा० मंत्री जी चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो या प्राविधिक शिक्षा हो जब इसके बारे में अपने विचार रख रहे थे तो निश्चित रूप से लगता था कि मंत्री जी की मंशा निश्चित रूप से इस प्रदेश के छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई उनकी कुछ न कुछ अच्छी सोच है। लेकिन बजट पढ़ने के बाद लगा कि जिस तरीके से इस प्रदेश के छात्रों के साथ एक खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है वह शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ है। जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं, माननीय मंत्री जी अभी कह रहे थे कि 27 वर्षों के बाद यह पहला मौका है जब पूरे उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों का सत्र नियमित हुआ है। इस तरह से सत्र नियमित करना पुलिस को लेकर, चाहे विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो उसमें परीक्षा करा देना और इस तरह से सत्र नियमित

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करा देना मेरे समझ से अच्छा नहीं है । मान्यवर, अगर प्रवेश के बारे में सोचें, मैं मंत्री जी से केवल एक चीज जानना चाहता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर छात्रों के पढ़ने की संख्या बढ़ रही है, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने भी आज से 12 वर्ष पहले लखनऊ विश्वविद्यालय से एल०एल०बी० किया था उस समय जो सीटों की संख्या थी अब वर्ष 2002 में सीटों की संख्या आधी हो गयी है । उच्च शिक्षा में केवल एल०एल०बी० ही नहीं बी०ए०, बी०काम०, बी०एस०सी० हों सीटों की संख्या कम है चाहे विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हों । तमाम लड़के घूम रहे हैं उनका प्रवेश नहीं हो रहा है । वह मारे-मारे फिरते हैं और अपने प्रवेश की सिफारिश के लिए हम लोगों से कहते हैं । हम जरूर कहेंगे कि चाहे महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो आज जो प्रवेश की समस्या है उसको देखते हुए उच्च शिक्षा के बी० ए०, बी० काम०, बी०एस०सी० एम०ए०, एम०काम० वगैरह में कम से कम 25 प्रतिशत सीटों की बढ़ोत्तरी का काम करें । इसी तरह से जहां माध्यमिक शिक्षा का सवाल उठता है । माध्यमिक शिक्षा में भी तमाम समस्यायें है अगर आप देखें तो परीक्षा परिणाम को सुधारने के लिए हमें जो भी कठोर से कठोर कदम उठाने पड़े उसको उठाना चाहिए । आपने कह दिया कि 860 बाबुओं का ट्रांसफर करने का काम किया है । मैं कहना चाहता हूं कि बाबुओं के स्थानान्तरण से छात्रों की पढ़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । उससे शिक्षा में कोई सुधार नहीं आ सकता है । यह आपको सोचना पड़ेगा हाई स्कूल और इण्टर मीडिएट के परीक्षा परिणाम आए किसी विद्यालय में 10 प्रतिशत परिणाम रहा किसी में 20 प्रतिशत इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है । डिग्री कालेजों में प्रवक्ता के पद रिक्त पड़े हैं छात्रों को पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है । अंग्रेजी पढ़ाने वाला अध्यापक साइन्स पढ़ाने जाता है तो वह साइंस क्या पढ़ाएगा । निश्चित रूप से अंग्रेजी पढ़ाने वाला अध्यापक साइंस पढ़ाने का काम नहीं कर सकता है । इससे जो प्रदेश में परीक्षा के परिणाम आ रहे हैं उसमें सुधार होने वाला नहीं है । आप कोचिंग पर प्रतिबन्ध लगाने का काम कर रहे हैं लेकिन जो प्राइवेट स्कूल जो चल रहे हैं, उन स्कूलों में किस तरह से

(इस समय 10 बजे अधिष्ठाता डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पीठासीन हुए)

छात्रों से मनमाने तरीके से फीस वसूली जा रही है किस तरह से छात्रों से प्रतिमाह दो हजार रुपए फीस ली जा रही है दूसरी तरफ जो अध्यापक पढ़ाते हैं उनको 500 रुपये से एक हजार रुपये दिए जा रहे हैं । इस व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा । जितने भी प्रबन्धतंत्र के विद्यालय हैं उनमें जो नियुक्तियां होती हैं उनमें आरक्षण पूरा नहीं किया जाता है । अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग को उनके कोटे के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए । इस पर कोई ध्यान देने का काम नहीं किया । एक बात और कहना चाहता हूं कि जब मुलायम सिंह यादव प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने बालिका इण्टर कालेज के हर विकास खण्ड में पांच लाख रुपए की घोषणा की थी । जो इस तरह से बालिका इण्टर कालेज को दिया जा रहा है उसमें गाइड लाइन से यह होना चाहिए कि ब्लाक स्तर पर कहीं अच्छी जगह पर खोला जाए । जो भाजपा और सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता हैं उनको देने का काम किया जा रहा है । यह न हो । इन शब्दों के साथ मैं माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्रीमती गुलाब देवी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । महोदय यह कल्याणकारी बजट है, यह जनहितकारी बजट है, इसके अन्तर्गत 9,063 माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं जिसमें लाखों विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं । महोदय किसी भी देश की सम्पन्नता उसकी सुदृढ़ता उसके गौरव में उसके नागरिकों का शिक्षित होना आवश्यक

है । जिस देश के नागरिक शिक्षित होते हैं वहां धार्मिक सद्भाव, अनुशासन, सद्चरित्र कर्तव्यनिष्ठ देशभक्ति आदि गुण विद्यमान होते हैं । हमारी शिक्षा व्यवस्था जो चल रही है इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि नागरिकों के अन्दर पूर्ण रूप से उन गुणों का समावेश हो जिससे समाज में रहकर वह आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक हर क्षेत्र में विकास कर सकें । महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी । इस बजट में व्यवस्था की गई थी कि हर ब्लाक में एक राजकीय कन्या इन्टर कालेज खोलने की व्यवस्था की जायेगी । मेरा क्षेत्र 14 चन्दौसी जिला मुरादाबाद बहुत ही पिछड़ा हुआ है । वहां पर दुःख की बात है कि कोई भी राजकीय इन्टर कालेज नहीं है । किसी भी प्रकार का राजकीय कन्या विद्यालय नहीं है । सौभाग्य से हमारे माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी उसी क्षेत्र के रहे । हमारे क्षेत्र में किसी भी ब्लाक में कोई भी कन्या विद्यालय नहीं खोला गया । हमारे क्षेत्र में जरगांव और भगतपुर-पहली में राजकीय कन्या विद्यालय की औपचारिकता पूर्ण हो गई है तथा स्वीकृति भी मिल गयी है । आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि वहां पर निर्माण हेतु धन की व्यवस्था कर दी जाय । एक और ध्यान दिलाना चाहती हूं कि जहां इतना विकास और कल्याणकारी हमारा बजट है कहीं-कहीं पर ऐसी विसंगतियां है जो संज्ञान में आती हैं तो बड़ा दुख होता है । जो हमारे योग्य छात्र होते है, योग्य होने के उपरान्त, मेहनत करने के उपरान्त, अच्छी प्रकार से उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं लेकिन बिना मेहनत किये हुए ही कुछ अराजक तत्वों द्वारा जो संस्थायें संचालित कर रखी हैं उनमें बिना पढ़े ही विद्यार्थी अच्छे नम्बरों से पास हो जाते हैं । यह बिना मेहनत किये हुए पास हुए छात्र आगे चलकर समाज के लिये निन्दनीय और कलंकित कार्य करते हैं । यह स्वयं तो मेहनत करते नहीं हैं पैसे के बल पर डिग्री ले लेते हैं । आपने जहां एक ओर नकल पर अंकुश लगाने का काम किया है, जिसकी समाज में भूरि-भूरि प्रशंसा हुई है वहीं दूसरी ओर आप ऐसे विद्यालयों पर भी अंकुश लगायें जो फर्जी डिग्री देने का काम किया जाता है । जहां एक ओर ऐसे अध्यापकों का भविष्य अंधकार में होता है, वहीं समाज में भी उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है वे बच्चों के भविष्य को भी अंधकार में डाल देते हैं । ऐसे शिक्षकों, प्रबन्धकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए । ऐसा कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं ।

* श्रीमती गीता सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं । अधिष्ठाता महोदय, पक्ष और विपक्ष के साथियों, हमारी शिक्षा में जो गिरावट आई है, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है, आपको बुरा तो लगेगा, हमारे पालीटिशियन ज्यादा हैं । उनका कन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिये । हमारे तमाम पालीटीशियन शिक्षा के क्षेत्र में होते हुए भी इसमें कोई डिवोशन नहीं कर पाते । जैसा माता प्रसाद पाण्डेय जी ने बताया पालीटिशन राजनीति में किस-किस तरह से मैनिपुलेट करके छात्रों को गुमराह करके, उनकी इनर्जी का फायदा उठाकर आगे बढ़ सकते हैं, यह उनका पहला ऐम होता है । हमारा उत्तर प्रदेश जो आयरन की बेल्ट रहा है । जहां पर अनेकों बुद्धजीवियों का जन्म हुआ है । जहां की संस्कृति और सभ्यता वर्ल्ड में सबसे आगे गई है । आज स्थिति यह है कि यहां कोई फैक्ट्री, कोई इन्डस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है हमारे नवजवानों के आगे बढ़ने के लिये अलावा इसके कि हमारी शिक्षा अच्छी हो और हम शिक्षा के माध्यम से अपने देश के विदेश के तमाम कोने में अच्छी जगह बना सकें । चाहे हायर ऐजुकेशन हो, माध्यमिक शिक्षा हो तमाम प्राइवेट इन्स्टीट्यूट, कोचिंग और इनके पैरेलल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इन्स्टीट्यूट खुल गये हैं। हमारी शिक्षा जो है वह डेली कागजों पर आगे बढ़ रही है लेकिन हम जहां तक देखते हैं समझते हैं वह आगे कम पीछे ज्यादा जा रही है। पहले हमारे यहां के बच्चे क्लास 1, 2 पर आते थे इसका रेशियो अब घटा है। हमारी शिक्षा में हर लेबिल पर सुधार की जरूरत है इसमें सबसे ज्यादा डिवीशन और टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत है। केवल सरकारी नौकरी के लिए तैयार किया जाना ही काफी नहीं है। उन्हें हर तरह की एजुकेशन दी जाये ताकि उनके जीने की व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि शिक्षा में आरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिये। किसी जाति धर्म, वर्ग के नाम पर इससे अच्छे छात्र पीछे छूट जाते हैं। मैंने तमाम भर्तियों में देखा है जो दूसरी जातियों के बच्चे हैं जिनके लिए रिजर्वेशन हैं उनके इंतजार में पदों को खाली रखा जाता है इससे लगता है हम फिर पत्थर युग में जा रहे हैं, चांद सितारों के युग में जाने के बजाय। इसी के साथ जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करती हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

आज जो कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुयी है उसकी सूचना सदन को दे रहा हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 2 सितम्बर, 2002 की बैठक में सदन के वर्तमान सत्र के कार्यक्रम के विषय में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधन सहित पारित हुआ, पर विचार एवं उसके पारण की मदें दिनांक 3 सितम्बर, 2002 को वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान के पूर्व रख ली जायें।

2–उत्तर प्रदेश एमिटी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 पर विचार एवं उसके पारण की मदें दिनांक 4 सितम्बर, 2002 को वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान के पूर्व रख ली जायें।

3–विधान सभा के वर्तमान सत्र का शेष कार्यक्रम पूर्ववत रखा जाये।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज सुबह अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक अनुदानों की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या –47 प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (क्रमांगत)

श्री धनंजय सिंह–

मा० मुझे 1 से 10 मिनट का समय दिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

2 मिनट का समय मिलेगा । अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ रखना चाहते हैं तो रख दें ।

(व्यवधान)

श्री भरत सिंह–

किसी को 20 मिनट, किसी को 35 मिनट, किसी को एक मिनट इस तरह से भेद-भाव नहीं होना चाहिए ।

श्री धनंजय सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट 2002-2003 का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा विगत में दिये गये वक्तव्यों और उठाये गये कदमों से शिक्षा विभाग में कुछ मूलभूत परिवर्तन होंगे ऐसी उम्मीद जगी है । मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में चार सुझाव देना चाहता हूं । मैं माननीय मंत्री जी से सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट तथा यू०पी० एजुकेशन ऐक्ट, के तहत बनी प्रशासन योजना इनका आपस में विरोधाभास है । इसकी वजह से हजारों विद्यालयों में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न हुए हैं जिसकी वजह से झगड़े उत्पन्न हुए हैं । इस योजना में सुधार की आवश्यकता है । सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के मोटिव को प्राप्त करने की आवश्यकता है । इस योजना में प्रबन्धकीय लड़ाई झगड़े की वजह से शिक्षा कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है उसको सुचारु रूप से चलाने की आवश्यकता है । दूसरा सुझाव यह है कि शिक्षा का न्यायाधीकरण हो, जिससे न्यायालय में लम्बित मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो सके, तीसरा सुझाव है शिक्षा विनियामक आयोग का गठन करना है । यह अत्यंत ही आवश्यक है । क्योंकि जो प्राइवेट संस्थायें स्कूल कोचिंग चल रही हैं उन्होंने उद्योग का रूप ले लिया है और सरकार द्वारा आये दिन अध्यादेश, विधेयक कानून बनते हैं तो उनको रेग्यूलेट करने के लिए विनियामक आयोग की अत्यंत आवश्यकता है । मान्यवर, जो भी संस्थाएं चल रही है उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाय इससे शिक्षा के स्तर में सुधार होगा । चौथा सुझाव जो स्टेट के स्कूल हैं उसमें एसेसमेन्ट एक्रीडियेशन काउन्सिल बनाया जाय । ग्रेडिंग हों और उसी के माप के अनुसार वित्तीय मदद दी जाय । इससे जो नकल माफिया बन गये हैं उन पर रोक लगेगी । मान्यवर, जो विद्यालय 90 प्रतिशत रिजल्ट देते हैं उनको भी वही सुविधा है और जो दस प्रतिशत देते हैं उनको भी वही सुविधा है । इससे गलत लोगों का मनोबल बढ़ता है वित्तीय सहायता उनको ग्रेडिंग के हिसाब से दी जाय । मान्यवर, उच्च शिक्षा के लिये सुझाव है, जो सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट के द्वारा नेशनल ऐसेसमेंट एक्रीडियेशन काउन्सिल की स्थापना की गयी है उसके द्वारा केवल लखनऊ विश्वविद्यालय ने ही अपना मूल्यांकन करवा के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का काम किया है । स्टेट के और विश्वविद्यालयों ने इसका अनुसरण नहीं किया है । इनको ग्रेडियेशन के आधार पर वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी जाय ताकि पढ़ाई का स्तर अच्छा हो । मान्यवर, आज उच्च शिक्षा में प्रोफेशनल कोर्सेस की मांग बढ़ी है इसलिये विषयों को एप्लायड कोर्सेज के रूप में पढ़ाया जाय ताकि उसमें व्यापकता प्रदान हो सके यह सही है कि आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की रुचि कम होती जा रही है

मान्यवर, इसके लिए सरकार को शिक्षाविदों और विशेषज्ञों की एक शिक्षा कांग्रेस गठन करने की आवश्यकता है। जो समय-समय पर यह सुझाव देगी कि शिक्षा के उद्देश्य को कैसे संस्कारपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, आपने मुझे श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी द्वारा रखे गये शिक्षा के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इस कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप पहले भी मंत्री थे तो हमने उस वक्त आपको साधुवाद दिया था क्योंकि आपने कहा था कि नेट की परीक्षाएं जिस तरह से दिल्ली में होती हैं और हमारे यहां से परीक्षार्थी दिल्ली जाकर परीक्षा देते हैं उसकी व्यवस्था हम यही करेंगे। लेकिन आज तक उसकी परीक्षा नहीं हुयी है। नेट की परीक्षा नहीं कराई।

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, उसकी परीक्षा भी हो चुकी है लखनऊ में और रिजल्ट भी आ चुका है।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, एक जगह ही हुई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज तक कोई लड़का पास होकर नहीं निकला है। आज स्टूडेन्ट की स्ट्रेन्थ बढ़ती जा रही है। चाहे वह डिग्री कालेज हों या इण्टर कालेज हों। आज हम नए विद्यालयों को मान्यताएं देते जा रहे हैं लेकिन जो पुराने विद्यालय हैं जहां पढ़ाई अच्छी होती है। उनको और आगे बढ़ाने का काम नहीं किया जा रहा है। हमारे यहां शिबली महाविद्यालय है। सारे आजमगढ़ के लोग वहां एडमीशन के लिए जाते हैं। पहले एडमीशन मिल जाता था लेकिन आज एडमीशन आसानी से नहीं मिल पाता है। पहले 5 हजार छात्र पढ़ते थे, अब 13-14 हजार छात्र हैं लेकिन शिक्षकों को बढ़ाने का काम नहीं किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि छात्रों के हिसाब से शिक्षकों की सीटें बढ़ायी जानी चाहिए। आपने कहा कि नकल रोकने का काम किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में, गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र में कप्तान गंज इण्टर कालेज और महाराजगंज इण्टर कालेज हैं। शिबली कालेज हैं, वहां पर अगर जिसका सेंटर पड़ जाता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वहां पर कभी नकल नहीं होती है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे विद्यालयों को आगे बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए। एक बात और यह मैं कहना चाहता हूं कि आपने फीसों को बढ़ा दिया है। जो इण्टर कालेज, डिग्री कालेज हैं, टेक्नीकल कालेज हैं, टेक्नीकल एजुकेशन की फीस इतनी बढ़ा दी गयी है कि आज जो गरीब हैं, किसान हैं वह इस शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। मैं खुद भुक्तभोगी रहा हूं मेरे भाई डिग्री कालेज में एक क्लर्क हैं। उनका बेटा एम० बी० ए० में पास हुआ लेकिन काउंसिलिंग में उससे कहा जाता है कि 5–7 लाख रुपया लाओ तो एडमीशन होगा। हम जैसे लोग नहीं पढ़ा सकते तो जो किसान हैं, मजदूर हैं वह कैसे पढ़ा सकते हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसकी फीस कम कर दी जाए। आपसे मेरी गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके खेल को आप ले लें। मान्यवर, डिसिपलिन खेल के माध्यम से हो सकती है। प्राइमरी से लेकर डिग्री कालेज तक खेलों को जोड़ने का आप काम करें। इससे डिसिप्लीन बढ़ेगी। मान्यवर, हमारे गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र में मिलियागंज और महाराजगंज में कोई इण्टर कालेज या डिग्री कालेज लड़के लड़कियों का नहीं है इसकी व्यवस्था कराने का कष्ट करें। इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

मान्यवर, मैं शिक्षा मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जो लिपिक भर्ती होते थे वे वहीं से रिटायर हो जाते थे

उससे भ्रष्टाचार बढ़ता था और अध्यापकों के वेतन का बिल बिना पैसे दिये पास नहीं होता था उनका स्थानान्तरण करके मंत्री जी ने अभूतपूर्व काम किया है । मान्यवर, इसी तरह से विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति का औचक निरीक्षण करके उनके खिलाफ कार्यवाही करने का काम मंत्री जी ने किया है ताकि विद्यालयों में पूरे समय अध्यापक रहे और जो बीच में छोड़ कर जायें उनके साथ कार्यवाही हो । मान्यवर, हमारे यहां मेरठ में विद्या प्रकाशन हैं जहां एजेण्ट और दलालों को छोड़कर वे पैसा देकर अपनी पुस्तकों को खरीदने के लिए छात्रों पर दबाव डालते हैं । हालांकि प्रयास बहुत किया गया लेकिन मैनेजमेंट और प्रधानाचार्य के साथ सांठ-गांठ करके अपनी पुस्तकों और गाइड को खरीदने के लिए छात्रों पर दबाव डालकर उन्हें विवश करते हैं । मान्यवर, प्रवेश के समय छात्रों से अवैध धन वसूल कर के पीटीए० के नाम पर जायज संस्था बन गयी है । न उसका निरीक्षण होता कि कैश बुक बनी है और न ही रसीदें कट रही हैं । मान्यवर, पिलुसुवा में सर्वोदय इण्टर कालेज हैं, प्रधानाचार्य ने एक छात्र को मुर्गा बना दिया जिससे वहां झगड़ेबाजी बढ़ी इसलिए पीटीए० के छात्रों के हिसाब के निरीक्षण की बात है और उस पर अंकुश लगाया गया । मान्यवर, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती है अधिकांश प्रधानाचार्य उनसे कहते हैं कि क्या केवल छात्रवृत्ति लेने आते हो । उनके साथ ठीक प्रकार से व्यवहार करना चाहिए । मान्यवर, जो एडेड स्कूल हैं वहां जो शिक्षक रिटायर हो जाते हैं उनकी जगह नहीं भरी जाती । हमारे यहां फरीदनगर माध्यमिक विद्यालय में दो अध्यापक रह गये हैं वहां नियुक्ति की व्यवस्था हो ताकि छात्रों को लाभ मिल सके । मान्यवर, मोदीनगर से हापुड़ तक की दूरी 25 किमी० है कोई भी कन्या इण्टर कालेज नहीं है । माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि मोदीनगर और हापुड़ के बीच किसी एक स्थान पर कन्या इण्टर कालेज और विकास खण्ड धौलाना में एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज देने का व्यवस्था करें । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री विश्राम सिंह यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे माननीय पाण्डेय जी के कटौती, प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं । आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग में इस समय 4 प्रकार की लूट बड़े जोरों से चालू हो गयी है । पहली लूट तो यह है कि जो प्राइवेट फार्म भर रहे हैं उनसे लूटा जा रहा है क्योंकि आपने केवल एडेड विद्यालय को ही उन छात्रों का फार्म भरने की इजाजत दी है इसमें तमाम दलाल लोग लग गये हैं जो कहते हैं कि इस स्कूल से फार्म भरो पास हो जाओगे । 5-5 हजार छात्रों से लिया जा रहा है । दूसरी लूट यह हो रही है कि जो विद्यालय पहले केन्द्र थे हाई स्कूल/इंटर के उनसे 50-50 हजार रुपया इस बात के मांगे जा रहे हैं कि फिर स्कूल पर सेन्टर बना दिया जायेगा । तीसरी लूट कि अगर सेन्टर नहीं बना था अबकी सेन्टर बना दिया जायेगा और चौथी लूट यह हो रही है कि जो सेन्टर नहीं बनेगा उनके लड़के किस विद्यालय में लगाये गये ताकि पास हो जाये तो यह 4 प्रकार की लूट माध्यमिक शिक्षा विभाग में चल रही है । मेरा सुझाव है कि माननीय मुलायम सिंह यादव की तरह आप कर दें कि सारे मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को चाहे एडेड हो या अनएडेड हो सारे विद्यालयों को आप सेन्टर बना दें तो माध्यमिक शिक्षा विभाग की यह लूट खत्म हो जायेगी । दूसरा, असेवित विद्यालय की भावना यह थी कि जो इन्टीरियर इलाके हैं नदी नालों के इलाके में जहां बालिकाएं पढ़ नहीं पाती हैं उनको शिक्षा मिल जाय तो कोएजुकेशन तो वहां आपने कर दिया लेकिन जो आपने शर्त लगा दी लेडी टीचर की वह पढ़ाने को नहीं मिलती है । हमारे यहां हरपालपुर ब्लाक हरदोई से 40–45 कि०मी० दूर है मुख्यालय से वहां लेडी टीचर नहीं मिलती है इसलिए यह जो लेडी टीचर प्रिंसिपल हो यह कम्पलसरी है इसको खत्म कर दें और यह कर दें कि जो योग्य प्रिंसिपल मिल जायं उसको बना दें लेडी टीचर वाली शर्त हटा दें । तीसरा मान्यवर, बिलग्राम नगर तहसील मुख्यालय है वहां पर एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज है उसका भवन आज तक नहीं बना है

वह जर्जर प्राइवेट भवन में चल रहा है। उसको मैंने सदन में प्रश्न किया था तो आपने माना कि जर्जर विद्यालय है। उसके मालिक ने लिखकर दे दिया है कि यह हमारी बिल्डिंग गिर जायेगी तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे तो मेरा प्रस्ताव है कि अपने बजट से राजकीय जमीन तलाश करके भवन बनाने की कृपा करें। धन्यवाद।

* श्री रणवीर राणा–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आभारी हूं। मान्यवर, विपक्ष से भी एक सुझाव आया था हम पक्षवाले भी इस बात को मान रहे हैं। मेरा वह मानना है कि इस पर कुल बजट का 6 प्रतिशत जरूर खर्च होना चाहिये। अगर हम इतने फीसदी शिक्षा पर खर्च कर देंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार हो जायेगा। मान्यवर, इस पर खर्च करना बहुत जरूरी है। आज माहौल ऐसा है, हमारे सदन का हम सर्वसम्मति से शिक्षा पर बजट बढ़ा सकते हैं। सन् 1942 में सेकेण्ड वार हो रहा था, ब्रिटेन में निर्णय लिया गया कि हर विभाग में कटौती की जायेगी, और हर विभाग में कटौती की गयी, लेकिन शिक्षा के विभाग में कटौती नहीं की गयी। जब इसका कारण पूछा गया कि शिक्षा के बजट पर कटौती क्यों नहीं की गयी तब माननीय शिक्षा मंत्री का कहना था कि शिक्षा पर इसलिए कटौती नहीं कर सकते कि आज जो युद्ध हो रहा है उससे हमारा वर्तमान प्रभावित हो रहा है और अगर हम शिक्षा में कटौती करते हैं तो हमारा भविष्य अंधकार में चला जायेगा। आज अच्छा अवसर है शिक्षा पर बजट बढ़े। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि शिक्षा पर कुछ बढ़ जाये, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा मैं एक सुझाव देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को माननीय मंत्री जी जब मेरठ यूनिवर्सिटी गये थे तब उन्होंने देखा है कि मेरठ यूनिवर्सिटी में तीरंदाजी, राइफल सूटिंग, क्रिकेट, कुश्ती में बहुत सारे राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार छात्र लेकर आ रहे हैं। माननीय मंत्री जी भी गदगद हुए थे। मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं कि मेरठ में स्पोर्ट्स कालेज प्रस्तावित किया गया था। स्पोर्ट्स कालेज की जल्दी से जल्दी प्रगति करके उसको स्थापित करने का कष्ट करें।

*डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, अनुदान सं०–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान सं०–72 माध्यमिक शिक्षा विभाग, अनुदान सं०–73 उच्च शिक्षा विभाग जिस पर कटौती प्रस्ताव रखा गया है, उस पर मैं बल देता हूं। सारे जीव दो श्रेणी में आते हैं इनमें से एक है मनुष्य और दूसरा है जानवर। मनुष्य की बुद्धि विवेकशील बुद्धि होती है और जानवर की बुद्धि सहज बुद्धि होती है। सहज बुद्धि वह है जो पैदा होने के समय से लेकर मृत्यु के समय तक वैसी ही रहती है और विवेकशील बुद्धि पैदा होने के समय होती ही नहीं है और बाद में उसका विकास होता है। मान्यवर, यह विकास शिक्षा के द्वारा होता है। एक सिद्धांत बना था "बिन विद्या नर पशु समाना" मैं कहना चाहता हूं कि "बिन विद्या नर पशु से बदतर"। क्योंकि जानवर के बच्चे को यदि तालाब में डाल दिया जाये तो वह तैर कर निकल आयेगा मनुष्य के बच्चे को यदि तैरना न सिखाया जाये तो मर जायेगा। मनुष्य के बच्चे को यदि विवेक दिया जाये तो वह नाव बना लेगा और नदी पार कर लेगा, पुल बना लेगा और बिना दिक्कत के नदी पार कर लेगा और यदि नाव यहां है पुल वहां है उतरना कहीं और है तो वह हवाई जहाज बना लेगा और पार कर लेगा। यदि विवेक दिया जाये तो मनुष्य चार तरीके से नदी को पार करेगा। विवेक बुद्धि मनुष्य में भी दो तरह के भेद हैं एक वह मनुष्य है जो उत्पादन निर्माण की संस्कृति में संलग्न हैं दूसरे वह जो उपभोग की संस्कृति चला रहे हैं। अगर शिक्षा समान न होगी तो जो निर्धन है वह शिक्षा नहीं पा सकेगा। कहा गया है कि स्त्री और शूद्र को बुद्धि नहीं देनी चाहिए। मान्यवर, वेग बुद्धि के लिये आवश्यक है कि सभी को समान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षा मिले । देश की आजादी के बाद में समान शिक्षा का अवसर तो मिला लेकिन आज फिर वह युग आ गया है, फिर से वहीं संरचना रची जा रही है और वेग बुद्धि पाने के लिये दो तरह की शिक्षा नीति कर दी गई है । इस दोहरी शिक्षा नीति का परिणाम यह हो रहा है कि पढ़ाई इतनी खर्चीली हो गई है कि उत्पादन निर्माण की राह पर चलने वाले लोग पढ़ नहीं पायेंगे, वही पुराना सिद्धान्त फिर से लागू हो जायेगा । मान्यवर, मैं चाहूंगा कि सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाय और सारे सरकारी स्कूल हो, मान्टेसरी स्कूल कोई न हो और सारे बच्चों को एक समान कपड़े पहनने दिये जायें । या तो सभी बच्चे अच्छे कपड़े पहनें या फिर इस देश के हिसाब से जो पहनने की स्थिति है, उसके हिसाब से सभी वस्त्र पहनें और एक सा भोजन करें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, हम यह चाहते हैं कि दाखिले के लिये बड़ी प्राबलम होती है, चाहे जूनियर हाई स्कूल हो, इन्टरमीडिएट कालेज हो अथवा डिग्री कालेज हो, इस समस्या को दूर करने के लिये विद्यालयों को दो शिफ्टों में चलाया जाय, इसमें स्कूल का भवन और सामग्री वही रहेगी, केवल टीचर्स अलग होंगे । इसमें सुबह 7 से 12 तथा 1 से 5 बजे तक विद्यालय चलाया जा सकता है । जहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, जहां एडमीशन की समस्या ज्यादा है, वहां पर यह काम हो सकता है ।

मान्यवर, 1986 के पहले विद्यालयों को सवित्त मान्यता दी गई थी, उसके बाद वित्तविहीन मान्यता दी जा रही है । 1986 तक के जो विद्यालय थे, उनको अनुदान सूची पर ले लिया गया है, केवल 66 विद्यालय ऐसे हैं, जो अनुदान सूची पर आने से अभी वंचित हैं । पिछले साल इसका बजट भी रिलीज हुआ था, कार्यवाही भी चल रही है, प्रबन्धक और प्रधानाचार्यों को बुलाया भी गया था, मैं खुद भी प्रबन्धक हूं ।

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय को पुकार लेने पर)

डा० कोशल किशोर–

मान्यवर, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं । आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं ।

(कई अन्य सदस्यों द्वारा बोलने की अनुमति मांगने पर)

श्री अधिष्ठाता–

जो माननीय सदस्य रह गये हैं, वह लिखकर दे देंगे ।

डा० कौशल किशोर–

ठीक है, मान्यवर, आप समय नहीं दे रहे हैं, मैं बैठ जाता हूं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्यों ने मेरे कटौती प्रस्ताव के समर्थन में जो बातें रखी हैं, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं । सत्ता पक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने कटौती का विरोध किया है, उन्होंने प्रकारान्तर में एक तरह से मेरे कटौती प्रस्ताव का समर्थन ही किया है, इसलिये मैं उन सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं । मैं केवल दो सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा । मैं तो दो बजे तक बैठने वाला था मान्यवर, दो-एक सुझाव देकर अपनी बात खत्म करूंगा । मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो पद भरे नहीं गए हैं, उनकी भर्ती के लिए जो आपने प्रबन्ध किए हैं, आपका जो शिक्षा

चयन आयोग हो, उदार हो, जल्द से जल्द इन पदों को भरवायें । दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो असेवित क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें मान्यता देने में थोड़ी शिथिलता हो रही है उसमें तेजी लाई जाय । आजमगढ़ में एक कैलाश इण्टर कालेज है, किसान बालिका विद्यालय है माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उन्हें मान्यता देने का कष्ट करें । मान्यवर, एक आपके यहां राजद विद्यालय है इसमें माननीय स्पीकर साहब की फोटो छपी है मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करता हूं । दूसरी बात मान्यवर, यह जो राजकीय बालिका इण्टर कालेज है मकदहमपुर में उसमें केवल तीन अध्यापिकाएं हैं वहां अध्यापिकाएं दी जायं । हमारे यहां कुछ लड़के मान्यता को लेकर अनशन कर रहे हैं उस पर विचार कर लें । बहुत से सुझाव हैं मैं माननीय मंत्री जी को लिखकर के दे दूंगा । मान्यवर, हमारे यहां वाइस चांसलर की नियुक्ति होनी है तो मैं चाहता हूं कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति का चयन करके वहां पोस्ट कर दें । एक निवेदन है माननीय मंत्री जी से, यह शिक्षा बड़ा संवेदनशील मामला है और शिक्षा केवल रोजगारपरक नहीं होता बल्कि वह शिक्षा साहित्य का सृजन भी करता है । यह आज की शिक्षा भविष्य में हमारा इतिहास बनेगी, इसलिए इस शिक्षा में विशेष ध्यान दे करके इसको साहित्य सृजन के रूप में भी लें और इतिहास के रूप में भी इसको लें जिससे आने वाले काल में हमको कोसा न जा सके । इसलिए इसके व्यवसायी करण के साथ–साथ साहित्यीकरण करने पर बल दें । इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता–महोदय, पाण्डेय जी को आवश्यकता है, आप वह प्रश्न उनसे पूछ लें कि माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव को वापस लेते हैं या नहीं । ताकि औपचारिकता पूरी हो जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेते हैं या नहीं ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापस नहीं ले रहा हूं ।

सिंचाई, गन्ना विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, मा० शिक्षा, भाषा राष्ट्रीयकरण व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, सदन के दिन माननीय सदस्यों ने शिक्षा के उन्नयन के संबंध में, उसकी कठिनाइयों के निवारण के संबंध में, कमजोरियों के संबंध में, जो भी सुझाव दिए हैं, मैं एक–आध वाक्यों को छोड़कर उन सभी को, जो शिक्षा के लिए हितकर मानते हुए स्वीकर करता हूं । वह उचित है, पाण्डेय जी चले गये, एक और सदस्य चले गये, मैं उन दो बातों को स्वीकार नहीं करता इसलिए कि माननीय आजम खां साहब भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे । एक शिक्षा पर टैक्स लगाया जाये दूसरे शिक्षा में से आरक्षण खत्म किया जाये । यह दो सुझाव आये थे इसको मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आजम खां साहब भी इसे स्वीकार नहीं कर पायेंगे ।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माता प्रसाद पाण्डेय जी ने जो टैक्स लगाने की बात कहीं वह अपनी बात को बल देने के लिए कही कि अगर टैक्स भी लगाना पड़े तो तैयार हैं । उन्होंने अपनी बात पर वजन देने के लिए कही है । अगर ऐसा चाहते हैं कि सुझाव वापस ले लिया जाये तो मैं पाण्डेय जी की तरफ से इसको वापस ले रहा हूं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, बहुत से सदस्यों ने बजट को बढ़ाने की बात कही है। इसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं कि शिक्षा पर बजट अगर देखा जाये तो शायद 1952 में भी शिक्षा के बजट को बढ़ाने की बात कही गयी है। कम से कम 1974 से मैं सुन ही रहा हूं कि बजट बढ़ाया जाना चाहिए और आज जो आर्थिक स्थिति है, सही अर्थ में चिन्तनीय है स्थिति प्रदेश की जो है वह दूसरी है। सरकार के बजट से लगभग 23–24 लाख लोग वेतन पाते हैं, 17 करोड़ की आबादी, 23–24 लाख लोग विभिन्न स्वरूप में चाहे शिक्षक हों, रेगुलर कर्मचारी हों कुल संख्या इतनी ही है। हम सब जानते हैं कि जो राजस्व सरकार का वसूला जा रहा है वह 70–80 प्रतिशत इसी में जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहे जिस नाम से चलती है, मूल समस्या यह है कि सरकार का सारा, हमारा आपका समय भी देखें तो इन्हें सेवारत लोगों के काम में ही सबसे ज्यादा जाता है। दूसरे नम्बर पर जाता है जो सुविधा सम्पन्न समाज है। सारे जनप्रतिनिधि इसी में रहते हैं। सचिवालय की फाइलों का ट्रांजिक्शन देखे 75 प्रतिशत फाइलें केवल व्यक्तिगत कामों की और सर्विस प्रकरण के जाते हैं, समय शक्ति और धन उन पर खर्च हो रहा है जो सेवक कहलाते हैं। आम जनता जो सही अर्थ में टैक्स दे रही है उसका पूरा लाभ नहीं उठा पा रही है। बजट की मूल समस्या यह है और इस समस्या से कैसे उबरा जाये यह प्रश्न है। निश्चित रूप से जो बजट की आज की समस्या है आर्थिक स्थिति से किसी भी विषय में जितना धन चाहिए उतना धन जुटा पाना संभव नहीं हो पा रहा है लेकिन जो धन मिल पा रहा है जो व्यवस्था है उसी में कैसे सुधार लाया जाये। गरीबी में भी, कम क्षमता और साधन होते हुए भी व्यक्ति में अगर गुण है तो अधिक अच्छी तरह से रह सकता है। हमें यह अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है कि शिक्षा मे प्रशासनिक सुधार करके कैसे गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। यह लक्ष्य है। प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो, दुरुस्त हो, अंकुश लगाने का संकल्प है तो सुधार लाया जा सकता है, वही प्रस्ताव इस बजट के माध्यम से शिक्षा में लाने का कर रहे हैं। सदन और इस सदन के बाहर के लोगों का शिक्षकों का, शिक्षक संघों का सहयोग मिल रहा है जिससे उसमें सुधार होगा। दूसरी बात कही गई थी शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही कीजिए, इनके विरुद्ध कार्यवाही कीजिए, उनके विरुद्ध कार्यवाही कीजिए। पाण्डेय जी ने कहा कि दरोगा की तरह काम कीजिए। हम डंडे से शिक्षा विभाग को सुधारने के पक्षधर नहीं है। जहां चेतना शून्य हो गयी हो, जहां प्रेरणा काम न करे, जहां प्रोत्साहन काम न करे ऐसे लोगों के लिए दंड की व्यवस्था है। लेकिन विवेकशील लोगों के लिए नहीं। मुझे विश्वास है कि शिक्षा क्षेत्र में बहुत से लोग विवेकशील हैं उनसे आग्रह करके, सामाजिक भाव का आग्रह कराकर हम उच्च शिक्षा में सुधार लाएंगे। इसलिए दंडात्मक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। प्रबंधतंत्र विवाद की बात आई। ऐसे विवादों की संख्या 544 है। इस ओर ध्यान है। चुनाव की प्रक्रिया जो होती है उसमें चुनाव की दूसरी लिस्ट आ जाती है बाद में होता है कि गलत चुनाव हुआ पर्यवेक्षक भी होते हैं उसके बाद भी गलत चुनाव की बात उठाई जाती है। इसे देखना है। एक बात आई थी कि इंजीनियरिंग में सीटें खाली रह जाती हैं। पिछले साल तीन हजार सीटें खाली रह गई थीं उसका कारण यह है कि विभिन्न विषयों को इंजीनियरिंग में मान्यता मिली है लेकिन आजकल व्यवसाय या नौकरी के दृष्टिकोण से उनकी उतनी उपयोगिता नहीं है जिस कारण छात्र उन विषयों में प्रवेश नहीं लेता है और सोचता है अगली बार अच्छे विषय में प्रवेश ले लेगा। इसी कारण सीटें खाली रह जाती हैं। एक बात और कही गई कि आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से उच्च शिक्षा में छात्रों को प्रवेश दिया जाए। उच्च शिक्षा के बारे में एक बात का निश्चय करना पड़ेगा कि योग्य छात्रों को एक साथ पढ़ाया जाए या सब छात्रों को एक साथ पढ़ाया जाए। शासन की पहले से यह सोच रही है कि जो योग्य छात्र हों उनको प्राथमिकता मिले लेकिन कोई छात्र शिक्षा से वंचित न रह जाए। ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। इसी कारण ओपन यूनीवर्सिटी खोलनी पड़ी। प्राइवेट विद्यालयों की व्यवस्था करनी पड़ी। किसी को डिग्री से वंचित करने की स्थिति नहीं है। लेकिन हर

आदमी चाहेगा कि प्रवेश मिल जाए यह संभव नहीं है । आबादी बढ़ रही है उस आबादी की रफ्तार से कोई भी व्यवस्था बढ़ा पाना सम्भव नहीं है । यह सभी मानते हैं । यादव जी ने सेन्टर बनाने की बात कही । फारवर्डिंग सेन्टर बनाने में पैसा लिया जाता है यह भ्रष्टाचार है इसे रोकना चाहिए । वह ध्यान में है । एक्जामिनेशन सेन्टर वालों को इतना कम पैसा मिलता है, उसके बावजूद सेन्टर मिलने के लिए बेताब रहते हैं । कहीं न कहीं प्रलोभन की बात है । छात्र उसी विद्यालय में परीक्षा देना चाहते हैं जहां सेन्टर में उनको पास कराया जा सके । यह भी सामाजिक बुराई है इस भ्रष्टाचार को भी रोकेंगे । सारी चीजों को सुधारने में थोड़ा समय अभी लगेगा अभी तो उन सबको असफल करने में लगे हैं । जो पैसा देकर चाहे सेन्टर बना रहे हैं, चाहे सेन्टर खोज रहे हैं, उन सबको असफल करेंगे । सबका पैसा इस बार बेकार जायेगा, यह मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा । यह हमारा संकल्प है, यह हमारा प्रयास रहेगा । मैं समझता हूं कि सभी को जल्दी है । माता प्रसाद जी को जल्दी थी इसलिये वे चले गये । रिक्त पदों की बात कही गई और दोहरी व्यवस्था की बात कही गई । यह निश्चय ही चिन्तनीय विषय है और इस पर मैं आपसे सहमत हूं । यही एक क्षेत्र है कि जो नियुक्त करता है वह तनख्वाह नहीं देता है और जो तनख्वाह देता है वह नियुक्ति अधिकारी नहीं होता है । यह बात सही है कि जब प्रबन्धन कोई कार्यवाही करना चाहता है तो शिक्षक कहता है कि आपने नियुक्त नहीं किया है । जब शासन की तरफ से कार्यवाही होती है तो कहा जाता है कि आप नियुक्ति अधिकारी नहीं हैं । नियुक्ति नहीं की है आपने हमारी । मान्यवर, यही एक क्षेत्र हैं जिसमें आप पढ़ायें न पढ़ायें, आवें न आवें कोई भी इनक्रीमेन्ट में बाधा नहीं है । प्रोन्नति में कोई बाधा नहीं है । प्रोन्नत वेतन पाने में कोई बाधा नहीं है । कोई अडवर्स इन्ट्री नहीं । यही वर्षों से चल रहा है हम इसमें व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं । आप सबका सहयोग चाहिए । एक बहुत बड़ी बुराई को समाप्त करने जा रहे हैं । कहा गया कि शैक्षिक नेता आपसे सहमत हैं । उच्च शिक्षा में प्रचार्यों को, कुलपतियों को भी अपने अनुकूल बना लिया जो भी प्रस्ताव रखे, सब उससे सहमत हो गये जिससे आप परिवर्तन देख रहे हैं । यहां भी मैं आप सबको विश्वास में लेकर काम करूंगा । काम निकालने की रणनीति शिक्षा के हित में हो, समाज के हित में हो, छात्रों के हित में हो, इसको बनाकर अपनाई जायेगी । आप सबके सहयोग से इसमें विकास लाने का प्रयास करेंगे ।

श्री विश्राम सिंह यादव–

माननीय मंत्री जी लेडीज विद्यालय में लेडी प्रिन्सिपल का कम्पलशन है, इस पर विचार कर लें ।

श्री रियाज अहमद–

जो मैनेजमेंट का विवाद है, उसके लिये क्या करेंगे ? स्कूल प्रबन्धन समितियों का विवाद है, उसके बारे में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

एक निर्देश तो हमने दिया है जिस विवाद में कन्ट्रोलर नियुक्त है और चुनाव कराये जा सकते हैं उसमें जल्द से जल्द चुनाव करा लें । लेकिन इस समय लोगों की व्यस्तता का मूल कारण यह है कि इक्जामिनेशन फार्म के कलेक्ट करने और उन फार्म की चेकिंग में व्यस्तता है । 9वीं कक्षा के अनुपात में 10वीं में बहुत ज्यादा फार्म भरे गये हैं । उस पर कार्यवाही करना, उन विद्यालयों का सेन्टर न बनने के काम में लगे हैं । सेन्टर के जो भी मानक होंगे उसके अनुसार वह बनेंगे और इसकी सूचना जिलेवार अखबार में छपवा देंगे ताकि पता चल जाये कि जो सेन्टर बने हैं मानक के अनुसार बने हैं कि नहीं, इसको लोग देख लें ।

श्री रियाज अहमद–

आपने प्रबन्ध समिति के विवाद के बारे में नहीं बताया कि उसमें क्या करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जो विवाद है वह तो कोर्ट में चल रहा है। जहां 10 साल हो गये हैं, उनकी भी मानीटरिंग कर रहे हैं। अगर अधिकारी स्तर पर लम्बित हैं तो उनको भी निस्तारित करेंगे। 30 सितम्बर तक की डेट में यह विषय भी है। कोर्ट में जो विषय होगा वह हमारे बस में नहीं है। जहां कन्ट्रोलर है उसके पक्ष में जल्द से जल्द चुनाव कराने का प्रयास करेंगे।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

गाजीपुर जनपद में 200 फार्म गायब हो गया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

फिर से फार्म भरने की बात हो रही है। यह गाजीपुर की पुरानी विशेषता है। उस बाबू के विरुद्ध कार्यवाही की जाय जिसके पजेशन में वह फार्म थे।

इस बात की जांच कराई जाएगी और सारे फार्मों को निरस्त कराकर नये फार्म भराए जा रहे हैं।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जब मैं स्वयं पढ़ता था तब जो शिड्यूल कास्ट के विद्यार्थी होते थे....

(व्यवधान)

इनको शिड्यूल कास्ट से मतलब नहीं है। यह गम्भीर मामला है मैं आपसे सहयोग चाहता हूं जो मैं निवेदन कर रहा हूं मान्यवर, ऐसा होता था कि पहले शिड्यूल कास्ट के विद्यार्थी जब अपनी कक्षाओं में एडमीशन लेते थे तो फार्म–6 भरते थे और उसकी एजुकेशन फीस माफ हो जाती थी आज स्थिति यह है कि फार्म–6 नहीं भरवाया जाता है और उनसे ट्यूशन फीस ले ली जाती है। पता चलता है कि पालिटेक्निक कालेज, इंजीनियरिंग कालेज जो हैं, जहां उनकी एक हजार फीस पड़ती थी वहां 6 हजार फीस ली जा रही है तो अब फिर से पहले की तरह फार्म–6 भराकर शिड्यूल कास्ट से फीस न ली जाए। सिर्फ एडमीशन फीस ली जाए बहुत से मेधावी छात्र होते हैं फीस बढ़ा देने से एडमीशन नहीं ले पाते हैं जिनके पास पैसा होता है वह एडमीशन ले लेते हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सुझाव अच्छा है पुरानी व्यवस्था को पूर्वोत्तर दिखवा लेंगे अगर परिवर्तन नहीं हुआ है तो, सुझाव अच्छा है।

डा० वकार अहमद शाह–

हाईस्कूल और इण्टर कालेज के बच्चे जो एग्जाम देते हैं उनकी कापियां जो जंचती हैं वह संस्कृत के टीचर को साइंस की कापी और साइंस के टीचर को संस्कृत की कापी दे दी जाती है।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मैं अपने विभाग के बारे में ए टू जेड पालिसी सब जानता हूं जहां से जानकारी चाहते हों बता दें। मैंने निर्देश दिए हैं पहले शिक्षा परिषद् से सूची बनती थी एग्जामिनर का इसमें घपला होता था इस बार हर डी० आई० एल० कालेज में से सूची मंगाकर सब्जेक्ट लिखा जाएगा उसके वर्ग के हिसाब से शिक्षा परिषद् एग्जामिनर घोषित करेगी जो घपला होता था जो अनियमितता होती थी वह न हो कोई भी एग्जामिनर अपने जिले से बाहर नहीं जाएगा, जो जिस जिले के एग्जामिनर हैं उतनी क्षमता के अनुसार

कापियों को मूल्यांकन के लिए भेजा जाएगा । पहले एक जिले से दूसरे जिले में भेजा जाता था अब ऐसा नहीं होगा जब पहले दूसरे जिले में कापी जाती थी तो सेन्टर पर लोड अधिक होने के कारण, इसमें मूल्यांकन करा लिया जाता था तो उस परिस्थिति से निपटने के लिए यह व्यवस्था की गई है । मैं पूरा प्रयास करूंगा एक दूरदर्शी और साफ सुथरे तरीके से मूल्यांकन हो । यह हमारा प्रयास होगा । माननीय सदस्यों ने जो भाग लिया और अपने सुझाव दिए मैं उन सभी का आभारी हूं । माता प्रसाद जी का मैं विशेष रूप से आभारी हूं और सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं मैं उस पक्ष से आग्रह करूंगा कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें मैं उनके सुझाव को जो ईमानदरी से स्वीकार करने योग्य होंगे परीक्षण कराऊंगा और उनको लागू करने का प्रयास किया जाएगा । कटौती रखने का मुख्य उद्देश्य सुझाव देना और आलोचना करना होता है इसलिए इस प्रस्ताव को वापस ले लें । मैं आग्रह करूंगा कि पूरे बजट को सर्वसम्मति से पास करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने जितनी गम्भीरता से और जितने संक्षेप में माननीय सदस्यों की भावनाओं और जिन समस्याओं की ओर चर्चा में माननीय सदस्यों ने ध्यान आकृष्ट कराया, उन्होंने कुछ बहुत गम्भीर समस्या की ओर जो उनका वाक्चातुर्य है, अनुभव कौशल और कला है उसके आधार पर गम्भीर अनियमितताओं की बातों को दरकिनार करके प्रभावी ढंग से कुछ समस्याओं को वास्तव में स्वीकार करके समाधान करने की बात कही है इसका मैं धन्यवाद देता हूं । अगर वह हमारे सुझावों से सहमत होते तो विपक्ष की ओर से हम कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेते । एक बार भी उन्होंने यह नहीं कहा कि बजट बढ़ना चाहिए जो अनुदान की मांग में जितना मुनासिब वह समझते हैं, जितनी कमी पड़ रही है उसके हिसाब से वृद्धि कर देते तो हम अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेते । मैं तो यह कहूंगा कि इसका बजट बढ़ना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,07,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के

लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,25,62,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,53,21,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–39 भाषा विभाग

सिंचाई, गन्ना विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–39–भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,68,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–39–भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,68,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

कल तक के लिए स्थगित ।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 2 सितम्बर, 2002 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 39 सूचनायें प्राप्त हुई :–पहली सूचना श्री उदयराज यादव जी की जो वनस्पति घी एवं रिफाइण्ड आयल पर व्यापार कर न दिये जाने के कारण करोड़ों रुपये की राजस्व हानि के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

दूसरी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की जो प्रदेश के राजकीय इण्टरमीडिएट कालेजों में प्रवक्ता के पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

तीसरी सूचना डा० वकार अहमद शाह की जनपद बहराइच में बेसिक शिक्षा के गिरते हुए स्तर से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

चौथी सूचना श्री रामनरेश यादव की जो जनपद कुशीनगर में बाढ़ से हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पांचवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की है जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द में ग्रामीण पेयजल योजनाओं का जल स्तर गिरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

छठी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है जो जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक मिर्जापुर व कलान को फर्रुखाबाद की जगह पर जनपद शाहँजहांपुर में रखे जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

सातवीं सूचना श्री कमाल यूसुफ मलिक, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री बीजू पटनायक तथा श्री आदित्य विक्रम सिंह की पूर्वी उत्तर प्रदेश में भयंकर सूखे की स्थिति में नहरों में पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

आठवीं सूचना श्री ओंकार सिंह यादव एवं डा० वकार अहमद शाह की वाराणसी में एडीशनल डायरेक्टर यू०पी० पावर कारपोरेशन द्वारा सिक्ख धर्म की 'पांच प्यारों' का उल्लेख कर के सिक्ख धर्म को अपमानित किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

नवीं सूचना श्री धनंजय सिंह की प्रदेश के विद्यालयों में पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट एवं उत्तर प्रदेश एजुकेशन ऐक्ट में विरोधाभास होने के कारण विद्यालीय प्रबंधतंत्र में उत्पन्न विवादों के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

दसवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की ग्रेटर नोएडा में ताज एक्सप्रेस मार्ग योजना की मूल रेखा बदलकर राजस्व की करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचाये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

ग्यारहवीं सूचना श्रीमती अरूणा तोमर की जनपद कानपुर के सरसौल व विधुना ब्लाक में सर्वशिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत विद्यालयों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

बारहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया की जनपद गाजियाबाद के सर्वोदय इण्टर कालेज पिलखुआ में प्रबंधतंत्र द्वारा छात्रों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

तेरहवीं सूचना श्री महबूब अली की जनपद ज्योतिबा फूलेनगर के अमरोहा नगर परिषद् द्वारा भ्रष्टाचार किये जानें से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

चौदहवीं सूचना श्री ओम प्रकाश की जनपद गाजीपुर की जमानियां तहसील के ग्राम देहवल में बेसिक प्राइमरी पाठशाला की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पन्द्रहवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की देवी पाटन मण्डल के जनपद गोण्डा की वभनान गन्ना विकास समिति द्वारा जनपद गोण्डा के साथ सौ[illegible] व्यवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

सोलहवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की, जनपद आगरा में मंदिरों एवं स्कूलों के सामने खुले रूप से बिक रहे मीट की दुकानों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

सत्रहवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ के पुलिस चौकी भोगरिया को थाना बनाये जाने के संबंध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

अट्ठारहवीं सूचना श्री घनश्याम शुक्ला की जिला सहकारी बैंक, गोण्डा व बलरामपुर की शाखाओं को रिजर्व बैंक द्वारा लेन-देन पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

उन्नीसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ के गोपीनाथ लक्ष्मणदास रस्तोगी इण्टर कालेज के प्रांगण में पी०ए०सी०, बी०एस०एफ०, सी०आर०पी० के जवानों के रहने से शैक्षणिक कार्य में हो रही बाधा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

बीसवीं, सूचना श्री पी० के० राय एवं श्री राधेश्याम सिंह की जनपद कुशीनगर की तहसील तमकूही राज में बाढ़ पीड़ितों के साथ हो रहे भेद-भाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

इक्कीसवीं सूचना श्री रामजीत भारद्वाज, श्री प्रभु नारायण यादव की जनपद चंदौली की नवगढ़ के ग्राम कुबराडीह में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

बाईसवीं सूचना श्री रामकिशुन की जनपद चंदौली के आद्योगिक क्षेत्र रामनगर व साहूपुरी में स्थित कारखानों को चालू कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

तेईसवीं सूचना श्री राकेश सचान की उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था आलमबाग, लखनऊ के निदेशक द्वारा श्री मनोज सचान, सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर के साथ किये गये अभद्र व्यवहार के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

चौबीसवीं सूचना श्री घूरा राम की है जनपद मऊ के तहसील सदर के ग्राम मोलनापुर में चकबन्दी बन्दोबस्ती नक्शा गायब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

पच्चीसवीं सूचना श्री रामकरन आर्य की जनपद ललितपुर में पुनर्गठन पेयजल योजना में बिना टेण्डर के कार्य कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

छब्बीसवीं सूचना श्री बैजनाथ दुबे की जनपद बाराबंकी के बन्दी रक्षक देवमणि तिवारी के सेवा के समय विकलांग हो जाने पर सहायता न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

सत्ताईसवीं सूचना श्री जयराम विमल की जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की ग्राम सभा चौपई में पानी की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

अठ्ठाईसवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की जनपद हरदोई की गर्रा नदी के कटान के बाद खेतों में पड़े बालू को किसानों के द्वारा उठाने से रोकने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

उन्नतीसवीं सूचना श्री रियाज अहमद की है जो जनपद पीलीभीत के राम लुभाई सपहनी राजकीय महिला विद्यालय में कला संकाय की कक्षाएं खोले जाने की मांग के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

तीसवीं सूचना श्री शारदानन्द अंचल की है जो जनपद बलिया के सीयर में दोहरीघाट नहर की सफाई कार्य न कराकर फर्जी भुगतान कराने एवं समय से पानी न देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

इकतीसवीं सूचना श्री उमाशंकर कुशवाहा की जनपद गाजीपुर में स्वीकृत अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :–

1–श्री कौशल किशोर, 2–श्री आनन्द कुमार सिंह यादव, 3–श्री प्रमोद कुमार, 4–श्री दीनानाथ भास्कर, 5–श्री संजय गर्ग, 6–ठाकुर राजेन्द्र सिंह राणा, 7–श्री मदन गोपाल वर्मा

8–श्री समरपाल सिंह।

जनपद आगरा की खैरागढ़ तहसील में पानी की भयंकर कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रमेश कान्त लवानियां द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

आगरा जनपद की खैरागढ़ तहसील .....

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय सदस्य द्वारा दी गई नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद आगरा की खैरागढ़ तहसील में [पानी की कमी है किन्तु सम्पूर्ण जगनेर ब्लाक व खैरागढ़ ब्लाक का कुछ भाग पहाड़ी है। तहसील में पीने के पानी की कुछ टंकियां बनी हैं किन्तु अधिकतर बन्द पड़ी हैं अथवा आंशिक रूप से कार्य कर रही हैं, इसलिए शासन का करोड़ों रुपया बरबाद हो रहा है। पीने के पानी के लिए त्राहि-त्राहि हो रही है। अब तक की जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत तांतपुर नयागांव, नौनी, धुसियाना, बसई खैरागढ़, सरेधी व भाकर की पानी की टंकी जल आपूर्ति नहीं कर रही हैं और बन्द पड़ी हैं। ग्राम पंचायत चीत, कामारौल, दिगरौता, सरेण्डारिठौरी व सितौली की टंकी अधूरी पड़ी है अथवा आंशिक जल आपूर्ति कर रही हैं।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद आगरा की तहसील खैरागढ़ के विकास खण्ड जगनेर एवं खैरागढ़ में क्रमशः 562 एवं 825 नग हैण्डपम्पों कोअधिष्ठापित कराकर सम्बन्धित ग्रामों को पेयजल से संतृप्त किया जा चुका है। खैरागढ़ तहसील के अन्तर्गत निर्मित कुल 19 ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में 63 ग्राम सम्मिलित हैं, इसमें से आयला ग्राम समूह पेयजल योजना ग्राम पंचायत को स्थानान्तरित कर दी गई है। शेष 18 पाइप पेयजल योजनाओं में से 15 योजनाओं से नियमित जलापूर्ति की जा रही है, एक योजना सिंगरौली ग्राम समूह पेयजल योजना जनरेटर की सहायता से ग्रीष्म ऋतु में 3 माह तक चलाई गई। इन योजनाओं में कुल 44 नलकूप निर्मित हैं जिसमें से वर्तमान में 28 नलकूप चालू हैं। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं में 10 टंकियों से भी नियमित जलापूर्ति की जा रही है तथा 5 टंकियां निर्माणाधीन हैं जिसमें से 4 से सीधे पम्पिंग द्वारा जलापूर्ति की जा रही है।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3–नोटिस में उल्लिखित ग्रामों में पेयजल की स्थिति निम्न प्रकार हैं :–

ग्राम का नाम	अधिष्ठापित हैण्डपम्पों की संख्या	पाइप योजना की स्थिति	
		सम्बद्ध योजना	जलापूर्ति
1–तांतपुर	11	तांतपुर	बन्द
2–नयागांव	11	भारा	सीधे पंपिंग से
3–नौनी	24	नौनी	सीधे पंपिंग से
4–भाकर	15	भाकर	निर्माणाधीन
5–			
6–सरेधी	41	सरेधी	आंशिक
7–घुसियाना	13	नगलादूल्हे खां	निर्माणाधीन
8–चीत	19	चीत	चालू
9–कागा रोल	52	कागारोल	चालू
10–दिगरौता	48	दिगरौता	चालू
11–सरेन्धा	64	सरेन्धा	आंशिक
12–रिठौरी	19	रिठौरी	चालू
13–सितौली	14	सितौली	चालू

4–उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त दो योजनायें नामतः नगला दूल्हे खां एवं भाकर ग्राम समूह पेयजल योजना निर्माणाधीन हैं, जिसमें क्रमशः 3 एवं 4 ग्राम सम्मिलित हैं । नगला दूल्हे खां योजना शीघ्र चालू होने की सम्भावना है ।

5–उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के 5 जनपदों में सेक्टर रिफार्म योजना (जलनिधि) क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें से आगरा भी एक जनपद है । उक्त योजना के अन्तर्गत पेयजल से सम्बन्धित सभी कार्य सेक्टर रिफार्म योजना के अन्तर्गत ही जनपद में कराये जा रहे हैं ।

6–इस प्रकार से नोटिस में उल्लिखित ग्राम पेयजल से संतृप्त हैं तथा सम्बन्धित ग्रामों में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है ।।

जनपद फतेहपुर के कस्बा बिन्दकी में अनियमित विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में श्री समर पाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

जनपद फतेहपुर के कस्बा बिन्दकी .....

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

[बिन्दकी तहसील मुख्यालय पर उद्योग व्यापार मण्डल एवं उपभोक्ताओं द्वारा दिनांक 31-07-2002 को सायंकाल 8.00 बजे से प्रारम्भ किये गये आमरण अनशन बिन्दकी को वर्तमान में की जा रही 8 घंटे विद्युत आपूर्ति के विरुद्ध 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग हेतु किया गया था। बिन्दकी को ग्रामीण रोस्टर के नियमानुसार 8 घंटे की विद्युत आपूर्ति की जाती है, जो कि निर्धारित विद्युत आपूर्ति शेड्यूल के अनुरूप है। आवश्यकतानुसार कुछ स्थानों के जर्जर तार आदि बदलने की कार्यवाही तत्काल कर दी गई थी, किन्तु फिर भी 16 घंटे विद्युत आपूर्ति की मांग को लेकर आमरण अनशन तथा अन्त में रोड़ जाम की कार्यवाही की गई। उक्त रोड जाम को हटाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ अनशनकारियों को समझाने बुझाने हेतु घटना स्थल पर गये किन्तु रोड जाम हटाने हेतु अनशनकारियों द्वारा इन्कार किये जाने एवं नागरिक सुविधा बाधित करने के कारण कुछ अराजक प्रकृति के आन्दोलनकर्ताओं के विरुद्ध स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करा दिया गया। वर्तमान में इस क्षेत्र को नियमानुसार 8 घंटे विद्युत आपूर्ति पूर्ववत् की जा रही है।]

प्रदेश की प्रशासनिक सेवा के पी० सी० एस० संवर्ग में पदोन्नति में व्याप्त कुंठा को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में डॉ० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

प्रदेश की प्रशासनिक सेवा में कार्यरत .....

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

[भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्गीय पदों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में 70 पद जिला मजिस्ट्रेट के, 26 पद सचिव के तथा 12 पद प्रमुख सचिव के निर्धारित हैं। जिलाधिकारी, सचिव और प्रमुख सचिव के पद संवर्गीय पद है, जो भारत सरकार के स्तर पर निर्धारित किये गये हैं एवं इस व्यवस्था पर राज्य सरकार के स्तर पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नत अधिकारियों का अनुपात सभी प्रदेशों के लिए एक रूप में भारत सरकार द्वारा तय किया गया है। यदि सचिव एवं प्रमुख सचिव के पदों पर पी०सी०एस० अधिकारियों की सीधे तैनाती होने लगेगी तो पी०सी०एस० से आई०ए०एस० में प्रोन्नत अधिकारी विशेष सचिव एवं जिलाधिकारी जैसे कनिष्ठ पदों पर तैनात रह जायेंगे और जो पी०सी०एस० अधिकारी प्रोन्नति नहीं पा सकेंगे वे वरिष्ठ पदों यथा सचिव/प्रमुख सचिव के पद पर पदस्थ हो जायेंगे। इस प्रकार योग्यता एवं श्रेष्ठता के आधार पर प्रोन्नत का कोई महत्व नहीं रहेगा एवं अनावश्यक प्रशासनिक विसंगतियां उत्पन्न होगी।

2–जहां तक देश के अन्य राज्यों गुजरात, उड़ीसा, प० बंगाल, आसाम, गोवा और दिल्ली राज्यों में राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को जिला मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात किया जा रहा है और उसी के समान उत्तर प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्था किये जाने का संबंध है, अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किसी भी राज्य को राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को जिलाधिकारी के रूप में पदस्थ करने की अनुमित नहीं दी गयी है ।

3–कुल 467 के भारतीय प्रशासनिक सेवा का डर में भारत सरकार द्वारा 33 प्रतिशत पद प्रोन्नति हेतु निर्धारित किये गये हैं जिनकी संख्या–142 है । पी०सी०एस० काडर कुल 1252 पदों का है । 8 वर्ष की सेवा प्रोन्नति हेतु मात्र अर्हकारी सेवा है परन्तु प्रोन्नति पदों की उपलब्धता के आधार पर की जाती है । पी०सी०एस० के आई०ए०एस० में प्रोन्नति का आधार श्रेष्ठता है जिससे श्रेष्ठ पी०सी०एस० अधिकारियों को आई०ए०एस० में प्रोन्नति दी जा सके । पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में पदों के सृजन के फलस्वरूप पी०सी०एस० काडर में स्टैगनेशन की स्थिति उत्पन्न हुई थी परन्तु वर्तमान में कम संख्या में अधिकारियों का अधियाचन किया जा रहा है एवं यह स्थिति आगामी कुछ वर्षों में समय-समय पर बेहतर होती जायेगी ।

4–राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को आई०ए०एस० की प्रोन्नति में विलम्ब होने के दृष्टिगत पूर्व में रु० 18400–22400 एवं 22400–24500 का वेतनमान स्वीकृत किया गया । अन्य विभागों की राज्य स्तरीय सेवाओं की तुलना में राज्य सिविल सेवा की स्थिति बहुत अच्छी है । राज्य सिदिल सेवा की तुलना अखिल भारतीय सेवा से करने का कोई औचित्य नहीं है । भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं प्रदेश सिविल सेवा का गठन अलग-अलग उद्देश्यों के निमित्त किया गया है ।

5–चूंकि भारत सरकार द्वारा किसी भी राज्य को राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को जिलाधिकारी के रूप में पदस्थ करने की अनुमति नहीं दी गयी है । अतः ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार द्वारा पी०सी०एस० संवर्ग को जिलाधिकारी, सचिव एवं प्रमुख सचिव के पद पर तैनात किये जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है । ।

जनपद गाजीपुर में लिफ्ट कैनालों में जलापूर्ति को लेकर किए जा रहे धरना प्रदर्शन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

जनपद गाजीपुर किसानों द्वारा .....

(सार्वजनिक उद्यम मंत्री) श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

। मा० सदस्य द्वारा जनपद गाजीपुर की जमानिया पम्प हाउस तथा दूसरी लिफ्ट कैनाल यथा देवल, अमौरा, शायर, बरेजली, राजमल बांध, गहमर पूर्वी पम्प नहर, गहमर पश्चिमी पम्प नहर, के स्थापित क्षमता से नहीं चलने के बारे में सदन में नियम–51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है । मा० विधायक ने यह भी सूचित किया है कि इसका प्रमुख कारण समुचित रख-रखाव न होना है, जिस कारण से धान एवं गन्ने के फसलों के चौपट होने से किसानों के सामने जीविका का भयंकर संकट पैदा हो गया है इस सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :–

(1) **जमानिया पम्प नहर** :–जनपद गाजीपुर के तहसील जमानियां में गंगा नदी के दायें तट पर जमानियां पम्प नहर स्थित है । इसकी स्थापित क्षमता 1050 क्यूसेक है । जिसमें 150 क्यूसेक के

नोट । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

8 पम्प (एक स्टैन्ड बाई सहित) स्थापित है इस पम्प नहर का संचालन वर्ष 1990 में प्रारम्भ हुआ था तथा मार्च, 2002 तक प्रत्येक पम्प औसतन 26000 घण्टे से अधिक चलकर अपना उपयोगी जीवनकाल पूर्ण कर चुके हैं। इसी कारण प्रत्येक पम्प की परिकल्पित क्षमता लगभग 120 क्यूसेक रह गयी है। खरीफ 1410 फसली में इन पम्पों का संचालन कर पम्प नहर को चलाया जा रहा है तथा प्रणाली के समस्त 92 संख्या नहरों की टेल तक पानी पहुंचाया गया है।

पुराने पम्प एवं सम्बन्धित साज-सज्जा के पुनरोद्धार हेतु रु० 817 लाख की एक योजना तैयार की गयी है, जिसमें नाबार्ड से वित्त पोषण कराये जाने हेतु कार्यवाही प्रगति में है।

(2) **देवल पम्प नहर**:– अमौरा पम्प नहर, सायर पम्प नहर, बरेजली पम्प नहर, राजमल बांध पम्प नहर, गहमर पूर्वी पम्प नहर, गहमर पश्चिमी पम्प नहर, पम्प नहर वार स्थिति निम्नानुसार है :–

(अ) **देवालपम्प नहर**

यह पम्प नहर कर्मनाशा नदी पर स्थापित है इस पम्प नहर की क्षमता 20 क्यूसेक है तथा 10–10 क्यूसेक क्षमता के दो पम्प सेट स्थापित है नाबार्ड परियोजना के अन्तर्गत इन पम्प सेटों को बदला गया है।

(ब) **अमौरा पम्प नहर**

कर्मनाशा नदी पर स्थित पम्प नहर की स्थापित क्षमता 10 क्यूसेक है। नाबार्ड परियोजना के अन्तर्गत इस 10 क्यूसेक क्षमता के पम्प सेट को बदला गया है।

(स) **सायर पम्प नहर**

कर्मनाशा नदी पर स्थापित इस पम्प नहर की क्षमता 20 क्यूसेक है और इस पर 10–10 क्यूसेक क्षमता के दो पम्प सेट स्थापित हैं। नाबार्ड परियोजना के अन्तर्गत इस 10 क्यूसेक क्षमता के पम्प सेट को बदला गया है।

(द) **बरेजली पम्प नहर**

कर्मनाशा नदी पर पम्प नहर की स्थापित क्षमता 12.5 क्यूसेक है। एक पम्प 10 क्यूसेक क्षमता का तथा दूसरा 2.5 क्यूसेक के स्थान पर 5 क्यूसेक क्षमता का स्थापित है। नाबार्ड परियोजना के अन्तर्गत 10 क्यूसेक क्षमता के पुराने पम्प को बदल कर उसी क्षमता का नया पम्प लगाया गया था।

(क) **राजमल बांध पम्प नहर**

कर्मनाशा नदी पर इस पम्प नहर की स्थापित क्षमता 5 क्यूसेक है, और उक्त क्षमता का एक पम्प सेट स्थापित है।

(ख) **गहमर पूर्वी प्रम्प नहर**

गंगा नदी पर स्थित इस पम्प नहर की स्थापित क्षमता 20 क्यूसेक है, जिस पर 10–10 क्यूसेक क्षमता के दो पम्प स्थापित है। नाबार्ड परियोजना के अन्तर्गत पुराने पम्पों को बदलकर नये पम्प लगाये गये हैं।

(ग) **गहमर पश्चिमी पम्प नहर**

गंगा नदी पर स्थित इस पम्प नहर की स्थापित क्षमता 20 क्यूसेक है। इस पम्प नहर पर 10–10 क्यूसेक क्षमता के दो पम्प सेट स्थापित है। नाबार्ड परियोजना के अन्तर्गत पम्पों को बदल कर नये पम्प लगाये गये हैं।

. दिनांक 21-8-2002 को देवल पम्प नहर, अमौरा पम्प नहर, सायर पम्प नहर, बरेजली पम्प नहर एवं राजमल बांध पम्प नहर तथा दि० 26-8-2002 को गहमर पूर्वी एवं गहमर पश्चिमी पम्प नहर के निरीक्षण के समय सभी पम्पस् चल रहे थे । छोटी-मोटी यांत्रिक खराबी को दूर करने में लगे समय तथा नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण बार्ज को आगे-पीछे ले जाने में लगे समय को छोड़कर पम्प नहर विद्युत उपलब्धता के अनुरूप चली है ।]

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान निदेशालय, इन्दिरा नगर, लखनऊ में सहायक निदेशक के पद पर अनियमित नियुक्ति करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाई किये जाने के सम्बन्ध में श्री मयंकेश्वर शरण सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण .....

(सार्वजनिक उद्यम मंत्री) श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

[शासनादेश संख्या–5481/5–12–93–जी–212/92, दिनांक 13 मई, 1993 के द्वारा डा० नगेन्द्र लाल श्रीवास्तव की नियुक्ति संविदा पर राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, उत्तर प्रदेश इन्दिरानगर, लखनऊ में सहायक निदेशक के पद पर की गयी थी । उक्त नियुक्ति किये जाने के पूर्व इस पर महामहिम श्री राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया गया था ।

डा० नगेन्द्र लाल श्रीवास्तव ने सहायक निदेशक के पद पर दिनांक 30-6-93 को कार्यभार ग्रहण कर लिया था । डा० श्रीवास्तव की उक्त नियुक्ति सरकारी आवास न उपलब्ध होने की दशा में रु० 5400 प्रतिमाह नियत वेतन पर, सरकारी आवास न उपलब्ध होने की दशा में रु० 6000/- प्रतिमाह नियत वेतन पर थी तथा इस शर्त के अधीन थी कि इसमें कुल परिलब्धियों पर यथोचित वृद्धि पर शासन द्वारा वार्षिक विचार किया जा सकता है व संविदा की अवधि 05 वर्ष के लिये होगी तथा 03 माह की नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त भी किया जा सकता है ।

शासनादेश संख्या–1432/5–10–98–जी–55/98, दिनांक 06 मई, 1998 के द्वारा डा० नगेन्द्र लाल श्रीवास्तव जी उस समय प्रोफेसर के पद पर रु० 9860/- प्रतिमाह नियत वेतन प्राप्त कर रहे थे, को रु० 12000–375–16500 का वेतनमान स्वीकृत किया गया । यहां पर यह उल्लेखनीय है कि डा० नगेन्द्र लाल श्रीवास्तव को प्रोफेसर (एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग) के अस्थाई पद पर नियत वेतन रु० 9860/- पर नियुक्ति शासनादेश संख्या–977/5–12–96–3(आईपीपी–6)/91, दिनांक 07 मार्च, 1996 के द्वारा अन्य शर्तों के साथ इस शर्त के साथ नियुक्ति हुई थी कि नियुक्ति की अवधि, नियुक्ति की तिथि से परियोजना अवधि अर्थात् 30-9-96 अथवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, इनमें से जो भी पहले घटित हो, तक के लिए है । यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश दिनांक 06 मई, 1998 के ही द्वारा संस्थान के 05 अन्य शैक्षणिक पदों पर कार्यरत एसोसियेट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर को जो नियत वेतन में थे, को भी उनके पद के लिये स्वीकृत

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वेतनमान स्वीकृत किया गया था । यह आदेश विधिवत वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करके जारी किया गया था ।

डा० नगेन्द्र लाल श्रीवास्तव का वेतन निर्धारण रु० 9800 से बढ़ाकर रु० 24000/- कभी नहीं किया गया । यह सही है कि डा० ए०जी० रिज़वी निदेशक, संस्थान का पत्र शासन में प्राप्त हुआ था । उक्त पत्र के माध्यम से उन्होंने डा० नगेन्द्र लाल श्रीवास्तव के संबंध में यह अवगत कराया था कि वर्तमान पद पर नियुक्ति से पूर्व संस्थान में सहायक निदेशक के पद पर संविदा एवं नियत अवधि के लिये नियुक्त थे । डा० श्रीवास्तव की नियुक्ति पूर्व में रु० 5400/- नियत वेतन पर की गयी थी । तत्पश्चात रु० 3000–4500 के वेतनमान में कुल परिलब्धियों के समतुल्य धनराशि स्वीकृत की गयी थी । क्या पूर्व में डा० एन० एल० श्रीवास्तव जो संविदा पर थे, को नियमित वेतनमान का लाभ दिया जायेगा ? डा० ए०जी० रिज़वी ने अपने पत्र में यह नहीं उल्लेख किया था कि इस अवधि में सभी नियुक्तियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा था ।

जहां तक राजकीय सेवकों को देय अन्य लाभ जैसे–वरिष्ठता, जी०पी०एफ० आदि की कटौती का प्रश्न है, के संबंध में नियमान्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।]

जनपद गोण्डा में फर्जी मुहर एवं हस्ताक्षर द्वारा अंक पत्र बनाकर नियुक्तियां दिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

जनपद गोण्डा में फर्जी मुहर एवं फर्जी हस्ताक्षर .....

(सार्वजनिक उद्यम मंत्री) श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

[मा० सदस्यों द्वारा दी गई नियम–51 की सूचना में यह संज्ञान में लाया गया है कि प्रदेश में भाजपा–बसपा गठबन्धन की सरकार जब से आयी है तब से प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरा है । माध्यमिक शिक्षा परिषद् बोर्ड, उ०प्र०, इलाहाबाद के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 9/210 दिनांक 30-7-2002 को एक आदेश किया गया कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा संचालित प्रथमा मध्यमा अथवा अन्य उच्चतर परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ०प्र० द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के समतुल्य स्वीकार नहीं किये जायेंगे परन्तु जनपद गोण्डा में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अंक-पत्रों के आधार पर शिक्षा मित्रों को नियुक्तियां की गयीं हैं । जिससे हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों की उपेक्षा की गयी है । अधिकारियों की मिली भगत से गोण्डा जनपद में फर्जी मुहर व फर्जी हस्ताक्षर द्वारा फर्जी अंक-पत्र तैयार करके नियुक्तियां की जा रही हैं । इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर वक्तव्य की मांग की गयी है ।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश को साक्षरता में निरन्तर वृद्धि हो रही है और वर्ष 1991 में प्रदेश को कुल साक्षरता दर 40.71 प्रतिशत थी जो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 57.36 प्रतिशत हो गयी है । महिलाओं की साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । वर्ष 1991 में

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

महिलाओं की साक्षरता दर 24.37 प्रतिशत थी जो बढ़कर वर्ष 2001 में 42.98 प्रतिशत हो गई है। इससे स्पष्ट है कि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से साक्षरता दर बढ़ाने के सफल प्रयास किये गये हैं और वर्तमान में भी साक्षरता कार्यक्रमों के अतिरिक्त जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–II, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम III तथा सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे प्रदेश को पूर्ण साक्षर कराया जा सके। यह भी उल्लेखनीय है कि एक ओर जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हो रही है इसके बावजूद राज्य सरकार के प्रयास से साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा सरकार प्रदेश को पूर्ण साक्षर बनाये जाने हेतु पूर्ण रूप से कृत-संकल्प है।

3–जहाँ तक जनपद गोण्डा में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अंक-पत्रों के आधार पर शिक्षा मित्रों का चयन किए जाने का प्रश्न है इस संबंध में सूच्य है कि जनपद गोण्डा में शिक्षा मित्रों के रूप में दो अभ्यर्थियों को चयनित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी जांचोपरान्त उनका चयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है और इस विषय में आवश्यक निर्देश प्रदेश के सभी मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों को प्रसारित कर दिये गये हैं, जिससे इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो सके।]

श्री ओम प्रकाश, गाजीपुर–

मान्यवर, 21-8-2002 से 26-8-2002 तक यह पम्प अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं चले आप किसी अधिकारी को भेजकर दिखवा लें। पूर्वी व पश्चिमी गृह पर पम्प लिफ्ट कैनाल कहीं पर भी नहीं चल रहे हैं। यांत्रिक गड़बडी से। मान्यवर, बिजली के अभाव में जमानियां पम्प हाऊस नहीं चल रहा है बिजली की व्यवस्था ठीक करा दें। जहाँ ट्रांसफारमर की क्षमता कम है।

सिंचाई मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, हमने इसको समझ लिया है।

जनपद इलाहाबाद की तहसील हंडिया के प्रतापपुर में विद्युत पारेषण की अत्यधिक कठिनाई को देखते हुए 32 के० वी० ए० के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सूरत उपाध्याय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, जनपद–इलाहाबाद के .....

(सार्वजनिक उद्यम मंत्री) श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

[जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड प्रतापपुर के निकटवर्ती ग्रामों में विद्युत आपूर्ति के सुधार हेतु माननीय श्याम सूरत उपाध्याय जी ने इसी विकास खण्ड के ग्राम वारी में नये 33 के०वी० उपकेन्द्र का निर्माण करने के लिये अनुरोध किया है।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस समय विकास खण्ड प्रतापपुर (तहसील हंडिया) के निकटवर्ती ग्रामों को निर्धारित 8 घण्टे की विद्युत आपूर्ति कटहरा स्थित 33 के०वी० उपकेन्द्र से की जा रही है । 33 के०वी०उपकेन्द्र कटहरा से विकास खण्ड प्रतापपुर की दूरी अधिक होने के कारण 11 के०वी० पोषकों पर स्थानीय स्तर पर होने वाले विद्युत व्यवधान से इंकार नहीं किया जा सकता ।

क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति में और सुधार हेतु नये 33 के०वी० उपकेन्द्र के निर्माण के लिये सक्षम तकनीकी समिति से क्षेत्र का परीक्षण कराया जायेगा । यदि प्रस्तावित स्थल पर नये उपकेन्द्र का निर्माण तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त एवं वित्तीय दृष्टि से लाभकारी होगा तब संसाधन की उपलब्धता तथा कार्यों की वरीयता के अनुसार नये उपकेन्द्र के निर्माण पर विचार किया जायेगा ।]

जनपद प्रतापगढ़ की कोतवाली कुण्डा के बसहीपुर ग्राम में एक युवा महिला को निर्वस्त्र कर अपमानित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ ।

(सार्वजनिक उद्यम मंत्री) श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ [से प्राप्त सूचना के अनुसार थाना कोतवाली कुण्डा, ग्राम बसहीपुर निवासिनी महिला श्रीमती रूपा देवी को श्री हरि ओम शंकर तथा नन्हें सिंह एवं सुभाष केसरवानी द्वारा मारने-पीटने एवं उसके साथ बलात्कार किये जाने के संबंध में अनेकों शिकायती प्रार्थना-पत्रों को श्रीमती रूपा देवी द्वारा दिये जाते रहे हैं । प्रार्थना-पत्र पर जांच तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अवध बिहारी राकेश जो अनुसूचित जाति के थे, द्वारा दिनांक 29-6-2002 को की गई थी और उक्त प्रार्थना-पत्र को संबंधित आरोपित व्यक्तियों दिनांक 15-5-2002 द्वारा गाड़ी में बिठा कर अपरिचित स्थान पर ले जाने, कई दिनों तक शारीरिक शोषण करने और पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने के आरोप असत्य पाये गये । इसकी शादी चार वर्ष पूर्व हुई थी लेकिन ससुराल में अपने पति तथा उसके परिवार के सदस्यों से अनबन होने के कारण अपने मैके चली आई और माता-पिता की मर्जी के विरुद्ध अंजान व्यक्तियों के साथ चली जाती थी । इस कृत्य पर उसके माता-पिता तथा दादा ने अंकुश लगाना चाहा तो वह कस्बा कुण्डा में श्री राजनारायण उर्फ लल्लू पुत्र शिव दर्शन, करेटी रोड के मकान में रहने लगी और इसके मकान मालिक द्वारा अवांछनीय तत्वों के आवागमन पर मकान से निकाल दिया गया । तदोपरान्त यह महिला अवांछनीय तत्वों के साथ भिन्न-भिन्न स्थानों पर रहने लगी । क्षेत्राधिकारी, कुण्डा ने जांच के मध्य में रूपा देवी द्वारा लगाये गये आरोप निराधार, असत्य पाये गये और उल्लेख किया गया कि रूपा देवी पुनः विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से मशविरा करके भिन्न-भिन्न आरोप लगाकर शासन से आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु पत्र देती रहती है ।

दिनांक 05-7-2002 को रूपा देवी के एक अन्य पत्र पर जांच क्षेत्राधिकारी, कुण्डा श्री चंद्रिका सिंह द्वारा की गई जिसमें उसने दिनांक 06-3-2002 को नन्हें सिंह व सुभाष केसरवानी द्वारा उसे बुरी नीयत से

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पकड़ने की शिकायत की गई जिस पर मु०अ०सं०–68/2002 धारा–354 भा०द०वि० व 3(1)10, एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट थाना कुण्डा में पंजीकृत हुआ । दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना के बाद आरोप-पत्र दिनांक 13-6-2002 को न्यायालय भेजा गया । दिनांक 13-5-2002 को उपरोक्त दोनों अभियुक्त व उनके साथ हरि ओम शंकर श्रीवास्तव द्वारा जबरदस्ती जीप में बैठा कर ले जाने कई दिनों तक बलात्कार करने एवं दिनांक 19-5-2002 को छोड़ने के आरोप के बारे में क्षेत्राधिकारी, कुण्डा को जांच के समय कोई ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं हुए ।

इसी संबंध में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, लखनऊ को दिनांक 25-7-2002 को प्रस्तुत श्रीमती रूपा देवी के प्रार्थना-पत्र जिसमें दिनांक 13-5-2002 की घटना का उल्लेख किया गया था, पर अपर पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा जांच कराई गई और उनकी जांच आख्या दिनांक 21-8-2002 में आवेदिका को पकड़के कथित स्थान से करीब 100 कदम की दूरी पर वल्दीपुरवा मौजा मौली के लोगों ने पूछने पर घटना की कोई जानकारी नहीं होना बताया । इसी बीच उक्त घटना के बारे में थाना कुंडा में पंजीकृत मु०अ०सं०–129/2002 धारा–364/342/376/506 भा०द०वि० व 3(2) पांच एससी/एसटी ऐक्ट के अन्तर्गत दिनांक 20-8-2002 को पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी, लालगंज श्री आर० के० सोनकर द्वारा की गई । श्री सोनकर द्वारा भी अपनी विवेचना में अपराध के घटित न होने के कारण अंतिम रिपोर्ट आख्या मय अपराध विलोपन आख्या दिनांक 27-8-2002 को प्रेषित की गई है ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकरण के संबंध में पर्याप्त जांच एवं विवेचनाएं हो चुकी हैं और राजनैतिक दवाव विवेचनाधिकारी/स्थानीय पुलिस पर नहीं रहा और सभी जांच/विवेचना पूर्ण निष्पक्षता के साथ सम्पन्न की गई हैं और अन्य किसी जांच की आवश्यकता नहीं है । ।

जनपद आगरा में ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र में मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत समस्त ग्रामों का विद्युतीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में चौधरी बाबूलाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

माननीय उच्चतम न्यायालय .....

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय उच्चतम न्यायालय [के आदेशों का अनुपालन करते हुए ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है कभी-कभी स्थानीय विद्युत दोष होने के कारण विद्युत आपूर्ति में कुछ समय का व्यवधान हो जाता है, जिसे तात्परता से दूर कर विद्युत आपूर्ति को सामान्य कर दिया जाता है । जो ग्रामीण क्षेत्र ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं वहां पर नियमानुसार वर्तमान में लगभग 8 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाती है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वर्तमान में ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र में रु० 39.09 करोड़ की योजना पर कार्य चल रहा है, जिसके अन्तर्गत ताजमहल से 20 किलोमीटर एवं फतेहपुर सीकरी की दरगाह से 15 किलोमीटर की परिधि के सभी ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण किये जाने का प्राविधान है । इस योजना के अन्तर्गत चरणबद्ध तरीके से ताजमहल के पास के ग्रामों/मजरों का प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण कराया जा रहा है तथा ताजमहल से अधिक दूरी पर स्थित ग्रामों व मजरों का विद्युतीकरण तत्पश्चात् कराया जाना प्रस्तावित है । ताजमहल/फतेहपुर सीकरी से 20/15 किलोमीटर की परिधि के अन्तर्गत 198 कोडीफाइड ग्रामों व 772 मजरों में से जुलाई, 2002 तक 158 कोडीफाइड ग्रामों एवं 269 मजरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है । रु० 39.09 करोड़ की योजना की राशि में से उपरोक्तानुसार सभी ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण कराया जाना सम्भव नहीं है । अतः रु० 14.00 करोड़ की एक अन्य योजना भी शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा चुकी है, जिसकी स्वीकृति होने एवं आवश्यक धन की प्राप्ति के उपरान्त ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार 20/15 किलोमीटर की दूरी में स्थित ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण सम्भव हो सकेगा ।]

प्रदेश में जैन धर्म अनुयायियों को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत् दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

केन्द्रीय अधिनियम .....

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

केन्द्रीय अधिनियम [द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग गठित किया गया है । उसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य में भी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है और केन्द्र सरकार द्वारा जिन समुदायों को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया है उन्हीं समुदायों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी अल्पसंख्यक अधिसूचित किये जाने की नीति अपनाई गयी है । इस प्रकार अभी तक निम्न समुदाय अल्पसंख्यक अधिसूचित किये गये हैं ।

1–मुस्लिम

2–ईसाई

3–सिक्ख

4–बौद्ध

5–पारसी

नोट :–[ ] वह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जैन समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में समय-समय पर प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं इन प्रत्यावेदनों पर विचार करने हेतु विभाग द्वारा न्याय विभाग की राय ली गयी। न्याय विभाग की राय के अनुसार यह उचित पाया गया कि जैन समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विभाग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग/केन्द्र सरकार से विचार-विमर्श करके अग्रिम कार्यवाही करेगा। तदनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारत सरकार को लिखा गया है परन्तु उनके द्वारा अभी तक अपने निर्णय से राज्य सरकार को सूचित नहीं किया गया है।

माननीय सदस्य द्वारा कहा गया है कि महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग घोषित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ऐसी कोई जानकारी विभाग को नहीं है।]

जनपद खीरी की मोहम्मदीपुर तहसील में सूखे से उत्पन्न टिड्डी प्रकोप को रोकने के उपाय किये जाने के सम्बन्ध में श्री बंशीधर राज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

गन्ना विकास विभाग .....

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

गन्ना विकास विभाग [एवं घाघरा शुगर मिल, अजबापुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे संयुक्त सर्वेक्षण के समय जुलाई, 2002 के द्वितीय सप्ताह से अब तक तहसील–मोहम्मदी के 13 ग्रामों के 16.340 हेक्टेयर क्षेत्रफल में टिड्डी कीट का प्रकोप पाया गया। क्षेत्र में टिड्डी कीट के प्रकोप के आंकलन हेतु सर्वेक्षण जारी है।

गन्ने की फसल में टिड्डी कीट के प्रकोप की जानकारी प्राप्त होने पर सरकार एवं चीनी मिल अजबापुर के सहयोग से संयुक्त प्रयास प्रारम्भ किये गये, जिसके अन्तर्गत इस कीट के रोकथाम के लिये अब तक 79 कृषकों को 1153 किलो ग्राम फैनवलरेट डस्ट, 10 कृषकों को 78.23 कि०ग्रा० फालीडाल डस्ट तथा 5 कृषकों को 78 कि०ग्रा० मिथाइल पैराथियान 2 प्रतिशत डस्ट उपलब्ध करायी जा चुकी है। घाघरा शुगर मिल के हरियाली किसान बाजार एवं किसान सेवा केन्द्र मैगलगंज–मोहम्मदी पर फेनवलरेट डस्ट, मिथाइल पैराथियान 2 प्रतिशत डस्ट तथा गन्ना समिति जे०बी०गंज के भण्डार में भी मिथाइल पैराथियान डस्ट उपलब्ध है।

किसानों की गन्ने की फसल में टिड्डी कीट के प्रकोप की सूचना मिलने पर गन्ना विकास विभाग एवं क्षेत्र की घाघरा चीनी मिल के अधिकारी/कर्मचारी सतर्क हैं तथा गन्ना किसानों को टिड्डी कीट के नियंत्रण के विषय में गन्ना शोध परिषद के वैज्ञानिकों के माध्यम से जानकारी भी दी गयी है। गन्ना

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विभाग द्वारा कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर, इस कीट के नियंत्रण हेतु राजकीय कृषि रक्षा इकाइयों पर कीटनाशकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करायी गयी है। किसानों को जागरूक किये जाने हेतु पम्पलेट छपवाकर वितरित किये गये हैं, जिसमें टिड्डी कीट के नियंत्रण की जानकारी प्रचारित करायी गयी है। सम्प्रति टिड्डे से प्रभावित 16.340 हेक्टेयर क्षेत्र नियंत्रित किया जा चुका है।

क्षेत्र में सूखे के प्रभाव की रोकथाम के लिये गन्ना विकास विभाग एवं घाघरा शुगर मिल के द्वारा जे० बी० गंज में सूखा राहत केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिस पर कृषकों को राहत के रूप में उनकी मांग पर 711 लीटर डीजल उनके अवशेष गन्ना मूल्य के विरुद्ध उपलब्ध कराया जा चुका है।

तहसील–मोहम्मदी में कुल चलित नलकूपों की संख्या–344 है। चलित नलकूपों में से 39 नलकूप अस्थायी रूप से बन्द हैं, जिनमें से 14 यांत्रिक दोष से बन्द हैं, जिन्हें 02-09-2002 तक चालू किया जाना प्रस्तावित है। विद्युत दोष से 25 नलकूप बन्द हैं। इन्हें चालू करने के लिये विद्युत विभाग के अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क कर चलाने का प्रयास किया जा रहा है।

सरकार किसानों की फसलों को सूखे के प्रभाव एवं टिड्डी कीट के प्रकोप से बचाने हेतु सतत् प्रयत्नशील है एवं कृषकों को यथासम्भव राहत पहुंचाने का प्रयास कर रही है।]

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार को स्थगित कर लिखित परीक्षा कराने एवं सभी वर्गों को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

ग्रेटर नोयडा .....

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुखदेव राजभर–

[औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए दिनांक 11-4-2001 के शासनादेश द्वारा 126 पदों के सृजन की अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की गई थी कि उक्त पद प्राधिकरण में यथा स्थिति प्रोन्नति द्वारा अथवा संविदा के आधार पर योग्यता एवं अर्हता के आधार पर अन्य विभागों के सरप्लस कर्मचारियों को नियुक्ति कर भरे जायेंगे। सीधी नियुक्ति केवल अन्य विभागों के सरप्लस कर्मचारियों के उपलब्ध न होने पर ही संविदा के आधार पर की जायेगी। तद्नुसार प्राधिकरण में सभी श्रेणियों में प्रोन्नति के पदों पर आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों की प्रोन्नति की गई है। जहाँ तक सीधी नियुक्ति का प्रश्न है उक्त शासनादेश दिनांक 11-4-2001 में अन्य विभागों के सरप्लस कर्मचारियों

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के उपलब्ध न होने पर ही केवल संविदा के आधार पर नियुक्ति के निर्देश थे, इस कारण उक्त शासनादेश के उपरान्त ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में कोई सीधी नियुक्ति नहीं की गई । दिनांक 26-6-2002 के शासनादेश द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 11-4-2001 में संशोधन करते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति से रोक हटा लिये जाने का निर्णय लिया गया और यह निर्देश दिया गया कि ग्रेटर नोएडा में उक्त शासनादेश दिनांक 11-4-2001 एवं पूर्व में अन्य शासनादेशों द्वारा सृजित पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति की कार्यवाही की जाये तथा मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में भर्ती के समय खनिज विकास निगम के आरक्षित श्रेणियों के कर्मचारियों पर भी विचार कर लिया जाय । तद्नुसार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में अनुसूचित जाति के पूर्व से रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

कार्मिक विभाग के दिनांक 03-7-2002 के शासनादेश के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलाग को पूरा करने हेतु निर्देश जारी किये गये और इसी क्रम में कार्मिक विभाग के दिनांक 11-7-2002 के शासनादेश द्वारा समूह "घ" के सीधी भर्ती/पदोन्नति के आरक्षित वर्गों की बिना भरी रिक्तियों के बैकलाग को पूरा करने हेतु कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 3-11-1997 द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध को उक्त सीमा तक शिथिल किया गया । तद्नुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा समूह "घ" के सफाई कर्मचारी के 03 पद, उद्यान कर्मी के 14 पद अनुसूचित जाति एवं 01 अनुसूचित जनजाति, वर्कमिस्त्री 01 पद, इलेक्ट्रीशियन/रेफ्रीजेरेटर 01 पद, मैट 02 पद, बेलदार 05 पद एवं सहायक मैकेनिक कम आपरेटर 06 पद कुल 33 पदों हेतु राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र "अमर उजाला" (हिन्दी), राष्ट्रीय सहारा (हिन्दी) तथा दि हिन्दू (अंग्रेजी) में विज्ञापन जारी कराये गये जो दिनांक 21-7-2002 को प्रकाशित हुए, जिसमें आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 05-8-2002 रखी गयी । उक्त विज्ञापित पदों के विरुद्ध कुल 2792 आवेदन प्राप्त हुए । अतएव मा० विधान सभा सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी अपनी सूचना में दर्शायी गयी 32 हजार की संख्या सही नहीं है । उक्त पदों को भरने एवं बैकलाग को पूरा करने हेतु साक्षात्कार दिनांक 03-9-2002 से 7-9-2002 तक चयन समिति द्वारा किया जायेगा । राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जारी प्रमाण-पत्र विषयक कार्मिक विभाग के दिनांक 03-7-2002 के शासनादेश के प्रस्तर–3 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर पूर्ववत् जाति प्रमाण-पत्र आरक्षण का लाभ पाने के लिए जारी किये जाने के निर्देश के अन्तर्गत ही विज्ञापन में नोएडा प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मांगे गये जो पूर्णतया शासनादेशों के अनुरूप है । अतः मा० विधान सभा सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी उक्त सूचना में वर्णित एतद्विषयक तथ्य सही नहीं है एवं मात्र चर्चा पर आधारित है । समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 के प्राविधानों के अनुसार समूह "घ" के पदों पर नियुक्ति हेतु गठित समिति द्वारा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार द्वारा ही चयन किया जाना उल्लिखित है और इसके लिए किसी लिखित परीक्षा का प्राविधान नहीं है । अतः नोएडा प्राधिकरण में प्रारम्भ की गयी भर्ती की प्रक्रिया पूर्णतया शासनादेशों के अनुरूप है ।]

प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति पर स्थगित की गई चर्चा की तिथि का निर्धारण

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 35 कल के स्थान पर 4 तारीख को होगी । अब हम उठते हैं कल 3 तारीख को पूर्वाह्न 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 4 बजे ..... अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 2 सितम्बर, 2002

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए तारा० प्र०सं०–4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 21 पर)

मा० मंत्रिगणों के जेब-खर्च एवं जलपान पर हुए व्यय का विवरण :–

क्रमांक	मा० मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का नाम	जेब-खर्च का विवरण	जलपान खर्च का विवरण
1	श्री लालजी टण्डन	5,325.00	17,690.00
2	श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी	16,100.00	30,997.50
3	श्री ओम प्रकाश सिंह		26,260.00
4	श्री कैलाश नाथ यादव	30,000.00	21,546.00
5	श्री राम प्रकाश त्रिपाठी	28,200.00	32,335.00
6	श्री इन्द्रजीत सरोज	29,750.00	39,410.50
7	श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह	30,000.00	23,575.00
8	श्री सुखदेव राजभर	30,000.00	27,587.00
9	श्री हुकुम सिंह जी		48,685.00
10	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य		68,995.50
11	श्री कौकब हमीद	29,500.00	26,723.50
12	श्री रामवीर उपाध्याय		38,547.00
13	श्रीमती अनुराधा चौधरी	7,500.00	17,942.00
14	श्री लालजी वर्मा	22,000.00	10,259.50
15	श्री रवि गौतम	45,000.00	20,273.00
16	श्री ठाकुर जयवीर सिंह	10,000.00	23,807.50
17	श्री बाबूराम एम०काम०	45,000.00	41,097.00
18	श्री जगदीश नारायण राय	30,000.00	31,742.00
19	डा० सीमा रिजवी	44,950.00	18,580.50
20	श्री अनीस अहमद खान	27,000.00	41,191.50
21	श्री अक्षयवर लाल गौड़	30,000.00	19,759.00
22	श्री रामभुआल निषाद	30,000.00	32,169.00
23	श्री धर्मवीर सिंह अशोक (पूर्व कारागार मंत्री)	44,990.00	12,139.00
	कुल रु०–	5,35,315.00	6,71,312.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०–26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या–26 का संलग्नक

वर्ष 2000-2001 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण :–

क्र०सं०	विकास खण्ड	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रु० में)
1	2	3	4
1	असोथर	1–गढ़ी रोड से मवइयाँ तक खड़न्जा ।	3.18
		2–सेबरामऊ से गोकन तक मिट्टी पुराई ।	3.48
		3–अन्दीपुर से बेरुई सम्पर्क मार्ग, मिट्टी/खड़न्जा ।	8.30
		4–मौना केवट (देवलान ग्राम) के घर के पास से औगासी रोड तक खड़न्जा।	3.22
		5–असौधर जरौली रोड से रामनगर कौहन तक मिट्टी/पुलिया ।	3.91
		6–बांदा सागर रोड से भोलेबाबा के मन्दिर तक खड़न्जा।	1.01
		7–ऐकी के मजरा लखनहा से अघनहरा तक खड़न्जा ।	4.94
		8–परसेठा में पुलिया निर्माण ।	0.93
		9–सुसवन बुजुर्ग में मुख्य मार्ग से रामसरन पाल के दरवाजे तक मिट्टी/पुलिया ।	0.799
		10–उरौली में सड़क से ग्राम तक मिट्टी/पुलिया ।	1.290
		योग :–	31.059
2	तेलियानी	1–बिलन्दपुर प्रा० पा० के उत्तर पंचायत भवन व स्टेट ट्यूबेल तक मिट्टी/खड़न्जा ।	1.76
		2–जू० हा० कोंधी के पास से मदारीपुर तक मिट्टी/खड़न्जा ।	1.76
		3–जोनिहा रोड से त्रिलोकीपुर हरिजन बस्ती तक मिट्टी//खड़न्जा ।	1.14
		4–रामपुर पवमिटा से दावतपुर मिट्टी/खड़न्जा ।	1.857
		5–झाऊभेवनीपुर मार्ग पर मिट्टी ।	0.468

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
		6– हसनपुर सानी गांव से नाला की खुदाई/दो पुलिया ।	0.959
		7–आदमपुर सम्पर्क मार्ग से कुर्मिनपुरवा तक खरंजा एवं एक पुलिया ।	4.503
		8–आदमपुर मार्ग से दिखतनपुरवा तक खरंजा/पुलिया ।	2.71
		9–झाऊभवनीपुर सड़क पुलिया से ग्राम माधवपुर में पूरन के दरवाजे तक मिट्टी ।	0.574
		10–ग्राम मेवली प्रा० पा० के मुख्य गेट पर पुलिया ।	0.595
		11–मियामऊ ग्राम पंचायत में छोटे नाले में दो पुलिया ।	0.568
		12–असवार तारापुर से ईसापुर मिट्टी/खरंजा ।	9.39
		13–मुगलगेट से कोराई मजरे नोनिहापुर खरंजा ।	1.29
		योग :–	27.574
3	अमौली	1–पारादान सेलावन मार्ग से गगौली वाया सीतापुर मजरे, जरोली मिट्टी/खरंजा ।	2.92
		2–शहीद स्मारक स्थल झाऊपुर की बाउण्ड्रीवाल ।	2.518
		3–अमौली खजुहा मार्ग से ऊईपुर मिट्टी/खरंजा ।	3.67
		4–सरहन बुजुर्ग से भगलापुर मिट्टी/खरंजा ।	7.727
		5–भगलापुर से नारद के स्टेट ट्यूबेल तक मिट्टी ।	0.94
		6–मकरन्दपुर रिठवा मार्ग से थाना मार्ग ।	1.985
		7–एतमादपुर से फरसा मार्ग मिट्टी/खरंजा ।	4.702
		8–अमौली तिकोनिया रोड से उपस्वास्थ्य केन्द्र अमौली तक नाला निर्माण ।	6.027
		योग :–	30.489
4	बहुआ	1–शाह से सैदपुर मिट्टी/खरंजा ।	4.04
		2–दुल्हापुर से खरिका सम्पर्क मार्ग ।	1.485
		3–काजीपुर शाहपुर से मोहनपुर खरंजा ।	10.068
		4–अयाह से भगवानपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण ।	10.77
		5–बनरसी से हरीरामपुर तक खरंजा ।	9.399
		योग :–	35.761

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं०–37 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या–37 का संलग्नक

ग्राम पंचायत–मवई बुजुर्ग

योजना का नाम–जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

वित्तीय वर्ष	प्राप्त धनराशि	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1999-2000	1,06,702	1–जल निकासी कार्य	5,405
		2–सम्पर्क मार्ग/मिट्टी कार्य	42,000
		3–हरिजन कूप मरम्मत	11,033
		4–प्रशासनिक व्यय	69
		योग :–	58,507
2000-2001	1,62,044	1–खड़न्जा कार्य	27,485
गत वर्ष का अवशेष	48,200	2–खड़न्जा कार्य	64,844
		3–नाली निर्माण	35,777
		4–वनीकरण कार्य	28,850
		5–खड़न्जा कार्य	14,017
		6–खड़न्जा कार्य	7,249
		7–कूप मरम्मत कार्य	9,240
		8–खड़न्जा निर्माण कार्य	8,544
		9–खड़न्जा निर्माण कार्य	9,000
		10–प्रशासनिक व्यय	427
		योग :–	2,05,433
2001-2002	1,94,023	1–वनीकरण कार्य	25,984
गत वर्ष का अवशेष	4,811	2–पुलिया निर्माण	7,490
		3–कूप मरम्मत कार्य	33,582
		4–कूप मरम्मत कार्य	41,644
		5–पंचायत भवन/सामग्री पर	74,300
		6–प्रशासनिक व्यय	1,300
		योग :–	1,84,300

उत्तर प्रदेश विधान सभा

योजना का नाम–विधायक निधि

वित्तीय वर्ष	प्राप्त धनराशि	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1999-2000	—	—	—
2000-2001	1,00,000	1–खड़न्जा कार्य	95,000
2001-2002	2,61,000	1–खड़न्जा निर्माण अवशेष	5,007
		2–खड़न्जा निर्माण	91,833
		3–खड़न्जा/नाली निर्माण अवशेष	1,49,965
		4–व्यायामशाला	13,105
		योग :–	2,59,910

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ग्राम पंचायत–सादी मदनपुर

योजना का नाम–जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

वित्तीय वर्ष	प्राप्त धनराशि	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1999-2000	37,786	1–हरिजन बस्ती में पुलिया निर्माण	25,008
		2–वनीकरण	7,205
		3–मिट्टी भराई	2,160
		4–स्टेशनरी व्यय	2,499
		योग :–	36,872
2000-2001	62,516	1–वनीकरण	12,500
		2–खड़न्जा निर्माण	22,509
		3–नाली मरम्मत	7,162
		4–मिट्टी पुराई	7,940
		5–नाली सफाई कार्य	1,392
		6–स्टेशनरी व्यय	1,994
		योग :–	53,497

योजना का नाम–विधायक निधि

वित्तीय वर्ष	प्राप्त धनराशि	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
2001-2002	75,337	1–हयूम पाइप पुलिया	30,597
		2–सम्पर्क मार्ग निर्माण	27,840
		3–वनीकरण	16,900
		योग :–	75,337

वित्तीय वर्ष	प्राप्त धनराशि	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1999-2000	4,25,000	1–पुलिया निर्माण	1,00,000
		2–खड़न्जा नाली निर्माण	2,00,000
		3–खड़न्जा निर्माण	75,000
		4–खड़न्जा निर्माण	50,000
		योग :–	4,25,000
2000-2001	3,00,000	1–सम्पर्क मार्ग निर्माण	2,99,404
		योग :–	2,99,404
2001-2002	1,50,000	1–बारात घर निर्माण	1,49,982
		योग :–	1,49,982

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अता० प्र०सं०–39 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या–39 का संलग्नक

क्र०सं०	कराये गये कार्य	व्यय धनराशि
1	2	3
	वर्ष 1999-2000	
1	मित्तुपुर 11 में अम्मर पट्टी हरिजन बस्ती से लेखराज़ पाल के घर तक सोलिंग ।	38543.00
2	मुतकलीपुर दयाराम भास्कर के घर से दक्षिण तरफ दलियपुर मैनुद्धनीपुर मुख्य मार्ग तक खड़न्जा ।	68392.00
3	कलाफतपुर में भृंगु यादव के घर से प्रकाश के घर तक मिट्टी कार्य/सोलिंग 200 मी० मेन रोड से हरिजन बस्ती होते हुये छोटका पुरवा में मदरा के घर तक 130 मी० मिट्टी ।	29437.00
4	इब्राहिमपुर में डा० इरफान के घर से हिरालाल चमार के घर तक सोलिंग ।	45062.00
5	ग्राम बागबहार में रंजीत वर्मा के मकान होते हुये राजकुमार वर्मा के मकान तक सोलिंग ।	50533.00
6	बहाउद्दीनपुर-सुम्हाडीह कंधाया ग्राम में राम सेवक मास्टर के घर तक सोलिंग ।	28176.00
	योग :–	260143.00
	वर्ष 2000-2001	
1	भरचकिया में पी०डब्लू०डी० रोड से राम किशोर पाल के घर तक सोलिंग ।	41805.00
2	प्रतापपुर पक्की सड़क पुलिया के दक्षिण तरफ कच्ची सड़क पर सोलिंग ।	36204.00
3	भिटौरा में बाबूसाहब के ट्यूबेल से दलित बस्ती तक मिट्टी तथा निरंजन के दरवाजे से मुक्तीनाथ के बाग तक सोलिंग ।	32167.00
4	राम नगर में मेनरोड से फूलचन्द्र यादव के घर से हीरा यादव के घर तक सोलिंग ।	35645.00
5	लग्गूपुर में राम अशीष वर्मा के घर से जोखू यादव के घर तक सोलिंग ।	47032.00
6	जल्दीपुर में दुब्बई केवट के घर से हुबलाल के घर तक सोलिंग ।	28683.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
7	आलमपुर में रेलवे लाइन से उत्तर हरिजन बस्ती में लालचन्द के घर तक सोलिंग ।	31921.00
8	इमली महुआ में पी०डब्लू०डी० रोड से हीरालाल पटेल के घर होते हुए इमली महुआ ग्राम तक सोलिंग ।	39760.00
9	अम्बारी में रामधनी के निवास से त्रिलोकी नाथ पाण्डेय के निवास तक सोलिंग ।	15687.00
10	बीरेराम के नलकूप से हरिजन बस्ती होते हुए रेलवे लाइन तक सोलिंग ।	31651.00
	योग –	340555.00

वर्ष 2001-2002 में कोई कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी) एस० यू० पी०–एल० 15 विधान सभा (23)–2002–813 प्रतियां (डी०टी०पी०) ।